

कम संख्या— 141

पंजीकृत संख्या—डी0एन0 / -30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल उत्तरांचल

सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार 11, नवम्बर 2005 ई0 कार्तिक 20,

1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 615 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2005 देहरादून, 11

नवम्बर, 2005

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर विधेयक, 2005 को दिनांक 09 नवम्बर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम,
2005

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
	अध्याय एक प्रारम्भिक	
धारा 1	संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ	2
धारा 2	परिभाषाएं	2
	अध्याय दो कर भार, कर आरोपण और कर की दरें	
धारा 3	कर भार	10
धारा 4	कर की दर	14
धारा 5	देय शुद्ध कर	19
धारा 6	इनपुट टैक्स का लाभ	20
धारा 7	समाधान स्कीमें	26
धारा 8	सांपत्तिक सम्पत्थान का दायित्व	27
धारा 9	फर्म इत्यादि के मामले में दायित्व	28
धारा 10	अप्राप्तवय और असमर्थ व्यक्तियों के मामलों में कर दायित्व	28
धारा 11	कोर्ट ऑफ वार्ड्स, अधिकारण आदि के मामलों में कर दायित्व	29
धारा 12	कम्पनी के मामले में कर दायित्व	29
धारा 13	कतिपय अभिकर्ता, जो कर्ता की ओर से किये गये क्रिकय पर कर के दायी हैं	30
धारा 14	कारबार के अंतरण के मामले में कर दायित्व	31

	अध्याय तीन पंजीयन, सशोधन और निरस्तीकरण	
धारा 15	पंजीयन	31
धारा 16	स्वैच्छिक पंजीयन	33
धारा 17	पंजीयन के लिए प्रक्रिया	34
धारा 18	पंजीयन का निरस्तीकरण	36
धारा 19	पंजीयन प्रमाण-पत्र	37
धारा 20	पंजीयन राजस्व के हित में प्रतिभूति	38
धारा 21	पंजीयन संख्या को उद्धृत करना	40
धारा 22	ब्यौहारी द्वारा कर की वसूली	40
	अध्याय चार विवरणी, कर निर्धारण, भुगतान और वसूली	
धारा 23	सावधिक विवरणी और कर का भुगतान	41
धारा 24	अनन्तिम कर निर्धारण	3
धारा 25	पंजीकृत ब्यौहारी का कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण	44
धारा 26	कर के लिए दायी पंजीकृत ब्यौहारी का कर निर्धारण	47
धारा 27	नैमित्तिक ब्यौहारी के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध	47
धारा 28	विशेष परिस्थितियों में कर निर्धारण	48
धारा 29	कर निर्धारण से छूट गये आवर्त का निर्धारण	49
धारा 30	भूल का सुधार	50
धारा 31	कर निर्धारण के किसी आदेश को अपास्त करने की शक्ति	50
धारा 32	कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण के लिए परिसीमा काल	550
धारा 33	आवर्त और कर आदि को पूर्णांकित करना	52
धारा 34	कर का भुगतान और उसकी वसूली	52
धारा 35	स्रोत पर कर कटौती द्वारा कर की वसूली	56
	अध्याय पाँच वापसी और समायोजन	
धारा 36	वापसी	58
धारा 37	निर्यातकों के मामले में अनन्तिम वापसी	59
धारा 38	राजदूतावासों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों या विशेष आर्थिक जोन में	59
धारा 39	कतिपय मामलों में वापसी को रोकने की शक्ति	59
धारा 40	ब्यौहारी द्वारा कर के रूप में गलत वसूल की गई धनराशि का वितरण	60
धारा 41	ब्याज	60
	अध्याय छः लेखों का निरीक्षण, तलाशी एवं अभिग्रहण और जाँच चौकियों की स्थापना	
धारा 42	लेखों को दिखाने की आज्ञा देने की शक्ति और प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति	61
धारा 43	माल को अभिग्रहण करने की शक्ति	63
धारा 44	अवमूल्यन की दश में माल को अभिगृहीत करने की शक्ति	65
धारा 45	सूचना प्राप्त करने और साक्षियों को बुलाने की शक्ति	65
धारा 46	पुलिस आदि से सहायता लेने की शक्ति	66
धारा 47	जाँच चौकियों और नाके की स्थापना	66
धारा 48	घोषणा-पत्र द्वारा राज्य के बाहर से माल आयात करना	66
धारा 49	श्रेल, नदी, वायुमार्ग या डाक द्वारा राज्य के भीतर माल का आयात	67
धारा 50	राज्य से होकर सड़क से माल का प्रेषण और माल के पारगमन के लिए प्राधिकार का जारी किया जाना	68
	अध्याय सात अपील और पुनरीक्षण	
धारा 51	प्रथम अपील	68
धारा 52	कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण	71
धारा 56	अपील अधिकरण के समक्ष अपील	71
धारा 54	अपील अधिकरण का गठन	74
धारा 55	उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण	74
धारा 56	आदेश, जिनके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण दाखिल नहीं किया जायेगा	75
धारा 57	विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारण	75
	अध्याय आठ अपराध और अर्थदण्ड	
धारा 58	अपराध एवं अर्थदण्ड	76
	अध्याय नौ ब्यौहारियों द्वारा लेखा रखा जाना	
धारा 59	लेखों का रख रखाव	80

धारा 60	बिक्री बीजक	81
धारा 61	अवधि जब तक लेखे रखे जायेंगे	82
धारा 62	लेखों की सम्परीक्षा	82
	अध्याय दस विविध	
धारा 63	मिथ्या प्रमाण-पत्र आदि जारी करने पर दायित्व	83
धारा 64	अधिकारिता के प्रति आपत्ति	83
धारा 65	कर दायित्व अवधारित करने में कुछ अवधारणाएं	83
धारा 66	साबित करने का भार	85
धारा 67	अपील में अतिरिक्त साक्ष्य	85
धारा 68	हानि – रक्षा	85
धारा 69	कतिपय कार्यवाहियों पर रोक	85
धारा 70	कुछ ऐसी सूचना, जो गोपनीय होगी	85
धारा 71	नियम बनाने की शक्तियाँ	86
धारा 72	पूर्वगामी प्रभाव से अधिसूचनाएं जारी करने की शक्ति	87
धारा 73	राजस्व को कपट वंचित करने के लिए किये गये अन्तरण का शून्य होना	87
धारा 74	कतिपय मामलों में फीस	87
धारा 75	किस्ते मंजूर करने का अधिकार	88
धारा 76	कर भुगतान के लिए अधिस्थगन	88
धारा 77	रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिए सुविधा	92
धारा 78	आंकड़े संग्रह करने की शक्ति	92
धारा 79	कठिनाइयों का निवारण करने की शक्ति	93
	अध्याय ग्यारह संकमणकालीन उपबन्ध, निरसन और व्यावृत्तियाँ	
धारा 80	संकमणकालीन उपबन्ध	93
धारा 81	निरसन और व्यावृत्ति	96

अनुसूची

अनुसूची- एक	करमुक्त वस्तुएं	98
अनुसूची -दो (क)	वस्तुएं, जिन पर विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर 1 प्रतिशत की दर से कर	101
अनुसूची- (ख)	वस्तुएं, जिन पर विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर 4 प्रतिशत की दर से कर	102
अनुसूची- (ग)	वस्तुएं, जिन पर विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर विनिर्दिष्ट दर से कर	107
अनुसूची- तीन	विशेष प्रवर्ग की वस्तुएं, जिन पर विनिर्दिष्ट विक्रय के बिन्दु पर विनिर्दिष्ट दर से कर	108
अनुसूची- चार	ब्यौहारियों/व्यक्तियों, जिनको या जिनके द्वारा किसी वस्तु का विक्रय पर पूरे या आंशिक कर से मुक्ति	109
अनुसूची- पाँच	व्यक्तियों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किये गये क्रय पर दिये गये कर की वापसी	113

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम,

2005

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2005}

उत्तराखण्ड राज्य में माल के क्रय और विक्रय पर मूल्य वर्धित कर के उद्ग्रहण सम्बन्धी विधि का उपबन्ध करने और उसको समेकित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् यह अधिनियमित हो :-

अध्याय एक

प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 है।
 - (2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।
 - (3) यह 1 अक्टूबर, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
- परिभाषाएं
- इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - (1) "निर्धारिती" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य धनराशि देय है और इसमें वह प्रत्येक व्यक्ति भी है, जिसके सम्बन्ध में देय कर के निर्धारण हेतु इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा रही
- कोई
उसके द्वारा

है;
सभी या
कोई

की जा

यदाकदा
निरन्तरता या
विनिर्माण, प्रोद्यम, या समुत्थान
और चाहे ऐसे व्यापार,
लाभ प्रोद्भूत हो या

करने
हो या न हो); और -----

(2) "करनिर्धारक प्राधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी के किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार या कमिश्नर द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(3) "कर निर्धारण वर्ष" से 31 मार्च को समाप्त होने वाले बार माह की अवधि अभिप्रेत है;
(4) "अपील प्राधिकारी" से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसको धारा 51 के अधीन अपील सकेगी;

(5) "अपील अधिकरण" से इस अधिनियम की धारा 54 के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(6) "कारबार" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :-

(क) कोई व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण; या

(ख) व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण की प्रकृति का कोई प्रोद्यम या समुत्थान; या

(ग) ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान से सम्बन्धित या इनसे प्रासंगिक या आनुषंगिक कोई संव्यवहार; या

(घ) ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान की प्रकृति को कोई

होने वाला संव्यवहार, चाहे ऐसे संव्यवहार में परिमाण, आवृत्ति नियमितता है अथवा नहीं, चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य,

अभिलाभ या लाभ पाने के उद्देश्य से किया जाय या नहीं वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान से कोई अभिलाभ या नहीं, या

(ङ) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन या किसी प्रयोजन के लिए माल के उपयोग के अधिकार का अन्तरण (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए

(च) संयंत्र, मशीनरी, कच्चा माल, प्रसंस्करण सामग्री, पैकिंग सामग्री, खाली डिब्बे, उपभोज्य स्टोर, अपशिष्ट पदार्थ या उपोत्पाद या इसी प्रकृति का कोई अन्य माल अथवा कोई अप्रयोज्य या अप्रयुज्यमान या व्यर्थ मशीनरी या उसका कोई पुर्जा या सहायक सामान या कोई अपशिष्ट पदार्थ या छीजन या उनमें से कोई भी वस्तु क़य, विक़य या सम्भरण करने का कोई संव्यवहार या किसी भी प्रकार का कोई अन्य संव्यवहार, वह कोई भी हो, जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान या संकर्म संविदा या पट्टे का आनुषंगिक हो या उससे सम्बद्ध हो या उसके परिमाण स्वरूप हो, किन्तु इसके अन्तर्गत केवल सेवा या वृत्ति की प्रकृति को कोई ऐसा कार्यकलाप नहीं है, जिसमें माल क़य करना या विक़य करना अन्तर्गृह्य न हो;

[(7) "नैमित्तिक ब्यौहारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसी अवधि जो एक समय में 60 दिन या ऐसी अन्य अवधि जैसा कि विहित किया जाये, से कम हो, में कर्त्ता, अभिकर्त्ता अथवा किसी अन्य हैसियत से माल का क़य, विक़य, सम्भरण अथवा वितरण का यदा कदा संव्यवहार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करता है, या उत्तराखण्ड राज्य में कोई प्रदर्शनी के साथ विक़य का संचालन करता है, चाहे यह नकद, या आस्थगित भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किया गया हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :-

(क) ऐसा परिवहनकर्त्ता, जैसा कि धारा 2 के खण्ड (49) में विनिर्दिष्ट है, या ऐसा परिवहन अभिकर्त्ता, जिसका उत्तराखण्ड में नियत स्थान हो अथवा न हो, और जो, किसी व्यक्ति के माल को परिवहन से पहले अथवा परिवहन के बाद या परिवहन के दौरान अपनी सुपुर्दगी में रखता हो, उत्तराखण्ड में ऐसे माल के परेषक या परेषिती का नाम बताने में असफल रहता है, अथवा ऐसे माल के बीजक/चालान की प्रति, माल की रसीद/बिल्टी या परेषण पत्र या माल के सम्बन्ध में इसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

(ख) भण्डारागार का स्वामी या टुपट्टेदार या अधिष्ठाता, जो अपने भण्डारागार में रखे गये किसी माल के स्वामी का नाम व पता बताने में असफल रहता है, या यह सन्तुष्टि कराने में असफल रहता है कि ऐसा माल उसके अपने प्रयोग या उपभोग के लिये है; तो यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसे परिवहनकर्त्ता, परिवहन अभिकर्त्ता या भण्डारागार का स्वामी या टुपट्टेदार या अधिष्ठाता द्वारा ऐसा माल अपने निजी लेखे में खरीदा गया है।]²

- (8) "पूँजीगत माल" से ऐसा संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर (जिसमें पर्यावरण नियन्त्रक उपस्कर, गुणवत्ता नियन्त्रक उपस्कर या प्रयोगशाला उपस्कर सम्मिलित है) अभिप्रेत है, जिनका उपयोग कराधेय माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में किया जात है किन्तु इस अधिनियम की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग के माल और ऐसा माल भी जब उसका उपयोग सिविल संरचना में, जैसा कि विहित किया जाये, किया जाता है, को छोड़कर;
- {(9) "कमिश्नर" से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वाणिज्य कर कमिश्नर अभिप्रेत है और इसमें सरकार द्वारा नियुक्त वाणिज्य कर के एडिशनल कमिश्नर तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर सम्मिलित है;}।
- (10) "प्रारम्भ की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होगा;
- (11) "ब्यौहारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अपने कारबार के प्रयोजनों के लिए या उसके सम्बन्ध में अथवा उससे प्रासंगिक अथवा उसके अनुक्रम में उत्तराखण्ड में (चाहे लाभ के उद्देश्य से या अन्यथा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, नियमित रूप से या अन्यथा) नकद या आस्थगित भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का कारबार करता है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :-

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2008 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2012 की धारा 2(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

- (क) केन्द्रीय सरकार या किसी सरकार का कोई विभाग अथवा पंचायत, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, छावनी परिषद् नामधारक स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई स्वायत्तशासी या कानूनी निकाय;
- (ख) कोई औद्योगिक, वाणिज्यिक, बैंकिंग, बीमा या व्यापारिक उपक्रम, चाहे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण का हो अथवा नहीं;
- (ग) कोई कमीशन अभिकर्ता, मध्य वर्ग, दलाल, आढ़ती, परिशोधी अभिकर्ता या कोई अय वाणिज्यिक अभिकर्ता चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाये और चाहे इसमें इसके पूर्व उल्लिखित वर्णन का हो या न हो, जो किसी प्रकट या अप्रकट कर्ता की ओर से माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का कारबार करता है;
- (घ) कोई व्यक्ति, जो राज्य के भीतर किसी अनिवासी ब्यौहारी अर्थात् राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी ब्यौहारी की ओर से अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और राज्य में माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का कारबार करता है या ऐसे ब्यौहारी की ओर से निम्नलिखित रूप से कृत्य करता है :-
- (एक) माल विक्रय अधिनियम, 1930 में यथा परिभाषित वाणिज्यिक अभिकर्ता; या
- (दो) माल या माल से सम्बन्धित हक के दस्तावेजों का प्रबन्ध करने के लिए अभिकर्ता या
- (तीन) माल की विक्रय कीमत के संग्रह या भुगतान करने के लिए अभिकर्ता या ऐसे संग्रह या भुगतान के लिए प्रत्याभूतिदाता;
- (ङ) कोई व्यक्ति, फर्म या कम्पनी या अन्य नियमित निकाय, क्लब, अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब अथवा संयुक्त कुटुम्ब की कोई अन्य पद्धति, व्यक्तियों का संगम, न्यास और सहकारी सोसाइटी या कोई अन्य सोसाइटी, चाहे ऐसी सोसाइटी निगमित हो या गैर निगमित और जो ऐसा कारबार करता है, जिसमें अपने सदस्यों के लिए माल क्रय करना या उनको किसी कीमत, फीस या अभिदाय के लिए विक्रय करना सम्मिलित है, चाहे वह कारबार के अनुक्रम में की गयी हो या नहीं;
- (च) कोई अनिवासी ब्यौहारी चाहे वह व्यक्ति हो या कोई फर्म या कम्पनी या व्यक्तियों का कोई संगम या कोई अन्य निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, जिनका मुख्य कार्यालय या मुख्यालय राज्य के बाहर हो और कोई शाख या कार्यालय राज्य में हो या नहीं हो, जो उत्तराखण्ड राज्य में ऐसी शाखा या कार्यालय के माध्यम से, सीधे या अपने अभिकर्ता के माध्यम से माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का कारबार करता हो;

(छ) कोई नीलामकर्ता, जो किसी प्रकट या अप्रकट कर्ता के माल का विक्रय या नीलामी का कारबार करता हो, चाहे आशयित क्रेता का प्रस्ताव उसके द्वारा स्वीकार किया जाता हो या कर्ता के द्वारा या कर्ता के नामनिर्देशिती द्वारा;

(ज) कोई नैमित्तिक ब्यौहारी;

(झ) कोई व्यक्ति, जो किसी सेवा या उसके अंश के रूप में अथवा अन्य किसी रीति से, चाहे वह कोई भी हो, ऐसे माल जो भोज्य पदार्थ या मान उपभोग के लिए अन्य खाद्य पदार्थ या कोई पेय (मादक हो या न हो) की आपूर्ति करता हो, जहाँ पर ऐसी आपूर्ति अथवा सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हों;

(ञ) कोई व्यक्ति, जो अपने कारबार के प्रयोजन हेतु अथवा इसके सम्बन्ध में अथवा इससे प्रासंगिक अथवा इसके अनुक्रम में ऐसे माल का विक्रय करता है, जो अदावाकृत या समपहत या अप्रयोज्य या छीजन, अधिशेष, पुराना, अप्रयुज्यमान या व्यर्थ माल का अपशिष्ट उत्पाद है;

(ट) कोई व्यक्ति, जो किसी संविदा के अनुसरण के अन्तर्गत, किसी माल में सम्पत्ति के नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए अन्तरण के कारबार में लगा हो;

(ठ) कोई व्यक्ति, जो संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) सम्पत्ति के अन्तरण का कारबार करता है;

(ड) कोई व्यक्ति, जो नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल को किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण का कारबार करता है;

(ढ) कोई व्यक्ति, जो अवकय या किशतों पर भुगतान की किसी अन्य पद्धति पर माल के परिदान के कारबार में लगा है :

परन्तु यह कि ऐसे किसी व्यक्ति को, जो ऐसे कृषि उपज का, जिसे उसने स्वयं उगाया हो या किसी ऐसी भूमि में उगाया हो, जिसमें उसका चाहे उसका स्वामी, भोग बन्धकदार, किरायेदार या अन्य रूप में कोई हित हो, विक्रय करता है या जो अपने द्वारा पाले गये कुक्कुट या पशुओं से कुक्कुट या दुग्ध उत्पाद का विक्रय करता है, ऐसे माल के सम्बन्ध में ब्यौहारी नहीं समझा जायेगा;

(12) "घोषित माल" से केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अधीन अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व वाला घोषित माल अभिप्रेत है;

(13) "दस्तावेज" से हक-विलेख, लेख या अन्तर्लेख अभिप्रेत है, जिसमें इलैक्ट्रॉनिक आंकड़े, संगणक कार्यक्रम, संगणक टेप, संगणक डिस्क, संगणक पलापी और ऐसे ही साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले लेख भी हैं;

[(13-क) "हक का दस्तावेज" से ऐसे दस्तावेज अभिप्रेत है जो माल का हक प्रदान करता है और इसमें वहन-पत्र, डाक वारंट, माल की रसीद/बिल्टी, रेलवे रसीद, भण्डारागारपाल का प्रमाण पत्र, वारंट या माल के परिदान का आदेश और व्यापार के दौरान माल के कब्जे या नियंत्रण के साक्ष्य के रूप में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज, या ऐसा दस्तावेज जो पृष्ठांकन के द्वारा या परिदान के द्वारा दस्तावेज के धारक को दस्तावेज में रूपित माल का हस्तांतरण करने अथवा प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करता है या प्राधिकृत करने को तात्पर्यित करता है।]

(14) "माल" से प्रत्येक प्रकार का वर्ग की जंगम सम्पत्ति (समाचार पत्र, अनुयोज्य दावे, स्टॉक, शेयर, प्रतिभूति और डाक विभाग द्वारा विक्रय की जाने वाली डाक लेखन सामग्री को छोड़कर) अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(क) पशुधन, उगती हुई फसलें, घास, वृक्ष और ऐसी वस्तुएं, जो पृथ्वी से संलग्न हो या पृथ्वी से स्थायी रूप से संलग्न किसी वस्तु से जकड़ी हो और जिन्हें विक्रय की संविदा के अधीन पृथक् करने का अनुबन्ध हो;

(ख) किसी संकर्म संविदा के निस्तारण में अन्तर्ग्रस्त सभी सामग्री, वस्तुएं और पदार्थ (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) जिसमें वे माल भी सम्मिलित हैं,

जो किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति की फिटिंग, अभिवृद्धि या मरम्मत में अथवा किसी पट्टे या अवकय में अन्तर्गस्त हो;

(15) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

{(16) "आयातकर्ता" का तात्पर्य, किसी माल के सम्बन्ध में, ऐसे ब्यौहारी से है, जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर माल लाता अथवा प्राप्त करता है और इसमें ऐसा ब्यौहारी भी सम्मिलित है :-

(क) जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से माल लाकर या प्राप्त करके उसकी प्रथम बिक्री करता है; या

(ख) जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के अन्दर, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, माल प्राप्त करता है; या

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2012 की धारा 2 (2) द्वारा बढ़ाया गया।

(ग) जिसकी ओर से राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर लाया गया माल, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्राप्त किया गया है।²

{(16-क) "आयात" का तात्पर्य, राज्य के बाहर से अथवा देश के बाहर से खरीदकर या अन्य विधा के परिणामस्वरूप माल का लाया जाना या प्राप्त किया जाना है।²

(17) "इनपुट टैक्स" किसी पंजीकृत ब्यौहारी के सम्बन्ध में "इनपुट टैक्स" से इस अधिनियम के अधीन किसी ब्यौहारी द्वारा दूसरे पंजीकृत ब्यौहारी को कारबार के दौरान विशेष प्रवर्ग के माल को छोड़कर किसी कराधेय माल, जो पुनः विक्रय के लिए या विक्रय हेतु ऐसे कराधेय माल के विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण के लिये या ऐसे विनिर्मित माल की पैकिंग के लिए उपयोग किये पात्र या संवेष्टन सामग्री के लिए उपयोग किया जाय, के क्रम पर संदत्त या देय कर अभिप्रेत है;

(18) "पट्टा" से कोई करार या ठहराव अभिप्रेत है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को किसी माल के उपयोग का अधिकार किसी भी अवधि के लिए (चाहे विनिर्दिष्ट हो या नहीं) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए बिना स्वामित्व के अन्तरण के अन्तरित किया जाता है और जिसमें उप-पट्टा सम्मिलित है किन्तु अवकय या किश्तों द्वारा भुगतान की किसी प्रणाली द्वारा अन्तरण सम्मिलित नहीं है;

(19) "पट्टेदार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको पट्टा के अधीन किसी प्रयोजन के लिए किसी माल के उपयोग का अधिकार अन्तरित किया जाय;

(20) "पट्टाकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके द्वारा पट्टा के अधीन किसी प्रयोजन के लिए किसी माल के उपयोग का अधिकार अन्तरित किया जाय;

(21) "विनिर्माण" से ऐसे कार्यकलाप अभिप्रेत हैं, जो किसी वस्तु में कोई परिवर्तन लाता है या जिसके परिणाम स्वरूप किसी नई और भिन्न वस्तु, जैसा कि व्यावसायिक भाषा में समझा जाता है, में रूपान्तरण हो जाता है और इसमें किसी माल का उत्पादन करना, बनाना, खनन, संग्रहण, निष्कर्षण, परिवर्तन, अलंकरण, परिरूपण, संयोजन या अन्यथा प्रसंस्करण, शोधन या अनुकूलन भी सम्मिलित है, किन्तु इसके अन्तर्गत विनिर्माण की कोई ऐसी प्रक्रिया या पद्धति, जो विहित की जाये, सम्मिलित नहीं होगी;

(22) किसी माल के सम्बन्ध में, "विनिर्माता" से ऐसा ब्यौहारी अभिप्रेत है जो माल के विनिर्माण के पश्चात् राज्य में प्रथम बार उसका विक्रय करे और इसमें ऐसा ब्यौहारी भी सम्मिलित है, जो किसी ऐसे अन्य ब्यौहारी से कय करता है, जो धारा 4 के अधीन छूट प्राप्त विक्रय से भिन्न, अपने विक्रय पर इस अधिनियम के अधीन कर का दायी नहीं है;

(23) "अनिवासी ब्यौहारी" से ऐसा ब्यौहारी अभिप्रेत है, जो उत्तराखण्ड में कारबार करता है किन्तु जिसका उत्तराखण्ड में कारबार या निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं है;

(24) "राजपत्र" से उत्तराखण्ड सरकार का राजपत्र अभिप्रेत है;

{(25) "किसी जाँच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी" से वाणिज्य कर अधिकारी से अनिम्न पद का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो ऐसी जाँच चौकी या नाके पर तैनात हो;}¹

- (26) किसी पंजीकृत व्यापारी के सम्बन्ध में "आऊट पुट टैक्स" से किसी ब्यौहारी द्वारा कारबार के दौरान किसी कराधेय माल के विक्रय अथवा सम्भरण पर इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रभारित अथवा प्रभार्य कर अभिप्रेत है और इसमें किसी कमीशन अभिकर्ता द्वारा ऐसे ब्यौहारी की ओर से किये गये कराधेय माल के विक्रय की बाबत संदत्त कर सम्मिलित है;
- (27) "व्यक्ति" में सम्मिलित है :-
- (क) कोई व्यक्ति;
- (ख) संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब;
1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2008 की धारा 3 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
 2. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2012 की धारा 3 (3) तथा (4) द्वारा प्रतिस्थापित।
- {(ग) कम्पनी या निगम या वित्तीय संस्था या बैंक;}₂
- (घ) फर्म;
- (ङ) व्यक्तियों का संगम अथवा निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं;
- (च) केन्द्रीय सरकार या उत्तराखण्ड सरकार या भारत के किसी अन्य राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार;
- (छ) स्थानीय प्राधिकरण, क्लब, सोसाईटी या न्यास;
- (28) "कारबार का स्थान" से वह स्थान अभिप्रेत हैं, जहाँ कोई ब्यौहारी अपना कारबार करता है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है—
- (क) कोई दुकान, भाण्डागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान, जहाँ ब्यौहारी अपने माल का भण्डारण करता है;
- (ख) कोई स्थान, जहाँ कोई ब्यौहारी माल का उत्पादन या विनिर्माण करता है;
- (ग) कोई स्थान, जहाँ कोई ब्यौहारी अपनी लेखाबही रखता है;
- (घ) कोई स्थान, जहाँ कोई ब्यौहारी संकर्म संविदा निष्पादित करता है या माल के उपयोग के अधिकार का प्रयोग किया जाता है;
- (ङ) किसी भी मामले में, जहाँ कोई ब्यौहारी, किसी अभिकर्ता (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) के माध्यम से कारबार करता है, ऐसे अभिकर्ता के कारबार का स्थान;
- (च) कोई स्थान, जहाँ कोई ब्यौहारी या कोई व्यक्ति माल की बुकिंग या परिदान करता है और कोई यान या कोई अन्य वाहक, जिसमें माल का भण्डारण किया जाता है या जिसका माल के परिवहन हेतु उपयोग किया जाता है;
- (29) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या जारी की गई अधिसूचनाओं के अधीन विहित अभिप्रेत है;
- (30) "क्रय" का उसके व्याकरणिक रूप-भेद और सजातीय पदों सहित, अर्थ शब्द "विक्रय" से लगाया जायेगा;
- (31) "क्रय कीमत" से किसी माल के क्रय के लिए किसी व्यक्ति द्वारा, कारबार प्रथा के अनुसार नकद डिस्काउंट के रूप में विक्रेता द्वारा अनुज्ञात किसी रकम को घटा कर, संदत्त या देय मूल्यवान प्रतिफल की रकम अभिप्रेत है और इसमें उस माल के परिदान के समय या उसके पूर्व माल के सम्बन्ध में विक्रेता द्वारा की गई किसी बात के लिए प्रभारित कोई रकम, भाड़े या परिदान की लागत के या संस्थापन की लागत के लिए जब ऐसी लागत पृथकतः प्रभारित की गई हो, से भिन्न राशि सम्मिलित होगी;
- (32) "प्राप्तकर्ता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यथापरिभाषित माल प्राप्त करता है;

- (33) "पंजीकृत ब्यौहारी" से इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत ब्यौहारी अभिप्रेत है और इसमें ऐसा ब्यौहारी भी सम्मिलित है, जिसने स्वैच्छिक रूप से पंजीयन प्राप्त किया है;
- (34) "निरसित अधिनियम" से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 अभिप्रेत है;
- (35) "निरसित अध्यादेश" से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005 अभिप्रेत है;
- (36) "पुनः विक्रय" से कय किये गये माल का निम्नवत् विक्रय अभिप्रेत है :-
- (क) जो, उसी रूप में की गयी है, जिसमें उन्हें कय किया गया था;
- (ख) किसी माल के विनिर्माण में उनका उपयोग किये बिना; या
- (ग) उसमें कोई ऐसी बात किये बिना, जो विनिर्माण के तुल्य हैं या जिसका परिणाम विनिर्माण है;
1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2008 की धारा 3 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
- (37) "विवरणी" से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन विहित और/या प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित कोई विवरणी अभिप्रेत है;
- (38) "विलोम कर" से माल के कय पर कर के उस अंश से अभिप्रेत है, जिसका लाभ लिया जा चुका है लेकिन ऐसे माल का बाद में राज्य के भीतर कराधेय माल के पुनः विक्रय अथवा कराधेय माल के विनिर्माण अथवा संकर्म संविदा के निष्पादन अथवा डिब्बे या संवेष्टन सामग्री से भिन्न प्रयोजन के किया गया हो;
- (39) "नियम" से इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है;
- (40) "विक्रय" से उसके व्याकरणिक रूप-भेद और सजातीय पदों सहित, ऐसे माल के स्वामित्व के (बन्धक, दृष्टिबन्धक, प्रभार या गिरवी से भिन्न रूप में) अन्तरण अभिप्रेत है, जो व्यापार या कारबार के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किया जाय और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :-
- (क) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल के स्वामित्व का संविदा के अनुसरण से भिन्न रूप में अन्तरण;
- (ख) संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व का अन्तरण (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में);
- (ग) अवकय या किशतों में भुगतान की किसी पद्धति के आधार पर माल का परिदान;
- (घ) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल का किसी प्रयोजनार्थ उपयोग करने के अधिकार (चाहे वह किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) का अन्तरण;
- (ङ) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को माल का सम्भरण;
- (च) सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रीति वह कोई भी क्यों न हो, से माल का, जो मानव उपभोग के लिए खाद्य या कोई अन्य वस्तु या कोई पेय हो (चाहे मादक हो या नहीं), सम्भरण, जहाँ ऐसा सम्भरण या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हो;
- (छ) माल के स्वामित्व का अन्तरण उपधारा (11) के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट नीलामकर्ता द्वारा या किसी ब्यौहारी द्वारा बैंकिंग या बीमे की प्रकृति के किसी अन्य कार्यकलाप के दौरान माल का विक्रय, जो अपने मुख्य क्रियाकलाप के साथ कब्जे में आये या पुनः दावे में आये माल का विक्रय भी करते हैं;
- और खण्ड (क) से खण्ड (छ) तक के अधीन किसी माल का ऐसा परिदान अन्तरण या सम्भरण उस व्यक्ति द्वारा उस माल का विक्रय समझा जायेगा, जो माल का परिदान, अन्तरण या सम्भरण करता है और वह व्यक्ति इस माल का क्रेता होगा, जिसे ऐसा परिदान, अन्तरण या सम्भरण किया गया है;

स्पष्टीकरण 1-कोई विक्रय या कय राज्य में हुआ नहीं समझा जायेगा, यदि माल का विक्रय-

(क) अन्तर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में किया गया है; या

(ख) विक्रय से भिन्न अन्यथा उत्तराखण्ड राज्य के बाहर किया गया है; या

(ग) भारत के राज्य क्षेत्र अन्दर आयात अथवा क्षेत्र से बाहर निर्यात के क्रम में किया गया है;

स्पष्टीकरण 2— उपखण्ड (ख) के अधीन क्रय या विक्रय राज्य के भतर किया गया समझा जायेगा, इस बात के होते हुए भी संकर्म संविदा के लिए करार पूर्णतः या भागतः राज्य के बाहर किया गया हो, यदि संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) सम्पत्ति के अन्तरण के समय राज्य में हो;

स्पष्टीकरण 3— इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित दशाओं में दो स्वतंत्र विक्रय या क्रय हुआ समझा जायेगा—

(क) जब माल कर्ता से उसके विक्रय अभिकर्ता को और विक्रय अभिकर्ता से उसके क्रेता को अन्तरित किया जाय; या

(ख) जब माल विक्रेता से क्रय अभिकर्ता को और क्रय अभिकर्ता से उसके कर्ता को अन्तरित किया जाय, यदि यह पाया जाय कि अभिकर्ता द्वारा उपर्युक्त मामलों में से किसी एक में—

(एक) माल का विक्रय एक दर पर किया गया है और अपने कर्मा को विक्रय आगम दूसरी दर पर आगे बढ़ाया गया है; या

(दो) माल का क्रय एक दर पर किया गया है और अपने कर्ता को दूसरी दर पर आगे बढ़ाया गया है; या

(तीन) अपने कर्ता की ओर से किये गये विक्रय या क्रय में उसके द्वारा किये गये सम्पूर्ण संग्रहों या कटौतियों का लेखा अपने कर्ता को नहीं दिया गया है; या

(चार) किसी काल्पनिक या अविद्यमान कर्ता के लिए कार्य किया गया है;

(41) “बिक्री बीजक” से एक ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है, जिसमें विक्रीत माल, उसकी कीमत, मात्रा, प्रभारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में विहित की जाये, का विवरण दिया गया हो;

(42) “विक्रय कीमत” से मूल्यवान प्रतिफल की वह धनराशि अभिप्रेत है, जो ब्यौहारी द्वारा परिदान किसी माल के विक्रय के लिए प्राप्त की गई है या प्राप्य है और इसके अन्तर्गत ब्यौहारी द्वारा परिदान के समय या इसके पूर्व उस माल के सम्बन्ध में किसी कार्य के निमित्त प्रभारित कोई धनराशि, उत्पाद शुल्क, विशेष उत्पाद शुल्क या कोई अन्य शुल्क या कर भी होगा किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगा :—

(क) कोई धनराशि, जो सामान्य व्यवसाय प्रथा के अनुसार माल के विक्रेता द्वारा नकद कटौती, कमीशन अथवा व्यापार कटौती के रूप में क्रेता को माल के विक्रय के समय अनुज्ञात की गई हो;

(ख) अग्रिम भाड़े अथवा परिदान लागत या संस्थापन व्यय, ऐसे मामलों में जहाँ ऐसी लागत अलग से प्रभारित की गई हो;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कर की धनराशि, यदि ब्यौहारी द्वारा अलग से प्रभारित की गयी हो;

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजन हेतु “विक्रय कीमत” में निम्नलिखित शामिल है :—

(क) अवक्रय अथवा किश्तों पर भुगतान की किसी प्रणाली के अन्तर्गत माल के परिदान के सम्बन्ध में, मूल्यवान प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि, जिसमें माल के स्वामित्व का क्रय पूर्ण करने अथवा अर्जन करने के उद्देश्य से जमा धनराशि या अन्य प्रारम्भिक भुगतान सम्मिलित है और इसमें किराया प्रभार, ब्याज और अन्य प्रभार, जो इस संव्यवहार के प्रासंगिक हो, सम्मिलित है किन्तु इसमें किसी करार के भंग के लिए अर्थदण्ड, क्षतिपूर्ति या नुकसानी के रूप में देय कोई धनराशि शामिल नहीं है;

(ख) किसी भी प्रयोजन हेतु माल के उपयोग करने के अधिकार (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) के अन्तरण के सम्बन्ध में मूल्यवान

प्रतिफल या माल के उपयोग के अधिकार के ऐसे अन्तरण के लिए प्राप्त या प्राप्य भाड़ा प्रभार किन्तु इसमें किसी करार के भंग के लिए अर्थदण्ड, क्षतिपूर्ति अथवा नुकसानी के रूप में देय कोई धनराशि शामिल नहीं है;

- (ग) संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में अन्तरण के सम्बन्ध में ऐसी संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा संदत्त या देय मूल्यवान प्रतिफल, जिसमें से श्रम और ऐसे अन्य प्रभारों को, जो विहित किये जाये, दर्शाने वाली वास्तविक धनराशि को घटाकर किन्तु इसमें किसी करार के भंग के लिए अर्थदण्ड, क्षतिपूर्ति अथवा नुकसानी के रूप में कोई धनराशि शामिल नहीं है;
- (घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910, जैसा कि उत्तराखण्ड में लागू है, के अन्तर्गत ऐसे माल की बन्धित भाण्डागार से निकासी के समय संदत्त या देय शुल्क, चाहे ऐसा शुल्क विक्रेता द्वारा या उनकी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदत्त या देय हो, की धनराशि;
- (ङ) संवेष्टन सामग्री, जिसमें विक्रीत माल पैक किया जाता है, की कीमत;
- (43) "विशेष प्रवर्ग का माल" से इस अधिनियम की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट ऐसा माल अभिप्रेत है, जिस पर आयातकर्ता या विनिर्माता के बिन्दु पर कर देय है;
- (44) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
- (45) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
- {(46) "कर" से इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर अभिप्रेत है और इसमें अधिनियम की धारा 7 के अधीन यथा उपबन्धित विक्रय धन पर देय वास्तविक कर की धनराशि के बदले एक मुश्त धनराशि (समाधान धनराशि) और विलोम इनपुट टैक्स जमा राशि भी सम्मिलित है;}¹
- (47) "कर अवधि" से एक कलैण्डर माह, एक वर्ष की एक तिमाही या एक वर्ष या उसका भाग, जैसा कि विहित किया गया हो, अभिप्रेत है;
- (48) "कराधेय आवर्त" से ऐसा आवर्त अभिप्रेत है, जिस पर कोई ब्यौहारी उसकी कुल आवर्त से ऐसी कटौतियों को और ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाये, घटाने के पश्चात् यथा अवधारित कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा;
- (49) "परिवर्तनकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कारबार के प्रयोजन से अथवा इससे सम्बन्धित अथवा इससे प्रासंगिक अथवा इसके अनुक्रम में माल परिवहन करता है या परिवहन करवाता है अथवा किसी व्यक्ति के लिए परिवहन से पूर्व अथवा इसके पश्चात् अपने संरक्षण में रखता है। इसमें रेलवे, पोत परिवहन कम्पनी, वायु सामान सेवा और कोरियर सेवा सम्मिलित है;
- (50) "विक्रय आवर्त" से वह कुल धनराशि अभिप्रेत है, जिसके लिए किसी ब्यौहारी द्वारा या तो स्वयं या दूसरे के द्वारा, अपने लेखे में या दूसरों के लेखे में, नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल का विक्रय, सम्भरण या वितरण किया जाय;

स्पष्टीकरण 1— इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु विक्रय आवर्त में कोई ऐसी रकम भी सम्मिलित होगी, जिसे विक्रय या सम्भरण के समय या उसके परिदान के समय या इससे पूर्व ब्यौहारी द्वारा किये गये किसी काम के लिए प्रभारित किया जाये, किन्तु इसमें कृषि या उद्यान—कृषि उत्पाद की विक्रय कीमत सम्मिलित नहीं होगी, जिस राज्य को किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वामित्व वाली अथवा पट्टा, भोग बन्धक या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुज्ञात किसी अन्य हैसियत द्वारा धारित भूमि पर कृषि या उद्यान करके प्राप्त किया गया है लेकिन कृषि या उद्यान कृषि की अभिव्यक्ति में ऐसा टिम्बर या खड़े वृक्ष, विनिर्मित चाय या कोई अन्य उपज, जो कटाई के पश्चात् विनिर्माण या प्रसंस्करण के अध्वधीन हो, सम्मिलित नहीं होगी।

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2010 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण 2— विक्रय आवर्त से :-

- (क) संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में स्वामित्व के अन्तरण के सम्बन्ध में मूल्यवान प्रतिफल की

रकम अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति को ऐसे संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए संदत्त या देय है;

(ख) अवकय में किशतों में भुगतान की किसी अन्य प्रणाली के अन्तर्गत माल के परिदान के सम्बन्ध में, मूल्यवान प्रतिफल की वह धनराशि अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति हो ऐसे परिदान हेतु संदत्त या देय है;

(ग) किसी प्रयोजन के लिए माल के उपयोग करने के अधिकार (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) के अन्तरण के लिए प्राप्त की गई है अथवा प्राप्य है;

स्पष्टीकरण 3— ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों, यदि कोई हो, जो इस निमित्त विहित किये जायं, के अधीन रहते हुए—

(क) उस धनराशि में, जिसके लिए माल विक्रय या कय किया जाता है, ऐसी पैकिंग सामग्री की कीमत, जिसमें वह पैक किये जायें और ऐसी कोई रकम भी सम्मिलित होगी, जिन्हें विक्रय हुए माल के सम्बन्ध में माल के परिदान के समय या पूर्व ब्यौहारी द्वारा किये गये किसी काम के लिए लिया गया हो, सिवाय भाड़े या माल के परिदान की लागत के अथवा संस्थापन की लागत या माल के विक्रय या कय पर कर के रूप में वसूल की गयी धनराशि के, जबकि ऐसी लागत या धनराशि पृथक रूप से प्रभारित की गई हो;

(ख) किसी विक्रय के सम्बन्ध में कीमत पर अनुज्ञाप कोई नकद या अन्य कटौती की रकम और ग्राहकों द्वारा लौटायी गयी वस्तुओं के सम्बन्ध में वापस की गयी कोई रकम विक्रय आवर्त में सम्मिलित नहीं होगी; और

(ग) यदि किसी विशेष ग्राहक की सुविधा के लिए कोई ब्यौहारी किसी अन्य ब्यौहारी से माल अभिप्राप्त करे और तुरन्त उस माल का बिना लाभ लिये उक्त ग्राहक के हाथ विक्रय कर दे, तो ऐसे माल से सम्बन्धित विक्रय केवल उपर्युक्त दूसरे ब्यौहारी के ही विक्रय आवर्त में सम्मिलित किया जायेगा;

(51) “कय आवर्त” से उसके सजातीय पदों सहित किसी ब्यौहारी द्वारा कय आवर्त के सम्बन्ध में संदत्त या देय कय कीमत की कुल धनराशि अभिप्रेत है, जो उसके द्वारा स्वयं अथवा उसके माध्यम से किये गये कय की धनराशि है, चाहे वह नकद या आस्थगित भुगतान द्वारा की गयी है और इसमें से वह धनराशि, यदि कोई हो, घटा दी जायेगी, जो ऐसी अवधि, जो विहित की जाये, के भीतर वापस किये गये माल के सम्बन्ध में ब्यौहारी को विक्रेता ब्यौहारी द्वारा वापस की गई है;

(52) “यान” से पहिये वाला प्रत्येक वाहन अभिप्रेत है, जो एकमात्र या सवारियों के साथ माल के वहन के लिए प्रयोग किया जाता है और इसमें कोई ऑटोवाहन, कोई साईकिल, कोई हस्ताचालित या पशुचालित यान, बोझा ढोने वाला कोई पशु, कोई रिक्शा या माल ढोने वाला कोई व्यक्ति भी शामिल है;

(53) “माल की कीमत” से कयबीजक/बिल के आधार पर यथा अभिनिश्चित कीमत अभिप्रेत है, जिसमें बीमा प्रभार, उत्पाद शुल्क, काउण्टरवेलिंग शुल्क, विक्रयकर, परिवहन प्रभार, भाड़ा प्रभार और माल के संव्यवहारों के आनुषंगिक अन्य सभी प्रभार भी सम्मिलित है :

परन्तु यह कि जहाँ पर कय बीजक/बिल प्रस्तुत नहीं किये गये हैं या जहाँ पर माल कय से भिन्न अन्यथा अर्जित या अभिप्राप्त किया गया है, वहाँ माल की कीमत वह कीमत होगी, जिस पर इसी प्रकार और गुणवत्ता का माल खुले बाजार में विक्रय किया जाता है या विक्रय किये जाने लायक है;

(54) “जलयान” में कोई जलपोत, नौका, नाव, बेड़ा, टिम्बर, बाँस या किसी भी रीति से नोदित तैरने वाली सामग्री सम्मिलित है;

(55) “संकर्म संविदा” में नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के लिए, किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के सन्निर्माण, निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण, परिनिर्माण, लगाने,

सज्जीकरण, सुधार, परिष्कार, मरम्मत या चालू करने के लिए कोई करार भी है;

(56) “वर्ष” से 01 अप्रैल को प्रारम्भ होने वाला और 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(57) "प्रारम्भ का वर्ष" से वह कर निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है, जिसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख पड़ती है;

[(58) "वेबसाइट" का तात्पर्य वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड की वेबसाइट <http://comtax.uk.gov.in> जिसका डोमेन (domain) uk.nic.in है या ऐसी अन्य वेबसाइट से है जो कमिश्नर द्वारा अधिसूचित की जाय।];

अध्याय दो

कर भार, कर आरोपण और कर की दरें

कर भार

3. (1) किसी ब्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा।
- (2) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा पंजीयन योग्य है, एक कराधेय व्यक्ति होगा और अधिनियम में उपबन्धित रीति से अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा।
- (3) उपधारा (4) अथवा उपधारा (5), जैसा कि लागू हो, के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक ब्यौहारी या व्यक्ति, जिस तारीख से वह इस प्रकार दायी होता है, प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए कर देयता की तारीख अथवा इसके बाद राज्य के अन्दर यथास्थिति अपने समस्त विक्रय आवर्त या क्रय आवर्त, जो विहित रीति से अवधारित किया जायेगा, पर इस अधिनियम की धारा 4 के द्वारा अथवा उसके अधीन यथाउपबन्धित दरों पर कर का भुगतान करेगा।
- (4) जहाँ कोई ब्यौहारी अधोलिखित कोई कारबार करता है :—
 - (क) किसी कराधेय माल का अंतराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय; या
 - (ख) किसी कराधेय माल का भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय; या
 - (ग) किसी कराधेय माल को राज्य के बाहर किसी स्थान पर परिदान हेतु भेजना;
 - (घ) राज्य के बाहर से क्रय किये गये या प्राप्त किसी कराधेय माल का विक्रय; या
 - (ङ) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 या इस अधिनियम के अधीन विहित किसी घोषणा या प्रमाण-पत्र का प्रपत्र दे कर कराधेय माल का क्रय; या
 - (च) कराधेय माल का क्रय या विक्रय, यदि ऐसा ब्यौहारी उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पहले से पंजीकृत है और इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् ऐसे पंजीयन को चालू रखना चाहता है या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन स्वैच्छिक पंजीयन प्रदान किये जाने हेतु आवेदन करता है; और
 - (एक) यदि ऐसा ब्यौहारी ठीक पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में कारबार चला रहा था और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को जारी रखता है तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से कर के भुगतान के लिए दायी होगा; और
1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2012 की धारा 2 (5) द्वारा बढ़ाया गया।
 - (दो) यदि ऐसा ब्यौहारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से अथवा इसके बाद कारबार प्रारम्भ करता है तो वह उस तारीख से कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जब किसी कर निर्धारण वर्ष में ऊपर (क) से (च) में से कोई घटना प्रथम बार घटित हो।
- (5) जहाँ किसी ब्यौहारी ने माल का क्रय और/या विक्रय का कारबार केवल राज्य के अन्दर किया है और किसी क्रय या विक्रय के समबन्ध में इस अधिनियम या उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 या उनके अधीन बनाये गये नियमों या जारी की गई अधिसूचनाओं के अधीन विहित किसी घोषणा का प्रपत्र या प्रमाण-पत्र न तो जारी किया गया है और न प्राप्त किया गया है और कारबार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को चालू रहता है; और

(क) यदि ऐसे ब्यौहारी ने ठीक पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में पूरे वर्ष अथवा वर्ष में अंशतः कारबार किया है और अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को कारबार चालू रहता है; और

(एक) पूर्ववर्ती वर्ष में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के उपबन्धों के अनुरूप उसके आवर्त का कुल योग पूरे वर्ष के मामले में उपधारा (7) में विहित धनराशि से अधिक अथवा वर्ष के भाग के मामलों में आनुपातिक धनराशि से अधिक होता है तो वह अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा; और

(दो) यदि इस अधिनियम के, से प्रारम्भ होने वाली तारीख से वर्ष के प्रथम दिन की तारीख तक उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के उपबन्धों के अनुरूप उसके आवर्त का कुल योग उपधारा (7) में विहित धनराशि की आनुपातिक धनराशि से अधिक होता है तो वह अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा; और

(तीन) यदि ऐसा ब्यौहारी ऊपर खण्ड (क) (एक) और (दो) के अधीन अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से कर के लिए दायी नहीं हो तो वह उस तारीख से कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जिस तारीख से किसी कर निर्धारण वर्ष में उसका कुल आवर्त प्रथम बार कराधेय मात्रा से अधिक हो जाता है; या

(चार) यदि ऐसा ब्यौहारी उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पहले ही पंजीकृत है और इसको स्वैच्छिक रूप से रखना चाहता है तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से कर का भुगतान करने का दायी होगा;

(ख) यदि ऐसा ब्यौहारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व में प्रथम तारीख या इसके बाद की किसी तारीख से, लेकिन अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्व, कारबार प्रारम्भ करता है; और

(एक) कारोबार प्रारम्भ करने की तारीख से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख तक उसके आवर्त का कुल योग कराधेय मात्रा की आनुपातिक धनराशि से अधिक हो जाता है तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से कर का भुगतान करने का दायी होगा;

(दो) यदि ऐसा ब्यौहारी ऊपर खण्ड (एक) के अनुसार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से कर का भुगतान करने के लिए दायी नहीं है तो वह उस तारीख से प्रारम्भ होने की तारीख से कर का भुगतान करने के लिए दायी नहीं है तो वह उस तारीख से कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जब कारबार प्रारम्भ करने की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और कर निर्धारण वर्ष की अन्तिम तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में उसके आवर्त का कुल योग प्रथम बार कराधेय मात्रा की आनुपातिक धनराशि से अधिक होगा; (ग) (एक) यदि ऐसा ब्यौहारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को या इसके

पश्चात् अधिनियम प्रारम्भ होने के वर्ष में अथवा पश्चात्पूर्व किसी कर निर्धारण वर्ष में अपना कारबार प्रारम्भ करता है तो वह उस प्रथम कर निर्धारण वर्ष में उस तारीख से कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जब कारबार प्रारम्भ करने की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और कर निर्धारण वर्ष की अन्तिम तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में उसके आवर्त का कुल योग प्रथम बार कराधेय मात्रा की आनुपातिक धनराशि से अधिक होगा।

(दो) यदि ऐसा ब्यौहारी ऊपर खण्ड (एक) के अनुसार कारबार प्रारम्भ करने वाले वर्ष में कर का भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगा तो वह उस

प्रथम कर निर्धारण वर्ष में कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जिसमें उसके आवर्त का कुल योग कराधेय मात्रा से अधिक होगा और वह उस तारीख से कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जग उसका आवर्त प्रथम बार अधिक होगा।

(6) जहाँ इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा यह पाया जाता है कि कोई ब्यौहारी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति इस प्रकार पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए था और पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया जाता है तो इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा व्यक्ति अपने पंजीयन के प्रारम्भ होने की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और ऐसे आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा, मानो वह एक ब्यौहारी था।

(7) (क) कराधेय मात्रा— कोई ब्यौहारी, इस उपधारा के खण्ड (ड) के अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपधारा (3) के अधीन कर का दायी नहीं होगा, यदि कर निर्धारण वर्ष के दौरान उसके समस्त माल के आवर्त का, कुल योग, चाहे ऐसा विक्रय ब्यौहारी द्वारा सीधे या अपनी शाखा के माध्यम से, डिपो या राज्य के अन्दर अपने अभिकर्ता द्वारा या अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर प्रेषण द्वारा किया गया है, इसमें आगे उल्लिखित धनराशि से कम है :—

(एक) विक्रय के लिए किसी माल के विनिर्माता या उत्पादक 5 लाख रुपये के मामले में

(दो) संकर्म संविदा के निष्पादन के मामले में 5 लाख रुपये

(तीन) माल के उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के 5 लाख रुपये मामले में

(चार) किसी अन्य कारबार में लगे हुए ब्यौहारियों के मामले में 5 लाख रुपये:

परन्तु यह कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचित करके, किसी माल के सभी ब्यौहारियों के सम्बन्ध में अथवा किसी विशेष वर्ग के ब्यौहारियों के सम्बन्ध में अधिक धनराशि नियत कर सकेगी।

(ख) खण्ड (क) की कोई बात :—

(एक) ब्यौहारी द्वारा उत्तराखण्ड के बाहर से आयात किये गये ऐसे माल को विक्रय, जिसका आवर्त इस अधिनियम के अधीन कराधेय हो;

(दो) किसी ब्यौहारी द्वारा—

(अ) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन विक्रेता ब्यौहारी को घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उसके द्वारा उत्तराखण्ड के बाहर से आयात किये गये माल;

(आ) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन विहित कोई घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके, कय किये गये या आयात किये गये किसी माल;

(इ) ऊपर उपखण्ड (अ) या उपखण्ड (आ) में विनिर्दिष्ट माल का उपयोग करके उसके द्वारा विनिर्मित माल, के विक्रय, के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी। (ग) जब खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट या इसके अधीन अधिसूचित धनराशि किसी कर निर्धारण वर्ष में परिवर्तित कर दी जाय, तब किसी ब्यौहारी द्वारा इस धारा के अधीन देय कर

की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी; अर्थात्

(एक) ऐसे परिवर्तन के पूर्व की अवधि से सम्बन्धित आवर्त पर, मानो खण्ड

(क) में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन अधिसूचित धनराशि परिवर्तित न की गई हो; और

- (दो) शेष धनराशि पर, मानो परिवर्तित धनराशि सभी तात्त्विक तारीखों पर प्रवृत्त रही हो;
- (घ) जब कमीशन अभिकर्ता द्वारा उसके कर्ता की ओर से किसी आवर्त पर कर देय हो और उसका भुगतान कर दिया गया हो तो कर्ता ऐसे आवर्त के सम्बन्ध में कर का दायी नहीं होगा;
- (ङ) (एक) कर निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार प्रारम्भ करने वाला प्रत्येक ब्यौहारी, उस वर्ष में उस तारीख, जब कारबार प्रारम्भ करने की तारीख से उसके विक्रय धन का कुल योग कराधेय मात्रा से प्रथम बार अधिक होगा, के ठीक आगामी दिन से कर भुगतान के लिए दायी होगा;
- (दो) कर निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार बन्द करने वाला प्रत्येक ब्यौहारी उस तारीख तक कर भुगतान के लिए दायी होगा, यदि कर निर्धारण वर्ष प्रारम्भ होने के प्रथम दिन से कारबार बन्द करने की तारीख तक की अवधि में उसके आवर्त का कुल योग कराधेय मात्रा की आनुपातिक धनराशि से अधिक होगा;
- स्पष्टीकरण—किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के संगम का विघटन अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन अथवा किसी ब्यौहारी द्वारा अपने कारबार का अंतरण इस उपधारा के अर्थ में कारबार का बन्द किया जाना माना जायेगा।

(8) इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के दायित्व का अवधारण करने के लिए सकल आवर्त की गणना के प्रयोजन हेतु :-

- (क) जैसा अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबन्धित हो, उसके सिवाय, समस्त विक्रय (चाहे कराधेय हो अथवा नहीं) का आवर्त और जैसी भी स्थिति हो, समस्त क्रय आवर्त, जिस पर इस धारा की उपधारा (10) के उपबन्धों के अधीन कर देय है, को सम्मिलित किया जायेगा;
- (ख) आवर्त में ब्यौहारी द्वारा अपने खाते में और अपने कर्ता (चाहे घोषित हो या न हो) के खाते में भी किया गया समस्त विक्रय और ऐसा क्रय सम्मिलित होगा।
- (9) (क) कराधेय आवर्त— धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन कर भुगतान के लिए दायी ब्यौहारी पर देय कर उसके कराधेय आवर्त पर आरोपित किया जायेगा;
- (ख) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन माल के विक्रय पर कर भुगतान के लिए दायी ब्यौहारी के सम्बन्ध में कराधेय आवर्त किसी अवधि में सकल आवर्त का वह भाग होगा, जो उसमें से निम्नलिखित को घटाकर बाकी रहेगा —
- (एक) अनुसूची एक में कर से छूट प्राप्त घोषित माल का विक्रय;
- (दो) ऐसे माल का विक्रय, जो कर निर्धारक प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में :-
- (अ) अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान; या
- (आ) उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विक्रय के रूप से अन्यथा; या
- (इ) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान किया गया है;

स्पष्टीकरण— यह अवधारित करने के लिए कि कोई विशिष्ट विक्रय या क्रय उपखण्ड (एक) (अ) उपखण्ड (दो) (आ) और उपखण्ड (दो) (इ) में उपदर्शित रीति के अनुरूप हुआ अन्यथा नहीं, केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 4 और धारा 5 लागू होंगी।

- (ग) संकर्म संविदा के मामले में विक्रय आवर्त में ऐसी धनराशियाँ, जो विहित की जायें और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जो अधिरोपित की जायें;
- (घ) ऐसा अन्य विक्रय, जो विहित किया जाय और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जो अधिरोपित की जाये।

(10) कतिपय परिस्थितियों में क्रय पर कर :-

प्रत्येक ब्यौहारी जो अपने कारबार के दौरान माल का ऐसा क्रय करता है, जो—

- (क) एक पंजीकृत ब्यौहारी से ऐसी परिस्थिति में किया गया है, जिसमें उस पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा ऐसे माल के विक्रय कीमत पर इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर देय नहीं है; या

(ख) पंजीकृत ब्यौहारी से भिन्न किसी व्यक्ति से की गई है और ऐसे माल के विक्रय पर कर विक्रेता पर उद्ग्रहीत नहीं किया जा सकता है, चाहे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध की दृष्टि में या विक्रेता ब्यौहारी ने, कर का दायी होने पर भी, पंजीयन प्राप्त नहीं किया है, तो वह ऐसे माल की क्रय कीमत पर कर का दायी होगा; यदि—

(एक) माल का विक्रय उत्तराखण्ड राज्य के भीतर या अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान नहीं किया गया है; या

(दो) माल का इस अधिनियम के अधीन कर मुक्त माल के विनिर्माण में उपभोग या उपयोग किया गया है; या

(तीन) माल का उपभोग या उपयोग माल के विनिर्माण में किया गया है और ऐसे विनिर्मित माल का व्ययन उत्तराखण्ड राज्य के भीतर कर अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न किया गया है; या

(चार) माल का अन्यथा उपयोग या उपभोग किया गया है और ऐसा कर उसी दर से आरोपित किया जायेगा, जिस पर ऐसे माल की राज्य के अन्दर क्रय की तारीख पर इस अधिनियम के अधीन माल के विक्रय पर आरोपित किया गया होता :

परन्तु यह कि यदि माल का क्रय किसी कमीशन अभिकर्ता के माध्यम से किया जाता है चाहे कर्ता राज्य में निवास करता हो या राज्य के बाहर तो कमीशन अभिकर्ता कर के भुगतान के लिए दायी होगा और वह उसे कर्ता से वसूल कर सकेगा।

अतिरिक्त कर का भी उद्ग्रहण भुगतान के

विनिर्दिष्ट विभिन्न

- 3.क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य प्राविधान में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुए किन्तु उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के लिए दायी प्रत्येक ब्यौहारी अधिनियम के किसी अन्य प्राविधान के अन्तर्गत कर योग्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद या दोनों के आवर्त पर देय कर के साथपांच प्रतिशत से अनधिक की दर से जैसा कि राज्य सरकार द्वारा जापत्र में अधिसूचना के द्वारा किया जाय, अतिरिक्त कर भुगतान करने के लिए दायी होगा। विभिन्न वस्तुओं या वर्ग की वस्तुओं के सम्बन्ध में अलग-अलग कर दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
- (2) उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न पर कोई अतिरिक्त कर उद्ग्रहीत/भुगतान नहीं किया जायेगा :—

(क) अनुसूची— एक, दो (क), दो (ग) तथा तीन में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री या खरीद या यथास्थिति दोनों के आवर्त पर;

(ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषित विशेष महत्व की वस्तुओं के विक्रय या क्रय या यथास्थिति दोनों के आवर्त पर;

(ग) राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4(6) के अन्तर्गत राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट किसी माल के क्रय या विक्रय या किसी वर्ग के ब्यौहारियों द्वारा किए गए वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर।

- (3) उपधारा (1) के अन्तर्गत भुगतान की गई धनराशि धारा 6 के प्राविधानों के अनुसार “इनपुट टैक्स क्रेडिट” हेतु ग्राह्य होगी।

(4) कोई ब्यौहारी, जो धारा 7 (2) के अन्तर्गत समाधान योजना का लाभ ले रहा है, अतिरिक्त कर के सम्बन्ध में भी समाधान योजना के लाभ के लिए पात्र होगा।

- (5) इस धारा के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त कर उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक के पांच वर्ष बाद से प्रविरत हो जायेगा।¹

कर की दर उपधारा

4. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी ब्यौहारी द्वारा देय कर उसके कराधेय आवर्त पर (2) के अधीन अनुसूचियों में विहित दर से आरोपित किया जायेगा; परन्तु —

(क) घोषित माल के सम्बन्ध में केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 15 में तत्समय विनिर्दिष्ट अधिकतम दर; और

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में पचास प्रतिशत से अनधिक होगी :

परन्तु यह कि किसी माल के उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के मामले में उपरोक्त खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में कर की दर बीस प्रतिशत से अनधिक होगी।

(2) (क) अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय एवं क्रय पर इस अधिनियम के अधीन कोई कर देय नहीं होगा;

(ख) धारा 3 के अधीन उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई ब्यौहारी अपने कराधेय विक्रय आवर्त पर कर का भुगतान करने के लिए निम्न प्रकार दायी होगा :—

(एक) विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर इसमें आगे उपबन्धित दर पर —

(अ) अनुसूची 1 (क) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में — 1 प्रतिशत

(आ) अनुसूची 1 (क) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में — 4 प्रतिशत

(इ) अनुसूची 1 (क) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में — उसमें विनिर्दिष्ट दर पर

(ई) किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल — 12.5 प्रतिशत के सम्बन्ध में

(दो) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग के माल के सम्बन्ध में विनिर्माता या आयातकर्ता के द्वारा विक्रय के बिन्दु पर; उसमें विनिर्दिष्ट दर पर

(ग) अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट ब्यौहारी या व्यक्ति को या उनके द्वारा किये गये माल का विक्रय पूरे या आंशिक कर, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, से मुक्त होगा;

(घ) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान किया गया कोई विक्रय जैसा कि केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (1) और (3) के अधीन विनिर्दिष्ट है, जीरो-रेटेड होगी, जिसका अर्थ है कि ऐसे संव्यवहार के आवर्त पर कोई कर देय नहीं होगा और निर्यातकर्ता इस प्रकार निर्यातित माल के क्रय पर उनके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय का हकदार होगा :

परन्तु यह कि विशेष आर्थिक जोन (स्पेशल इकोनोमिक जोन में स्थापित इकाईयाँ) घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डोमेस्टिक टैरिफ एरिया) से किये गये अपने क्रय पर संदत्त कर के प्रतिदाय की हकदार होंगी;

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 11 वर्ष 2010 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

(ङ) अनुसूची 5 में सूचीबद्ध कोई भी व्यक्ति या ब्यौहारी या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अपने कराधेय माल के क्रय पर संदत्त कर के प्रतिदाय का हकदार होगा;

(च) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन है, वह अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों व निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाय, किसी माल के विक्रय या क्रय पर देय कर की पूर्ण रकम तक रिबेट अनुज्ञात कर सकती है, जब ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर किसी अन्य राज्य

अधिनियम के अधीन कर आरोपणीय है और यदि यह साबित हो जाता है कि किसी विक्रय और/या क्रय का आवर्त उस अधिनियम के अधीन कर आरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष घोषित कर दिया गया है;

{(छ) इस्तेमाल किए गए पूँजीगत माल की बिक्री पर, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष पूर्व के भीतर या यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन पंजीयन की तारीख पर या उसके पश्चात् क्रय किया गया हो तथा जिसकी खरीद पर, खरीद के समय इस अधिनियम अथवा निरसित अधिनियम के अधीन इस राज्य में कर का भुगतान नहीं किया गया है, अनुसूचितयों के अनुसार दरों पर कर देय होगा :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे मामले में, जिसमें खरीद के समय इस अधिनियम अथवा निरसित अधिनियम के अधीन इस राज्य में कर

का भुगतान किया गया है और उसके सम्बन्ध में इनपुट टैक्स के लाभ का दावा नहीं किया गया है तो ऐसे माल की बिक्री पर कोई कर देय नहीं होगा।¹

(3) (क) जब माल डिब्बों में विक्रय या क़य किया जाता है या उन्हें किसी पैकिंग सामग्री में, तो ऐसे डिब्बे या पैकिंग सामग्री पर, जैसी भी स्थिति हो, लागू कर की दर चाहे डिब्बे या पैकिंग सामग्री की कीमत अलग से प्रभारित की गई है अथवा नहीं, वही होगी, जो डिब्बे और पैकिंग सामग्री में पैक किये गये माल पर लागू है तथा डिब्बे और पैकिंग सामग्री का आवर्त ऐसे माल के आवर्त में सम्मिलित होगा;

(ख) जहाँ डिब्बे और पैकिंग सामग्री में पैक किये गये माल का विक्रय करमुक्त है, तब ऐसे डिब्बे या पैकिंग सामग्री का विक्रय भी करमुक्त होगा;

{(ग) किसी वस्तु के ऐसे पाटर्स, स्पेयर्स एवं एसेसरीज, जिनकी कर दर मूल अधिनियम के कहीं अन्यत्र परिभाषित न हो, पर कर की दर वही होगी, जो कि मूल अधिनियम के अनुसार उस वस्तु पर देय है।²

(4) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भिन्न-भिन्न माल के बाबत भिन्न-भिन्न दरें घोषित कर सकेगी या इस अधिनियम में किसी अनुसूची को जोड़ या हटा सकेगी या किसी भी अनुसूची में परिवर्धन, संशोधन या परिवर्तन कर सकेगी।

(5) प्रत्येक ब्यौहारी विहित रीति द्वारा अवधारित अपने शुद्ध आवर्त पर—

(क) किसी माल के किसी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के सम्बन्ध में ³[5 प्रतिशत] की दर से; और

(ख) संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे किसी माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में ऐसी दर से, जैसा कि ऊपर उपधारा (2) के अधीन उपबन्ध किया जाय, कर का भुगतान करेगा :

परन्तु यह कि यदि कोई माल संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त हो और ऐसे माल पर राज्य के अन्दर पूर्ववर्ती विक्रय या क़य पर धारा 3 के उपबन्धों के अधीन धारा 4 की उपधारा (2) में विहित दर पर कर का भुगतान किया गया है तो संकर्म संविदा के अन्तर्गत सकल आवर्त में से ऐसे माल की क़य कीमत को घटा दिया जायेगा :

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 5 वर्ष 2008 की धारा 4 (क) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2010 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2015 की धारा 2(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भिन्न-भिन्न माल या ब्यौहारियों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न दरें घोषित कर सकती है, जो ऊपर उपधारा (1) के अधीन सीमाओं से अनधिक हो।

(6) कतिपय क़य या विक्रयों पर कर से रिबेट :-

(क) सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना चाहे किसी माल के क़य या विक्रय पर या उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी वर्ग के ब्यौहारियों या

व्यक्तियों को या उनके द्वारा किये गये किसी क़य या विक्रय पर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर को पूरा या आंशिक कर मुक्त कर सकती है और इस धारा के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना किसी भी तारीख, जो अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व नहीं होगी, से भूतलक्षी रूप से जारी की जा सकती है और ऐसी छूट अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से या उसमें उल्लिखित किसी अन्य पूर्ववर्ती या बाद की तारीख से प्रभावी होगी;

(ख) जहाँ किसी ब्यौहारी द्वारा या व्यक्ति द्वारा किसी माल का क़य इस धारा के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के अधीन दिये गये किसी घोषणा-पत्र या प्रमाण पत्र को दे कर किया गया है; और

(एक) किसी भी शर्त, जिसके अधीन रहते हुए ऐसी करमुक्ति प्रदान की गयी है; या

(दो) घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र के किसीभी निबन्धन या शर्त का अनुपालन, चाहे कुछ भी कारण हो, नहीं किया जाता है तो इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति, ऐसे माल की विक्रय कीमत पर धारा 4 के अधीन अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दर पर कर कर भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगा, इस बात के होते हुए भी कि वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर भुगतान करने का दायी है या हनीं और तदनुसार ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति, जो इस उपधारा के अधीन कर भुगतान करने का दायी हो गया है, विहित रीति के अनुसार विवरणी, ऐसे माल की विक्रय कीमत को दर्शाते हुए दाखिल करेगा और कर का भुगतान भी करेगा। ऐसे ब्यौहारी या व्यक्ति पर शोध्य कर निर्धारित किया जायेगा एवं उसकी वसूली की जायेगी मानो वह व्यक्ति या ब्यौहारी एक ऐसा ब्यौहारी है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिए दायी है।

(ग) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति या ब्यौहारी उपधारा (2) के अधीन कर भुगतान करने के लिए दायी है तो करनिर्धारक प्राधिकारी, उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् इस प्रकार शोध्य कर की रकम का निर्धारण करेगा।

(7) (क) कुछ निर्माताओं को विशेष राहत:— धारा 3 और/या इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई कराधेय माल किसी ब्यौहारी द्वारा किसी अन्य ब्यौहारी को बेच दिया जाय और ऐसा अन्य ब्यौहारी विक्रेता ब्यौहारी को नियत प्रपत्र में और रीति से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसके पास उसके सम्बन्ध में खण्ड (ख) के अधीन जारी किया गया मान्यता प्रमाण पत्र है तो विक्रेता ब्यौहारी ऐसे माल के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट की गई शर्तों और निर्बन्धनों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, के अधीन रहते हुए [3प्रतिशत की दर से]¹ कर का देनदार होगा :

परन्तु यह कि यदि ऐसा माल कर से मुक्त या कर की ऐसी दर, जो [3 प्रतिशत दर से]¹ से कम है, के अध्वधीन है तो कर शून्य होगा या जैसी भी दशा हो, गणना कम दर से की जायेगी;

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2015 की धारा 2 (दो) द्वारा शब्द प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए कर के सम्बन्ध में रियायती या कर से मुक्ति देने के लिए निर्दिष्ट की जा सकने वाली शर्तों और निर्बन्धनों के अन्तर्गत यह भी अपेक्षा हो सकती है कि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अधिसूचित माल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4—क के अधीन आच्छादित विनिर्माता इकाई में विनिर्मित किया जायेगा, जिसमें ऐसी तारीख के पश्चात् जो तारीख इस उपधारा के अधीन सूचना की तारीख से पूर्व या पश्चात् हो सकती है, उत्पादन प्रारम्भ करता है और ऐसी अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाय, विनिर्मित हो;

(ख) [यदि किसी ब्यौहारी को उपधारा (क) में निर्दिष्ट कोई माल किसी कर योग्य माल का प्रदेश में विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए]¹ या उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत,

ऐसे माल की पैकिंग में प्रयोग के लिए अपेक्षित हो और उसका ऐसे माल को राज्य में अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत से बाहर निर्यात करने के दौरान बेचने का अभिप्राय हो तो वह कर निर्धारक प्राधिकारी को, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाय, इसकी बाबत मान्यता प्रमाण पत्र दिये जाने के लिए आवेदन कर सकता है और यदि आवेदक विलम्ब फीस जमा करने की अपेक्षा को सम्मिलित करते हुए सभी अपेक्षाओं और शर्तों को, जो विहित की जाय, पूरा करता हो तो कर

निर्धारक प्राधिकारी ऐसे माल के सम्बन्ध में ब्यौहारी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, मान्यता प्रमाण पत्र देगा :

परन्तु यह कि प्रत्येक ब्यौहारी, जिसके पास उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4.क के अधीन मान्यता प्रमाण पत्र था और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख तक उसको न तो करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है और न ऐसे ब्यौहारी द्वारा कारबार बन्द कर दिया है तो वह इस उपधारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से उसे इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्रमाण पत्र धारक समझा जायेगा और यदि ऐसा कोई ब्यौहारी इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्रमाण पत्र धारक बने रहने का इच्छुक नहीं है तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर इस आशय का आवेदन करनिर्धारक प्राधिकारी को देगा;

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए विनिर्माण में प्रयोग के लिए अपेक्षित “माल” से पूँजीगत माल और कच्चा माल, प्रसंस्करण सामग्री, उपभोज्य स्टोर, फालतू पुर्जे, सहायक सामान, संघटक उप-समुच्चय, ईंधन या स्नेहक और ऐसे विनिर्मित माल की पैकिंग में प्रयुक्त माल अभिप्रेत है; और

(ग) (एक) जहाँ कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे ब्यौहारी ने, जिसके पक्ष में किसी माल के सम्बन्ध में खण्ड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाण पत्र दिया गया था—

(अ) कारबार या अधिसूचित वस्तुओं, जिनके सम्बन्ध में मान्यता प्रमाण पत्र दिया गया था, का विनिर्माण बन्द कर दिया गया है; या

(आ) मान्यता प्रमाण पत्र की किसी शर्त को भंग किया गया है; या

(इ) धारा 20 के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति नहीं दी है; या

(ई) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर, अर्थदण्ड या अन्य देयों का भुगतान, ऐसे कर, अर्थदण्ड या अन्य देयों के देय होने की तारीख से तीन माह के भीतर नहीं किया गया है तो ऐसा प्राधिकारी मान्यता प्रमाण पत्र को या तो स्वतः अथवा ब्यौहारी द्वारा आवेदन दिये जाने पर ऐसी तारीख से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, रद्द कर सकता है;

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 5 वर्ष 2008 की धारा 4 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

	स्पष्टीकरण— किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के संगम का विघटन या पुनर्गठन अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन अथवा किसी ब्यौहारी द्वारा अपने कारबार का अंतरण इस उपधारा के अर्थ के अन्तर्गत कारबार का बन्द किया जाना माना जायेगा; (दो) कर निर्धारक प्राधिकारी खण्ड (ख) के अधीन दिये गये मान्यता प्रमाण पत्र को या तो स्वतः या ब्यौहारी द्वारा आवेदन दिये जाने पर उस दशा में जब ब्यौहारी ने अपने कारबार के नाम या स्थान में परिवर्तन कर दिया हो अथवा किसी शाखा को बन्द कर दिया हो या कोई नई शाखा खोल ली हो अथवा किसी अन्य पर्याप्त कारण से, संशोधित कर सकता है : परन्तु यह कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वतः मान्यता प्रमाण पत्र न तो रद्द किया जायेगा और न संशोधित किया जायेगा, जब तक कि ब्यौहारी को सनवाई का समचित अवसर न दे दिया जाय।
--	---

		(घ) यदि किसी ब्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खण्ड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाण पत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी दशा हो, कर का भुगतान किये बिना माल कय किया हो और ऐसे माल का प्रयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिए मान्यता प्रमाण पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिए किया हो या ऐसे माल का निस्तारण अन्यथा कर दिया हो तो ऐसा ब्यौहारी दण्ड स्वरूप ऐसी धनराशि का, जो कर निर्धारक प्राधिकारी नियत करे, दायी होगा, जो इस उपधारा के अधीन ऐसे माल के विक्रय या कय पर कर की धनराशि और इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर की धनराशि के बीच के अन्तर से डेढ़ गुने से कम न होगी किन्तु ऐसे अन्तर की धनराशि के दुगुने से अधिक न होगी;।¹ {(ङ) यदि किसी ब्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खण्ड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या कर का भुगतान किये बिना, जैसी भी स्थिति हो, कोई माल, जिसमें कच्चा माल, प्रसंस्कृत माल, पैकिंग मैटीरियल एवं उपभोज्य (Consumables) शामिल है, खरीदा हो; और (क) ऐसे माल का प्रयोग या उपयोग करके विनिर्मित अथवा प्रसंस्कृत माल (जैसा कि अनुसूची III में विनिर्दिष्ट है) को; या (ख) ऐसे विनिर्मित अथवा प्रसंस्कृत माल (जैसा कि अनुसूची III में विनिर्दिष्ट है) को ऐसे पैकिंग मैटीरियल से पैक करने के पश्चात्; राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न रीति से बेचा या निस्तारित किया जाता है तो ऐसा ब्यौहारी, ऐसे माल की बिक्री अथवा खरीद पर, इस अधिनियम के अन्तर्गत दी गयी अनुसूचियों में ऐसी वस्तुओं के संबंध में प्राविधानित सामान्य कर की दर से आंकलित कर की राशि एवं इस धारा के अन्तर्गत रियायती कर की दर से आंकलित कर की राशि के अन्तर के डेढ़ गुने के बराबर धनराशि का देनदार होगा। यह धनराशि ऐसी अवधि हेतु देय होगी जिस अवधि में ऐसे विनिर्मित अथवा प्रसंस्करण माल का ऐसा सम्यवहार किया गया है और इसका भुगतान उस समय सीमा में किया जायेगा जो ऐसी अवधि, हेतु देय कर को जमा करने के लिये निर्धारित है और ऐसे व्यापारी के लिये लागू है। <u>स्पष्टीकरण:</u> यह अवधारित करने के लिए कि कोई विक्रय या कय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, राज्य के भीतर या भारत से बाहर निर्यात के दौरान हुआ है या नहीं, केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की क्रमशः धारा 3, धारा 4 और धारा 5 लागू होंगी।² (च) यह अवधारित करने के लिए कि कोई विक्रय या कय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, राज्य के भीतर या भारत से बाहर निर्यात के दौरान हुआ है या नहीं, केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1958 की क्रमशः धारा 3, धारा 4 और धारा 5 लागू होंगी; (छ) इस धारा के अधीन कोई अर्थदण्ड तब तक अधिरोपित नहीं किया जायेगा, जब तक कि ब्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो; (ज) उन्हीं तथ्यों के सम्बन्ध में, जिनके आधार पर इस उपधारा के अधीन अर्थदण्ड आरोपित किया गया है, धारा 59 के अधीन कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जायेगा। (8) (क) विनिर्दिष्ट माल, जिस पर अधिकतम फुटकर कीमत (एम0आर0पी0) पर देय होगा :- जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन है, वह अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों व निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, किसी वर्ग या प्रवर्त के ब्यौहारियों को ऐसे माल, जैसा कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाये, कि बिक्री पर वास्तविक विक्रय कीमत के बदले में अधिकतम फुटकर कीमत (एम0आर0पी0) पर देय कर का भुगतान करने के लिये निर्धारित किया जायेगा।
--	--	--

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2015 की धारा 2 (तीन) द्वारा प्रतिस्थापित। 2. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2015 की धारा 2 (चार) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) उक्त खण्ड (क) के अधीन एम0आर0पी0 पर कर का भुगतान करने वाला कोई ब्यौहारी विक्रय बीजक में वास्तविक विक्रय कीमत का उल्लेख करने के अतिरिक्त एम0आर0पी0, जिस पर कर प्रभारित किया गया है, को भी अलग से

उपदशित करेगा और बीजक पर सबसे ऊपर "एम0आर0पी0 कर के लिए विक्रय बीजक" भी मुद्रित किया जायेगा;

(ग) ऐसा माल, जिस पर कर का भुगतान एम0आर0पी0 किया जा चुका है, की खरीद करने वाला कोई ब्यौहारी न तो ऐसी खरीद पर इनपुट टैक्स के लाभ का हकदार होगा और न ऐसे माल की बिक्री पर कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा;

(घ) जहाँ सरकार की ऐसी राय हो कि उपरोक्त उपबन्धों के अधीन ऐसी कोई योजना अब आगे जारी रखना लोक हित में नहीं है तो वह अधिसूचना द्वारा किसी भी समय ऐसी योजना वापस ले सकती है और उसके बाद कर का भुगतान अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के अधीन देय होगा;

स्पष्टीकरण— शब्द प्रयोग "एम0आर0पी0 (अधिकतम फुटकर कीमत)" से माल के पैकेट या उसके लेबल पर मुद्रित कागज या माल की विनियमित कीमत, यदि कोई हो, अभिप्रेत है;

(9) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, जो कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त चले, रखी जायेगी और जब तक कि कोई बाद की तारीख विहित न की जाये, गजट में प्रकाशित होने की तारीख से, ऐसे उपान्तरणों या वातिलीकरणों के अधीन रहते हुए, जो राज्य विधान सभा उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हो, प्रभावी होगी किन्तु इस प्रकार का कोई उपान्तरण या वातिलीकरण सम्बद्ध अधिसूचना के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, सिवाय इस बात के कि कर या अर्थदण्ड का आरोपण, निर्धारण, लगाया जाना अथवा वसूल किया जाना उक्त उपान्तरण या वातिलीकरण के अधीन होगा।

(10) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 76 के उपबन्धों के अधीन औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत कर के भुगतान के लिए अधिस्थगन स्वीकृत कर सकती है।

[कतिपय सामान के 4—क
विनिर्दिष्ट वर्ग पर भार, परिमाण,
की माप या इकाई के
आधार पर कर का
माल

धारा 3 एवं धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य या क्षेत्र के सम्बन्ध में कतिपय सामान अथवा कतिपय सामान के वर्ग पर सामान

उद्ग्रहण
की

खरीद—बिक्री पर, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के साथ, जैसा कि अधिसूचित की जाय, के भार, मात्रा, परिमाण, माप या इकाई के आधार पर अधिसूचना के द्वारा देय कर धनराशि अभिनिश्चित कर सकती है।]

देय शुद्ध कर

5.(1) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी कर अवधि के लिए देय शुद्ध कर निम्न सूत्र द्वारा अवधारित किया जायेगा :—

देय शुद्ध कर = (अ+आ) – इ

जहाँ — 'अ' आऊटपुट टैक्स है, जो नीचे उपधारा (2) के अनुसार देयकर का योग है; और

"आ" धारा 3 की उपधारा (10) के उपबन्धों के अधीन उक्त कर अवधि के लिए कय पर कर है; और

"इ" इनपुट टैक्स है, जो धारा 6 के अधीन उपबन्धों के अधीन रहते हुए और नीचे उपधारा (3) के अनुसार देय कर का योग है।

(2) (क) आऊटपुट टैक्स :— किसी पंजीकृत ब्यौहारी के सम्बन्ध में आऊटपुट टैक्स से ब्यौहारी द्वारा अपने कारबार के दौरान कराधेय माल के विक्रय या सम्भरण के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन प्रभारित अथवा प्रभार्ग कर अभिप्रेत है और इसमें ऐसे ब्यौहारी की ओर से किये गये कराधेय माल के विक्रय पर किसी कमीशन अभिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया कर भी सम्मिलित है;

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2012 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

		(ख) धारा 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ब्यौहारी इस अधिनियम के अन्तर्गत आऊटपुट टैक्स के भुगतान का दायी होगा, जो उसके कराधेय आवर्त पर ऐसी दर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा कि समय-समय पर विहित की जायं, देय है; (3) इनपुट टैक्स— धारा 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी पंजीकृत ब्यौहारी के सम्बन्ध में “इनपुट टैक्स” से इस अधिनियम के अधीन किसी ब्यौहारी द्वारा दूसरे पंजीकृत ब्यौहारी को कारबार के दौरान विशेष प्रवर्ग के माल को छोड़कर किसी कराधेय माल, जो पुनर्बिक्री के लिए या विक्रय हेतु ऐसे कराधेय माल के विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण के लिए या ऐसे विनिर्मित माल की पैकिंग के लिए उपयोग किए जाने के लिए पात्र या संवेष्टन सामग्री के रूप में उपयोग किया जाय, के क्रय पर भुगतान किये गये या देय कर अभिप्रेत है; (4) किसी ब्यौहारी, जो कर के भुगतान के लिए दावी है किन्तु इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं है, के द्वारा देय शुद्ध कर उस कर अवधि के लिए देय आऊटपुट टैक्स और क्रय पर कर, यदि कोई हो, के बराबर होगा। (5) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति किसी कर अवधि के लिए उसके द्वारा देय कर का पूरा भुगतान उस समय करेगा, जब उस व्यक्ति से धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसरण में विवरणी दाखिल करदेयती, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायेगा या इस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (10), उपधारा (11), उपधारा (12) और उपधारा (13) के उपबन्धों के अनुसार वापस की जायेगी।
इनपुट टैक्स का लाभ	6.	(1) इनपुट टैक्स का लाभ केवल एक पंजीकृत ब्यौहारी को ही अनुमन्य होगा और किसी पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा पंजीकृत होने के पश्चात् किसी कर अवधि के लिए देय कर की गणना करने के प्रयोजन से ऐसे पंजीकृत ब्यौहारी को अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय या ऐसा विक्रय, जैसा कि विहित किया जाये, से भिन्न, ऐसे समस्त कराधेय विक्रय के बारे में जमा किये गये अथवा देय कर के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स का लाभ, जैसा कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अवधारित किया जायेगा, अनुमन्य होगा : परन्तु यह कि ऐसे कराधेय क्रय, जिस पर धारा 3 की उपधारा (10) के अधीन कर दिया गया है या देय है, पर इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा : परन्तु यह और कि उपधारा (1) या उसके परन्तुक में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ऐसे क्रय, जिस पर धारा 3 की उपधारा (10) के अधीन कर दिया गया है या देय है, {प्रतिबन्ध यह और है कि किसी भी दशा में, किसी माल के क्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अथवा रिफण्ड की राशि, इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी कानून के अन्तर्गत ऐसे माल के सम्बन्ध में कर की राशि जो सरकारी कोषागार में वास्तव में जमा कर दी गयी है, से अधिक नहीं होगी।} के सम्बन्ध में निम्न परिस्थितियों में इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा:— (क) ऐसे व्यक्ति से क्रय, जो कृषि या उद्यानकृषि सम्बन्धी उपज, जिसे उसने स्वयं उगाया हो या किसी ऐसी भूमि में उत्पन्न किया हो, जिसमें उसका चाहे स्वामी, भोगबन्धक, किरायेदार या अन्य रूप में कोई हित हो, विक्रय करता है या अपने द्वारा पाले गये कुक्कुट या पशुओं से कुक्कुटादि या दुग्ध उत्पाद का विक्रय करता है और ऐसे व्यक्ति को ऐसे माल के बारे में इस अध्यादेश की धारा 2 की उपधारा (11) के उपबन्धों के अधीन ब्यौहारी नहीं समझा जाता है; या (ख) ऐसी वस्तुओं का क्रय, जिनको राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु अधिसूचित किया

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2015 की धारा 3 (एक) द्वारा बढ़ाया गया।

		(2) इनपुट टैक्स का लाभ, जिसके लिए पंजीकृत ब्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी, जो कर अवधि के दौरान, ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी कि इस धारा में विनिर्दिष्ट है, किये गये क्रय के क्रय धन पर पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा विक्रेता ब्यौहारी को भुगतान किया गया है और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी, जैसी कि विहित की जाये। (3) इनपुट टैक्स का लाभ उत्तराखण्ड राज्य के किसी पंजीकृत ब्यौहारी, जो धारा 15 या धारा 16 के अधीन विधिमान्य पंजीयन प्रमाण पत्र रखता है, से निम्न प्रयोजनों के लिए क्रय किये गये माल पर अनुमन्य होगा —
--	--	--

		(क) उत्तराखण्ड 2 में विक्रय; (ख) अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय; (ग) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय; या (घ) ऐसा माल (अनुसूची 1 और 3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न), जिसका राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय अथवा पुनः विक्रय किया जाय, के विनिर्माण या प्रसंस्करण में [कच्चे माल एवं उपभोज्य भण्डार (कन्ज्यूमेबल्स)]¹ और ऐसे विनिर्मित माल की पैकिंग के लिए उपयोग किये गये डिब्बा या अन्य संवेष्टन सामग्री, के रूप में उपयोग किया जाय; या (ङ) ऐसा माल, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न, जिसका भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय किया जाय, के विनिर्माण या प्रसंस्करण में कच्चे माल और ऐसे विनिर्मित माल की पैकिंग के लिए उपयोग किये गये डिब्बा या अन्य संवेष्टन सामग्री के रूप में उपयोग किया जाय : ³[प्रतिबंध यह है कि ऊपर खण्ड (घ) के प्रतिनिर्देश से यदि ऐसे विनिर्मित माल को विक्रय से अन्यथा प्रान्त के बाहर प्रेषण किया जाय तो ऐसे माल के विनिर्माण में सीधे उपयोग की गई कच्ची सामग्री के क्रय पर 3 प्रतिशत से अधिक भुगतान किये गये कर के सम्बन्ध में आंशिक इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा;]³ परन्तु यह और कि कराधेय माल के उत्पादन या कैप्टिव पॉवर के ईंधन के रूप में उपयोग किये गये पेट्रोलियम उत्पाद (पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, प्राकृतिक गैस और डीजल को छोड़कर) और ईंधन के क्रय पर [2 प्रतिशत से अधिक]² भुगतान किये गये कर के सम्बन्ध में आंशिक इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा, लेकिन इसमें मोटर यानों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त ईंधन सम्मिलित नहीं होगा। (4) (क) यदि किसी कर अवधि में कोई पंजीकृत व्यक्ति माल (पूँजीगत माल को छोड़कर) जिस पर इस धारा के उपबन्धों के अधीन इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य है, का क्रय करता है और ऐसे क्रय को उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए आंशिक रूप से उपयोग करता है तो इनपुट टैक्स का लाभ उसी अनुपात में अनुमन्य होगा, जिस सीमा तक विभिन्न प्रयोजनों हेतु उनका उपयोग किया गया है और ऐसे विभिन्न प्रयोजनों में सम्मिलित है :- (एक) विक्रय, जिसमें कराधेय माल का विक्रय या करमुक्त माल का विक्रय शामिल है; या (दो) राज्य के बाहर विक्रय, जिसमें माल का विक्रय और अन्य राज्यों को प्रेषण या माल के अन्तरण के रूप में माल भेजना शामिल है; या (तीन) कारबार के दौरान उपयोग किये जा रहे इनपुट्स और अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जा रहे इनपुट्स; (ख) किसी कर अवधि में किसी विशेष वस्तु के क्रय के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स के लाभ की धनराशि, प्रत्येक प्रयोजन, जिसके लिए वस्तु का उपयोग किया गया है, पर संगणित इनपुट टैक्स के लाभ का योग होगी। इनपुट टैक्स के लाभ की कुल धनराशि समस्त वस्तुओं पर इनपुट टैक्स के लाभ की धनराशि का योग होगी; (ग) किसी व्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए माल का उपयोग विक्रय या सम्भरण या माल के
		1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 5 वर्ष 2008 की धारा 5(क) द्वारा प्रतिस्थापित। 2. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2010 की धारा 6 (एक) द्वारा प्रतिस्थापित। 3. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2015 की धारा 3 (दो) द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार इनपुट टैक्स की गणना के लिए समय-समय पर इस अधिनियम से संगत नियम बना सकती है और जब ऐसे नियमों की विरचना की जाती है तो किसी इनपुट टैक्स की गणना ऐसे नियमों के अनुसार ही की जायेगी। (5) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने अथवा किसी व्यक्ति के पंजीकृत होने, जैसी भी दशा हो, के पश्चात् प्रथम कर अवधि के लिए, देय शुद्ध कर की गणना करने के प्रयोजन हेतु उस व्यक्ति द्वारा अधिनियम के लागू होने या जैसी भी दशा हो, उसके पंजीकृत होने से पूर्व क्रय किये गये कराधेय माल (पूँजीगत माल को छोड़कर) में से बचे हुए स्टॉक पर दिये गये अथवा देयकर के सम्बन्ध में पंजीकृत व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, इनपुट टैक्स का लाभ, जैसा कि इस धारा के अधीन अवधारित किया जाय, अनुमन्य होगा :- (क) माल पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा अपने कारबार में उपयोग हेतु क्रय किया गया था;

- (ख) माल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख या जैसी भी दशा हो, पंजीयन की तारीख ससे 1 वर्ष से अनधिक पहले क्रय किया गया था और ऐसी तारीख पर माल उसके पास हो;
- (ग) माल यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व क्रय किया गया है तो इस पर उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अधीन कर लग चुका है और इस अध्यादेश के अधीन भी कराधेय

है;

- (घ) इनपुट टैक्स का लाभ माल के क्रय पर दिये गये कर की वास्तविक दर या इस अधिनियम के अधीन लागू होने वाली दर, जो भी कम हो, होगा।

(6) किसी पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा इनपुट टैक्स के लाभ का दावा निम्न रीति से किया जायेगा—

- (क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख या ब्यौहारी द्वारा पंजीयन स्वीकृति हेतु आवेदन करने की तारीख को उपलब्ध प्रारम्भिक माल (पूँजीगत माल को छोड़कर) के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स के लाभ का दावा उस माह, जिसमें अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख हो या जैसी भी दशा हो, पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख पड़ती है, के [6 माह के पश्चात्]¹ शुरू होने वाली 6 माह की अवधि के विवरणी के साथ 6 समान किशतों में किया जायेगा;

- (ख) व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तारीख तक क्रय किये गये ऐसे पूँजीगत माल के बारे में विनिर्माता इनपुट टैक्स का लाभ उस वर्ष, जिसमें ऐसे कराधेय माल के प्रथम विक्रय की तारीख पड़ती है, के बाद दो समान वार्षिक किशतों में दावा करने का पात्र होगा। व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तारीख के बाद क्रय किये गये ऐसे पूँजीगत माल के बारे में किसी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे इनपुट टैक्स की कुल धनराशि का अगले वित्तीय वर्ष से आरम्भ होकर दो समान वार्षिक किशतों में दावा किया जायेगा। वार्षिक किशतों का दावा, प्रत्येक दो वर्षों में सितम्बर में समाप्त होने वाली अवधि के विवरणी या किसी पश्चात्पूर्व कर अवधि की विवरण में किया जायेगा :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी माल के, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान किये गये विक्रय के मामले में, ब्यौहारी द्वारा इनपुट टैक्स के लाभ की धनराशि का दावा उपरोक्त दो किशतों के बजाय एक वार्षिक किशत में किया जायेगा;²

- (ग) अन्य मामलों में इनपुट टैक्स के लाभ की धनराशि का दावा उस अवधि की विवरणी में किया जायेगा, जिसमें माल के क्रय, जिससे इनपुट टैक्स का लाभ सम्बन्धित है, की गई है।

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 5 वर्ष 2008 की धारा 5(ग) द्वारा प्रतिस्थापित। 2. उपर्युक्त की धारा 5(घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

		(7) (क) पूँजीगत माल पर इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा, जब :— (एक) माल ब्यौहारी के कारबार से सम्बद्ध नहीं है; (दो) माल किसी अपंजीकृत ब्यौहारी या ऐसे ब्यौहारी, जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है, से क्रय किया गया है; (तीन) माल राज्य के बाहर से क्रय किया गया है; (चार) माल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्व या इस अधिनियम के अधीन पंजीयन से पूर्व क्रय किया गया है या उसका भुगतान किया गया है; (पाँच) माल कर मुक्त माल या अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग के माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में या ऐसी सेवायें या व्यापारिक कार्यकलाप, जो इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी नहीं हैं, को उपलब्ध कराने में उपयोग किया गया है; (छः) माल, किसी माल के किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण करार के अधीन पट्टे पर उपयोग किया गया है; (सात) माल संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में उपयोग किया गया है;
		(आठ) ऐसा माल, जिस पर इस अधिनियम का उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अधीन किसी पूर्ववर्ती विक्रय या क्रय पर देय कर का भुगतान नहीं किया गया है; (नौ) माल शक्ति/ऊर्जा, जिसमें कैप्टिव शक्ति भी सम्मिलित है, के उत्पादन में प्रयोग किया गया है; या (दस) माल, जो भारत में किसी अन्य कारखाने या कार्यशाला में पहले ही उपयोग में लाया जा चुका हो या उपयोग के लिए प्राप्त किया गया है।; [(ग्यारह) माल, जो किसी पंजीकृत ब्यौहारी से क्रय किया गया है, जिसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन आवर्त पर किसी प्रतिशत से प्रकल्पित कर या समाधान के रूप में धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे माल के विक्रय और/या क्रय पर कर की धनराशि के बदले में एकमुश्त धनराशि के भुगतान का विकल्प दिया है।]; स्पष्टीकरण— सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि किसी पूँजीगत माल को इस धारा के प्रयोजन हेतु ऊपर संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर में सम्मिलित नहीं समझा जायेगा। (ख) भूमि, सिविल संरचना या विनिर्माण और मोटर कार, सहायक सामान या फालतू पुर्जे पर पूँजीगत या अन्य व्यय पर इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा; (ग) उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व कारबार बन्द होने की दशा में आगे कोई इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा और यदि कोई इनपुट टैक्स का लाभ आगे ले जाया गया है तो वह जब्त कर लिया जायेगा। (8) पूँजीगत माल से भिन्न माल के क्रय की निम्न दशाओं में इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा :— (क) माल ब्यौहारी के कारबार से सम्बद्ध नहीं है; या (ख) माल, किसी अपंजीकृत ब्यौहारी या ऐसे ब्यौहारी, जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 5 वर्ष 2008 की धारा 5(ड) द्वारा प्रतिस्थापित।

		(ग) माल राज्य के बाहर से क्रय किया गया है; या (घ) माल, जिसका विक्रय इस अधिनियम के अधीन करमुक्त है या ऐसे माल के विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकिंग में उपयोग किया गया है; या (ङ) माल, जो ब्यौहारी द्वारा कारबार बन्द किये जाने या उसका पंजीयन निरस्त कर दिये जाने या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसको कर मुक्त घोषित किये जाने के कारण कारबार बन्द करने के समय स्टॉक में अविक्रीत बचा रहता है, चाहे माल उसी रूप में हो अथवा परिरूपित या अर्धपरिरूपित माल के संघटक भाग के रूप में हो; या (च) माल, जो विक्रय के रूप से अन्यथा राज्य के बाहर अंतरित होता है; या (छ) कच्चा माल, जो विक्रय के रूप से अन्यथा राज्य के बाहर प्रेषित किये जाने वाले परिरूपित माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग किया गया है; या (ज) माल, जो किसी पंजीकृत ब्यौहारी से क्रय किया गया है, जिससे धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन आवर्त पर किसी प्रतिशत से प्रकल्पित कर या धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे माल के विक्रय और/या क्रय पर कर की धनराशि के बदले में एकमुश्त धनराशि के भुगतान का विकल्प दिया है; या (झ) माल, जो चोरी हो गया है या खो गया है या नष्ट हो गया है या कारबार के सामान्य अनुक्रम से भिन्न रीति से निस्तारित कर दिया गया है या निःशुल्क सैम्पल या उपहार के रूप में वितरित किया गया है; या
		गया है; या (ट) माल, जो संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप) में सम्पत्ति के अन्तरण के द्वारा विक्रय किया गया है; या (ठ) माल, जिस पर इस अधिनियम या उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अधीन ऐसे माल के किसी पूर्ववर्ती विक्रय या क्रय पर देय कर का भुगतान नहीं किया गया है; या [(ड) अनुसूची-तीन में विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग का माल या शीरे के सिवाय माल, जो ऐसे माल के विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकिंग में उपयोग किया जाता है; या;]¹ (ढ) माल शक्ति/ऊर्जा, जिसमें कैप्टिव शक्ति भी सम्मिलित है, के उत्पादन में प्रयोग किया गया है : ³[परन्तु यह कि मद (छ) के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहारों के सम्बन्ध में माल के विनिर्माण में सीधे उपयोग किये गये कच्चे माल पर 3 प्रतिशत से अधिक भुगतान किये गये कर के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स की आंशिक रकम अनुज्ञात की जायेगी]³: परन्तु यह और कि ऊपर [मद (छ)]² में निर्दिष्ट परिस्थितियों में क्रय किये गये माल पर यदि इनपुट टैक्स के लाभ का दावा किसी ब्यौहारी द्वारा किया गया है, तो वह विलोमित हो जायेगा। (9) (क) किसी ब्यौहारी द्वारा इनपुट टैक्स लाभ का दावा नहीं किया जायेगा यदि माल का विक्रय करने वाले पंजीकृत ब्यौहारी से प्राप्त बिक्री बीजक, जिसमें इनपुट टैक्स के भुगतान का साक्ष्य है :- (एक) ब्यौहारी के पास मूल रूप में या धारा 60 के उपबन्धों के अनुसार द्वितीय प्रति

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 5 वर्ष 2008 की धारा 5 (च) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 5 (छ) द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2015 की धारा 3 (तीन) द्वारा प्रतिस्थापित।

		(दो) कर निर्धारक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि विक्रेता ब्यौहारी, जिससे माल का क्रय किया जाना तात्पर्यित है, द्वारा मूल बिक्रीबीजक जारी नहीं किया गया है। (ख) जहाँ किसी कराधेय व्यक्ति के पास इनपुट टैक्स के भुगतान का साक्ष्य दर्शाने वाला मूल बिक्रीबीजक या उसकी द्वितीय प्रतिलिपि नहीं है, कर निर्धारक प्राधिकारी, लिखित में कारण लिपिबद्ध करने के पश्चात् इनपुट टैक्स का लाभ उस कर अवधि में, जिसमें कर लाभ उद्भूत है, अनुमन्य कर सकता है, जहाँ कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि :— (एक) कराधेय व्यक्ति द्वारा बिक्री बीजक प्राप्त करने के लिए सभी युक्तियुक्त कदम उठाये गये हैं; (दो) मूल बिक्री बीजक प्राप्त करने में असफलता कराधेय व्यक्ति की किसी त्रुटि के कारण नहीं थी; (तीन) कराधेय व्यक्ति द्वारा दावाकृत इनपुट टैक्स की धनराशि सही है। (10) यदि किसी कर अवधि में किसी पंजीकृत ब्यौहारी का इनपुट टैक्स का लाभ उस कर अवधि की करदेयता की अपेक्षा अधिक होता है तो अधिक धनराशि केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 के अधीन उस कर अवधि की कर देयता, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजित की जायेगी और अवशेष धनराशि इस अधिनियम के केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अधीन बकाया कर, अर्थदण्ड या ब्याज के विरुद्ध समायोजित की जायेगी और केवल अवशेष धनराशि ब्यौहारी द्वारा उत्तरवर्ती कर अवधियों में आगे ले जायी जायेगी और धनराशि उस अवधि के लिए इनपुट टैक्स का लाभ समझी जायेगी : हकदार होगा। (11) प्रत्येक ब्यौहारी, जो धारा 23 के अधीन विवरणी दाखिल करने के लिए दायी है, कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद, उस कर निर्धारण वर्ष के लिए अपनी स्वीकृत कर देयता और इनपुट टैक्स के लाभ की धनराशि में सुसंगत कर निर्धारण वर्ष के दौरान विभिन्न कर अवधियों में किये गये समायोजन, यदि कोई हो और अवशेष कर, अर्थदण्ड या ब्याज की बकाया के प्रति समायोजित धनराशि, यदि कोई हो, की गणना दर्शाते हुए 90 दिन की अवधि के भीतर एक विवरणी दाखिल करेगा। (12) यदि किसी ब्यौहारी द्वारा, उपरोक्त उपधारा (11) के अनुसार समायोजन करने के बाद धनराशि अधिक जमा होने का दावा किया जाता है तो वह ऐसी अधिक जमा धनराशि को पश्चातवर्ती वर्ष में विभिन्न कर अवधियों की विवरणी में समायोजित कर सकता है। (13) उपधारा (10), उपधारा (11) या उपधारा (12) में किसी बात के होते हुए भी, कर निर्धारण प्राधिकारी सुसंगत कर निर्धारण वर्ष के लिए धारा 25 या 26 के अधीन अन्तिम कर निर्धारण करते समय ब्यौहारी द्वारा अपनी कर देयता से अधिक जमा इनपुट टैक्स, यदि कोई हो, अवधारित करेगा और यदि कोई धनराशि वापसी योग्य पायी जाती है तो वह धारा 36 के उपबन्धों के अधीन वापिस या समायोजित की जायेगी : परन्तु यह कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए कर निर्धारण संगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता है तो ब्यौहारी कर निर्धारण के अवशेष रहते हुए अनन्तिम वापसी, यदि कोई हो, का हकदार होगा और देय धनराशि उसको वापस की जायेगी और ऐसी वापसी के सम्बन्ध में धारा 37 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
--	--	---

		(एक) उस विक्रय पर प्रभारित कर की दर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन यथा लागू कर की दर से भिन्न है; (दो) विक्रय की धनराशि, चाहे सामान्य कारबार व्यवहार के अनुरूप दी गयी डिस्काउण्ट के प्रस्थापना के कारण या किसी अन्य कारण से, परिवर्तित की गई है; (तीन) विक्रय किया गया माल या उसका कोई अंश विक्रय की तारीख से 6 माह के भीतर विक्रेता ब्यौहारी को वापिस किया गया है और उक्त खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) से (तीन) में वर्णित एक या अधिक दशाओं के घटित होने के परिणाम स्वरूप विक्रेता द्वारा :- (अ) उस विक्रय के सम्बन्ध में बिक्रीबीजक जारी किया गया है और उसमें उस विक्रय पर दर्शाया गया प्रभारित उस विक्रयपर उचित रूप से प्रभार्य कर के सापेक्ष में गलत है; या (आ) उस कर अवधि, जिसमें विक्रय हुआ था, के लिए विवरणी दाखिल की गई है और उस विक्रय पर उचित रूप से प्रभार्य धनराशि के सापेक्ष में माल के विक्रय पर कर की गलत धनराशि लेखाबद्ध की गई है; (ख) जहाँ किसी विक्रेता द्वारा आउटपुट टैक्स की त्रुटिपूर्ण धनराशि, जैसा कि खण्ड (क) में विवक्षित है, लेखाबद्ध की गई है, वहाँ विक्रेता उस कर अवधि, जिसमें ये स्पष्ट हुआ है कि आउटपुट टैक्स की धनराशि गलत है, से सम्बन्धित विवरणी में उसके द्वारा देय कर की गणना में इसका समायोजन करेगा और यदि :- (एक) उस विक्रय के सम्बन्ध में उचित रूप से प्रभार्य आउटपुट टैक्स ब्यौहारी द्वारा वास्तविक रूप से लेखाबद्ध आउटपुट टैक्स से अधिक निकलता है, तो उस अधिक धनराशि को उस कर अवधि, जिसमें समायोजन किया जाना है, से सम्बन्धित कराधेय विक्रय पर उस विक्रेता द्वारा प्रभारित कर समझा जायेगा और किसी अन्य पूर्ववर्ती कर अवधि से उपारोप्य नहीं होगा; या (दो) उस विक्रय के सम्बन्ध में वास्तविक रूप से लेखाबद्ध आउटपुट टैक्स उचित रूप से प्रभार्य आउटपुट टैक्स से अधिक निकलता है तो विक्रेता धारा 4 की शर्तों के अनुसार अधिक धनराशि के समतुल्य घटा देगा। (ग) ऊपर खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) के अधीन अनुमन्य कर लाभ इनपुट टैक्स में जमा माना जायेगा ; (घ) ऊपर खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) के अधीन कर लाभ अनुमन्य नहीं होगा जहाँ :- (एक) अधिक कर माल के क्रेता द्वारा वहन किया गया है; (दो) विक्रय ऐसे व्यक्ति को किया गया है, जो एक पंजीकृत व्यक्ति नहीं है; (तीन) जब तक कि कराधेय व्यक्ति द्वारा कर की अधिक धनराशि उस व्यक्ति, जिनको अधिक कर संग्रहित किया गया है, को चाहे नगद या जमा-पत्र द्वारा समायोजित करके वापिस न कर दी गई हो और पंजीकृत व्यक्ति ऐसे भुगतान का, कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार साक्ष्य रखता है। (15) (क) जमा-पत्र और नाम-पत्र- जहाँ बिक्री बीजक जारी किया गया है और उस बिक्री बीजक में प्रभारित कर के रूप में दर्शायी गई धनराशि उस विक्रय के सम्बन्ध में इस अध्यादेश के अन्तर्गत देय कर से अधिक निकलती है तो विक्रय करने वाला पंजीकृत ब्यौहारी क्रेता को इस आशय का एक जमा-पत्र देगा; (ख) जहाँ बिक्री बीजक जारी किया गया है और उस विक्रय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन देय कर बिक्री बीजक में प्रभारित कर की धनराशि से अधिक निकलता है तो विक्रय करने वाला पंजीकृत ब्यौहारी क्रेता को इस आशय का एक नाम-पत्र देगा;
--	--	---

		(ग) क्रेता द्वारा माल वापिस करने अथवा अस्वीकृत करने के मामले में, विक्रेता ब्यौहारी द्वारा क्रेता को इस आशय का एक जमा-पत्र जारी किया जायेगा और क्रेता द्वारा विक्रेता ब्यौहारी को एक नाम-पत्र जारी किया जायेगा। (16) विलोक कर लाभ- यदि उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट उपयोग हेतु क्रय किया गया माल बाद में, पूर्णतः या आंशिक रूप से, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों में उपयोग किया जाता है तो उन पर इनपुट टैक्स के लाभ को विलोमित किया जायेगा और उस कर अवधि, जिसमें उनका उपयोग अन्यथा किया गया है, के लिए इनपुट टैक्स के लाभ में से घटा दिया जायेगा; परन्तु यह कि यदि क्रय किया गया माल आंशिक रूप से अन्यथा उपयोग में लाया जाता है तो विलोम कर की धनराशि की गणना आनुपातिक रूप से की जायेगी। (17) शुद्ध इनपुट टैक्स लाभ- शुद्ध इनपुट टैक्स लाभ, जिसके लिए कोई पंजीकृत ब्यौहारी हकदार होगा, निम्न सूत्र द्वारा अवधारित किया जायेगा; शुद्ध इनकम टैक्स का लाभ = (अ+आ) - इ जहाँ अ = इनपुट टैक्स के लाभ की धनराशि, जिसके लिए कोई ब्यौहारी इस धारा की उपधारा (2) के अधीन हकदार है। आ = कर लाभ, जैसा कि इस धारा की उपधारा (10) और उपधारा (14) के अधीन अवधारित किया गया हो। इ = विलोम कर लाभ, जैसा कि इस धारा की उपधारा (16) के अधीन अवधारित किया गया हो। 2[(18) इस धारा में सिकी विरोधी बात क होते हुये भी, यदि क्रय किये गये अथवा पुनः विक्रीत किये गये माल अथवा ऐसे माल का प्रयोग या उपयोग करके विनिर्मित अथवा प्रसंस्कृत माल को, ऐसे मूल्य पर बेचा जाता है जो:- (क) पुनर्बिक्री की दशा में, ऐसे माल के क्रय मूल्य से; अथवा (ख) विनिर्माण की दशा में लागत मूल्य से; कम है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि का दावा, ऐसे माल के अथवा विनिर्मित माल के विक्रय मूल्य पर देय कर की सीमा तक किया जायेगा और उसे उसी सीमा तक अन्तर्गुणित किया जायेगा।]
समाधान स्कीमें	7.	(1) कतिपय पंजीकृत फुटकर ब्यौहारियों पर प्रकल्पित कर का आरोपण - समस्त पंजीकृत ब्यौहारियों, जिनका राज्य के भीतर, अनुसूची 2 (ग) और अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट माल और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के जिस पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के अधीन अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहणीय हो, विक्रय को छोड़कर सकल आवर्त किसी भी कर निर्धारण वर्ष में रुपये पचास लाख से बढ़ना न तो सम्भावित है और न उसका सकल आवर्त ऐसे कर निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में रुपये पचास लाख से अधिक रहा है, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के, जैसा कि विहित किया जाय, अधीन रहते हुए, वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर के बदले में ऐसे विक्रय के सम्पूर्ण आवर्त पर, उक्त विनिर्दिष्ट माल के विक्रय को छोड़कर, 1 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करेंगे। ऐसे ब्यौहारी ऐसे विक्रय पर कोई कर प्रभारित करने या संग्रहीत करने और अपने क्रय पर किसी इनपुट टैक्स के लाभ के हकदार नहीं होंगे : परन्तु यह कि यह उपधारा ऐसे पंजीकृत फुटकर ब्यौहारी पर लागू नहीं होगी, जो एक आयातकर्ता या एक विनिर्माता है तथा माल का भारत के राज्य क्षेत्र के अन्दर आयात अथवा क्षेत्र के बाहर निर्यात करता है या संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्गुणित माल के स्वामित्व का अन्तरण (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) या किसी माल का किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) उपयोग के अधिकार का अन्तरण करता है : परन्तु यह और कि यदि कोई पंजीकृत ब्यौहारी इस उपधारा के उपबन्धों के अधीन कर भुगतान का विकल्प नहीं अपनाता है तो वह इस अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार कर के भुगतान के लिए दायी होगा। स्पष्टीकरण - जब किसी ब्यौहारी द्वारा इस उपधारा के अधीन कर के भुगतान का विकल्प चना जाता है 1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 10 वर्ष 2008 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित। 2. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2015 की धारा 3(चार) द्वारा बढ़ाया गया।

		(2) कर के बदले एक मुश्त धनराशि का भुगतान— (क) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किन्तु राज्य सरकार के निदेशों के अधीन रहते हुए, कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे कर की धनराशि के बदले में, जो किसी ब्यौहारी द्वारा, ऐसे माल या मा के वर्ग के सम्बन्ध में और ऐसी अवधि के लिए जिस पर करार हो जाय, देय हो या तो एकमुश्त या उसके आवर्त पर सहमत दर से समाधान धनराशि स्वीकार करने के लिए करार कर सकता है। ऐसा ब्यौहारी किसी व्यक्ति से समाधान धनराशि के बदले में माल के विक्रय पर कर के रूप में इसे कोई भिन्न या छद्म नाम देकर कोई धनराशि नहीं वसूलेगा और उसके कय पर कोई इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा : परन्तु यह कि यह धारा किसी पंजीकृत ब्यौहारी पर लागू नहीं होगी, जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर माल आयात करता है या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल निर्यात करता है; (ख) जहाँ किसी एक वस्तु के सम्बन्ध में किसी अवधि के लिए समाधान धनराशि स्वीकार कर ली गई है तो कर की दर में किसी परिवर्तन का, जो ऐसे करार के तारीख के पश्चात् प्रवृत्त हो, यह प्रभाव होगा कि कर निर्धारण की अवधि के उस भाग के सम्बन्ध में, जिसमें परिवर्तित दर प्रवृत्त रहे, एकमुश्त अधिकारी या करार हुई दर में आनुपातिक परिवर्तन हो जायेगा; (ग) जहाँ राज्य सरकार की ऐसी राय हो कि कर दायित्व के समाधान की कोई योजना अब आगे जारी रखना लोक हित में नहीं है तो वह उस अवधि के दौरान किसी भी समय ऐसी योजना को वापस ले सकती है और उस स्थिति में यदि समाधान धनराशि की कोई एकमुश्त राशि निश्चित कर दी गयी है तो अवधि के जिस भाग के दौरान वह योजना लागू रही है, उसके अनुपात में ऐसी राशि का भाग ब्यौहारी द्वारा देय होगा; स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन हेतु ब्यौहारी में सम्मिलित है :— (एक) ब्यौहारी, जो संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या अन्य किसी रूप में) में सम्पत्ति के अन्तरण के रूप में माल का विक्रय करता है; या
सांपत्तिक सम्मुत्थान का दायित्व	8.	(1) जहाँ किसी ब्यौहारी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु उसका निष्पादन, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि ब्यौहारी माना जायेगा और उक्त पर उस मृत ब्यौहारी के कारबार के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होंगे। (2) यदि ब्यौहारी के द्वारा चलाया गया कारबार उसकी मृत्यु के बाद उसके विधिक प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है तो ऐसा प्रतिनिधि या व्यक्ति इस अधिनियम अथवा किसी पूर्ववर्ती विधि के अधीन ऐसे ब्यौहारी द्वारा देय कर, जिसमें कोई अर्थदण्ड अथवा ब्याज सम्मिलित है, के भुगतान के लिए उसी रीति से और उसी सीमा तक, जिसका मृत ब्यौहारी था, दायी होगा, चाहे ऐसा कर, जिसमें अर्थदण्ड और ब्याज शामिल है, उसकी मृत्यु के पूर्व निर्धारित किया गया हो किन्तु बाकी रह गया हो या जिसका निर्धारण उनकी मृत्यु के बाद हो। (3) यदि ब्यौहारी द्वारा चलाया जा रहा कारबार चाहे उसकी मृत्यु के पूर्व अथवा बाद में बन्द हो जाता है तो उसका विधिक प्रतिनिधि ऐसे ब्यौहारी द्वारा इस अधिनियम अथवा किसी पूर्ववर्ती विधि के अन्तर्गत देय कर, जिसमें अर्थदण्ड और ब्याज शामिल है, के उसी रीति से और उसी सीमा तक भुगतान के लिए दायी होगा, जिसका मृत ब्यौहारी होता, यदि उसकी मृत्यु न हो गयी होती। (4) जहाँ ऐसा ब्यौहारी, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान के लिए दायी है, के कारबार में उपधारा (2) में वर्णित रीति से अन्य व्यक्ति उत्तरवर्ती होता है तो ऐसा व्यक्ति उत्तरवर्ती होने की तारीख को अथवा इसके बाद उसके रीति विक्रय किये गये अथवा कय

		(5) मृतक के किसी दायित्व के सम्बन्ध में उसका निष्पादन, प्रशासक अथवा अन्य प्रतिनिधि केवल उसी सीमा तक दायी होगा, जिस सीमा तक मृतक की परिसम्पत्ति उसके हाथ में है। (6) इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही, जिसमें वसूली की कार्यवाही भी सम्मिलित है, उस स्तर से जारी की जा सकती है, जिस पर वह ब्यौहारी की मृत्यु के समय लम्बित थी। (7) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबन्ध उस ब्यौहारी पर, जो कि भागीदारी फर्म है, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, जो कि भागीदार की मृत्यु के फलस्वरूप विघटित हो गयी हो।
फर्म इत्यादि के मामले में दायित्व	9.	(1) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में किसी बात के होते हुए भी अथवा किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, जहाँ कोई फर्म इस अधिनियम के अधीन ऐसे कर, जिसमें अर्धदण्ड और ब्याज सम्मिलित है, के भुगतान के लिए दायी है, तो वह फर्म और फर्म का प्रत्येक भागीदार संयुक्त एवं पृथक रूप से, ऐसे कर, जिसमें अर्धदण्ड और ब्याज सम्मिलित है, के भुगतान के लिए दायी होगा और तदनुसार इस अधिनियम के अधीन कोई नोटिस अथवा आदेश किसी ऐसे व्यक्ति, जो कि सुसंगत समय के दौरान भागीदार था, पर तामील किया जा सकता है, चाहे फर्म विघटित हो गयी हो या नहीं और इस अधिनियम के समस्त उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे। (2) जहाँ कोई ऐसा भागीदार फर्म से निवृत्त हो जाता है, वहाँ वह अपने निवृत्ति के समय पर शेष बचे कर, अर्धदण्ड और ब्याज, जिसका भुगतान नहीं किया गया हो और ऐसी कोई धनराशि, जो निवृत्ति की तारीख तक देय हो, यद्यपि उस तारीख को अनिर्धारित हो, के भुगतान के लिए दायी होगा। (3) जहाँ ऐसा कोई भागीदार फर्म से निवृत्त होता है तो वह अपनी निवृत्ति की तारीख की सूचना लिखित रूप से अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा और वह अपने निवृत्ति की समय बचा कर, जिसमें कोई अर्धदण्ड या ब्याज सम्मिलित है, जिसका भुगतान नहीं किया गया है और ऐसी कोई धनराशि, जो निवृत्ति की तारीख तक देय हो यद्यपि उस तारीख को अनिर्धारित हो, के भुगतान के लिए दायी होगा। तथापि यदि निवृत्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर ऐसी कोई सूचना नहीं दी जाती है तो उस भागीदार की देयता उस तारीख तक जारी रहेगी, जिस तारीख को कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होती है।
		(क) ऐसी फर्म, संगम अथवा कुटुम्ब द्वारा ऐसा कारबार बन्द करने की तारीख तक इस अधिनियम के अधीन देय कर, जिसमें अर्धदण्ड, यदि कोई हो, शामिल है, का निर्धारण और अवधारण किया जा सकता है मानो ऐसा कोई कारबार बन्द न हुआ हो; और (ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो कि ऐसे कारबार बन्द होने के समय ऐसी फर्म का भागीदार अथवा ऐसे संगम या कुटुम्ब का सदस्य था तो ऐसा कारबार बन्द हो जाने के बावजूद वह उस कर, जो निर्धारित किया गया है व अर्धदण्ड, जो आरोपित किया गया है और ऐसी फर्म संगम अथवा कुटुम्ब द्वारा देय है, के भुगतान के लिए पृथक रूप से और संयुक्त रूप से दायी होगा चाहे कर का निर्धारण या अर्धदण्ड का आरोपण ऐसे कारबार बन्द होने से पहले या बाद में किया गया है और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होंगे मानो कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति या भागीदार स्वयं एक ब्यौहारी हो : परन्तु यह कि जहाँ यह पाया जाता है कि फर्म या संगम के गठन में कोई परिवर्तन हो गया है तो पुनर्गठित फर्म या संगम और पुनर्गठन से पूर्व के भागीदार या सदस्य पुनर्गठन से पूर्व की किसी अवधि के लिए ऐसी फर्म या संगम द्वारा देय कर,
		स्पष्टीकरण— किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम का विघटन या पुनर्गठन अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत कारबार का बन्द किया जाना माना जायेगा।

अप्राप्तवय और असमर्थ व्यक्तियों के मामलों में कर दायित्व	10.	(1) यदि किसी अप्राप्तवय या किसी असमर्थ व्यक्ति की ओर से और उसके लाभ के लिए कोई संरक्षक या न्यासी कारबार करता हो तो ऐसे संरक्षक या न्यासी या अभिकर्ता पर, जो भी हो, उसी प्रकार और उसी सीमा तक कर लगाया जायेगा और उससे वसूल किया जायेगा, जैसा कि ऐसे अप्राप्तवय या असमर्थ व्यक्ति पर निर्धारित किया जाता और उससे वसूल किया जाता, यदि वह वयस्क व स्वस्थ होता और यदि वह अपना कारबार स्वयं करता होता और ऐसी दशा में इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियमों के सभी उपबन्ध लागू होंगे। (2) यदि संरक्षकता अथवा न्यास समाप्त हो जाता है तो प्रतिपाल्य या जैसी भी दशा हो, हिताधिकारी ऐसे ब्यौहारी द्वारा संरक्षकता या न्यास की समाप्ति के समय तक देय कर, जिसमें कोई अर्थदण्ड और ब्याज सम्मिलित हैं, के भुगतान के लिए दायी होगा, चाहे ऐसी धनराशि का निर्धारण संरक्षकता या न्यास की समाप्ति के पहले हुआ हो किन्तु उसका भुगतान करने से न छूटने के अर्थ में निर्धारित कर के भुगतान किया जाये।
कोर्ट ऑफ वार्ड्स, अधिकरण आदि के मामले में कर दायित्व	11.	यदि किसी कारबार का स्वामी ऐसा व्यक्ति है, जिसकी सम्पत्ति या उसका कोई भाग कोर्ट ऑफ वार्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, आफिशियल न्यासी या किसी रिसीवर या मैनेजर (जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे उसकी उपाधि कुछ भी हो, जो ब्यौहारी की ओर से वास्तव में उसके कारबार का प्रबन्ध करता हो) जो ब्यौहारी द्वारा या किसी न्यायालय की आज्ञा से नियुक्त किया गया हो, के नियंत्रण में है, तो ऐसे कोर्ट ऑफ वार्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, रिसीवर या मैनेजर पर उसी प्रकार कर लगाया जायेगा, जैसा कि उस ब्यौहारी पर लगाया जाता या वसूल किया जाता, यदि वह अपना कारबार स्वयं करता होता और उस दशा में, इस अधिनियम के सब उपबन्ध तदनुसार और उसके अधीन बनाये गये नियम उसी प्रकार लागू होंगे।
कम्पनी के मामले में कर दायित्व	12.	(1) समापन में गयी प्राइवेट कम्पनी के निर्देशकों का कर दायित्व – कम्पनी अधिनियम, 1956 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् जब किसी प्राइवेट कम्पनी का परिसमापन होता है और कम्पनी पर इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अवधि के लिए चाहे उसके परिसमापन के पूर्व या उसके दौरान या बाद में निर्धारित कर वसूल नहीं किया जा सकता है, तब प्रत्येक व्यक्ति, जो कि उस अवधि जिसके लिए कर देय है, के दौरान किसी भी समय प्राइवेट कम्पनी का निदेशक था, ऐसे कर के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक दायी होगा, जब तक कि वह यह साबित न करे कि वसूली न हो सकने के लिए कम्पनी के मामलों के सम्बन्ध में उसकी किया जा सकता है। (2) समापन में गयी कम्पनी के मामलों में कर दायित्व :- (क) प्रत्येक व्यक्ति— (एक) जो परिसमापन में की जा रही कम्पनी, चाहे न्यायालय के आदेशों के अधीन अथवा अन्यथा, का समापक है; या (दो) जो किसी कम्पनी की आस्तियों का रिसीवन नियुक्त किया गया है (जिसे इसमें आगे "समापक" कहा गया है) अपने ऐसे समापक बनने के 30 दिन के भीतर अपनी ऐसी नियुक्ति किये जाने का नोटिस कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा;

		(ख) कर निर्धारक प्राधिकारी, ऐसी पूछताछ करके और ऐसी सूचना मंगाकर, जिन्हें वह उचित समझे, वह समापक की नियुक्ति की नोटिस प्राप्ति के दिन के 3 माह के भीतर समापक को वह धनराशि सूचित करेगा, जो कर निर्धारक प्राधिकारी की राय में कम्पनी द्वारा तब देय या उसके पश्चात् सम्भाव्य कर (किसी अर्थदण्ड या ब्याज सहित) की धनराशि की भरपाई के लिए पर्याप्त होगी; (ग) समापक कम्पनी की किसी भी परिसम्पत्ति, जो उसके पास है, को अलग नहीं करेगा, जब तक कि उक्त खण्ड (ख) के अधीन कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सूचित न किया गया हो और इस प्रकार सूचित किये जाने पर कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा सूचित धनराशि के समतुल्य धनराशि को अलग रखेगा और जब तक वह ऐसी धनराशि को अलग नहीं रखता है, वह कम्पनी की अपने पास रखी गई किसी भी आस्ति या सम्पत्ति को अलग नहीं करेगा : परन्तु यह कि इस खण्ड में अन्तर्विष्ट कोई बात समापक को किसी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के अधीन कम्पनी द्वारा देय कोई कर या अर्थदण्ड, यदि कोई हो, के भुगतान के प्रयोजन हेतु या समापन की तारीख के समय ऐसे लेनदार, जिनके ऋण विधि के अधीन सरकार के ऋण के ऊपर भुगतान में प्राथमिकता के हकदार हैं, को सुरक्षित करने के लिए किसी भुगतान करने या कम्पनी के परिसमापन की ऐसी लागत एवं खर्च, जो कि कर निर्धारक प्राधिकारी की राय में युक्तियुक्त हैं, के वहन करने के लिए ऐसी आस्तियों और सम्पत्तियों को अलग करने से वर्जित नहीं करेगी; (घ) यदि समापक खण्ड (क) के अनुसार नोटिस नहीं देता है या खण्ड (ग) द्वारा अपेक्षित धनराशि अलग नहीं रखता है या उस खण्ड के उपबन्धों के उल्लंघन में कम्पनी की किसी परिसम्पत्ति अथवा सम्पत्ति को अलग करता है, तो वह कर, अर्थदण्ड और ब्याज, यदि कोई है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी भुगतान करने के लिए दायी होगी, के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा : परन्तु यह कि यदि कम्पनी के द्वारा देयकर अर्थदण्ड और ब्याज की धनराशि खण्ड (ख) के अधीन सूचित की जाती है तो इस उपखण्ड के अधीन समापक की व्यक्तिगत रूप से देयतः ऐसी धनराशि की सीमा तक ही होगी; (ङ) जहाँ एक से अधिक समापक हैं, इस धारा के अन्तर्गत समापक से जुड़ी बाध्यता एवं दायित्व सभी समापकों से संयुक्त एवं पृथक-पृथक जुड़ी रहेगी; (च) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस धारा के उपबन्ध प्रभावी रहेंगे;
		(छ) इस धारा के प्रयोजन हेतु "कम्पनी" और "प्राइवेट कम्पनी" पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) और (दो) में उनके हैं। (3) कम्पनियों का समामेलन— (क) जब दो या दो से अधिक कम्पनियों का समामेलन किसी न्यायालय या केन्द्रीय सरकार के आदेशों द्वारा किया जाता है और आदेश, आदेश की तारीख से पूर्व की तारीख से प्रभावी होता है और ऐसी दो या अधिक कम्पनियों ने आदेश के प्रभावी होने की तारीख से प्रारम्भ और आदेश के समाप्त होने वाली अवधि में कोई माल एक दूसरे को विक्रय किया गया है या एक दूसरे से क़य किया गया है तो विक्रय एवं क़य के ऐसे संव्यवहार सम्बन्धित कम्पनियों के विक्रय आवर्त या क़य आवर्त में सम्मिलित किये जायेंगे और तदनुसार कर निर्धारित किया जायेगा;

		(ख) उक्त आदेश में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों हेतु उक्त दो या अधिक कम्पनियाँ पृथक कम्पनियाँ समझी जायेंगी और उक्त आदेश की तारीख तक सभी अवधियों के लिए इसी भाँति समझी जायेंगी और ऐसी कम्पनियों के पंजीयन प्रमाण पत्र, जहाँ आवश्यक हो, उक्त आदेश की तारीख से निरस्त किये जायेंगे; (ग) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इस धारा में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, का
--	--	---

कतिपय अभिकर्ता, जो कर्ता की ओर से किये गये विक्रय पर कर के दायी हैं	13.	(1) यदि कोई व्यक्ति कमीशन अभिकर्ता के रूप में अपने कर्ता की ओर से किसी कराधेय माल का विक्रय या कय करता है तो ऐसा व्यक्ति और उसका कर्ता दोनों ऐसे विक्रय एवं कय के आवर्त पर देय कर के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक दायी होंगे : परन्तु यह कि कर के भुगतान करने की प्रथम देयता कमीशन अभिकर्ता की होगी और वह उसे अपने कर्ता से वसूल कर सकता है : परन्तु यह और कि यदि कर्ता कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार यह समाधान कर देता है कि ऐसे माल पर ऐसे कमीशन अभिकर्ता द्वारा कर का भुगतान कर दिया गया है, तब उसी संव्यवहार के सम्बन्ध में कर्ता पुनः कर के भुगतान के लिए दायी नहीं होगा। (2) यदि किसी अनिवासी ब्यौहारी का कोई प्रबन्धक या कमीशन अभिकर्ता राज्य में अनिवासी ब्यौहारी की ओर से किसी माल का विक्रय या कय करता है तो अनिवासी ब्यौहारी और राज्य में निवास कर रहा प्रबन्धक या अभिकर्ता ऐसे विक्रय एवं कय के आवर्त पर देय कर के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक दायी होंगे : परन्तु यह कि कर के भुगतान करने की प्रथम देयता प्रबन्धक या कमीशन अभिकर्ता की होगी और वह उसे अनिवासी ब्यौहारी से वसूल कर सकता है : परन्तु यह और कि यदि अनिवासी ब्यौहारी कर निर्धारण प्राधिकारी के सन्तोषानुसार यह समाधान कर देता है कि ऐसे विक्रय एवं कय के आवर्त के सम्बन्ध में देयकर का भुगतान प्रबन्धक या अभिकर्ता द्वारा कर दिया गया है तो उसी संव्यवहार के सम्बन्ध में अनिवासी ब्यौहारी कर का भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगा।
मामले में कर दायित्व	14.	(1) यदि कोई ब्यौहारी, जो इस अध्यादेश के अधीन कर का भुगतान करने के लिए दायी है, अपने कारबार का विक्रय, भेंट, पट्टे, लाइसेन्स, भाड़ा या किसी अन्य रीति जैसी भी हो, द्वारा पूरा या आंशिक रूप से अंतरण करता है तो अंतरक और अंतरिती ऐसी अंतरण के समय तक उक्त कारबार के सम्बन्ध में देय कर (किसी अर्थदण्ड और ब्याज सहित) के संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक देनदार होंगे, चाहे ऐसे कर (किसी अर्थदण्ड और ब्याज सहित) का निर्धारण उसके पश्चात् किया गया है। (2) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित कारबार का कोई अंतरक या पट्टेदार ऐसे कारबार को चाहे अपने नाम में या किसी अन्य नाम में चालू रखता है तो वह ऐसे अंतरण की तारीख से उसके द्वारा किये गये माल के विक्रय पर कर के भुगतान का दायी होगा और यदि वह एक विद्यमान ब्यौहारी है तो वह विहित समय के भीतर पंजीयन के संशोधन हेतु आवेदन करेगा। (3) यदि अंतरिती से उपधारा (1) के अधीन अर्थदण्ड और ब्याज, यदि कोई हो, सहित कर वसूल किया जाता है तो ऐसा अंतरिती इस बात के लिए हकदार होगा कि वह इसको उस व्यक्ति, जो उस के भुगतान के लिए मूलतः दायी था, से वसूल कर ले। (4) यदि कोई ब्यौहारी, जो इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी है, अपने कारबार में किसी व्यक्ति द्वारा उत्तरवर्ती किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति उस तारीख को या इसके पश्चात् किये गये माल के विक्रय या कय पर कर के भुगतान का दायी होगा।

		अध्याय तीन पंजीयन, संशोधन और निरस्तीकरण
--	--	--

पंजीयन	15	(1) कोई ब्यौहारी या व्यक्ति, जो कारबार कर रहा है और इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी है, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित की जाय, अपने आपको पंजीकृत करायेगा : परन्तु यह कि ब्यौहारी, जो कर भुगतान के लिए दायी है, को अपना पंजीयन कराने के लिए, उस तारीख जब से वह प्रथम बार ऐसे कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा, से 30 दिन का समय अनुमन्य होगा। (2) प्रत्येक ब्यौहारी :— (क) जो उत्तराखण्ड के बाहर से अपने द्वारा आयात किया हुआ कोई माल विक्रय करता है; (ख) जो राज्य के बाहर से आयात किये हुए माल का उपयोग करके अपने द्वारा विनिर्मित माल का विक्रय करता है; (ग) जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर का भुगतान करने के लिए दायी है; (घ) जो धारा 35 के उपबन्धों के अधीन स्रोत पर कर कटौती के अध्वधीन है; (ङ) जो कर के भुगतान का दायी होता (यदि इस अधिनियम के अधीन छूट स्वीकृत नहीं की गई होती) बशर्त कर निर्धारण वर्ष के लिए उसका वास्तविक या अनुमानित आवर्त धारा 3 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट कराधेय मात्रा से कम नहीं है; या (च) जो किसी कर निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार प्रारम्भ कररता है और शेष वर्ष के लिए उसका औसत मासिक अनुमानित आवर्त या जिसका पूर्वोक्त अवधि में किसी भी माह में उसका वास्तविक आवर्त धारा 3 की उपधारा (7) के अनुसार कराधेय मात्रा के बारहवें हिस्से (1/12) से कम नहीं है, वह पंजीयन के लिए दायी होगा : परन्तु यह कि ऐसे ब्यौहारी, जो केवल उस माल, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर से मुक्त किये गये हैं, (उनको छोड़कर जिनको सशर्त कर मुक्त किया गया है) में कारबार करते हैं, के लिए इस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा। (3) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी, निम्न ब्यौहारी, जो अन्यथा कर के भुगतान करने के दायी नहीं हो सकते हैं, इस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्राप्त करने के लिए उस तारीख से दायी समझे जायेंगे, जब ब्यौहारी प्रथम बार— (क) राज्य के बाहर से कोई कराधेय माल प्राप्त करता है;
		(ख) भारत के राज्य क्षेत्र के अन्दर माल आयात करता है या क्षेत्र के बाहर माल निर्यात करता है; या (ग) कोई कराधेय माल, विक्रय के अन्यथा, राज्य के बाहर प्रेषण करता है। (4) इस धारा में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, निम्न वर्ग के ब्यौहारी, उनके विक्रय धन का विचार किये बिना, अपने कारबार के प्रारम्भ करने की तारीख से पंजीयन के दायी होंगे:— (क) प्रत्येक नैमित्तिक ब्यौहारी; (ख) केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 के अधीन राज्य के भीतर पंजीकृत प्रत्येक ब्यौहारी; (ग) राज्य के बाहर रहने वाला, लेकिन राज्य के भीतर कारबार करने वाला प्रत्येक ब्यौहारी; (घ) शराब, बीयर सहित, का प्रत्येक ब्यौहारी; या

		(ड) प्रत्येक कमीशन एजेंट, दलाल, परिशोधी अभिकर्ता, नीलामकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय, जो अपने कर्ता की ओर से माल का कय, विकय, संभरण या वितरण करता है। (5) ऊपर निर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार पंजीयन प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक ब्यौहारी कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष इस निमित्त एक आवेदन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा : [परन्तु यह कि विहित ब्यौरों के बिना पंजीयन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।] (6) प्रत्येक ब्यौहारी, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के उपबन्धों के अधीन :- (क) पंजीयन प्रमाण-पत्र रखता हो; या (ख) अनन्तिम पंजीयन प्रमाण-पत्र रखता हो और जिस पर इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) या उपधारा (5) लागू होती है और इस अधिनियम के प्रारम्भ हो की तारीख तक, जिसका पंजीयन प्रमाण-पत्र कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा न तो निरस्त किया गया और न ऐसे ब्यौहारी द्वारा कारबार बन्द कर दिया गया है, वह धारा 17 के उपबन्धों के रहते हुए इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से इस अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत ब्यौहारी समझा जायेगा और यदि ऐसा कोई ब्यौहारी इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत ब्यौहारी बने रहने का इच्छुक नहीं है तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर इस आशय का आवेदन कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा। (7) प्रत्येक ब्यौहारी, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के उपबन्धों के अधीन एक पंजीकृत ब्यौहारी रहा है और धारा 3 की उपधारा (7) में उल्लिखित आवर्त सीमा को देखते हुए वह इस अधिनियम के अधीन पंजीयन के लिए दायी नहीं है, लेकिन यदि वह पंजीयन रखे रखाना चाहता है तो ऐसी अवधि में और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित किया जाय, अपना आवेदन प्रस्तुत करने पर, उसको इस अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक पंजीयन स्वीकृत किया जा सकता है और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से उसको इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया जा सकता है और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से उसको इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत समझा जायेगा। (8) प्रत्येक ब्यौहारी, जिसने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से पंजीकृत ब्यौहारी समझा जायेगा।
		(9) कोई ब्यौहारी, जो उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के किसी उपबन्ध के अनुसार पंजीकृत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दायी था और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के लिए दायी है, लेकिन ऐसे ब्यौहारी ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के किसी उपबन्ध के अधीन पंजीकृत प्रमाण पत्र दिये जाने के लिए आवेदन नहीं किया था तो इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी अवधि में और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित किया जाय, पंजीयन स्वीकृति हेतु पंजीयन आवेदन प्रस्तुत करेगा।
		(10) कोई ब्यौहारी यदि अन्यथा धारा 3 की उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुसार कर के भुगतान के लिए दायी नहीं है, तब तक पंजीकृत ब्यौहारी नहीं समझा जायेगा, जब तक कि वह स्वैच्छिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वीकृति हेतु आवेदन ऐसी अवधि में और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित किया जाय, प्रस्तुत न करे।

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2010 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

स्वैच्छिक पंजीयन	16.	(1) कोई ब्यौहारी, जो :- (क) विक्रय हेतु किसी कराधेय माल का विनिर्माण करना चाहता है; या (ख) कराधेय माल के विक्रय या क्रय का कारबार करना चाहता है; या (ग) माल के विक्रय व क्रय का कारबार कर रहा है, लेकिन अन्यथा पंजीयन प्राप्त करने के लिए दायी नहीं है तो यदि वह ऐसा चाहे, इस अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक पंजीयन की स्वीकृति हेतु आवेदन विहित रीति से प्रस्तुत कर सकता है और ऐसा पंजीयन प्रमाण-पत्र, यदि स्वीकृत किया जाता है, आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से प्रभावी होगा। (2) कोई ब्यौहारी, जिसको इस धारा के अधीन या धारा 15 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अधीन स्वैच्छिक पंजीयन प्रमाण-पत्र स्वीकृत कर दिया जाता है, इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिए दायी होगा, जब तक उनका पंजीयन प्रभावी रहता है। (3) इस धारा के अधीन दिये गये आवेदन पर किसी ब्यौहारी का पंजीयन, जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निरस्त न कर दिया गया हो, बना रहेगा। (4) इस धारा के अधीन दिये गये आवेदन पर पंजीकृत कोई ब्यौहारी उक्त उपधारा (3) के उपबन्धों के रहते हुए ऐसे पंजीयन को निरस्त करने हेतु आवेदन कर निर्धारक प्राधिकारी को, विहित रीति से, प्रस्तुत कर सकता है और कर निर्धारक प्राधिकारी, यदि ब्यौहारी इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान करने के लिए दायी न हो, ऐसा आवेदन दिये जाने की तारीख या किसी अन्य तारीख, जैसा कि वह उचित समझे, से पंजीयन निरस्त कर सकता है। (5) इस धारा के अधीन दिये गये आवेदन पर पंजीकृत किसी ब्यौहारी का आवर्त जब आनुक्रमिक अगले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कराधेय मात्रा से कम रहता है तो कर भुगतान करने का उसका दायित्व समाप्त हो जायेगा। (6) धारा 17, धारा 18 और धारा 19 के उपबन्ध इस धारा के अधीन स्वीकृत होने वाले पंजीयन प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे, जैसा कि धारा 15 के अधीन पंजीयन पर लागू होते हैं।
पंजीयन के लिए प्रक्रिया	17.	(1) किसी ब्यौहारी ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के उपबन्धों के अधीन पंजीकृत प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए अपेक्षित फीस का भुगतान नहीं किया है तो पंजीयन प्रमाण-पत्र इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को विधि मान्य नहीं समझा जायेगा लेकिन यदि ऐसा ब्यौहारी देय नवीनीकरण फीस रु0 100/- विलम्ब फीस सहित इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से पंजीकृत ब्यौहारी समझा जायेगा। (2) प्रत्येक ब्यौहारी, जो धारा 15 या 16 के अधीन पंजीकृत किये जाने के लिए अपेक्षित है, पंजीयन हेतु आवेदन ऐसे प्रारूप में ऐसी फीस सहित, ऐसी अवधि में और रीति के अनुसार, जैसा कि विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा। (3) कर निर्धारक प्राधिकारी, ऐसी जाँच के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे और धारा 20 के उपबन्धों और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन, जो इस निमित्त विहित की जायं, आवेदन स्वीकार कर सकता है और ब्यौहारी को पंजीकृत कर सकता है और विहित प्रारूप में पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है :

परन्तु यह कि यदि पंजीयन स्वीकार करने हेतु ब्यौहारी से कोई प्रतिभूति मांगी जाती है तो पंजीयन, ब्यौहारी द्वारा ऐसी प्रतिभूति कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार जमा करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा।

- (4) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पंजीयन उस तारीख से प्रभावी होगा, जब ब्यौहारी पंजीयन के लिए दायी हो जाता है, यदि वह विहित अवधि के भीतर पंजीयन के लिए आवेदन करता है और किसी अन्य स्थिति में, उस दिन से जब वह पंजीयन के लिए आवेदन करता है।
- (5) किसी ब्यौहारी को स्वीकार किया गया पंजीयन प्रमाण-पत्र कारबार बन्द किये जाने तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि पंजीयन प्रमाण-पत्र इससे पूर्व किसी समय भी इस अधिनियम की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन निरस्त न कर दिया गया हो।

(6) [धारा 15 की उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन,¹ यदि पंजीयन के लिए आवेदन अशुद्ध एवं अपूर्ण है या व्यवस्थित रूप में नहीं है या फीस या अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया गया है या माँगी गयी प्रतिभूति जमा नहीं की गयी है या कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करने पर वह आवेदनकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् आवेदन एक लिखित आदेश द्वारा निरस्त कर सकता है।

(7) (क) यदि कोई ब्यौहारी, जिसको पंजीयन प्रमाण-पत्र स्वीकार कर दिया गया है :—

(एक) इस अधिनियम के अधीन विवरणी विहित अवधि में दाखिल करने में असफल रहता है;

(दो) विवरणी में जानते हुए अपूर्ण या अशुद्ध विशिष्टियाँ देता है; या

(तीन) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कोई कर [अर्थदण्ड या ब्याज तथा विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, सहित]² विहित अवधि में जमा करने में असफल रहता है तो ऐसे ब्यौहारी का पंजीयन प्रमाण-पत्र कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ऐसे ब्यौहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निलम्बित किया जा सकता है;

(ख) जहाँ धारा 18 के अधीन पंजीयन को निरस्त करने के लिए कोई कार्यवाही कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष निस्तारण हेतु लम्बित है, ऐसे ब्यौहारी का पंजीयन का प्रमाण पत्र उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस अवधि के लिए जब तक कि निरस्त करने की कार्यवाही लम्बित है, निलम्बित किया जा सकता है :

{परन्तु यह कि उक्त खण्ड (क) के अधीन किसी ब्यौहारी का पंजीयन प्रमाणपत्र निलम्बित नहीं किया जायेगा यदि उसने नोटिस में विहित समय के भीतर विवरणी अथवा विवरणियाँ दाखिल कर दी है तथा देय कर की धनराशि, ब्याज और विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, को जमा कर दिया है।}³

(8) निलम्बन की तारीख से 45 दिन के भीतर समस्त कर [विलम्ब शुल्क, अर्थदण्ड या ब्याज, यदि कोई हो, सहित]⁴ का भुगतान करने का साक्ष्य प्रस्तुत करने और समस्त अतिशोध्य विवरणी को प्रस्तुत करने पर, ब्यौहारी के आवेदन देने पर उपधारा (7) के खण्ड (क) के अधीन पंजीयन के प्रमाण-पत्र का निलम्बन वापस ले लिया जायेगा और पंजीयन

प्रमाण-पत्र बहाल कर दिया जायेगा।

(9) यदि कोई ब्यौहारी, जिसका पंजीयन का प्रमाण-पत्र उपधारा (7) के खण्ड (क) के अधीन निलम्बित कर दिया गया है, उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुपालन करने में असफल रहता है तो कर निर्धारक प्राधिकारी उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे ब्यौहारी का पंजीयन का प्रमाण-पत्र निरस्त कर सकता है।

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2010 की धारा 3(क) द्वारा बढ़ाया गया। 2. उपर्युक्त की धारा 3 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2010 की धारा 3(ग) द्वारा प्रतिस्थापित। 4. उपर्युक्त की धारा 2 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

		(10) उपधारा (7) के खण्ड (ख) के अधीन पंजीयन के प्रमाण-पत्र का निलम्बन, उसके निलम्बन के तारीख से भूतलक्षी रूप से वापस ले लिया जायेगा, यदि पंजीयन के प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण नहीं किया जाता है। (11) यदि कोई ब्यौहारी, जिस पर धारा 15 के उपबन्ध लागू होते हैं— (क) अपने कारबार या उसके किसी अंश का अंतरण विक्रय, पट्टे, इजाजत, लाइसेंस, भाड़ा या किसी अन्य रीति, जैसी भी है, द्वारा करता है या अन्यथा अपने कारबार या उसके किसी अंश का अन्यथा व्ययन करता है; (ख) किसी कारबार को, चाहे क्य कर के या अन्यथा, प्राप्त करता है; (ग) अपने कारबार के स्वामित्व या गठन में कोई अन्य परिवर्तन करता है या ऐसा उनके संज्ञान में आता है; (घ) अपना कारबार बन्द करता है या अपने कारबार का स्थान या भांडागार को बदलता है या नया कारबार का स्थान या भांडागार खोलता है; (ङ) अपने कारबार के नाम, शैली या प्रकृति में परिवर्तन करता है अथवा ऐसे माल, जिसमें वह कारबार करता है, के वर्ग या विवरण, जैसा कि उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है, में कोई परिवर्तन करता है; (च) अपने कारबार के सम्बन्ध में किसी भागीदारी या अन्य संगम में शामिल होता है; (छ) कोई नया कारबार प्रारम्भ करता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ पृथक-पृथक या संयुक्त रूप से किसी कारबार में सम्मिलित होता है; (ज) किसी परिनियम के अधीन निगमित कम्पनी या कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई कम्पनी या प्राइवेट कम्पनी अपने निदेशक बोर्ड के गठन में कोई परिवर्तन करती है; या {(जज) पंजीयन आवेदन पत्र में घोषित बैंक खाते या खातों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य बैंक खाते या खातों के माध्यम से कारोबारी संव्यवहार प्रारम्भ किया जाता है या बैंक खाता बंद किया जाता है; या}। (झ) धारा 15 या धारा 16 के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के लिए दिये गये आवेदन में दी गयी विशिष्टियों में कोई परिवर्तन करता है तो उपरोक्त घटनाओं में से किसी के भी घटित होने के 30 दिन के भीतर कर निर्धारक प्राधिकारी को ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित किया जाय, सूचित करेगा। (12) जहाँ किसी ब्यौहारी का पंजीयन हेतु दिया गया आवेदन इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अस्वीकार कर दिया जाता है और पंजीयन हेतु आवेदन पर विनिश्चय लम्बित रहते हुए, ब्यौहारी ने क्रेताओं से कर वसूल किया है तो वह वसूल किये गये कर को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राजकीय कोच में जमा करने के लिए दायी होगा और
--	--	--

		क्रेता इनपुट टैक्स के लाभ का हकदार होगा, मानो कि ब्यौहारी इस प्रयोजन हेतु, पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से आरम्भ होने और इस प्रकार के अस्वीकृत आदेश की ब्यौहारी पर तामीली की तारीख तक की अवधि में एक पंजीकृत ब्यौहारी था।
--	--	--

 1- उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2016 की धारा 2 द्वारा
 अंतःस्थापित।

पंजीयन का निरस्तीकरण	18.	(1) किसी ब्यौहारी का धारा 15 या धारा 16 के अधीन स्वीकृत पंजीयन का प्रमाण-पत्र कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा ब्यौहारी के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से निरस्त किया जा सकता है, यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि:- (क) कोई कारबार, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन किसी ब्यौहारी को पंजीयन प्रमाण-पत्र दिया गया है, बन्द कर दिया गया है; (ख) किसी ब्यौहारी द्वारा कारबार के अन्तरण के मामले में जहाँ अंतरिती के पास इस अधिनियम के अधीन पहले से पंजीयन है; (ग) कोई निगमित निकाय बन्द कर दिया जाता है या वह अन्यथा अस्तित्वहीन हो जाता है;
		कारबार चलाने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं रह जाता है;

		(ड) किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम के मामले में यदि उसका विघटन हो जाता है; (च) कोई ब्यौहारी, इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के लिए दायित्वाधीन नहीं रह गया है या पंजीकरण के अधीन नहीं रह गया है; (छ) कोई ब्यौहारी, इस अधिनियम के अधीन देय कोई कर (कोई अर्थदण्ड या ब्याज सहित) देय तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर भुगतान करने में असफल रहा है; (ज) कोई ब्यौहारी, माल के विक्रय के सन्दर्भ में किसी व्यक्ति को विक्रय बीजक जारी करके, ऐसे बीजक को जानबूझ कर अपनी लेखा पुस्तकों में लेखांकन करने में असफल रहा है; (झ) कोई ब्यौहारी, किसी घोषणा-पत्र, जिसको वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि वह झूठा है, को रखता है या स्वीकार करता है या प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत करवाता है; (ञ) कोई ब्यौहारी, जिससे धारा 20 के उपबन्धों के अधीन प्रतिभूति दिया जाना अपेक्षित है लेकिन ऐसी प्रतिभूति देने में असफल रहा है; (ट) कोई ब्यौहारी, जिसको पंजीयन प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था, ने इसका दुरुपयोग किया है; (ठ) कोई ब्यौहारी, जिसको पंजीयन प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था, ने अपने नाम से किसी अन्य व्यक्ति को कारबर को जारी रखने की अनुमति दी है; (ड) किसी ब्यौहारी द्वारा प्राप्त किये इस अधिनियम के अधीन विहित कोई घोषणा का प्रपत्र या प्रमाण-पत्र को किसी अन्य व्यक्ति या ब्यौहारी को विधिपूर्ण प्रयोजन के सिवाय अंतरण किया गया है; (ढ) कोई ब्यौहारी भूल से पंजीकृत किया गया है; या (ण) कोई ऐसा अन्य कारण है, जिसके लिए कर निर्धारक प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही करना अपेक्षित है तो कर निर्धारक प्राधिकारी उन कारणों को अभिलिखित करके और ब्यौहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् किसी भी समय किसी
--	--	--

		(2) ऊपर उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, कर निर्धारक प्राधिकारी, कमिश्नर या इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति से, ऐसे ब्यौहारी, जिसने पंजीयन निरस्त किये जाने के लिए आवेदन नहीं किया है, का पंजीयन निरस्त कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति धारा 15 या धारा 16 के अधीन पंजीयन या स्वैच्छिक पंजीयन का हकदार नहीं है। (3) कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त नहीं किया जायेगा और पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त करने हेतु ब्यौहारी का आवेदन ब्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना निरस्त नहीं किया जायेगा। (4) पंजीयन निरस्तीकरण कर निर्धारक प्राधिकारी के निरस्तीकरण के आदेश की तारीख से प्रभावी होगा, जब तक कि वह कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा आदेशित किसी अन्य तारीख से प्रभावी न हो।
		(5) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका पंजीयन इस धारा के अधीन निरस्त होता है, निरस्तीकरण की तारीख को स्टॉक के रूप में या पूँजीगत माल के रूप में धारित प्रत्येक कराधेय माल के सम्बन्ध में :— (क) उस माल के सम्बन्ध में देय कर यदि माल की बिक्री उस तारीख में उचित बाजार कीमत पर की गई होती; या (ख) ऐसे माल के सम्बन्ध में पूर्व में दावाकृत कुल इनपुट टैक्स का लाभ, जो भी अधिक हो, के समतुल्य धनराशि का भुगतान करेगा।

		(6) यदि इस धारा के अधीन पारित निरस्तीकरण का कोई आदेश, अपील या इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाही के परिणाम स्वरूप समाप्त कर दिया जाता है तो ब्यौहारी का पंजीयन का प्रमाण-पत्र, धारा 15 व धारा 16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बहाल कर दिया जायेगा और वह कर का भुगतान करने के लिए उस प्रकार दायी होगा मानो कि उसका पंजीयन का प्रमाण-पत्र कभी भी निरस्त नहीं किया गया था : परन्तु यह कि यदि ब्यौहारी ने अपनी अपील के निस्तारण या इस प्रकार की अन्य कार्यवाही के लम्बित करते हुए क्रेताओं से कोई कर वसूल किया है तो वह वसूल किये गये कर को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राजकीय कोष में जमा करने के लिए दायी होगा। (7) प्रत्येक ब्यौहारी, जो अपने पंजीयन को निरस्त किये जाने के लिए आवेदन करता है, अपने आवेदन के साथ उसको दिये गये पंजीयन का प्रमाण-पत्र अभ्यर्पित करेगा और प्रत्येक ब्यौहारी, जिसका पंजीयन, उसके आवेदन के अन्यथा, निरस्त किया जाता है, वह अपना पंजीयन का प्रमाण-पत्र निरस्तीकरण के आदेश की संसूचना की तारीख के 15 दिन के भीतर अभ्यर्पित करेगा : परन्तु यह कि ऐसा ब्यौहारी पंजीयन प्रमाण-पत्र के निरस्तीकरण के आवेदन के साथ या जैसी भी दशा हो, निरस्तीकरण आदेश की संसूचना की तारीख के 15 दिन के अन्दर, इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 के अधीन प्राप्त और उपयोग किये गये समस्त घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र का विवरण, यदि पूर्व में पहले ही जमा न किया गया है, प्रस्तुत करेगा और बिना उपयोग किये गये घोषणा-पत्र और प्रमाण-पत्र के अवशेष प्रपत्र अभ्यर्पित करेगा। (8) किसी व्यक्ति द्वारा जबकि वह एक पंजीकृत व्यक्ति है, किसी बात के करने अथवा करने से चूक जाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन उसकी बाध्यताएं और दायित्व (धारा 23 द्वारा अपेक्षित कर के भुगतान और विवरणी दाखिल करने सहित) पंजीयन प्रमाण-पत्र के निरस्त हो जाने से प्रभावित नहीं होंगे : परन्तु यह कि ब्यौहारी के आवेदन पर अथवा अन्यथा पंजीयन के निरस्तीकरण के
पंजीयन प्रमाण-पत्र का संशोधन	19.	(1) कर निर्धारक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत अथवा अन्यथा प्राप्त किसी सूचना पर विचार करके और ऐसी पृष्ठताछ, जिसे वह उचित समझे, करके, किसी पंजीयन प्रमाण-पत्र को, समय-समय पर, संशोधित कर सकता है और पंजीयन प्रमाण-पत्र का ऐसा संशोधन निम्न प्रकार प्रभावी होगा :- (क) नाम, स्वामित्व या कारबार के स्थान में परिवर्तन या एक नया कारबार का स्थान खोलने के मामले में, घटना, जिसके कारण संशोधन किये जाने के लिए आवश्यकता हुई हो, की तारीख से, चाहे उस निमित्त सूचना धारा 17 की उपधारा (11) में विहित समय के भीतर दी गई हो अथवा नहीं; (ख) पंजीयन प्रमाण-पत्र में किसी माल के वर्णन में कोई परिवर्धन या परिवर्तन के मामलों में घटना, जिसके कारण संशोधन किये जाने की आवश्यकता हुई है, की तारीख से, यदि उस निमित्त सूचना धारा 17 की उपधारा (11) में विहित समय के भीतर दी गई है और प्राधिकारी द्वारा प्राप्त होने की तारीख से : (ग) किसी माल या माल के वर्ग को हटाने की दशा में, हटाने के आदेश की तारीख से; परन्तु यह कि जहाँ किसी कारबार के स्वामित्व में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी ब्यौहारी द्वारा कर के भुगतान करने का दायित्व समाप्त हो जाता है, पंजीयन प्रमाण-पत्र का संशोधन उस तारीख, जिसको धारा 17 की उपधारा (11) के अन्तर्गत ऐसे परिवर्तन की सूचना दी गयी है, से प्रभावी होगा :

		परन्तु यह और कि कर निर्धारक प्राधिकारी, किसी पंजीयन के आवेदन को स्वप्रेरणा से संशोधन करने से पूर्व ऐसे संशोधन से प्रभावित होने वाले ब्यौहारी को सुनवाई का अवसर देगा। (2) जहाँ कोई पंजीकृत ब्यौहारी :- (क) अपने कारबार के नाम में परिवर्तन करता है; (ख) एक फर्म है और फर्म के गठन में, उसको विघटन किये बिना, परिवर्तन होता है; (ग) एक न्यास है और इसके न्यासियों में कोई परिवर्तन होता है; (घ) किसी प्रतिपाल्य का संरक्षक है और संरक्षता में कोई परिवर्तन होता है; या (ङ) एक "संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब" है और ऐसे कुटुम्ब का कारबार एक भागीदारी कारबार, जिसमें सभी या कोई सहदायिक इसके भागीदार हों, में परिवर्तित हो जाता है तब उपरोक्त परिस्थिति के किसी कारण मात्र से, ऐसे ब्यौहारी या ऐसी फर्म के लिए नये पंजीयन प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करना आवश्यक नहीं होगा और इस धारा के अधीन अपेक्षित रीति से सूचना प्रेषित किये जाने पर, पंजीयन प्रमाण-पत्र संशोधित कर दिया जायेगा। (3) इस धारा के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र का कोई संशोधन इस अधिनियम के अधीन किसी कर के दायित्व या किसी अपराध के लिए अधिरोपणीय अर्थदण्ड के उसके किसी दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, होगा।
राजस्व के हित में प्रतिभूति	20.	(1) कर निर्धारक प्राधिकारी का :- (क) इस अधिनियम के अधीन देय या भुगतान योग्य किसी कर, अर्थदण्ड या अन्य धनराशि की समुचित वसूली के लिए; (ख) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन विहित प्रपत्रों की समुचित अभिरक्षा या प्रयोग के लिए; या
		(ग) पंजीयन प्रमाण-पत्र स्वीकृत या जैसी भी स्थिति हो, उसको प्रभावी बने रहने के लिए एक शर्त के रूप में, जहाँ ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, वहाँ वह लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से जो उसमें अभिलिखित किये जायेंगे, पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वीकृति या जैसी भी स्थिति हो, किसी समय जब ऐसा प्रमाण-पत्र प्रवृत्त हो, निर्देश दे सकता है कि ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति विहित रीति से और विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसी प्रतिभूति या यदि ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति ने ऐसी प्रतिभूति पहले ही दे दी है तो किसी प्रकार की ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति देगा, जैसी उपर्युक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट की जाय। (2) कर निर्धारक प्राधिकारी एक लिखित आदेश द्वारा और उन समुचित कारणों से, जो उसमें अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति (एक पंजीकृत ब्यौहारी के अन्यथा) जो उत्तराखण्ड राज्य के भीतर माल की कोई खेप आयात करता है, से यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई कर अपवंचन नहीं हो, व्यक्तिगत प्रतिभूति की माँग कर सकता है।
		कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो। (4) ऐसी प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति, जिसकी किसी ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति से देने की अपेक्षा की जायेगी, की धनराशि :- (क) ऐसे ब्यौहारी, जो धारा 3 के उपबन्धों के अधीन कर का भुगतान करने का दायी है, जिसने धारा 15 या धारा 16 के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिए आवेदन किया है, के मामले में वह धनराशि होगी, जो इस अधिनियम के अधीन ब्यौहारी कर के भुगतान के लिए दायी है या हो जायेगा, जिसको कर निर्धारक प्राधिकारी, ऐसे ब्यौहारी के कारबार की प्रकृति व आकार पर विचार करते हुए अवधारित करेगा;

		(ख) किसी अन्य मामले में ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति के उस कर निर्धारण वर्ष, जिसमें प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई है, के लिए आवर्त पर कर निर्धारक प्राधिकारी के प्राक्कलन के अनुसार देये कर से अधिक नहीं होगा। (5) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित माल के सम्बन्ध में कमिश्नर एक लिखित सामान्य आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि किसी ऐसे ब्यौहारी या व्यक्ति से, जिसे इस अधिनियम के अधीन विहित किसी प्रपत्र की अपेक्षा हो, उतनी धनराशि की नकद प्रतिभूति, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा की जायेगी। (6) यदि प्रतिभूति-पत्र एक पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा निष्पादित किया गया है और ऐसे पंजीकृत ब्यौहारी का पंजीयन प्रमाण-पत्र या तो निरस्त कर दिया गया है या उनके द्वारा अपना कारबार बन्द कर दिया गया है तो ब्यौहारी ऐसी नई प्रतिभूति देगा, जैसा कि निदेशित किया जाय या ऐसी रीति से जैसी कि उपधारा (7) में उल्लिखित है। (7) यदि किसी ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन दी गयी प्रतिभूति बन्ध-पत्र के रूप में हो और किसी प्रतिभू की मृत्यु हो जाय या वह दिवालिया हो जाय तो ब्यौहारी या सम्बद्ध व्यक्ति उपर्युक्त किसी घटना के होने के 30 दिन के भीतर उसकी सूचना कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा और ऐसी घटना होने के 60 दिन के भीतर बन्ध-पत्र की धनराशि के लिए नया बन्ध-पत्र देगा अथवा विहित रीति से कर निर्धारक प्राधिकारी के संतोषानुसार बन्ध-पत्र की धनराशि की अन्य प्रतिभूति देगा।
--	--	--

		(8) कर निर्धारक प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा इसमें समुचित कारणों को अभिलिखित करके, किसी ब्यौहारी या किसी सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दी गयी प्रतिभूति, जिसमें अतिरिक्त प्रतिभूति भी सम्मिलित है, सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग को— (क) कर या किसी अन्य देय धनराशि की वसूली; (ख) जैसा कि ऊपर उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है, प्रपत्रों का उचित उपयोग न करने या कोरे या उपयोग में न लाये गये प्रपत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा में उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण राज्य सरकार को हुई किसी आर्थिक हानि की वसूली; या (ग) विक्रय के झूठे बीजकों के जारी करने के फलस्वरूप हुई राजस्व की हानि की वसूली, हेतु जब्त कर सकता है : परन्तु यह कि ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा। (9) कर निर्धारक प्राधिकारी, किसी ऐसे ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति को :—
		(ख) पहले से जारी किया गया ऐसा प्रमाण-पत्र निलम्बित कर सकता है; या (ग) जैसा कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किया गया है, किसी भी प्रपत्र को जारी करने से इनकार कर सकता है, जब तक कि ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति प्रतिभूति या जैसी भी दशा हो, अतिरिक्त प्रतिभूति देने सम्बन्धी आदेश का अनुपालन नहीं करता है : परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश सम्बन्धित ब्यौहारी या व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा। (10) जहाँ किसी ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दी गई प्रतिभूति पूर्णतः या भागतः जब्त कर ली जाती है या अपर्याप्त है, वहाँ अपेक्षित रकम की, यथा स्थिति, नई या अतिरिक्त प्रतिभूति देकर कमी की पूर्ति ऐसी रीति के अनुसार और ऐसी अवधि के भीतर, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है, करेगा। (11) किसी ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति, जिसने अपेक्षानुसार प्रतिभूति दी है, के आवेदन देने पर, कर निर्धारक प्राधिकारी प्रतिभूति की कोई धनराशि या इसके भाग को विहित रीति द्वारा वापस कर सकता है यदि ऐसी प्रतिभूति उस आवेदन के लिए निम्नलिखित में दी गई थी

		[(12) किसी ऐसे ब्यौहारी से, जो धारा 4 के अधीन कर से छूट प्राप्त माल का कारबार करता है और इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन विहित किन्हीं प्रपत्रों का उपयोग न करता हो, इस धारा के अधीन प्रतिभूति देने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।] (13) इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 51 के अधीन ऐसी रीति के अनुसार और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाय, अपील की जा सकती है। (14) कोई ब्यौहारी या व्यथित व्यक्ति, जो अपील प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध हो, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित की जाय, धारा 53 के अधीन अपील दाखिल कर सकता है। (15) इस धारा के उपबन्ध ऐसी प्रतिभूति के सम्बन्ध में, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश द्वारा देने की अपेक्षा की गयी है, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।
--	--	---

 1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 05 वर्ष 2008 की धारा 6 द्वारा
 प्रतिस्थापित।

पंजीयन संख्या को उदघृत करना	21.	(1) प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी विक्रय या क्रय से सम्बन्धित प्रत्येक बिक्री बीजक, चालान और ऐसे किसी दस्तावेज पर अपनी पंजीयन संख्या और उसके प्रभावी होने की तारीख छपवायेगा। (2) प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी, यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई प्राधिकारी माँग कर सकता है तो वह अपना पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। (3) प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी, यदि किसी माल का केता ऐसी अपेक्षा करता है तो वह अपना पंजीयन प्रमाण-पत्र दिखायेगा। (4) प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी किसी माल का क्रय करते समय अपना नाम, पता, पंजीयन संख्या विक्रेता ब्यौहारी को देगा, जो इनको ऐसे विक्रय या क्रय से सम्बन्धित बिक्री बीजक या चालान या ऐसे किसी दस्तावेज में उसका उल्लेख करेगा। (5) प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी अपने कारबार के प्रत्येक स्थान पर सूचना पट पर अपना नाम, पंजीयन संख्या और इसके प्रभावी होने की तारीख इस प्रकार पेण्ट करायेगा कि वह सड़क से आसानी से पढ़ने योग्य हो।
ब्यौहारी द्वारा कर की	22.	(1) यदि इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत ब्यौहारी (जिसमें कमीशन अभिकर्ता या धारा 2 की

वसूली		उपधारा (11) के खण्ड (ग) में उल्लिखित कोई व्यक्ति भी है) द्वारा माल के विक्रय के किसी आवर्त पर कर देय है तो ऐसा ब्यौहारी उस व्यक्ति से, जिसे उसने चाहे अपनी ओर से या अपने कर्ता की ओर से माल बेचा हो, माल के विक्रय पर देय कर की धनराशि के बारबर धनराशि वसूल कर सकता है; परन्तु यह कि कोई ब्यौहारी किसी व्यक्ति, जिसको माल विक्रय किया गया है, से कर के रूप में कोई धनराशि या उसके बदले में कोई धनराशि, उसे कोई भिन्न नाम या छद्म नाम देकर, वसूल नहीं करेगा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसके द्वारा देय नहीं है या देय धनराशि से अधिक है; परन्तु यह और कि ऐसा कोई ब्यौहारी, जो धारा 7 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन प्रकल्पित कर का भुगतान करने का करार करता है या जिससे कर निर्धारक प्राधिकारी उसके द्वारा देय कर की धनराशि के बदले धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन समाधान धनराशि स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाता है तो वह किसी व्यक्ति से माल के विक्रय पर कर के रूप में कोई धनराशि या उसके बदले में कोई धनराशि, उसे कोई भिन्न नाम या छद्म नाम देकर, वसूल नहीं करेगा। (2) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत ब्यौहारी नहीं है, अपने द्वारा या अपने माध्यम से किये गये किसी माल के विक्रय और क्रय के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से कोई धनराशि न माल के विक्रय या क्रय पर इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में और न माल के विक्रय या क्रय पर कर के बदले में उस धनराशि को कोई भिन्न नाम या छद्म नाम देकर वसूल करेगा। (3) इस अधिनियम के अधीन कोई पंजीकृत ब्यौहारी अपने द्वारा या अपने माध्यम से किये गये माल के विक्रय या क्रय के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति, जिसे उसके द्वारा माल का विक्रय किया गया है, के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से न माल के विक्रय या क्रय पर कर के रूप में और न माल के विक्रय या क्रय पर कर के बदले में उस धनराशि को कोई भिन्न नाम या छद्म नाम देकर वसूल करेगा और वह कर या कर के बदले में कोई धनराशि, जो उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय नहीं है, वसूल नहीं करेगा। (4) यदि कोई पंजीकृत ब्यौहारी माल के विक्रय पर क्रेता से कर वसूल करता है तो बिक्री बीजक विक्रय किये गये माल की कीमत और वसूल किये गये कर की धनराशि को
		(5) यदि कोई ब्यौहारी, जो किसी माल के विक्रय पर कर भुगतान का दायी है, ऐसे माल के क्रेता से अलग से कर प्रभारित नहीं करता है या कर की धनराशि प्रभारित करने के पश्चात् ऐसी धनराशि को बिक्री बीजक में अलग से नहीं दर्शाता है तो विक्रेता ब्यौहारी माल की पूरी कीमत पर भुगतान का दायी होगा। (7) यदि कोई ब्यौहारी, किसी ऐसे पंजीकृत ब्यौहारी से, जो ऊपर उपधारा (4) के उपबन्धों का अनुपालन नहीं करता है, कोई माल क्रय करता है तो वह ऐसे क्रय के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स लाभ का हकदार नहीं होगा। (8) यदि किसी ब्यौहारी, जिससे इस अधिनियम की धारा 23 के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना अपेक्षित है, द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की धनराशि से अधिक धनराशि गलत तरीके से वसूल की गयी है, तो वह अतिरिक्त धनराशि, सुसंगत विवरण सहित, तदसम्बन्धित कर अवधि के लिए अपने विक्रय धन से सम्बन्धित विवरणी के साथ विहित रीति से जमा करेगा। (9) यदि किसी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत ब्यौहारी नहीं है, द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की धनराशि से अधिक धनराशि गलत तरीके से वसूल की गयी है तो वह अतिरिक्त धनराशि, सुसंगत विवरण सहित, अगले उत्तरवर्ती माह की समाप्ति से पूर्व विहित रीति से जमा करेगा।
		अध्याय चार विवरणी, कर निर्धारण, भुगतान और वसूली

सावधिक विवरणी और कर का भुगतान	23.	(1) प्रत्येक ब्यौहारी, जो इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान का दायी है, ऐसे अंतरालों पर, ऐसी कालवधि के भीतर और ऐसे प्रारूप में अपने विक्रय-धन एवं कय-धन की विवरणी प्रस्तुत करेगा और उन्हें ऐसे ढंग से प्रमाणित करेगा, जो विहित किया जाय। (2) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी या प्रत्येक ब्यौहारी, जो धारा 15 के अधीन अपने को पंजीकृत कराने के लिए दायी है, अपने विक्रय-धन की विवरणी ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति से, जो विनिर्दिष्ट की जाय, दाखिल करेगा। [(3) कर भुगतान के लिए दायी प्रत्येक ब्यौहारी या व्यक्ति अपनी विवरणी के साथ पंजीकृत ब्यौहारियों से किये गये माल के कय, जिसके सम्बन्ध में इनपुट टैक्स के लाभ का दावा किया जा रहा है, की सूची तथा पंजीकृत ब्यौहारियों को दी गई बिक्री दर्शाते हुए एक सूची विहित रीति तथा ऐसे विवरणों के साथ दाखिल करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जाय।]¹ (4) संकर्म संविदा के अनुसरण में माल में सम्पत्ति के अन्तरण या किसी माल के किसी भी प्रयोजनार्थ उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के सम्बन्ध में किसी ठेकेदार या उपठेकेदार को कोई भुगतान करने वाला और स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक ब्यौहारी ऐसे भुगतान की विवरणी उनके पूरे नाम, पते और कर-अवधि में भुगतान की गई धनराशि और की गई कटौती सहित, ऐसे समय में और ऐसी रीति के अनुसार, जैसी कि विहित की जाय, दाखिल करेगा। (5) उपरोक्त उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, कमिश्नर ऐसे किसी ब्यौहारी या ब्यौहारियों के वर्ग को, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन करने का, जैसे कि विहित की जाय, ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की सूचना दे सकता है।
-------------------------------	-----	--

1—उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 05 वर्ष 2008 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

		(क) विभिन्न अवधियों के लिए विवरणी दाखिल करने; या (ख) उत्तराखण्ड राज्य के भीतर ब्यौहारी के सभी या किन्हीं कारबार स्थानों के सम्बन्ध में सम्मिलित विवरणी ऐसी अवधि के लिए या ऐसी विभिन्न अवधियों के लिए और ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जिन्हें वह उचित समझे, दाखिल करने, की अनुमति दे सकता है। {(6) प्रत्येक ब्यौहारी जिससे इस अधिनियम के अधीन विवरणी दाखिल करने की अपेक्षा की गयी है, अपनी विवरणी के अनुसार देय कर तथा विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, को भी या प्रस्तुत की गयी संशोधित विवरणी के अनुसार देय भिन्नक कर की धनराशि का भुगतान, ऐसी किसी धनराशि, जो इस अधिनियम के अधीन देय कर की धनराशि से अधिक वसूल की गई और साथ ही, धारा 35 के उपबन्धों के अधीन स्रोत पर काटी गयी धनराशि, यदि कोई हो, ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाय, जमा करेंगे और विवरणी या जैसी भी स्थिति हो, संशोधित विवरणी के साथ ऐसी धनराशि के पूरे भुगतान को दर्शाती रसीद भी प्रस्तुत करेंगे।¹ (7) कर निर्धारक प्राधिकारी अपने विवेकानुसार उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा विवरणी दाखिल करने की तारीख बढ़ा सकता है : {परन्तु यह कि प्रत्येक ब्यौहारी, जिससे धारा 23 की उपधारा (1) के द्वारा विवरणी दाखिल किया जाना अपेक्षित है, विवरणी दाखिल करने में देरी के लिये प्रत्येक माह अथवा उसके भाग के लिये रु0 2000/-से अनधिक उतना विलम्ब शुल्क, जितना विहित किया जाय, का भुगतान करने के लिये दायी होगा तथा ऐसी विवरणी दाखिल करने से पूर्व उसके अनुसार देय कर की सम्पूर्ण धनराशि, ब्याज एवं विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान, ऐसी रीति, जैसी विहित की जाय, से करेगा}² (8) यदि उपधारा (7) के अधीन विवरणी दाखिल करने की तारीख बढ़ा दिये जाने के परिणाम स्वरूप, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कर जमा करना आस्थगित हो जाता है तो विवरणी दाखिल करने के लिए विहित अन्तिम तारीख के ठीक पश्चात्पूर्वी तारीख से ऐसी धनराशि को जमा करने की तारीख तक ऐसे जमा पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा। (9) यदि किसी ब्यौहारी को अपने द्वारा प्रस्तुत विवरणी में कोई लोप या अन्य त्रुटि मालूम हो तो वह अगली विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विहित समय के पूर्व किसी भी समय, पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है। यदि पुनरीक्षित विवरणी में देय कर की धनराशि मूल विवरणी में प्रदर्शित देयकर की धनराशि से अधिक दिखाई गई है तो ब्यौहारी देय कर के अन्तर की धनराशि और देय ब्याज को भी अलग से जमा करेगा और यदि मूल विवरणी प्रस्तुत करने का समय ब्यौहारी के आवेदन पर पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख तब बढ़ा दिया गया हो और पुनरीक्षित देय कर से अधिक धनराशि को अनुवर्ती अवधियों के लिए देय कर के प्रति समायोजित कर सकता है। (10) यदि किसी ब्यौहारी द्वारा विक्रय या क़य किया गया माल विक्रय या क़य की तारीख से 6 माह के भीतर लौटा दिया जाता है और ऐसे विक्रय या क़य से सम्बन्धित वर्ष का कर निर्धारण अभी किया जाना बाकी है तो उस माह, जिसमें ऐसा माल लौटाया जाय, की समाप्ति के 30 दिन के भीतर केवल उसी प्रयोजनार्थ उस अवधि, जिसमें ऐसा विक्रय या क़य किया गया था, के लिए एक पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है।
--	--	--

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2010 की धारा 4(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 4 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।

		(11) कोई पंजीकृत ब्यौहारी, जो कारबार जारी रखना बन्द कर देता है, बन्द होने की तारीख के 60 दिन के भीतर एक अन्तिम कर विवरणी दाखिल करेगा। उससे इस धारा के अधीन विवरणी दाखिल करने के सम्बन्ध में लागू होने वाले अन्य उपबन्धों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होगा। (12) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ब्यौहारी का विक्रय आवर्त या कय आवर्त धारा 3 की उपधारा (7) में यथाविनिर्दिष्ट कराधेय सीमा से बढ़ना सम्भावित है या बढ़ गया है तो वह विहित रीति से तामील की गई नोटिस द्वारा ऐसे ब्यौहारी द्वारा विवरणी दाखिल करने की अपेक्षा कर सकता है, मानो कि वह कर का भुगतान करने के लिए दायी एक ब्यौहारी है लेकिन उसके द्वारा कर तभी देय होगा, जब इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कर देय होगा। (13) प्रत्येक ब्यौहारी, जो इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने का दायी है और जिसमें वह ब्यौहारी भी सम्मिलित है, जिसने किसी कर निर्धारण वर्ष में आंशिक अवधि में कारबार किया है, कर अवधियों के लिए दाखिल की गई विवरणी के अतिरिक्त, कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष कर निर्धारण वर्ष के लिए वह कय एवं विक्रय आवर्त की एक वार्षिक विवरणी विहित प्रारूप में, विहित रीति से और विहित अवधि के भीतर, ऐसे विवरण और दस्तावेजों सहित, जो विहित किये जायें, दाखिल करेगा। (14) किसी व्यक्ति, जो नियमों के अधीन प्राधिकृत नहीं हो, द्वारा हस्ताक्षरित कोई विवरणी, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु इस प्रकार समझी जायेगी, मानो कि कोई विवरणी दाखिल नहीं
अनन्तिम कर निर्धारण	24.	(1) किसी ब्यौहारी द्वारा किसी भी कर-अवधि के लिए दाखिल की गई किसी विवरणी में संगणना की शुद्धता, कर और ब्याज की सही दर के लगाने और इनपुट टैक्स पर दावाकृत लाभ और इस अवधि में ब्यौहारी द्वारा देय कर व ब्याज के सम्पूर्ण भुगतान के सम्यापन हेतु कर निर्धारक प्राधिकारी किसी भी विवरणी की जाँच कर सकता है। (2) ऊपर उपधारा (1) के उपबन्ध के अनुसार की गई ऐसी जाँच के परिणाम स्वरूप यदि कोई त्रुटि पता लगती है तो कर निर्धारक प्राधिकारी धारा 58 में दी गई किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ब्यौहारी को कर की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देय ब्याज सहित जमा करने के लिए एक नोटिस विहित रीति से तामील करेगा। (3) यदि किसी पंजीकृत ब्यौहारी या किसी ब्यौहारी, जो कर भुगतान करने के लिए दायी है या किसी ब्यौहारी, जिसको धारा 23 की उपधारा (12) के अधीन करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा नोटिस दिया गया है और किसी कर निर्धारण वर्ष में किसी कर अवधि के सम्बन्ध में :- (क) विहित या करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर विवरणी दाखिल नहीं की गई है; (ख) विवरणी प्रस्तुत तो की गई है लेकिन विहित प्रारूप में नहीं है; (ग) प्रस्तुत की गई विवरणी कर निर्धारक प्राधिकारी की राय में अशुद्ध या अपूर्ण हो या उसमें गलत विशिष्टियाँ दी गई हैं; (घ) विहित रीति से कर का भुगतान किये बिना विवरणी प्रस्तुत की गई है; या (ङ) धारा 23 की उपधारा (11) के अधीन अपेक्षित विवरणी विहित समय में दाखिल नहीं की गई है तो कर निर्धारक प्राधिकारी, ऐसी पूछताछ करके, जिन्हें वह आवश्यक समझे, विक्रय आवर्त या कय आवर्त या दोनों जैसी भी दशा हो अनन्तिम रूप से अवधारित करेगा

		(4) यदि किसी एक या अधिक, जैसी भी स्थिति हो, कर अवधि के सम्बन्ध में :— (क) विवरणी में प्रदर्शित किया गया देय कर, कर निर्धारक प्राधिकारी को गलत प्रतीत होता है; (ख) विवरणी के साथ जमा किया गया कर इस अधिनियम के अधीन या विवरणी में प्रदर्शित की गई देय धनराशि से कम है; (ग) विवरण-पत्र में दावाकृत इनपुट टैक्स का लाभ धारा 23 की उपधारा (3) के अनुसार अपेक्षित सूचना से समर्थित नहीं है तो कर निर्धारक प्राधिकारी विवरणी में प्रदर्शित विक्रय आवर्त अथवा क्रय आवर्त या दोनों, जैसी भी दशा हो, पर अधिनियम के अधीन विहित दरों से कर अनन्तिम रूप से निर्धारित करेगा। (5) इस धारा के अधीन अनन्तिम करनिर्धारण पिछली विवरण या पिछले अभिलेख या कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया जायेगा और कर निर्धारक प्राधिकारी निर्धारित कर की धनराशि को, ऐसी रीति से और उसी तारीख तक, जैसा कि विहित की जाय, जमा करने के लिए निर्देशित करेगा। (6) इस धारा के अन्तर्विष्ट कोई बात कर निर्धारक प्राधिकारी को धारा 25 या धारा 26 के अधीन पूरे वर्ष के लिए अन्तिम कर निर्धारण करने से नहीं रोकेगी और अनन्तिम कर निर्धारण के विरुद्ध जमा किया गया कोई कर उपरोक्त निर्दिष्ट धाराओं के अधीन अन्तिम कर निर्धारण पर देय कर, ब्याज और अर्थदण्ड के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा। (7) किसी ब्यौहारी के विरुद्ध अनन्तिम कर निर्धारण उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।
1.पंजीकृत ब्यौहारी का कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण	25.	(1) ब्यौहारी के कराधेय आवर्त, ऐसे आवर्त पर देय कर की धनराशि तथा इनपुट टैक्स के लाभ की अनुमन्य धनराशि का प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिये, अथवा जहाँ ब्यौहारी ने अपना कारबार कर निर्धारण वर्ष के किसी भाग के लिये चलाया है, तो कर निर्धारण वर्ष के ऐसे भाग के लिये, जिसमें ब्यौहारी ने कारबार चलाया है, कर निर्धारण किया जायेगा। (2) प्रत्येक ब्यौहारी सावधिक विवरणियों के अतिरिक्त कर निर्धारण वर्ष के लिये सभी तात्विक विशिष्टियों से पूर्ण विहित प्ररूप एवं रीति, जिसमें इलैक्ट्रॉनिक विधि सम्मिलित है, में विहित समय के भीतर अपने आवर्त की एक वार्षिक विवरणी तथा उसके द्वारा देय कर, ऐसी सूचनाओं, विशिष्टियों तथा उपाबन्धों सहित, जैसा कि विहित किया जाय, समर्थक दस्तावेजों, जिसमें निम्न सम्मिलित है, सहित, दाखिल करेगा— (क) क्रय आवर्त, विक्रय आवर्त और अन्य संव्यवहारों की विशिष्टियाँ और प्रारम्भिक व अन्तिम स्टॉक की कीमत; (ख) ऐसी विवरणी के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ के दावे सहित उसके द्वारा देय कर की धनराशि के अन्तिम स्वनिर्धारण की संगणना; (ग) ऐसे घोषणा पत्र, प्रमाणपत्र और ऐसे अन्य साक्ष्य, जिन पर ब्यौहारी अपने अन्तिम स्वनिर्धारण में देय कर की धनराशि की संगणना में घोषित छूट, रियायत अथवा कर में रिबेट के दावों के समर्थन में निर्भर करता है; (घ) अपने अन्तिम स्वनिर्धारण की संगणना के आधार पर अतिरिक्त कर, ब्याज, समाधान धनराशि अथवा देय शुल्क के भुगतान का साक्ष्य; (ङ) स्रोत पर की गयी कर अथवा उसके भाग, यदि कोई हो, की दावाकृत कटौती का साक्ष्य;

1.उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 25 वर्ष 2010 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

		(च) यदि ऐसी विवरणी विहित समय के भीतर दाखिल नहीं की गयी है तो देय शुल्क, जैसा कि विहित किया जाय, के भुगतान का साक्ष्य;
--	--	---

		(छ) अधिनियम की धारा 62 के अधीन अपेक्षित ऑडिट रिपोर्ट की एक सत्य प्रति; और (ज) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, सूचना, दस्तावेज और विवरण, जैसा कि विहित की जायें। कोई वार्षिक विवरणी, वार्षिक विवरणी नहीं समझी जायेगी यदि वह सभी तात्विक विशिष्टियों से पूर्ण न हो, विहित प्रारूप तथा रीति में दाखिल न की गयी हो तथा जिसमें ऐसी सूचना, विशिष्टियाँ तथा उपबन्ध, जैसा कि विहित किया जाय, अन्तर्विष्ट न हो अथवा इस उपधारा की अपेक्षाओं का अनुपालन न किया गया हो। वह तारीख, जिसमें उपरोक्तानुसार अवधारित वार्षिक विवरणी दाखिल की गयी है, को उसके दाखिल करने की तारीख मानी जायेगी : परन्तु यह कि प्रत्येक ब्यौहारी, जिसके द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल किया जाना अपेक्षित है, प्रत्येक माह अथवा उसके भाग के लिये रु0 2000/- से अनधिक उतना विलम्ब शुल्क, जितना विहित किया जाय, का भुगतान करने के लिये दायी होगा तथा ऐसी विवरणी दाखिल करने से पूर्व उसके अनुसार देय कर की सम्पूर्ण धनराशि, ब्याज एवं विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान, ऐसी रीति, जैसी विहित की जाय, से करेगा। (3) स्वतः निर्धारित (डीमड) कर निर्धारण :- इस धारा की उपधारा (4) तथा उपधारा (9) के अधधीन संकर्म संविदाकारों, जिन्होंने धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन समाधान योजना को नहीं अपनाया है, को छोड़कर, प्रत्येक ब्यौहारी स्वयं के द्वारा धारा 25 की उपधारा (2) में निर्धारित वार्षिक विवरणी के आधार पर स्वतः कर निर्धारित मान लिया जायेगा, बशर्ते, यह विहित समय और यदि विलम्ब से दाखिल की गयी है किन्तु उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्ष की 30 जून के पश्चात् नहीं, विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, के साक्ष्य सहित ऐसी विवरणी दाखिल की गयी है। (4) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, जो ब्यौहारी उपधारा (3) के अधीन स्वतः कर निर्धारित समझे गये हैं, में से एक या एक से अधिक ब्यौहारी उपधारा (6) तथा उपधारा (7) के अधीन कर निर्धारण के लिये चयनित किये जा सकते हैं, ऐसे ब्यौहारियों का चयन जाँच के बाद किया जायेगा। जाँच के लिये ब्यौहारियों का चयन और उसके पश्चात् कर निर्धारण वर्ष के लिये चयन, ऐसी रीति, जैसी कि कमिश्नर द्वारा विहित की जाय, से किया जायेगा। (5) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजन हेतु- (क) ब्यौहारी द्वारा धारा 25 की उपधारा (2) अथवा धारा 23 की उपधारा (13) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी कर निर्धारण आदेश माना जायेगा तथा उसमें उल्लिखित तथ्य तथा आंकड़े ऐसे कर निर्धारण आदेश के भाग माने जायेंगे; और (ख) वार्षिक विवरणी दाखिल करने हेतु विहित अन्तिम तारीख, अथवा वास्तविक तारीख जिसमें ऐसी विवरणी विहित विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, के साथ दाखिल की गयी है, जो भी पश्चात्वर्ती हो, ऐसे कर निर्धारण आदेश की तारीख मानी जायेगी। (6) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए ऐसे ब्यौहारी, जिन्हें उपधारा (3) के अन्तर्गत स्वतः कर निर्धारित नहीं किया गया है अथवा जो उपधारा (4) के अधीन कर निर्धारण के लिये चुने गये हैं, का कर निर्धारण करने के लिये कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे ब्यौहारी पर एक नोटिस की तामीली करेगा, जिसमे उसमें विनिर्दिष्ट तारीख तथा स्थान पर उपस्थित होने तथा सावधिक विवरणियाँ एवं अपने आवर्त की वार्षिक विवरणी, यदि पूर्व में दाखिल नहीं की गयी है, विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान के साक्ष्य तथा त्वरेण पत्रों के एवं
		स्पष्टीकरण- इस उपधारा के अधीन सावधिक विवरणियों तथा वार्षिक विवरण दाखिल करने के लिये दिया गया अवसर कर निर्धारक प्राधिकारी को ऐसी विवरणियाँ विहित समय के भीतर दाखिल न करने के लिये कर निर्धारक प्राधिकारी को अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन अवधारित माना जायेगा अथवा विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, अधिगणित करने

		के लिये नहीं रोकेगा। (7) यदि ब्यौहारी उपधारा (6) के अधीन जारी नोटिस का अनुपालन करता है और कर निर्धारक प्राधिकारी सावधिक विवरणियों, वार्षिक विवरणी, लेखा पुस्तकें और दस्तावेजों की जाँच के बाद और कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत सभी साक्ष्यों अथवा कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा संग्रहित अथवा प्राप्त साक्ष्यों की जाँच पर विचारोपरान्त और ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे, करने के पश्चात् :- (क) सन्तुष्ट है कि ब्यौहारी द्वारा वार्षिक विवरणी में घोषित विक्रय तथा क्रय का आवर्त तथा दिखायी गयी देय कर की धनराशि सही है तो लिखित आदेश द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ब्यौहारी के कर का निर्धारण करेगा; और (ख) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी की ऐसी राय है कि ब्यौहारी द्वारा घोषित विक्रय अथवा क्रय आवर्त अथवा कर की देयता तथा उसके द्वारा भुगतान की गयी कर की धनराशि सही प्रतीत नहीं होती है तो वह उसके द्वारा घोषित विक्रय अथवा क्रय आवर्त अथवा कर की देयता अस्वीकार करने के लिये कारणों का उल्लेख करते हुए, कारण बताओ नोटिस द्वारा, उसको सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा और ब्यौहारी द्वारा दाखिल उत्तर पर विचारोपरान्त :- (एक) यदि उसका समाधान हो जाता है कि ब्यौहारी द्वारा वार्षिक विवरणी में घोषित आवर्त सही है तो वह अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार एक लिखित आदेश द्वारा ब्यौहारी का कर निर्धारण करेगा; (दो) यदि ब्यौहारी द्वारा दाखिल उत्तर से उसका समाधान नहीं होता है तो वह एक लिखित आदेश द्वारा अपने सर्वोत्तम विवेक से अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसके आवर्त तथा उस पर देय कर का अवधारण करेगा : परन्तु यह कि जहाँ उपधारा (6) के अधीन सावधिक विवरणियाँ तथा वार्षिक विवरणी विलम्ब शुल्क जमा करने के सबूत के साथ दाखिल करने के लिये तथा लेखा पुस्तकें तथा दस्तावेज एवं साक्ष्य जिन पर ब्यौहारी अपनी विवरणियाँ बिक्री बीजकों सहित, के समर्थन में अथवा ऐसे साक्ष्य, जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय को प्रस्तुत करने हेतु ब्यौहारी को अवसर दिया गया है किन्तु किसी कारणवश उसने ऐसे अवसर का उपभोग नहीं किया है और उसके कारण विवरणियों में दिखायी गयी विशिष्टियों की शुद्धता एवं औचित्य का परीक्षण नहीं कर पाया है तो अपने सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व ऐसे ब्यौहारी को, कारण बताओ नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं होगा : परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन धारा 32 में विहित समय सीमा के पश्चात् कोई कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किया जायेगा। (8) किसी कर अवधि के लिए धारा 24 के अधीन अनन्तिम कर निर्धारण आदेश करनिर्धारक प्राधिकारी को अन्तिम कर निर्धारण करने से नहीं रोकेगा और अनन्तिम कर निर्धारण आदेश इस धारा के अधीन पारित अन्तिम कर निर्धारण आदेश में विलीन हो जायेगा। (9) ¹टैक्स ऑडिट तथा टैक्स ऑडिट कर निर्धारण: (क) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए किसी ब्यौहारी, जो इस प्रयोजन
--	--	---

 1—उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2016 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

		परन्तु यह कि किसी कर निर्धारण वर्ष के टैक्स ऑडिट हेतु ऐसे किसी कर निर्धारण वर्ष के अन्त से पाँच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी ब्यौहारी का चयन नहीं किया जायेगा।} (ख) टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट विंग में तैनात किसी अधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा इस प्रयोजन हेतु अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।
--	--	---

		(ग) टैक्स ऑडिट के प्रयोजन हेतु किसी ब्यौहारी अथवा ब्यौहारियों का चयन ऐसी रीति, जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाय, से किया जायेगा। (घ) टैक्स ऑडिट ब्यौहारी के कार्यालय, कारबार परिसर अथवा भाण्डागार में किया जा सकता है। तथापि ऑडिट करने वाला अधिकारी, यदि आवश्यक समझे, ब्यौहारी को आदेशित कर सकता है कि इस उनके कार्यालय या किसी अन्य स्थान पर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय उपस्थित हों और लेखों पुस्तकों, दस्तावेजों को प्रस्तुत करें या प्रस्तुत करवायें। यदि इस उपधारा में तामील किये गये नोटिस के अनुपालन में ब्यौहारी, टैक्स ऑडिट के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय अथवा किसी अन्य स्थान, जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, पर उपस्थित नहीं होता है और यदि उपस्थित होता है किन्तु अपनी लेखा पुस्तकें या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है अथवा नहीं कराता है, तो टैक्स ऑडिट का प्रभारी अधिकारी नोटिस के प्रत्येक अनुपालन के लिये रु0 5000/- तक का अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकता है। ऐसा कोई अर्थदण्ड ब्यौहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। देयों की वसूली से सम्बन्धित उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली के लिये लागू होंगे। {(ङ) टैक्स ऑडिट करने वाले अधिकारी को इस अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त होगी तथा उन्हें लेखा पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों से उद्धरण अथवा प्रतिलिपियाँ लेने अथवा लिवाने, स्टॉक की फेहरिस्त, ऐसी सूचना अथवा विवरण, जो कि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में लाभदायक अथवा प्रासंगिक हो, को लेने की शक्ति प्राप्त होगी। ब्यौहारी ऑडिट के अनुक्रम के दौरान ऑडिट पार्टी को पूर्ण सहयोग और सहायता उपलब्ध करायेगा। यदि ब्यौहारी, टैक्स ऑडिट के प्रयोजन हेतु अपेक्षित लेखा पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों से उद्धरण लेने अथवा प्रतिलिपियाँ, स्टॉक की फेहरिस्त लेने और टैक्स ऑडिट के प्रयोजन हेतु अपेक्षित सूचना अथवा विवरण प्राप्त करने से रोकता है अथवा बाधित करता है अथवा ऑडिट के अनुक्रम के दौरान ऑडिट पार्टी को सहयोग नहीं करता है तथा सहायता प्रदान नहीं करता है तो टैक्स ऑडिट का प्रभारी अधिकारी प्रत्येक अनुपालन के लिये रु0 10,000/- तक का अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकता है। ऐसा कोई अर्थदण्ड ब्यौहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं किया जायेगा। देयों की वसूली से सम्बन्धित प्राविधान यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली के लिये लागू होंगे।¹ ¹{(च) टैक्स ऑडिट प्राधिकारी स्वयं द्वारा एकत्रित अथवा कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत सभी साक्ष्यों पर विचार करने के उपरान्त; (एक) पूर्व में पारित स्वतः कर निर्धारण या कर निर्धारण आदेश की पुष्टि कर सकता है; या (दो) स्वतः कर निर्धारण या कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण आदेश को अपास्त कर सकता है और ब्यौहारी के आवर्त एवं कर को पुनर्निर्धारित कर सकता है; या (तीन) यदि कोई कर निर्धारण नहीं किया गया है तो ब्यौहारी द्वारा दिये जाने वाले कर की राशि को निर्धारित कर सकता है; परन्तु कोई कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण ब्यौहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अभिनिश्चित नहीं किया जायेगा;
--	--	--

..... 1- उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2016 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

	परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन वाद की सुनवाई हेतु किसी ब्यौहारी को तीन स्थगन से अधिक अनुमन्य नहीं होंगे; परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण के लिए परिसीमा काल हेतु इस अधिनियम की धारा 32 लागू रहेगी।² {छ} टैक्स ऑडिट प्राधिकारियों को कर निर्धारण अधिकारियों की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी।² (10) एक ही कर निर्धारण वर्ष के लिये निम्नलिखित ब्यौहारियों या ब्यौहारियों के वर्ग के मामलों में भिन्न भिन्न संव्यवहार के सम्बन्ध में एक से अधिक कर निर्धारण किये जा सकते हैं और इनको एक कर निर्धारण वर्ष का भाग माना जायेगा – (क) ऐसे ब्यौहारियों, जिन्होंने राज्य से होकर माल के पारगमन हेतु एक से अधिक प्राधिकार प्राप्त किये हैं, पर राज्य से होकर पारगमन के लिये प्रत्येक प्राधिकार के सम्बन्ध में; (ख) नैमित्तिक ब्यौहारी, जिन्होंने पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है और कारबार का कोई नियत स्थान नहीं है, पर विभिन्न कर निर्धारक प्राधिकारियों द्वारा, जिनकी अधिकारिता में उसने कारबार चलाया है; (ग) अपंजीकृत ब्यौहारी, जो कराधेय माल आयात करता है, पर माल आयात करने के प्रत्येक अवसर पर; (घ) अपंजीकृत ब्यौहारी, जो एक से अधिक करनिर्धारक प्राधिकारी की अधिकारिता में या तो संकर्म संविदा का निष्पादन या किसी प्रयोजन के लिये माल के उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण करता है, पर प्रत्येक करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा उनकी अधिकारिता में किये गये कारबार के सम्बन्ध में; परन्तु यह कि विक्रय आवर्त या क्रय आवर्त के किसी एक ही संव्यवहार के सम्बन्ध में एक से अधिक कर निर्धारण नहीं किये जायेंगे। (11) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के दौरान किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के विक्रय-धन पर कर की दरें परिवर्तित की जाती हैं या उसके सम्बन्ध में छूट स्वीकृत की जाती हैं या निरस्त की जाती हैं, तो, जहाँ तक इसका परिवर्तन छूट या निरस्तीकरण की तारीख से पश्चात् की अवधि के माल के ऐसे विक्रय-धन के भाग के सम्बन्ध में है, कर निर्धारण दरों में इस प्रकार हुये परिवर्तन या इस प्रकार दी गई छूट या निरस्त की गई छूट के आधार पर किया जायेगा। (12) इस धारा के अधीन किया गया कोई कर निर्धारण इस अधिनियम के अधीन आरोपित किसी अर्थदण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।¹
--	---

----- 1.उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2010 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

2- उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2016 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹{कतिपय वादों में
कि स्वतः कर निर्धारण
सूचीबद्ध
विक्रय
कर
विनिर्दिष्ट

25—क

²{(1) इस अधिनियम में किसी अन्य बात के होते हुए भी, यह प्राविधानित किया जाता है कमिश्नर, विज्ञप्ति जारी करके यह घोषित कर सकते हैं कि ऐसी विज्ञप्ति में पंजीकृत ब्यौहारी, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 अथवा केन्द्रीय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (2) सपटित उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे कर निर्धारण वर्ष के लिए जैसा कि ऐसी विज्ञप्ति में हो, निम्न आधारों पर स्वतः ही कर निर्धारित मान लिये जायेंगे:

(क) ऐसे मामले, जिनमें इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व अथवा को अथवा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर सभी सावधिक विवरणियां दाखिल कर दी गयी हैं, लेकिन वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की गयी है, में इन सभी विवरणियों में स्वीकृत करदेयता; और

(ख) ऐसे मामले, जिनमें कोई सावधिक विवरणी दाखिल नहीं की गयी है अथवा सभी सावधिक विवरणियां दाखिल नहीं की गयी हैं, परन्तु इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व अथवा को अथवा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर वार्षिक विवरणी दाखिल कर दी गयी है, में वार्षिक विवरणी में स्वीकृत करदेयता, और

(ग) ऐसे मामले, जिनमें इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व अथवा को अथवा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर सभी सावधिक विवरणियां दाखिल कर दी गयी है और वार्षिक विवरणी भी दाखिल कर दी गयी है, में वार्षिक विवरणी में स्वीकृत करदेयता;

परन्तु यह कि—

(एक) ऐसे व्यवहारी का कर निर्धारण अनिस्तारित हो और वह कर निर्धारण वर्ष 2013—14 अथवा 2015—16 के अतिरिक्त अन्य वर्ष से संबंधित न हो; और

(दो) ऐसे मामले, जिनमें केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 अथवा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट प्राविधानों के अन्तर्गत कोई कर की मुक्ति, रियायत अथवा रिबेट का दावा किया गया हो, में वार्षिक विवरणी तथा ऐसे दावों के समर्थन में संबंधित अधिनियम एवं नियम के प्राविधानों के अनुसार अपेक्षित घोषणा, प्रमाण पत्र अथवा अन्य साक्ष्य इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व अथवा को अथवा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर दाखिल कर दिए गए हो, और

(तीन) ऐसे कर निर्धारण वर्ष से संबंधित, कर निर्धारण अधिकारी के किसी आदेश अथवा नोटिस के विरुद्ध कोई रिट अथवा धारा 51 या धारा 53 के अन्तर्गत कोई अपील दायर न की गयी हो;

परन्तु यह और कि—

(एक) ऐसे ब्यौहारी द्वारा संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) के अन्तरण का कोई सम्यवहार न किया गया हो; अथवा

(दो) ऐसे ब्यौहारी विशिष्ट रूप से द्वारा 'आयरन और स्टील' अथवा "खाद्य तेल" अथवा "सीमेंट अथवा मेंथा" एवं मेंथा उत्पाद" अथवा "पान मसाला" अथवा "मार्बल स्टोन" अथवा सिरेमिक टाइल्स" अथवा "इनमें से एक से अधिक वस्तुओं" की ट्रेडिंग अथवा विनिर्माण में व्यवहृत न हो, अथवा

(तीन) ऐसा ब्यौहारी विशिष्ट रूप से 'ईटों' अथवा 'रेत' अथवा "बजरी" अथवा 'रिवर बेड मैटिरियल्स (आर0बी0एम0)" अथवा "बोल्डर्स" अथवा "क्रूड स्टोन" अथवा "स्टोन ब्लास्ट" अथवा "गिट" अथवा "गिट्टी" अथवा "कंकड़" अथवा "स्टोन डस्ट" अथवा इनमें से एक से अधिक वस्तुओं की ट्रेडिंग में व्यवहृत न हो; अथवा

1— उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2014 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2— उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 9 वर्ष 2017 की धारा 2 द्वारा उपधारा (1)

प्रतिस्थापित।

		(चार) ऐसे ब्यौहारी ईंटों के विनिर्माण में व्यवहृत न हो; अथवा (पाँच) ऐसे ब्यौहारी द्वारा रू0 10,000 से अधिक की वापसी (रिफण्ड) का दावा न किया गया हो, अथवा (छः) ऐसे ब्यौहारी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल जांच अथवा कार्यवाही न की गयी हो, अथवा (सात) वर्ष 2012-13 के संदर्भ में, ऐसे ब्यौहारी के विरुद्ध— (क) कर की दर पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, या (ख) आईटीसी0 का विलोमितीकरण नहीं होना चाहिए, या (ग) सुनवाई के उपरांत सर्वोत्तम विवेक से पारित आदेश के परिणामस्वरूप रू0 10,000/- से अधिक की कोई अतिरिक्त मांग, स्वीकृत करके अतिरिक्त सृजित नहीं होनी चाहिए।} (2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः कर निर्धारण को, संबंधित ब्यौहारी के किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष में अथवा किसी अन्य ब्यौहारी के किसी कर निर्धारण वर्ष में, किसी वस्तु पर कर की दर संबंधी, किसी संवहार के माल की बिक्री से संबंधित अथवा सेवा से संबंधित होने, किसी संव्यवहार के अन्तरराज्यीय बिक्री होने अथवा राज्य के अन्दर बिक्री होने अथवा किसी संव्यवहार के अन्तरराज्यीय बिक्री होने अथवा अन्तरराज्यीय कन्साइन्मेंट/स्टाक ट्रांसफर होने आदि के संबंधित विधिक विवादों में, आधार नहीं बनाया जा सकेगा। (3) उपधारा (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत विज्ञापित वादों में किसी विवरणी के दाखिल न करने अथवा विलम्ब से दाखिल करने अथवा स्वीकृत कर को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर जमा न करने के कारण अर्थदण्ड अथवा विलम्ब शुल्क आरोपित करने या वसूल करने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जायेगी और यदि पहले से आरम्भ कर दी गयी है तो ऐसी कार्यवाही रोक दी जायेगी। तथापि स्वीकृत कर एवं देय ब्याज, यदि जमा नहीं किया गया है, तो उसे अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार वसूल किया जायेगा। (4) उपधारा (1) में प्राविधानों के अन्तर्गत विज्ञापित जारी हो जाने के पश्चात यदि कर निर्धारण अधिकारी, छानबीन (स्कूटनी) अथवा प्राप्त सूचना के आधार पर संतुष्ट है कि किसी कर निर्धारण वर्ष से सम्बंधित किसी वाद में कर की देयता, स्वीकृत कर देयता से रू0 10,000 या उससे अधिक है, तो ऐसे कर निर्धारण वर्ष का वाद कमिश्नर अथवा कमिश्नर द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी जो ज्वाइंट कमिश्नर से निम्न पद का नहीं होगा, की अनुमति से, लेखा पुस्तकों एवं सम्बंधित दस्तावेजों की जांच करके पुनः कर निर्धारण करने के लिए खोला जा सकता है और इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी ऐसे वाद को पुनः कर निर्धारण हेतु खोले जाने की समय-सीमा, ऐसे कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पश्चात 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा ऐसे वाद में पुनः कर निर्धारण पूर्ण करने की समय-सीमा, जिस दिनांक को वाद खोला गया है, से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।} (5) उपधारा (4) के अधीन किसी वाद को पुनः कर निर्धारण हेतु खोलने संबंधी किसी निर्णय के विरुद्ध, अधिनियम के अन्तर्गत अपील दाखिल नहीं हो सकेगी। (6) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (दो) के प्रयोजन हेतु सकल वार्षिक आवर्त निम्न का योग होगा—
--	--	---

1—उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 9 वर्ष 2017 की धारा 2 द्वारा उपधारा (4) प्रतिस्थापित।

		प्रदेश के अन्दर के सम्बन्धित— (क) राज्य के अन्दर माल की कर योग्य बिक्री; (ख) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अन्तर्गत कर योग्य खरीद; (ग) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) की अनुसूची-I में सूचीबद्ध माल की करमुक्त बिक्री, एवं (घ) अधिनियम के अन्य प्राविधानों के अन्तर्गत माल की करमुक्त बिक्री; एवं अन्तर्राज्यीय सम्बन्धित— (क) माल की कर योग्य अन्तर्राज्यीय बिक्री; (ख) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) की अनुसूची-I में सूचीबद्ध माल की करमुक्त अन्तर्राज्यीय बिक्री, (ग) करमुक्त अन्तर्राज्यीय बिक्री (केन्द्रीय बिक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्य प्राविधानों के अन्तर्गत); (घ) देश के बाहर निर्यात का आवर्त; (ङ) राज्य के बाहर स्टॉक ट्रांसफर/कन्साइन किए गए माल का मूल्य; (7) इस धारा के उद्देश्य एवं प्रयोजन को कार्यान्वित करने हेतु कमिश्नर, यदि आवश्यक हो, वांछनीय ऐसे अनुदेश अथवा स्पष्टीकरण जारी कर सकता है जिससे कि ब्यौहारी के स्तर पर हुई छोटी-छोटी लोप या त्रुटियों के कारण उसे इस धारा के प्राविधानों का लाभ देने से इन्कार न किया जा सके।]
कर के लिए दायी अर्पणीकृत ब्यौहारी का कर निर्धारण	26.	यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का उनके कब्जे में आई सूचना पर, यह समाधान हो जाता है कि कोई ब्यौहारी, जो किसी कर अवधि के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के लिए दायी है, अपने को पंजीकृत कराने में असफल रहा है तो वह कर निर्धारक प्राधिकारी सुसंगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद तीन वर्षों के अवसान के पूर्व ऐसी अवधि और बाद की अवधियों के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति द्वारा देय कर की धनराशि का अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार निर्धारण की कार्यवाही करेगा और उसको ऐसे कर निर्धारण के फलस्वरूप देय पायी गयी कर की धनराशि के बराबर धनराशि को अर्धदण्ड के रूप में भुगतान करने के लिए निर्देश देगा : परन्तु यह कि ऐसा कर निर्धारण ब्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।

1— उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2014 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

		स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन हेतु कोई ब्यौहारी, यदि वह पंजीयन हेतु अपूर्ण आवेदन देता है या पंजीयन प्रार्थना-पत्र देने के पश्चात् कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा उसको दिये गये किसी निर्देश का उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहता है तो यह समझा जायेगा कि ब्यौहारी पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र देने में असफल रहा है।
--	--	---

नैमित्तिक ब्यौहारी के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध	27.	धारा 15 या धारा 25 में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी :- (1) नैमित्तिक ब्यौहारी, राज्य में कारबार प्रारम्भ करने के कम से कम 7 दिन पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी को पंजीयन प्रार्थना-पत्र और अपने कारबार से सम्बन्धित ऐसा विवरण, ऐसे प्रारूप में एवं ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, प्रस्तुत करेगा। (2) ऐसा नैमित्तिक ब्यौहारी, नकद प्रतिभूति, जैसा कि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा नियत की जाय और जो एक माह या ऐसी कम अवधि, जिसमें नैमित्तिक ब्यौहारी कारबार संचालित कर रहा हो, के लिए कर भुगतान की अनुमानित देयता से अधिक नहीं होगी, 7 दिन के भीतर लेकिन कारबार प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करेगा। (3) कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसी जाँच के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे और मांगी गयी प्रतिभूति ब्यौहारी द्वारा जमा करने के पश्चात्, प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर सकता है और ब्यौहारी को पंजीकृत कर सकता है और विहित प्रारूप में पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है। (4) कर निर्धारक प्राधिकारी ब्यौहारी के पंजीकृत किये जाने के पश्चात् उसको राज्य के बाहर से माल लाने के लिए प्रपत्र, जैसा वह उचित समझे, जारी करेगा। ब्यौहारी प्राप्त व प्रयोग किये गये प्रपत्रों का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करेगा और प्रयोग में न लाये गये प्रपत्र ऐसी रीति से, जैसा विहित किया जाय, वापस करेगा। (5) ऐसा नैमित्तिक ब्यौहारी ऐसे कालान्तरों पर, ऐसी कालावधि के भीतर एवं ऐसे रूप में और ऐसी रीति से अपने आवर्त का विवरण प्रस्तुत करेगा, जो विहित किया जाय। (6) ऐसा नैमित्तिक ब्यौहारी, जब कारबार जारी रखना बन्द कर देता है, बन्द होने के 7 दिन के भीतर लेकिन स्थान छोड़ने से पूर्व, एक अन्तिम कर विवरणी ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जैसा कि विहित की जाय, दाखिल करेगा। (7) नैमित्तिक ब्यौहारी से अन्तिम कर विवरणी प्राप्त होने के पश्चात् कर निर्धारक प्राधिकारी विवरणी, लेखों और कारबार पुस्तकों की जाँच करने और ऐसी पूछताछ, जैसा वह उचित समझे, करने के पश्चात् उस पर यथाशक्य शीघ्र कर निर्धारित करेगा; परन्तु यह कि जहाँ ऐसे नैमित्तिक ब्यौहारी के कारबार की अवधि एक वित्तीय वर्ष से अधिक फैलती है तो कर निर्धारण आदेश अलग-अलग वित्तीय वर्षों में पड़ने वाली अवधि के लिए अलग-अलग पारित किये जायेंगे। (8) कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे नैमित्तिक ब्यौहारी से देय किसी कर को समायोजित करने के पश्चात् प्रतिभूति की अवशेष धनराशि उसको वापिस करेगा। (9) ऐसा नैमित्तिक ब्यौहारी, कर के लिए दायी होगा, यदि इस अवधि के लिए उसका विक्रय आवर्त धारा 3 की उपधारा (7) के खण्ड (क) के अनुसार करयोग्य मात्रा की आनुपातिक धनराशि से अधिक होगा और उसके खण्ड (ख) के उपबन्ध भी लागू होंगे। (10) जब ऐसे नैमित्तिक ब्यौहारी के कारबार की अवधि एक समय में 60 दिनों से अधिक हो जाती है और वह एक नैमित्तिक ब्यौहारी नहीं रह जाता है तो वह धारा 15 के अधीन एक नियमित ब्यौहारी के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन करेगा और उस पर धारा 25 या धारा 26 के उपबन्धों के अनुसार पूरे वर्ष के लिए एक नियमित ब्यौहारी के रूप में कर निर्धारित किया जायेगा : परन्तु यह कि उक्त उपधारा (9) के अनुसार करयोग्य मात्रा की गणना अलग-अलग
--	-----	--

		परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन किसी वित्तीय वर्ष में विभिन्न अवधियों के लिए निर्धारित आवर्त और कर अन्तिम कर निर्धारण आदेश में मिल जायेगा और नैमित्तिक ब्यौहारी के रूप में भुगतान किया गया कोई कर ऊपर निर्दिष्ट धाराओं के अधीन अन्तिम कर निर्धारण में देय कर के विरुद्ध समायोजित कर दिया जायेगा।
--	--	---

विशेष परिस्थितियों में कर निर्धारण	28.	(1) कीमत परिवर्तन में कर निर्धारण:— यदि कोई ब्यौहारी किसी वर्ष में कोई धनराशि कीमत परिवर्तन के कारण प्राप्त करता है, जो किसी पूर्व कर अवधि के आवर्त में होती, यदि वह उसको उस अवधि के दौरान प्राप्त की गई होती तो वह उस कर अवधि का आवर्त समझा जायेगा, जिसमें वह धनराशि प्राप्त हुई है और ब्यौहारी ऐसी धनराशि को उस कर अवधि, जिस कर अवधि में ऐसी धनराशि प्राप्त हुई थी, के विवरणी में अलग से दर्शाते हुए सम्मिलित करेगा और कर निर्धारक प्राधिकारी इस धनराशि पर ब्यौहारी की उस कर अवधि, जिसमें वह धनराशि प्राप्त हुई है, के आवर्त के समान देय कर का निर्धारण करेगा; परन्तु यह और कि उसी दर से प्रभारित किया जायेगा, जिस पर यह प्रभारित किया गया होता, यदि आवर्त पर उस कर निर्धारण वर्ष, जिसमें यह आवर्त सम्बद्ध था, के लिए निर्धारित किया गया होता। (2) संरक्षात्मक कर निर्धारण— यदि कर निर्धारक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति कर के भुगतान का अपवचन करने की दृष्टि से या इनपुट टैक्स का लाभ, जिसका वह अन्यथा हकदार नहीं है, का दावा करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से या साहचर्य में, चाहे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः चाहे एक अभिकर्ता, कर्मचारी, प्रबन्धक, भागीदार या मुखतारनामाधारक, प्रत्याभूतिदाता, नातेदार या सह-समुत्थान या किसी अन्य सामर्थ्य से कारबार कर रहा था, तो ऐसा व्यक्ति और वह व्यक्ति, जिसके नाम में पंजीयन प्रमाण-पत्र, यदि कोई है, लिया गया है, इस अधिनियम के अधीन देय कर, ब्याज या अर्थदण्ड या कोई अन्य देय धनराशि के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक दायी होंगे, जिसको सभी या किसी भी ऐसे व्यक्ति पर निर्धारित, आरोपित और उससे वसूल किया जा सकता है, मानो कि ऐसा या ऐसे व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ब्यौहारी है।
[उस आवर्त, जिसका वर्ष के दौरान कर निर्धारण नहीं किया गया हो या कम दर से किया गया हो, निर्धारण करना]	29.	(1) यदि किसी ब्यौहारी के किसी वर्ष या उसके भाग के लिए कर निर्धारक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कर अवधि के सम्बन्ध में ब्यौहारी का सम्पूर्ण आवर्त या उसका कोई भाग;]१ (क) कर निर्धारण से छूट गया है; (ख) अवनिर्धारित रह गया है; (ग) विहित दर की अपेक्षा निम्न दर से निर्धारित हुआ है; (घ) उसमें से कोई करमुक्ति या छूट गलत अनुमन्य कर दी गई है; [(घघ) प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र के आधार पर, कर निर्धारण के दौरान, छूट अथवा रियायत प्रदान की गयी हो परन्तु तदुपरान्त ऐसे प्रस्तुत घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र झूठे या गलत पाये जाये; या]१ (ङ) उसमें कोई कर लाभ गलत स्वीकार कर दिया गया है तो कर निर्धारक प्राधिकारी कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् ब्यौहारी पर एक नोटिस तामील करेगा और ब्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान और ऐसी जाँच करने, जिसे वह आवश्यक समझे, के पश्चात् वह ब्यौहारी के आवर्त का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा और विधि के अनुसार कर लगायेगा और तदनुसार इस अधिनियम के उपबन्ध यथासम्भव लागू होंगे; परन्तु यह कि कर उसी दर से लगाया जायेगा, जिससे वह लगाया जाता, यदि आवर्त निर्धारण या पूर्ण निर्धारण निर्धारित, जैसी भी स्थिति हो, किये जाने से

1— उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2016 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

		स्पष्टीकरण 1— इस उपधारा की कोई भी बात कर निर्धारक प्राधिकारी के लिए उसके विचार से सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण करने में रुकावट पैदा करने वाली नहीं समझी जायेगी। स्पष्टीकरण 2— इस धारा और धारा 30 के पड़ोतनों के लिए “कर निर्धारक प्राधिकारी” से ऐसा
--	--	---

1/कर निर्धारण के किसी आदेश को अपास्त करने की शक्ति	31.	(1) किसी मामले में जिसमें कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण या अर्थदण्ड के सम्बंध में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया हो, ब्यौहारी उक्त आदेश की तामीली के तीस दिन के भीतर कर निर्धारक प्राधिकारी को ऐसा आदेश अपास्त करने और मामले पर पुनः विचार करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है और यदि ऐसे अधिकारी का समाधान हो जाता है कि
---	------------	--

		हो सका था, तो वह आदेश को अपास्त कर सकता है और मामले की पुनः सुनवाई प्रारम्भ कर सकता है: परन्तु यह कि इस प्रकार के एकपक्षीय आदेश को अपास्त किये जाने के लिए कोई प्रार्थना पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि ब्यौहारी द्वारा सभी सावधिक विवरणियां तथा वार्षिक विवरणी पूर्ण एवं सही रूप में दाखिल न की गयी हो और उसके साथ कर की धनराशि के, जिसे ब्यौहारी ने स्वीकार किया हो, भुगतान का सन्तोषजनक प्रमाण न हो; परन्तु यह और कि ऐसे मामले में, एकपक्षीय आदेश को अपास्त किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र केवल एक ही बार ग्रहण किया जायेगा। परन्तु यह भी कि यदि कोई एकपक्षीय आदेश 02 मार्च, 2016 को अथवा उसके पश्चात् तामील हुआ है और इस धारा के अधीन प्रार्थना पत्र, तामीली के 30 दिन समाप्त होने के भीतर अथवा इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिन के पूर्व, जो भी पश्चात्तवर्ती हो, दाखिल किया जाता है, तो ऐसे एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र को ग्रहण किया जायेगा बशर्ते कि दाखिल किया गया प्रार्थना पत्र इस उपधारा में विहित समस्त शर्तों को पूर्ण करता हो। (2) यदि धारा 24 के अधीन कोई कर निर्धारण आदेश एकपक्षीय दिया जाय, तो ब्यौहारी आदेश तामील किये जाने के तीस दिन के भीतर करनिर्धारक प्राधिकारी को ऐसे आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता है और यदि ऐसे प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि ब्यौहारी ने ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विहित अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर विवरणी प्रस्तुत करती है और विवरणी के अनुसार देयकर का भुगतान कर दिया है, तो वह ऐसा आदेश और उसके अधीन मांग की सूचना भी, यदि कोई हो, परिष्कृत या अपास्त कर सकेगा; परन्तु यह कि ऐसे मामले में, एकपक्षीय आदेश को अपास्त किये जाने के लिए, प्रार्थना पत्र केवल एक ही बार ग्रहण किया जायेगा; परन्तु यह और कि कोई एकपक्षीय आदेश 02 मार्च, 2016 को अथवा उसके पश्चात् तामील हुआ है और इस धारा के अधीन प्रार्थना पत्र, तामीली के 30 दिन समाप्त होने के भीतर अथवा इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिन के पूर्व, जो भी पश्चात्तवर्ती हो, दाखिल किया जाता है, तो ऐसे एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र को ग्रहण किया जायेगा बशर्ते कि दाखिल किया गया प्रार्थना पत्र इस उपधारा में विहित समस्त शर्तों को पूर्ण करता हो। (3) यदि किसी ब्यौहार को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4-क के अधीन पात्रता प्रमाण पत्र, उस अवधि के लिये दिया गया है जिसके लिये पात्रता प्रमाण पत्र दिये जाने के पूर्व कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का आदेश या अपील में आदेश पारित किया गया है तो ऐसा आदेश उस कर निर्धारण या अपील प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता है या तो स्वतः या ब्यौहारी के
--	--	--

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19 वर्ष 2016 की धारा 2 द्वारा
अंतःस्थापित।

कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण के लिए परिसीमा काल	32	(1) कर निर्धारण वर्ष की किसी कर अवधि के लिए धारा 24 के अधीन कोई कर निर्धारण आदेश ब्यौहारी द्वारा ऐसे कर निर्धारण वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल के बाद पारित नहीं किया जायेगा और यदि ब्यौहारी द्वारा विवरणी दाखिल नहीं किया गया है तो ऐसी अवधि के लिए वार्षिक विवरण दाखिल किये जाने के लिए विहित अवधि या बढ़ाये गये स्वीकृत समय की समाप्ति के बाद कर निर्धारण नहीं किया जायेगा। (2) धारा 28 में अन्यथा दिये गये उपबन्धों के सिवाय किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए इस
--	----	---

		अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई आदेश ऐसे कर निर्धारण वर्ष के अन्त से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा। (3) धारा 29 के उपबन्धों के अधीन कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण आदेश, उसमें विहित समय के भीतर पारित किया जा सकता है। (4) यदि किसी कर निर्धारण का कोई आदेश अपास्त कर दिया जाय और मामले को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पुनः कर निर्धारण के लिए प्रतिप्रेषित किया जाय तो कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा मामले के प्रतिप्रेषण के आदेश की प्रति प्राप्त होने के तारीख से एक वर्ष के भीतर पुनः कर निर्धारण आदेश किया जा सकता है। (5) यदि कर निर्धारण का कोई आदेश कर निर्धारक प्राधिकारी की अधिकारिता के अभाव के आधार पर या किसी नोटिस की अनुचित तामीली के आधार पर या अनुचित नोटिस की तामीली के आधार पर या किसी अन्य तत्समान आधार पर किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा अभिखण्डीत कर दिया जाय तो जिस कर निर्धारक प्राधिकारी का आदेश इस प्रकार अभिखण्डीत किया गया है, अधिकारिता युक्त कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण का नया आदेश पारित किया जा सकता है; परन्तु यह कि जब पूर्व में किया गया कोई कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण आदेश उचित नोटिस के अभाव में या अधिकारिता के अभाव में या उचित नोटिस की तामीली के अभाव में अभिखण्डीत कर दिया गया है तो कर निर्धारक प्राधिकारी प्राधिकारी द्वारा विहित समायावधि के भीतर कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का नया आदेश, ब्यौहारी पर नोटिस उचित तौर पर तामील करने के बाद और ब्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद पारित किया जा सकता है।
		[(6) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई आदेश धारा 31 के अधीन अपास्त कर दिया जाय, तो उस वर्ष के लिए कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का नया आदेश उस तारीख से, जब पूर्ववर्ती आदेश अपास्त किया गया था, तीन माह के भीतर किया जा सकता है।] (7) जहाँ किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही किसी न्यायालय या प्राधिकारी के आदेश के अधीन स्थगित हो, तो स्थगन आदेश की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और सम्बद्ध कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा स्थगन को निष्प्रभावी धारा में उपबन्धित परिसीमा अवधि की संगणना करने में निकाल दिया जायेगा : परन्तु यह कि यदि ऐसी संगणना करने में परिसीमा की अवधि एक वर्ष से कम हो जाये तो ऐसा कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण, कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा स्थगन को निष्प्रभावी करने वाले आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जा सकता है। (8) करदाता के किसी अन्य कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण या किसी अन्य किसी विषय के सम्बन्ध में कोई अपील या अन्य कार्यवाही, जिसमें विधि का ऐसा प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, जिसका प्रश्नगत कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण पर सीधा प्रभाव पड़ सकता हो, जिस अवधि के दौरान उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित रही हो, उस अवधि को इस धारा में उपबन्धित परिसीमा काल की संगणना करने में निकाल दिया

		(9) यदि किसी कर निर्धारक प्राधिकारी ने किसी ब्यौहारी के किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण में:- (क) किसी आवर्त को सम्मिलित कर लिया है और वरिष्ठ प्राधिकारी या न्यायालय ने अपने में विधिपूर्वक निहित शक्तियों का प्रयोग करके, ऐसे आवर्त को - (एक) किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिए उस ब्यौहारी के; (दो) केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अधीन उस ब्यौहारी के; या (तीन) इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अधीन किसी अन्य ब्यौहारी के, कर निर्धारण से सम्बन्धित ठहराया हो; (ख) किसी आवर्त को इस आधार पर सम्मिलित नहीं किया है कि उसका सम्बन्ध केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अधीन कर निर्धारण से है और किसी वरिष्ठ प्राधिकारी या न्यायालय ने अपने में निहित विधिपूर्वक शक्तियों का प्रयोग करके, ऐसे आवर्त को इस अधिनियम के अधीन उस ब्यौहारी के कर निर्धारण से सम्बन्धित ठहराया हो, चाहे वह ऐसे कर निर्धारण वर्ष के लिए हो या किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिए, तो इस धारा की समय को सीमित करने वाली कोई बात, यथास्थिति, ऐसे कर निर्धारण वर्ष के या ऐसे अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिए, उस ब्यौहारी के या ऐसे अन्य ब्यौहारी के चाहे इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अधीन कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के सम्बन्ध में लागू न होगी।
--	--	---

1- उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19 वर्ष 2016 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

		(10) यदि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4क के अधीन स्वीकृत पात्रता प्रमाण-पत्र को कमिशनर द्वारा इस अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (13) के अधीन संशोधित या निरस्त कर दिया जाता है तो संगत वर्ष के लिए कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण उपरोक्त प्रमाण-पत्र के संशोधन या निरस्तीकरण आदेश की कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जा सकता है। (11) यदि किसी कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा किसी ब्यौहारी के सम्बन्ध में किसी अवधि के लिए पारित कोई आदेश किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय या आदेश, जो अन्तिम में हानिकर पाया जाता है तो इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कर निर्धारक प्राधिकारी, कमिशनर या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति से, ऐसे विनिश्चय या आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि में किसी भी समय, विनिश्चय या आदेश के अनुसार ब्यौहारी द्वारा देय कर का निर्धारण करने के लिए कार्यवाही कर सकता है। (12) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहाँ राज्य सरकार की यह राय है कि राज्य या उसके किसी भाग में तत्समय विद्यमान असाधारण परिस्थितियों के कारण, किसी मामले में या मामलों के वर्ग में इस धारा के अधीन निर्धारित समय के भीतर कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण पूरा करना कठिन होगा तो वह राजपत्र में अधिसूचित करके, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग में कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन विहित समय सीमा को बढ़ा सकती है। (13) जहाँ कोई ब्यौहारी किसी ऐसी धनराशि, जो उसने कर के रूप में जमा की है या कोई धनराशि उससे कर के रूप में वसूल की गई है या उसके द्वारा धारा 36 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन कर की कटौती की गई है, की वापसी का दावा करता है और कोई कर निर्धारण इस धारा के अधीन विहित समय के भीतर नहीं किया गया है तो इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी कर निर्धारक प्राधिकारी, कमिशनर की लिखित पूर्व अनमति से, जमा की गई, काटी गई या वसूल की गई धनराशि से सम्बन्धित कर देयता के
--	--	---

आवर्त और कर आदि को पूर्णांकित करना	33.	(1) विहित रीति से अवधारित आवर्त की धनराशि को, यदि ऐसी धनराशि दस रुपये के गुणांक में न हो, निकटतम दस रुपये के गुणांक में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् दस रुपये के ऐसे भाग को, जो पाँच रुपये से कम हो, छोड़ दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को दस रुपया गिना जायेगा। इस प्रकार पूर्णांकित की गयी धनराशि को इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती का आवर्त समझा जायेगा। (2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, फीस, ब्याज, अर्थदण्ड या किसी धनराशि को या वापस करने योग्य धनराशि को, यदि ऐसी धनराशि में एक रुपये का भाग हो, निकटतम रुपये के गुणांक में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् एक रुपये के ऐसे भाग को, जो पचास पैसे से कम हो, छोड़ दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को एक रुपया गिना जायेगा।
कर का भुगतान और उसकी वसूली	34.	(1) स्वीकृत रूप से देय कर की धनराशि, सम्बन्धित कर अवधि की विवरणी के साथ विहित रीति से जमा की जायेगी। कर के रूप में निर्धारित धनराशि विनिर्दिष्ट रीति से और कर निर्धारण आदेश और माँगपत्र की तामीली के {60 दिन के भीतर}¹ जमा की जायेगी। अर्थदण्ड के रूप में अधिरोपित धनराशि विहित रीति से और ऐसी धनराशि अर्थदण्ड के रूप में अधिरोपित करने वाले आदेश की तामीली के 30 दिन के भीतर जमा की जायेगी। स्वीकृत रूप से देय कर या निर्धारित कर और अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि के अन्यथा अन्य कोई धनराशि, [विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, सहित]² जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन भुगतान योग्य अवधारित की जायेगी, विहित रीति से और विहित समय के भीतर जमा की जायेगी।

1.उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 05 वर्ष 2008 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित। 2.

उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2010 की धारा 6 (1)(क) द्वारा प्रतिस्थापित।



		परन्तु यह और कि जहाँ ऐसी समयावधि विहित नहीं की गई है, देय धनराशि को जमा करने की अवधि ऐसे आदेश, जिसके द्वारा ऐसी धनराशि अवधारित की गई है, की तामीली के {60 दिन के भीतर}¹ समझी जायेगी। {(2) धारा 23 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला पंजीकृत ब्यौहारी विवरणी से आच्छादित कर अवधि के लिये उसके द्वारा देय कर की धनराशि, देय अर्थदण्ड या ब्याज या विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, अथवा तीनों की धनराशि या धारा 25 के अधीन देय विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, सहित राजकीय कोषागार में ऐसी रीति और ऐसे अन्तराल से, जैसा कि विहित किया जाय, जमा की जायेगी और ऐसी धनराशि का भुगतान दर्शाती कोषागार की रसीद अथवा ई-पैमेन्ट का सबूत दाखिल करेगा।}² (3) कोई पंजीकृत ब्यौहारी, जो धारा 23 की उपधारा (9) या उपधारा (10) के अनुसार संशोधित विवरणी प्रस्तुत करता है, जो यह दर्शाता है कि मूल विवरणी के अनुसार जमा किये या जमा किये जाने योग्य देय कर की अपेक्षा कर की अधिक धनराशि देय है तो वह विवरणी के साथ अन्तर की धनराशि को उपधारा (2) में उपबन्धित रीति से जमा करने की रसीद प्रस्तुत करेगा। (4) स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जायेगा। ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा। स्पष्टीकरण 1— इस उपधारा के प्रयोजनार्थ स्वीकृत रूप से देय कर से वह कर अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन विक्रय आवर्त या यथास्थिति, क्रय आवर्त या दोनों पर, जैसा कि ब्यौहारी द्वारा रखे गये लेखों में दिखाया गया हो या जो उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी विवरणी या कार्यवाही में स्वीकृत किया गया हो, इनमें से जो भी अधिक हो। स्पष्टीकरण 2— “माह” का अर्थ 30 दिन होगा और एक माह से कम की अवधि के सम्बन्ध में देय ब्याज आनुपातिक रूप से संगणित किया जायेगा। (5) पहले ही जमा की जा चुकी कर की धनराशि से अधिक इस अधिनियम के अधीन निर्धारित कर की धनराशि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देय ब्याज सहित, कर निर्धारण और माँग की नोटिस में निर्दिष्ट रीति से और उसे तामिल किये जाने के तीस दिन के भीतर जमा की जायेगी। (6) यदि स्वीकृत रूप से देय कर, जिस पर उपधारा (2) लागू होती है, भिन्न कोई निर्धारित किया गया, पुनः निर्धारित किया गया या किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा बढ़ाया गया कर, कर निर्धारण आदेश और माँग की नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के तीन माह बाद भी बकाया रह जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति की तारीख से संगणित बकाया धनराशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा : परन्तु यह कि यदि कर की धनराशि अपील, पुनरीक्षण पर या सक्षम न्यायालय के किसी आदेश द्वारा परिवर्तित की जाती है तो इस उपधारा के अधीन ब्याज की धनराशि की पुनः गणना की जायेगी। (7) उपधारा (2), (3), (4) और (5) के अधीन ब्याज की धनराशि, किसी ऐसे अन्य दायित्व या अर्थदण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, जो ब्यौहारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उठानी पड़े और उसे कर की धनराशि में जोड़ दिया जायेगा और सभी प्रयोजनों के लिए कर का भाग समझा जायेगा।
--	--	--

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 05 वर्ष 2008 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 25 वर्ष 2010 की धारा 6 (1)(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

		(8) जहाँ धारा 32 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई आदेश या धारा 32 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई आदेश किया जाता है और देय कर बढ़ाया जाता है तो ब्यौहारी ऐसे बढ़ाये गये कर पर ब्याज का दायी होगा मानो कि यह प्रथम बार पारित कर निर्धारण आदेश में बढ़ाया गया था और इस प्रयोजन हेतु कर निर्धारण आदेश और माँग की नोटिस की तामीली की तारीख तदनुसार संशोधित समझी जायेगी। (9) यदि किसी कर की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश से स्थगित रही हो और ऐसा स्थगन आदेश बाद में विखण्डीत कर दिया गया हो तो उपधारा (6) में निर्दिष्ट ब्याज ऐसी किसी अवधि के लिए भी दायी होगा, जिसमें ऐसा आदेश प्रभावी रहा हो। (10) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देय कोई कर या अन्य धनराशियाँ [विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, सहित]¹ या कोई धनराशि, जिसे कर निर्धारक प्राधिकारी को देना किसी व्यक्ति से उपधारा (14) के अधीन अपेक्षित हो या जिससे कि वह उपधारा (17) के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और राज्य सरकार के किसी विशेष या समान्य आदेश के अधीन रहते हुए मालगुजारी के बकाया के रूप में या कर निर्धारक प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा विहित रीति से वसूल की जा सकेगी और वसूली के प्रयोजनों के लिए ऐसे कर निर्धारक प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी को— (क) ऐसे सभी अधिकार होंगे, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय को किसी डिक्री के अधीन देय धनराशि की वसूली के प्रयोजन के लिए है; (ख) किसी अन्य क्षेत्र में, अधिकारिता वाले कर निर्धारक प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकार से ऐसी वसूली करने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, यदि बाकीदार या उसकी सम्पत्ति ऐसे अन्य कर निर्धारक प्राधिकारी या अधिकारी के क्षेत्र में है और तदुपरान्त ऐसा अन्य कर निर्धारक प्राधिकारी या अधिकारी की वसूली की कार्यवाही विहित रीति से करेगा। (11) उपधारा (4) और (5) में दी गई किसी बात के होते हुए और किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, यदि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किसी ब्यौहारी पर इस अधिनियम के अधीन किसी कर या अन्य देयों के सम्बन्ध में कर निर्धारण और माँग की कोई नोटिस तामील की जाय और ऐसे कर या देयों के सम्बन्ध में अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही की जाय तो — (क) यदि किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के फलस्वरूप ऐसे कर या अन्य देयों की धनराशि बढ़ा दी जाय तो कर निर्धारक प्राधिकारी ब्यौहारी पर केवल उतनी धनराशि के सम्बन्ध में, जितनी धनराशि की ऐसी कर या अन्य देयों में वृद्धि की जाय, एक नई नोटिस तामील करेगा और ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के निस्तारण पूर्व उस पर पहले से ही तामील की गई नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि से सम्बन्धित कोई कार्यवाही उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है, जिस प्रक्रम पर वह ऐसे निस्तारण किये जाने के ठीक पूर्व रही हो; (ख) यदि किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप ऐसे कर या अन्य देयों की धनराशि कम कर दी जाय तो— (एक) ब्यौहारी पर नई नोटिस तामील करना आवश्यक न होगा, किन्तु केवल कम की गई धनराशि वसूल की जायेगी; (दो) यदि वसूली की कोई कार्यवाही कर निर्धारक प्राधिकारी से भिन्न किसी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लम्बित हो तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसी कमी किये जाने की सूचना ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को देगा।
--	--	---

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 25 वर्ष 2010 की धारा 6 (1)(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

		(तीन) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही का, जिसके अन्तर्गत वसूली की कोई कार्यवाही भी है, निस्तारण किये जाने के पूर्व ब्यौहारी पर तामील की गई नोटिस या नोटिसों के आधार पर प्रारम्भ की गई कोई कार्यवाही इस प्रकार कम की गई धनराशि के सम्बन्ध में उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है, जिस प्रक्रम पर वह ऐसे निस्तारण के ठीक पूर्व रही हो; (ग) किसी ऐसे मामले में, जिसमें कर या अन्य देयों की धनराशि में ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई वृद्धि (कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित धनराशि के सन्दर्भ में) न हो तो नये नोटिस की आवश्यकता न होगी। (12) इस अधिनियम के अधीन मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल होने योग्य किसी धनराशि के सम्बन्ध में कर निर्धारक प्राधिकारी कर निर्धारण आदेश और माँग-पत्र की तामीली के 90 दिन के पश्चात् अपने हस्ताक्षर से कलैक्टर को वसूली के लिए प्रमाण-पत्र भेज सकता है, जिसमें देय धनराशि विनिर्दिष्ट होगी। ऐसा प्रमाण-पत्र दायत्व की विद्यमानता, उसकी धनराशि और दायी व्यक्ति के सम्बन्ध में निश्चायक साक्ष्य होगा और प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर कलैक्टर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि को उस व्यक्ति से वसूल करने की कार्यवाही करेगा, मानो वह मालगुजारी की बकाया हो : परन्तु यह कि ऐसा वसूली प्रमाण-पत्र व्यक्ति/ब्यौहारी को इस आशय का नोटिस दिये जाने से पूर्व जारी नहीं किया जायेगा : परन्तु यह और कि इस धारा के द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलैक्टर को प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट धनराशि वसूल करने के प्रयोजनों के लिए वे समस्त अधिकार भी प्राप्त होंगे, जो – (क) किसी कलैक्टर को राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अधीन प्राप्त है; और (ख) किसी सिविल न्यायालय को किसी डिकी के अधीन देय धनराशि की वसूली के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन प्राप्त हो। स्पष्टीकरण- “कलैक्टर” पद के अन्तर्गत कोई एडिशनल कलैक्टर या कोई अन्य अधिकारी भी हैं, जो राज्य में मालगुजारी से सम्बन्धित तत्समय प्रचलित विधि के अधीन कलैक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो। (13) जहाँ कर या अर्थदण्ड की कोई धनराशि इस अधिनियम के अधीन किसी वाहन के स्वामी से वसूली योग्य है और वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है तो अधिकारी, जो वसूली प्रमाण-पत्र निष्पादित करने के लिए सक्षम है, ऐसे वाहन और उस स्वामी के अन्य वाहनों का पता लगाने में पुलिस और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की मदद ले सकता है। यदि वसूली अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसे अन्य अधिकारी या कर्मचारी ऐसे वाहन को निरुद्ध करने के लिए सशक्त होंगे। जब कभी ऐसा कोई वाहन किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा निरुद्ध किया जाता है तो वह निरुद्ध किये जाने के समय वाहन के प्रभारी व्यक्ति हो वाहन निरुद्ध करने का कारण लिखित रूप में देगा और तुरन्त वसूली प्रमाण-पत्र को निष्पादित करने वाला अधिकारी ऐसे वाहन के स्वामी के विरुद्ध बकाया की वसूली हेतु विधि के अनुसार कार्यवाही करेगा : परन्तु यह कि यदि वसूली योग्य धनराशि वाहन निरुद्ध किये जाने के बाद जमा कर दी जाती है तो वाहन मुक्त कर दिया जायेगा; परन्तु यह और कि यदि निरुद्ध करते समय कुछ माल उस पर लदा हुआ है और ऐसे माल का स्वामी वाहन के स्वामी से भिन्न व्यक्ति है तो माल के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, यदि वह ऐसा चाहे, वाहन से ऐसे माल को हटाने दिया जायेगा। (14) किसी विधि या संविदा में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, कर निर्धारक प्राधिकारी किसी समय या समय-समय पर लिखित नोटिस द्वारा, जिसकी एक प्रति ब्यौहारी के पास उसके अन्तिम पते पर, जो कर निर्धारक प्राधिकारी को ज्ञात हो, भेजी जायेगी, किसी व्यक्ति से –
--	--	--

		(क) जिसके द्वारा ब्यौहारी को कोई धनराशि देय हो या देय हो जाये; (ख) जिसके पास ब्यौहारी के निमित्त या उसकी ओर से धन हो या बाद में हो जाये, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह कर निर्धारक प्राधिकारी को – (एक) धन देय होने पर या उसके पास होने पर तुरन्त; या (दो) नोटिस में विनिर्दिष्ट समय, जो धन होने या उसके पास होने के पहले न होगा, पर या उसके भीतर, उस धनराशि में से ऐसी धनराशि अदा करे, जो ब्यौहारी द्वारा देय कर के बकाया या इस अधिनियम के अधीन देय अन्य धनराशियों के भुगतान के निमित्त पर्याप्त हो या जब यह उक्त धनराशि के बराबर हो या उससे कम हो तो वह पूरी धनराशि अदा करे। स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए ब्यौहारी को देय धनराशि या ब्यौहारी के निमित्त या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के पास की धनराशि का हिसाब उन दावों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् लगाया जायेगा, जिनके भुगतान उक्त ब्यौहारी द्वारा उस व्यक्ति को देय हो गये हों और उस समय विधितः अवस्थित हो। (15) कर निर्धारक प्राधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर किसी ऐसे नोटिस को संशोधित कर सकता है या वापस ले सकता है। (16) उपधारा (14) के अधीन नोटिस के अनुपालन में भुगतान करने वाले व्यक्ति के विषय में यह समझा जायेगा कि उसने ब्यौहारी के प्राधिकारी से भुगतान किया है और कर निर्धारक प्राधिकारी की रसीद उस व्यक्ति को, ब्यौहारी के प्रति दायित्व से, रसीद में उल्लिखित धनराशि की मात्रा तक विधि संगत और पर्याप्त रूप से उन्मुक्त करेगी। (17) जो व्यक्ति उपधारा (14) में निर्दिष्ट नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् ब्यौहारी के प्रति किसी दायित्व का उन्मोचन करता है तो वह उन्मुक्त दायित्व की मात्रा तक या उस नोटिस में उल्लिखित धनराशि की मात्रा तक, जो भी कम हो, व्यक्तिगत रूप से कर निर्धारक प्राधिकारी के प्रति दायी होगा। [(17क) इस अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (14) के अधीन यदि कोई धनराशि, जो किसी व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारी को दिया जाना अपेक्षित हो, परन्तु ऐसा व्यक्ति वह
--	--	---

..... 1— उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2016 की धारा 7 द्वारा जोड़ा गया।

		(18) यदि कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (14) के अधीन नोटिस भेजा जाता है, कर निर्धारक अधिकारी के समाधानप्रद रूप से यह साबित कर दे कि माँगी गई धनराशि या उसका कोई भाग उसके द्वारा ब्यौहारी को देय नहीं है या ब्यौहारी के निमित्त या उसकी ओर से कोई धनराशि उसके पास नहीं है तो इस धारा में दी गई किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि उसके कारण उस व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि माँगी गई धनराशि या उसके किसी भाग का, जैसी भी दशा हो, कर निर्धारक प्राधिकारी को भुगतान करे। (19) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ब्याज व अर्थदण्ड सहित देय कोई कर भुगतान के लिए तुरन्त देय हो जायेगा, जब वह देय हो जाता है या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में उपबन्धित रीति से निर्धारित किया जाय और ऐसी कोई धनराशि, जो कर, अर्थदण्ड या ब्याज के कारण किसी ब्यौहारी द्वारा देय हो या कोई धनराशि, जिसका कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है, ऐसे ब्यौहारी या व्यक्ति की सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार होगी। (20) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए अन्तर्ग्रस्त धनराशि दस रुपये से कम हो तो इस अधिनियम के अधीन, कोई ऐसा कर, फीस, ब्याज या अर्थदण्ड न तो वसूल किया जायेगा और न ऐसी वापसी की अनुमति दी जायेगी। (21) कर निर्धारण प्राधिकारी को यह शक्ति होगी कि :— (क) किसी व्यक्ति या किसी ब्यौहारी या किसी नैमित्तिक ब्यौहारी को इस अधिनियम के अधीन किसी प्रपत्र या प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना रोक सकता है;
--	--	--

प्रथम प्रभार का दायित्व	34क	{किसी विधि या सविदा में किसी विपरीत बात क होते हुए भी, कोई कर, अथदण्ड या अन्य धनराशि, यदि कोई है, जो किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान की जानी है, ऐसे ब्यौहारी या व्यक्ति की सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार होगा।}2
स्रोत पर कर कटौती द्वारा कर की वसूली	35.	(1) धारा 22 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी ब्यौहारी (जिसे इस धारा में आगे संविदाकार कहा गया है) को किसी ऐसी संकर्म संविदा के, जो ऐसे वर्ग या कीमत की भवन विनिर्माण संविदा न हो, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त लोक हित में अधिसूचित करे, के अनुसरण में किसी माल के (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) स्वामित्व के अन्तरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के कारण किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो, संविदाकार को ऐसा भुगतान करते समय, चाहे नकद या किसी अन्य प्रकार से ऐसी संकर्म संविदा के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन देय सम्पूर्ण कर या जैसी भी दशा हो, उसके किसी भाग की तुष्टि के लिए, उसे देय राशि के {छः प्रतिशत}1 के बराबर धनराशि की कटौती करेगा : परन्तु यह कि कर निर्धारक प्राधिकारी यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना समीची है, कारण अभिलिखित करके आदेश दे सकता है या किसी मामले या जैसी भी दशा हो, किसी वर्ग के मामलों में, कोई ऐसी कटौती नहीं की जायेगी या ऐसी कटौती कम दर पर की जायेगी : परन्तु यह और कि उपधारा (3) के अनुसार, जहाँ किसी संविदाकार द्वारा, अपने उपसंविदाकार को किये गये भुगतान में से कोई कटौती की गई है तो ऐसे भुगतान की धनराशि को, उस धनराशि में से घटा दिया जायेगा, जिसमें से इस उपधारा के अधीन

1—उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 09 वर्ष 2012 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

2— उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2016 की धारा 8 द्वारा अंतस्थापित।

		(2) जब किसी माल के किसी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के किसी करार के अधीन, पट्टेदार, जिसको किसी माल के उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण किया गया है :- (क) एक पंजीकृत ब्यौहारी है; (ख) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार है; (ग) किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम के द्वारा या अधीन गठित कोई स्थानीय प्राधिकारी, कोई निगम या उद्यम है; (घ) कोई सहकारी समिति या कोई अन्य सोसाइटी, क्लब, फर्म या व्यक्तियों का कोई संगम या एक कम्पनी, चाहे निगमित हो अथवा नहीं, तो ऐसा व्यक्ति, जो पट्टाकर्ता को किसी माल के उपयोग के अधिकार को अन्तरित करता है, को ऐसे करार के अधीन दायित्व के निर्वहन के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, माल के उपयोग के अन्तरण के कारण अध्यादेश के अन्तर्गत देय कर की आंशिक या जैसी भी दशा है, सम्पूर्ण संतुष्टि के लिए पट्टाकर्ता को ऐसे भुगतान, चाहे नकद, उधार या किसी अन्य रीति से करते समय ऐसी धनराशि पर [पांच प्रतिशत की दर]¹ से कटौती करेगा : परन्तु यह कि कर निर्धारक प्राधिकारी यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, कारण अभिलिखित करके, आदेश दे सकता है या किसी मामले में या जैसी भी दशा हो, किसी वर्ग के मामलों में कोई ऐसी कटौती नहीं की जायेगी या ऐसी कटौती कम दर पर की जायेगी : परन्तु यह और कि उपधारा (3) के अनुसार, जहाँ किसी संविदाकार द्वारा, अपने उपसंविदाकार को किये गये भुगतान में से कोई कटौती की गई है तो ऐसे भुगतान की धनराशि को, उस धनराशि में से घटा दिया जायेगा, जिसमें से इस उपधारा के अधीन कटौती की जानी है। (3) कोई संविदाकार, जिसे किसी उपसंविदाकार को, उसके साथ संविदाकार द्वारा किये गये संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) में सम्पत्ति के अन्तरण या किसी का किसी भी प्रयोजनार्थ उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के लिए की गई किसी संविदा के पूर्ण या आंशिक अनुसरण में कोई भुगतान करने या किसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी हो, नकद या चैक या ड्राफ्ट द्वारा या किसी अन्य रीति से ऐसा भुगतान या निर्वहन करते समय, उप संविदाकार द्वारा प्रस्तुत बिल या बीजक से, जो संविदाकार द्वारा देय हो, ऐसे अन्तरण पर इस अधिनियम के अधीन देय कर के आंशिक या पूर्ण भुगतान के रूप में, ऐसे भुगतान या निर्वहन के चार प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती करेगा : परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन उतनी धनराशि पर कोई कटौती नहीं की जाएगी, जितनी पर उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन पहले ही कटौती की जा चुकी हो। (4) उपधारा (1) या उपधारा (2) उपधारा (3) के अधीन काटी गई धनराशि ऐसी कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा उस माह, जिसमें कटौती की जाय, के आगामी माह की समाप्ति के पूर्व सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी।
--	--	--

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 11 वर्ष 2015 की धारा 4(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

		(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन ऐसी कटौती करने वाला व्यक्ति, भुगतान या निर्वहन करते समय उस व्यक्ति को, जिसके बिल या बीजक से ऐसी कटौती की जाय, एक प्रमाण-पत्र, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाय, देगा। (6) संविदाकार या उपसंविदाकार को भुगतान करने के लिये उत्तरायी व्यक्ति ऐसे कालान्तरों पर, ऐसी कालावधि के भीतर और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, ऐसे भुगतान की विवरणी प्रस्तुत करेगा किन्तु कर निर्धारक प्राधिकारी स्वविवेकानुसार, कारणों को अभिलिखित करके, ऐसे व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ा सकता है। (7) किसी कटौती को, जो इस धारा के उपबन्धों के अनुसार की गयी हो और सरकारी कोषागार में जमा की गयी हो, उस व्यक्ति की ओर से, जिसके बिल या बीजक से ऐसी कटौती की गई है, कर का भुगतान माना जायेगा और उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर सुसंगत कर निर्धारण वर्ष के लिए किये गये कर निर्धारण में इस प्रकार काटी गयी धनराशि उस व्यक्ति की ओर से जमा धनराशि मानी जायेगी। 1{(8) यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति ; (क) इस धारा के अंतर्गत कटौती करने योग्य राशि की कटौती करने में असफल रहता है तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि वह अर्धदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा इस धारा के अधीन काटने योग्य ऐसी धनराशि के एक सौ पन्द्रह प्रतिशत से कम एवं एक सौ पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; या (ख) इस प्रकार काटी गयी धनराशि को उपधारा (4) की अपेक्षानुसार एवं निर्धारित समयावधि में जमा करने में असफल रहता है, तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति; (एक) यदि ऐसी राशि जमा करने में विलम्ब एक माह से अधिक नहीं है, ऐसी धनराशि जो ऐसी राशि के दो प्रतिशत के बराबर होगी, का भुगतान अर्धदण्ड के रूप में करेगा; और (दो) यदि ऐसी राशि जमा करने में विलम्ब एक माह से अधिक है, ऐसी धनराशि, जो ऐसी राशि के पन्द्रह प्रतिशत से कम तथा पच्चीस प्रतिशत से अधिक न होगी, का भुगतान अर्धदण्ड के रूप में करेगा।} (9) उपधारा (8) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात् इस प्रकार काटी गयी धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो वह इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गई और यदि काटी गयी तो इस प्रकार जमा न की गयी धनराशि पर उस तारीख से जब ऐसी धनराशि कटौती योग्य थी, से उस तारीख तक जब ऐसी धनराशि वास्तव में जमा की गयी, 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का देनदार होगा।
--	--	---

1- उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2015 की धारा 4(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।

		2[(10) उपधारा (8) के उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कटौती करने के पश्चात् धनराशि जमा न की गयी हो तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आदेश पारित करके निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी राशि को उपधारा (9) में निर्दिष्ट ब्याज सहित जमा करे और ऐसी राशि, ऐसे ब्याज सहित सम्बद्ध व्यक्ति की समस्त आस्तियों पर भार होगी।]2 (11) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अनुसार कटौती के रूप में किये गये भुगतान का संविदाकार या जैसी भी दशा हो, उपसंविदाकार से इस अधिनियम के अधीन देय कर की वसूली की किसी अन्य रीति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “कर निर्धारक प्राधिकारी” से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसको उस स्थान पर अधिकारिता हो, जहाँ व्यक्ति के कारबार का स्थान या निवास स्थित हो। (12) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात कर निर्धारक प्राधिकारी को ब्यौहारी द्वारा इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर का निर्धारण करने से नहीं रोकेंगी और इस धारा में किसी बात के होते हुए भी ब्यौहारी इस अधिनियम के अन्य सुसंगत उपबन्धों के अधीन कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा। [(13) (क) इस धारा के उपबन्धों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, यदि वह पंजीकृत ब्यौहारी नहीं है, कर निर्धारक प्राधिकारी को टैक्स डिडक्शन एकाउन्ट नम्बर आवंटित करने हेतु विहित प्रारूप में प्रार्थना पत्र दाखिल करेगा। कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा प्रार्थना-पत्र का निस्तारण ऐसे समय में और ऐसी रीति से, जैसी की विहित की जाय, किया जायेगा; (ख) यदि प्रार्थना पत्र व्यवस्थित रूप में है तथा उसमें उल्लिखित विशिष्टियाँ सही हैं तो कर निर्धारक प्राधिकारी उसे एक टैक्स डिडक्शन एकाउन्ट नम्बर आवंटित करेगा; (ग) टैक्स डिडक्शन एकाउन्ट नम्बर, टैक्स जमा करने से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों तथा सभी पत्राचार एवं दाखिल विवरणियों में उल्लिखित किया जायेगा। पंजीकृत ब्यौहारी से भिन्न कोई व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती नहीं कर सकेगा जबतक कि उसने टैक्स डिडक्शन एकाउन्ट नम्बर के लिये आवेदन नहीं किया है; (घ) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति टैक्स डिडक्शन एकाउन्ट नम्बर आवेदन करने में असफल रहता है तो वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अर्थदण्ड के लिये दायी होगा।]1
		अध्याय चार वापसी और समायोजन
वापसी	36.	(1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कर निर्धारक प्राधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा देय धनराशि से अधिक भुगतान किये गये किसी कर, अर्थदण्ड और ब्याज की धनराशि, यदि कोई हो, उसे वापस कर देगा :

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 25 वर्ष 2010 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 11 वर्ष 2015 की धारा 4(तीन) द्वारा प्रतिस्थापित।

	परन्तु यह कि वापस करने योग्य पायी गयी धनराशि प्रथमतः इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 या उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1048) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अधीन ब्यौहारी द्वारा देय कर या किसी अन्य धनराशि के प्रति समायोजित की जायेगी और केवल शेष धनराशि, यदि कोई हो, वापस की जायेगी। (2) जहाँ किसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत किये गये विवरणी के अनुसार किसी ब्यौहारी को कोई धनराशि वापस करने योग्य है तो ऐसी वापसी की धनराशि अनन्तिम रूप से धारा 6 की उपधारा (10), उपधारा (11) या उपधारा (12) के उपबन्धों के अधीन समायोजित की जा सकती है। [(3) यदि कोई धनराशि उपधारा (1) या उपधारा (2) के अनुसार वापसी योग्य पाई जाती है, तो वापसी विहित रीति जिसमें इलैक्ट्रॉनिक विधि सम्मिलित है, से वापसी के आदेश की तारीख अथवा यदि ऐसा आदेश किसी सक्षम प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है तो कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा वापसी के आदेश की प्राप्ति के एक माह के भीतर की जायेगी। यदि वापसी ऐसे आदेश की तारीख अथवा जैसी भी स्थिति हो, कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा ऐसे वापसी के आदेश की प्राप्ति की तारीख के साठ दिन के भीतर नहीं की जाती है, तो ब्यौहारी ऐसी अवधि की समाप्ति से वापसी की तारीख तक ऐसी धनराशि पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज का हकदार होगा; परन्तु यह कि धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसार उन मामलों में जिन्हें स्वतः कर निर्धारित किया गया है, कोई धनराशि वापसी योग्य पायी जाती है तो वापसी उस विशिष्ट कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी दाखिल करने के लिये विहित अन्तिम तारीख अथवा वास्तविक तारीख जब कि वार्षिक विवरणी दाखिल की गयी है, जो भी पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर की जायेगी।] (4) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, किसी ब्यौहारी द्वारा दाखिल विवरणी में या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी भी स्तर पर स्वीकृत विक्रय आवर्त या क्रय आवर्त या दोनों,, जैसी भी दशा हो, इस अधिनियम के अधीन देय कोई कर या फीस की वापसी स्वीकृत नहीं की जायेगी। (5) इस धारा में दी गई किसी प्रतिकूल बात के रहते हुए भी, किसी ब्यौहारी, जिसको कोई धनराशि वापस करने के लिए अनुमन्य की जाती है, वापस किये जाने की तारीख से पूर्व, कर निर्धारक प्राधिकारी को इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अधीन अपनी भावी देयता के समायोजन हेतु वापसी की धनराशि को रोकने के लिए आवेदन दे सकता है। यदि ब्यौहारी द्वारा वापसी की धनराशि को रोकने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो कर निर्धारक प्राधिकारी वापसी की धनराशि को रोक लेगा। ऐसी दशा में ब्यौहारी ब्याज का हकदार नहीं होगा। स्पष्टीकरण 1— 'वापसी' पद के अन्तर्गत उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन कोई समायोजन भी है। स्पष्टीकरण 2— यदि वापसी इलैक्ट्रॉनिक विधि से की जाती है तो वापसी की तारीख वह तारीख समझी जायेगी, जिस तारीख में वापसी की गयी है अन्यथा वापसी की तारीख वह मानी जायेगी जिस तारीख को रिफण्ड वाऊचर तैयार करने की सचना ब्यौहारी को विहित रीति
--	--

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 25 वर्ष 2010 की धारा 8 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 8 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

निर्यातकों के मामले में अनन्तिम वापसी	37.	(1) यदि किसी पंजीकृत ब्यौहारी ने इस अधिनियम के द्वारा या अधीन यथा अपेक्षित विवरणी दाखिल किया है और विवरणी निर्यात के दौरान की गई विक्रय के कारण ब्यौहारी को वापसी योग्य धनराशि दर्शाता है तो ब्यौहारी कर निर्धारण के लम्बित रहते हुए, अनन्तिम वापसी, यदि कोई हो, स्वीकृत किये जाने हेतु प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बार कर निर्धारक प्राधिकारी को विहित रीति से आवेदन कर सकता है। [(2) ऐसे ब्यौहारी द्वारा, अनन्तिम वापसी की धनराशि के समतुल्य धनराशि के लिए, कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार बैंक गारन्टी या अन्य प्रतिभूति या माल के निर्यात का दस्तावेजी साक्ष्य, प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसी गारन्टी या अन्य प्रतिभूति या माल के निर्यात का दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त होने पर, कर निर्धारक प्राधिकारी इस धारा एवं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, 30 दिन के अन्तर वापसी योग्य धनराशि की अनन्तिम वापसी ब्यौहारी को देगा। ब्यौहारी अपने द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारन्टी या प्रतिभूति को, अन्तिम कर निर्धारण के बाद अधिक वापसी योग्य धनराशि, यदि कोई हो, के भुगतान की तारीख तक वैध रखेगा : परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वापसी योग्य पाई गई धनराशि यदि ब्यौहारी को विहित अवधि के भीतर वापस नहीं की जायेगी तो ब्यौहारी ऐसी धनराशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज का हकदार होगा।] (3) ऐसे ब्यौहारी का ऐसे वर्ष, जिसमें उक्त विवरणी से आच्छादित अवधि अन्तर्विष्ट है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण जहाँ तक व्यावहारिक हो गणायोज्य किया जायेगा।
		(4) यदि कर निर्धारण पर उपधारा (2) के अधीन दी गयी अनन्तिम वापसी अधिक पायी जाती है तो वापसी की अधिक धनराशि ब्यौहारी से ब्याज सहित वसूल की जायेगी, मानो कि यह इस अधिनियम के अधीन ब्यौहारी द्वारा स्वीकृत रूप से देय कर है। (5) अनन्तिम वापसी किये जाने की तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा।
राजदूतावासों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों या विशेष आर्थिक जोन में स्थापित इकाइयों को किये गये विक्रय पर कर की वापसी	38.	(1) इस अधिनियम की अनुसूची पाँच में सचीबद्ध राजदूतावासों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों या ब्यौहारी, माल के क्रय पर उनके द्वारा भुगतान किये गये कर की वापसी का दावा करने के हकदार होंगे और धारा 36 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, वापसी के लिए देय धनराशि वापसी का दावा प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर वापसी कर दी जायेगी। (2) विशेष आर्थिक जोन में स्थापित इकाई घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थापित किसी इकाई से किये गये विक्रय पर कर पर भुगतान किये गये कर की वापसी का दावा करने का हकदार होगी और ऐसा ब्यौहारी निर्यातकों के मामलों में समान ऐसी धनराशि की वापसी का पात्र होगा और वे ऐसे मामले में धारा 37 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

1-उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 05 वर्ष 2008 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।

कतिपय मामों में वापसी को रोकने की शक्ति	39.	(1) जहाँ वापसी का घटित करने वाला काइ आदश किसी अपील या आग की कायवाही की विषयवस्तु है या जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य कार्यवाही निलम्बित है और कर निर्धारक प्राधिकारी इस राय का है कि ऐसी वापसी राजस्व को प्रतिकूलतया प्रभावित कर सकती है और बाद में धनराशि को वसूल करना सम्भव नहीं हो सकता है तो कर निर्धारक प्राधिकारी, कमिश्नर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति से, वापसी को ऐसे समय तक, जैसा वह अवधारित करे, रोक सकता है। (2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी वापसी को रोका जाता है और अपील या आगे की कार्यवाही या किसी अन्य कार्यवाही के फलस्वरूप ब्यौहारी वापसी का हकदार बना जाता है तो ऐसी वापसी योग्य धनराशि पर, जैसा कि धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन उपबन्धित है, ब्याज का हकदार होगा : परन्तु यह कि यदि इस धारा के अधीन कोई वापसी रोकी गई है और वापसी योग्य धनराशि में से कोई धनराशि ब्यौहारी की किसी कर देयता के प्रति समायोजित की जाती है तो ब्यौहारी इस प्रकार समायोजित की गई धनराशि पर सुसंगत अवधि के लिए ब्याज का हकदार नहीं होगा।
---	-----	---

ब्यौहारी द्वारा कर के रूप में गलत वसूल की गई धनराशि का वितरण	40.	(1) जहाँ धारा 22 क उपबन्धां का उल्लघन करके किसी ब्यौहारी द्वारा किसी व्यक्ति क माल के विक्रय या क़य पर कर के रूप में तात्पर्यित कोई धनराशि वसूल की जाय, वहाँ ऐसा ब्यौहारी इस प्रकार वसूल की गई सम्पूर्ण धनराशि ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर, जैसी वहाँ विहित की गयी है, जमा करेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन किसी ब्यौहारी द्वारा जमा की गई कोई धनराशि उस मात्रा तक, जहाँ तक वह कर के रूप में देय न हो, राज्य सरकार द्वारा उस व्यक्ति की, जिससे ब्यौहारी ने वसूल किया हो अथवा उस व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि की धरोहर के रूप में रखी जायेगी और इस प्रकार जमा करने से ऐसा ब्यौहारी जमा धनराशि की मात्रा तक तत्सम्बन्धी दायित्व से उन्मुक्त होगा। (3) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी ब्यौहारी द्वारा कोई धनराशि जमा की जाय तो ऐसी धनराशि या उसके किसी भीग के लिए तदर्थ दावा किये जाने पर उसे ऐसे व्यक्ति को, जिससे ऐसे ब्यौहारी ने धनराशि या उसके भाग को वास्तव में वसूल किया हो अथवा उसके विधिक प्रतिनिधि को और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, विहित रीति से वापस कर दी जायेगी;
		परन्तु यह कि इस प्रकार का कोई दावा कर निर्धारण आदेश की तारीख से तीन वर्ष या इसके सम्बन्ध में अपील अथवा पुनरीक्षण, यदि कोई हो, में अन्तिम कार्यवाही की तारीख से एक वर्ष, जो भी बाद में हो, की समाप्ति के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जायेगा। (4) जहाँ किसी ब्यौहारी द्वारा उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन कोई धनराशि जमा की गई है तो ब्यौहारी ऐसी धनराशि को माल के क्रेता को वापस करने का हकदार नहीं होगा। स्पष्टीकरण— “अपील या पुनरीक्षण” पद में अन्तिम आदेश के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 137 के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा अथवा अनुच्छेद 226 या 227 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा दिय गया आदेश भी है।

ब्याज	41.	41. {(1) कोई ब्यौहारी या व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी आदेश, या किसी न्यायालय के किसी आदेश के अनुसरण में वापसी का हकदार है, तो वह नियमों के अध्याधीन वापसी के अतिरिक्त 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने का भी हकदार होगा, यदि धारा 36 के उपबन्धों के अनुसार रिफण्ड वाऊचर/रिफण्ड की इलैक्ट्रॉनिक सूचना नहीं भेजी जाती है}। (2) ब्याज की गणना वापसी की धनराशि में से इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अधीन किसी कर, ब्याज, अर्थदण्ड या अन्य किसी देय धनराशियों को घटा कर की जायेगी। (3) यदि इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणाम स्वरूप ऐसी वापसी की धनराशि बढ़ या घट जाती है तो ऐसा ब्याज तदनुसार बढ़ाया या घटाया जायेगा। (4) जब कोई ब्यौहारी स्वीकृत कर से अधिक धारा 24, धारा 25 या धारा 26 के अधीन कर निर्धारित कर की किसी धनराशि का भुगतान करने में चूक करता है या चूक करता समझा जाता है तो वह ऐसी धनराशि पर ऐसे कर के भुगतान के लिए विहित समय के बाद ऐसी चूक की तारीख से ऐसे समय जब तक चूक जारी रहती है और भुगतान के लिए विहित समय के बाद तीन माह तक धनराशि बिना भुगतान शेष रहती है तो वह 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा। (5) जहाँ ऐसे किसी आदेश द्वारा देय कर की धनराशि बढ़ाई जाती है तो कर की इस प्रकार बढ़ाई धनराशि पर ब्याज कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा जारी माँग की नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के बाद की अवधि के लिए देय होगा, यदि भुगतान के लिए विहित समय के तीन माह तक धनराशि का भुगतान न किया गया हो। (6) जहाँ ऐसे किसी आदेश द्वारा कर की धनराशि बढ़ाई जाती है तो कर की इस प्रकार बढ़ाई धनराशि पर ब्याज कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा जारी माँग की नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन समाप्ति के बाद की अवधि के लिए देय होगा, यदि भुगतान के लिए विहित समय के तीन माह तक धनराशि का भुगतान न किया गया हो। (7) जहाँ किसी धनराशि की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के आदेश के द्वारा स्थगित रहती है और ऐसा आदेश बाद में अपास्त हो जाता है तो ब्याज ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा आदेश प्रभावी रहा है, के लिए भी देय होगा। (8) कर का भुगतान न करने या विलम्ब से करने पर इस अधिनियम के अधीन आरोपणीय ब्याज कर की धनराशि, जिस पर यह ब्याज प्रभारित किया गया है, से अधिक नहीं होगा। (9) इस अधिनियम के अधीन देय ब्याज इस अधिनियम के अधीन देय कर समझा जायेगा।
-------	-----	---

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 25 वर्ष 2010 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

		अध्याय छः लेखों का निरीक्षण, तलाशी एवं अभिग्रहण और जाँच चौकियों की स्थापना
--	--	--

लेखों को दिखाने की आज्ञा देने की शक्ति और प्रवेश एवं निरीक्षण करने की शक्ति	42.	(1) कोई ऐसा अधिकारी, जिसको राज्य सरकार ने इस निमित्त सशक्त किया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी ब्यौहारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति, जो स्वयं या दूसरे ब्यौहारी की ओर से माल का क्रय विक्रय या सम्भरण का कारबार करता है, से अपेक्षा कर सकता है कि वह उसके सामने ऐसी बही, लेखे, दस्तावेज या हिसाब-किताब उपस्थित करे, जिसका सम्बन्ध उसके कारबार से हो या दूसरे ब्यौहारियों के कारबार से हो और उक्त अधिकारी उसका निरीक्षण और परीक्षण कर सकता है और उसकी प्रतिलिपि ले सकता है और ब्यौहारी से उसके कारबार के सम्बन्ध में या दूसरे ब्यौहारियों के सम्बन्ध में ऐसी जाँच कर सकता है, जो आवश्यक हो : परन्तु यह कि कर निर्धारण वर्ष से 5 वर्ष पूर्व से अधिक की बहियाँ, दस्तावेज और लेखे इस प्रकार अपेक्षित नहीं होंगे, जब तक कि किसी विशेष स्थिति में, जिसके लिए कारण अभिलिखित करने होंगे, उक्त अधिकारी उनका तलब किया जाना आवश्यक न समझे। (2) सभी बहियाँ, दस्तावेज और लेखे, जिनको कोई ब्यौहारी या व्यक्ति अपने कारबार के सामान्य क्रय में रखता हो, माल जो उसके पास हो और उसके कारबार के स्थान या वाहन में हो, युक्तियुक्त समय पर ऐसे अधिकारियों, जिनको इस सम्बन्ध में राज्य प्राधिकार दे, के द्वारा तलाशी लिये जाने और निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस धारा के प्रयोजन के लिए अधिकारी, जो कि उसके अधीन प्राधिकृत है, किसी भी कारबार के स्थान अथवा वाहन अथवा कोई भवन अथवा स्थान, जहाँ उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ब्यौहारी वहाँ अपने कारबार से सम्बन्धित कोई बहियाँ, रजिस्टर, दस्तावेज, लेखे अथवा माल रखता है अथवा फिलहाल रख रहा है, में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है और उसके कर्ता, कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति, जो उस समय और स्थान पर किसी भी रूप में कारबार की देखभाल कर रहा है या कारबार में मदद कर रहा है, को आदेशित कर सकता है कि वह उसे— (क) ऐसी लेखा बहियाँ और अन्य दस्तावेजों, जिनको वह अपेक्षित समझे और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हो, का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करे; (ख) नकदी, स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तु या सामान, जो कि वहाँ पाया जाय, की जाँच या सत्यापन करने की आवश्यक सुविधा प्रदान करे; और (ग) ऐसी सूचना, जो वह किसी मामले में अपेक्षित समझे और जो इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, प्रदान करे। (3) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी किसी कारबार परिसर या आवासीय स्थान में न तो प्रवेश किया जायेगा, न उसका निरीक्षण किया जायेगा और न उसकी तलाशी ली जायेगी, जब तक कि कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत ज्वाइंट कमिश्नर से अनिम्न पद के किसी अधिकारी द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत न किया जाये। स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए ऐसे स्थान, जहाँ पर वह व्यक्ति कारबार में संलग्न है, में कोई अन्य स्थान भी शामिल होगा, जहाँ पर कारबार में संलग्न व्यक्ति या उक्त कर्मचारी या अन्य व्यक्ति, जो कारबार की देखभाल कर रहा है या उसमें मदद कर रहा है, कहता है कि वहाँ कारबार से सम्बन्धित कोई लेखाबहियाँ या अन्य दस्तावेज या नकदी, स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तु या सामान का कोई भाग रखा जाता है या रखा गया है।
---	-----	---

		(4) यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी अपने द्वारा निरीक्षित लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों से उद्धरण या नकल बना सकता है या बनवा सकता है, अपने द्वारा जाँच की गई और सत्यापित किसी नकदी, स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तु या सामान की सूची बना सकता है और किसी भी व्यक्ति का बयान, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, दर्ज कर सकता है। (5) यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसा विश्वास करने का यथोचित कारण हो कि कोई ब्यौहारी इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य देय धनराशियों के दायित्व से बचने का प्रयत्न कर रहा है और यह कि उसके दायित्व की जाँच के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई बात किसी लेखे, खाते या दस्तावेज में प्राप्त की जा सकती है तो वह ऐसे लेखे, खाते या दस्तावेज, जैसा आवश्यक हो, का अभिग्रहण कर सकता है। उक्त लेखे, खाते या दस्तावेज को अभिगृहीत करने वाला अधिकारी उसके लिए तुरन्त रसीद देगा और वह उनसे ऐसी प्रतिलिपियाँ या उद्धरण लेने के बाद, जो आवश्यक समझे जायें, इस प्रकार अभिग्रहण करने की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर उन्हें उस ब्यौहारी या व्यक्ति को लौटा देने के लिए बाध्य होगा, जिसकी अभिरक्षा के लेकर उनका अभिग्रहण किया गया हो; परन्तु यह कि ब्यौहारी या उपर्युक्त व्यक्ति उस लेखे, खाते या दस्तावेज, जो उसे लौटाये जायें, की लिखित रसीद देगा। अधिकारी लेखे, खाते या दस्तावेज, लौटाने के पूर्व उस पर एक या अधिक स्थानों पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है और अपनी सरकारी मुहर लगा सकता है और ऐसी दशा में ब्यौहारी या उपर्युक्त व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह अपनी दी गयी रसीद में उन स्थानों की संख्या का उल्लेख करे, जहाँ पर ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर प्रत्येक लेखे, खाते या दस्तावेज में किये गये या लगाये गये हों। स्पष्टीकरण— इस उपधारा में विनिर्दिष्ट समय की गणना करने में ऐसी अवधि, जिसमें किसी न्यायालय या प्राधिकारी के आदेशों के अधीन इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही स्थगित रही हो, को निकाल दिया जायेगा। (6) उपधारा (5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस उपधारा के अधीन कोई लेखा, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, उन कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे और कमिश्नर के पूर्वानुमोदन से, ऐसे लेखे, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को उनसे सम्बन्धित कर निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियाँ पूरी होने की तारीख से तीस दिन अधिक अवधि के लिए, जैसा वह आवश्यक समझे, रोक सकता है। (7) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कार्य करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को – (क) कारबार के स्थान या वाहन में पाये गये किसी सन्दूक, आलमारी या अन्य पात्र, जिसमें यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई लेखे, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या माल रखे जाते हैं अथवा उसके अन्दर है, यदि ऐसे कारबार के स्थान या वाहन या सन्दूक, आलमारी या अन्य पात्र का स्वामी अथवा अध्यासी या प्रभारी व्यक्ति उस स्थान को छोड़ दे या वहाँ उपलब्ध न हो अथवा जब उससे खोलने को कहा जाये तो उसे न खोले अथवा खोलने से इन्कार करें तो मुहर बन्द करने का अधिकार होगा; (ख) यदि कार्यालय, दुकान, गोदाम या वाहन में पाये गये सन्दूक, आलमारी या अन्य पात्र का स्वामी या अध्यासी दूसरा व्यक्ति उपस्थित है किन्तु उस स्थान से चला जाता है या उसको ऐसा करने के लिए मौकार दिये जाने के बाद ऐस कार्यालय, दुकान, गोदाम, वाहन या सन्दूक, आलमारी या अन्य पात्र को नहीं खोलता है तो उसे तोड़कर खोल सकता है और
		(8) कोई भी व्यक्ति उपधारा (7) के अधीन लगाई गई किसी मोहर से अन्तःक्षेप नहीं करेगा। (9) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन सशक्त कोई अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को – (क) जो किसी ब्यौहारी को या उसकी ओर से देने के निमित्त किसी माल का परिवहन करता है या उसी अभिरक्षा में रखता है, यह आदेश दे सकता है कि वह उक्त माल के सम्बन्ध में ऐसी सूचना, जो उसके पास होने की सम्भावना हो, दे अथवा उसका निरीक्षण करने दे; (ख) जो किसी ब्यौहारी के कारबार के सम्बन्ध में कोई लेखा बही या दस्तावेज रखता हो या उसे अपने अधिकार में रखा हो, यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे बही या

		(10) यदि किसी ब्यौहारी के कारबार के स्थान पर तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के पास से या उसके नियंत्रण में रखे कोई लेखा पुस्तकें, अन्य दस्तावेज, पैसा या माल पाया जाता है तो जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो, यह अवधारणा की जायेगी कि ऐसी लेखा पुस्तकें, अन्य दस्तावेज, पैसा या माल ऐसे ब्यौहारी के है। (11) वह अधिकारी, जिसने किन्हीं लेखे, बहियों या दस्तावेजों का निरीक्षण या जाँच पड़ताल या तलाशी या अभिग्रहण किया है अथवा अधिकारी, जिसने इस धारा के अधीन जाँच पड़ताल की है, वहाँ पाये गये तथ्यों के आधार पर ऐसे निरीक्षण या तलाशी या अभिग्रहण या जाँच पड़ताल के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और जहाँ रिपोर्ट तैयार करने वाला अधिकारी कर निर्धारक प्राधिकारी से भिन्न अधिकारी है, तो ऐसा अधिकारी ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति ब्यौहारी के कर निर्धारक प्राधिकारी को भेजेगा। (12) कर निर्धारक प्राधिकारी किसी ब्यौहारी या ब्यौहारियों के किसी वर्ग को उन व्यक्तियों और ब्यौहारियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने ऐसे ब्यौहारी या ब्यौहारियों के वर्ग से किसी दी गयी अवधि के दौरान कोई माल क़य किया है या उन्हें कोई माल बेचा है, उनके नाम, पते और ऐसे अन्य विवरण, जैसा कि वह आवश्यक समझे, की सूचना देने के लिए आदेशित कर सकता है। (13) कर निर्धारक प्राधिकारी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के विभागों और बैंकिंग कम्पनियों सहित वित्तीय संस्थाओं से ऐसे ब्यौरे और विशिष्टियाँ माँग सकता है, जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत एवं उपयोगी होंगे। (14) कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा इस अध्यादेश के अधीन लेखा पुस्तकों के निरीक्षण और किसी ब्यौहारी (पंजीकृत या अपंजीकृत दोनों) के कारबार के स्थान में प्रवेश और तलाशी लेने की शक्तियों के रहते हुए भी कमिश्नर, ऐसे ब्यौहारी, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान के लिए दायी है, को चिन्हित करने की दृष्टि से समय-समय पर अपंजीकृत ब्यौहारियों का सर्वेक्षण करा सकता है।
माल के संचलन में साथ ले जाय जाने वाले दस्तावेज एवं दी जाने वाली सूचनाएँ	42-क	(15) टाइटल प्रकिंग संज्ञित 1073 की धारा 100 और धारा 165 के उपबन्ध गथाशकका दस धारा किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, कोई माल, ऐसी मात्रा या माप या कीमत से अधिक, जैसा कि राज्य सरकार उस निमित्त अधिसूचित करे, के संचलन का इरादा रखता है, तो वह माल के संचलन से पूर्व इस सम्बन्ध में ऐसे दस्तावेज तैयार करेगा जिसमें ऐसी सूचनाएँ निहित हों, जैसा कि विहित किया जाय, और ऐसी सूचनाओं को ऐसे प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारूप और तरीके और ऐसे समय के अन्दर, जैसा कि विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा और माल के संचलन के दौरान ऐसा दस्तावेज तथा बीजक/चालान (जो लागू हो) एवं माल के हक के दस्तावेज/जी0आर0/बिल्टी अथवा
माल निकासी, अग्रेषण या बुकिंग अभिकर्ता या माल परिवहनकर्ता पर नियंत्रण	42-ख	(1) प्रत्येक निकासी, अग्रेषण या बुकिंग अभिकर्ता या दलाल या माल परिवहनकर्ता या अन्य कोई व्यक्ति जिसका राज्य में, ऐसे कारबार का, अपना स्थान है, और जो अपने कारबार के दौरान किसी ब्यौहारी या किसी व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से माल के हक के दस्तावेज सम्भालता है, या किसी ब्यौहारी या किसी व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से माल का परिवहन करता है, या उसका परिदान लेता है, राज्य के भीतर अपने व्यापार के सीन एवं माल के परिवहन के लिये अपने स्वामित्व के वाहनों या भाड़े पर लिये गये वाहनों की सूचना ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति के अनुसार और ऐसी अवधि में, जैसा कि विहित की जाय, प्रस्तुत करेगा।

	(2) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक ऐसा अभिकर्ता या व्यक्ति परिवहित, परिदत्त अथवा परिवहन के लिये प्राप्त किये गये माल के सम्बन्धित ऐसी सूचनाओं से युक्त, जैसा कि विहित किया जाय, पूर्ण एवं सत्य अभिलेख तथा माल के हक के दस्तावेजों की प्रति रखेगा और ऐसे प्रारूप एवं ऐसी रीति के अनुसार एवं ऐसी अवधि में जैसा कि विहित किया जाय, किसी व्यौहारी या व्यक्ति के माल के सम्बन्धित सत्य एवं पूर्ण विशिष्टियों एवं सूचनाओं को तथा माल के हक के दस्तावेजों की प्रति को कमिश्नर द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उल्लिखित अभिलेखों और दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष, जब भी अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा। (3) उपधारा (1) में उल्लिखित कोई अभिकर्ता या व्यक्ति कथित उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्राविधानों का उल्लंघन करता है, तो उपधारा (1) उपधारा (2) में उल्लिखित कोई प्राधिकारी ऐसे अभिकर्ता या व्यक्ति को सुनवायी का अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रथम उल्लंघन के लिये एक हजार रुपये से अनधिक धनराशि, और यदि उल्लंघन लगातार रहता है तो अपराध की निरंतरता अवधि में प्रत्येक दिवस के लिये दो सौ रुपये से अनधिक धनराशि अर्थदण्ड के रूप में जमा करने के लिये निर्देशित कर सकता है। (4) उपधारा (1) में उल्लिखित कोई अभिकर्ता या व्यक्ति परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से ऐसा कोई कार्य करता है, जिसकी परिणति कर के अपवंचन में होती है अथवा यदि ऐसे अपवंचन का पता नहीं चलता और समय से नहीं रोका जाता, तो करापवंचन हो गया होता, विहित प्राधिकारी उसे सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त व्यौहारी अथवा व्यक्ति के सम्बन्धित माल में अन्तर्ग्रस्त कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या माल पर आरोपणिय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड के रूप में अदा करने को निर्देशित कर सकता है, ऐसे मामले में उपधारा (1) में उल्लिखित अभिकर्ता या व्यक्ति को इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए व्यौहारी समझा जायेगा और वह इस प्रकार अपवंचित कर अथवा ईप्सित अपवंचित कर को जमा करने का दायी होगा। इस प्रकार आरोपित किया गया अर्थदण्ड और कर इस अधिनियम के किसी अन्य प्राविधानों अथवा उक्त समय में लागू अन्य विधि प्राविधानों के अन्तर्गत उसके दायित्वों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले प्रभावी होगा। स्पष्टीकरण :— (क) निकासी, अग्रेषण, बुकिंग एजेंट अथवा दलाल में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जो रेलवे परिसर, एयर कार्गो काम्प्लैक्स, कन्टेनर डिपो, बुकिंग एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी कार्यालय अथवा माल का लदान करने या माल उतारे जाने का कोई स्थान या इस युक्ति के स्थान पर निकासी, अग्रेषण या बुकिंग या माल के परिदान की सेवाएँ देता है और किसी व्यौहारी की ओर से भी, ईनाम, कमिशन, पारिश्रमिक अथवा मूल्यवान प्रतिफल या अन्य के लिये सौदा या संविदा कराता है अथवा सम्पन्न करता है; और (ख) माल परिवहनकर्ता व्यक्ति में स्वामी के अतिरिक्त मैनेजर, अभिकर्ता, ड्राइवर, स्वामी का कर्मचारी, माल के लदान व उतारे जाने के स्थान का प्रभारी या अन्य स्थानों को माल के प्रेषण के लिये ले जाये जा रहे यान का प्रभारी अथवा परेषिती को परेषित किये गये माल का परिदान देने वाला व्यक्ति सम्मिलित होगा। (5) धारा 51 में अन्य किसी बात के होते हुए भी इस धारा की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन
--	--

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2012 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

माल का अभिग्रहण करने की शक्ति	43.	(1) धारा 42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी ऐसे माल का अभिग्रहण करने की शक्ति होगी – (क) जो किसी ब्यौहारी के कारबार स्थल पर या वाहन या किसी अन्य भवन में या स्थान पर पाया जाय; या (ख) जिसके सम्बन्ध में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि माल ब्यौहारी का है और जो उसके कारबार स्थल या वाहन अथवा भवन में या स्थान पाया जाये किन्तु जिसका लेखा ब्यौहारी द्वारा अपने कारबार के दौरान रखे गये लेखों, रजिस्ट्रों या अन्य दस्तावेजों में न रखा गया हो : परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन अभिगृहीत सभी माल की सूची ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी और उस पर उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि ब्यौहारी को दी जायेगी। (2) यदि राज्य सरकार इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी वाहन, भवन या स्थान में पाया गया माल वास्तविक ब्यौहारी का नहीं है अथवा यह संदेह हो कि ऐसे माल को किसी ब्यौहारी ने अपने कारबार के दौरान रखे गये लेखों, रजिस्ट्रों या अन्य दस्तावेजों में उचित रूप से लेखबन्द नहीं किया है तो ऐसे माल का अभिग्रहण करने की शक्ति होगी और ऐसे अभिग्रहण के सम्बन्ध में इस धारा के शेष उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। (3) उपधारा (1) के अधीन माल अभिग्रहण करने वाला अधिकारी उनकी निरापद अभिरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा और अभिग्रहण से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजों के साथ उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट सूची, सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी को भेजेगा। (4) उक्त कर निर्धारक प्राधिकारी, ब्यौहारी या यथास्थिति, अभिग्रहण किये जाने के समय माल के प्रभारी व्यक्ति, (जिसे आगे इस धारा में “प्रभारी व्यक्ति” कहा गया है) पर एक लिखित नोटिस तामील करेगा, जिसमें कारण बताने को कहा जायेगा कि उस पर अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जाए। (5) यदि ऐसे अधिकारी का, ब्यौहारी या यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने और से सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि उक्त माल उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखों, रजिस्ट्रों और अन्य दस्तावेजों में जानबूझकर नहीं दिखाया गया है तो वह ऐसे माल की कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक, जैसा वह उचित समझे, अर्थदण्ड आरोपित करने का आदेश पारित करेगा। (6) उपधारा (5) के अधीन अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश की प्रति ब्यौहारी या जैसी भी दशा हो, प्रभारी व्यक्ति पर तामील की जायेगी। (7) माल अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, ब्यौहारी या यथास्थिति प्रभारी व्यक्ति पर आदेश तामील करेगा, जिसमें ऐसे अभिग्रहण का तथ्य उल्लिखित होगा और ऐसी धनराशि इंगित की जायेगी, जो उस धनराशि से अधिक नहीं होगी, जो आरोपित किये जाने के लिए सम्भाव्य अर्थदण्ड को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, जिसके नकद जमा करने पर इस प्रकार अभिगृहीत माल को ब्यौहारी या यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति के पक्ष में छोड़ दिया जायेगा। (8) उपधारा (7) में किसी बात के रहते हुए भी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी, जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, ऐसे पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्देश दे सकता है कि बिना कोई धनराशि जमा किये या ऐसी कम धनराशि जमा करने पर या नकद से भिन्न रूप में, जैसा वह उचित समझे, प्रतिभूति देने पर माल छोड़ दिया जाये।
-------------------------------	-----	--

		(9) अर्थदण्ड या उसका ऐसा भाग, जो उपधारा (7) के अधीन जमा की गयी किसी धनराशि का समयोजन करने के पश्चात् शेष रह जाय, अर्थदण्ड आरोपित किये जाने के आदेश की प्रतिलिपि तामील किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, विहित रीति से, जमा किया जायेगा। चूक करने पर कर निर्धारक प्राधिकारी माल का विक्रय ऐसी रीति से करायेगा, जो विहित की जाय और उसका विक्रय-आगम अर्थदण्ड के प्रति समायोजित करेगा और धारा 36 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, शेष धनराशि, यदि कोई हो, ब्यौहारी या जैसी भी दशा हो, प्रभारी व्यक्ति को वापस कर देगा। (10) जहाँ माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूची और अन्य दस्तावेज भेजने के पूर्व या तत्पश्चात् कर निर्धारक प्राधिकारी की किसी समय यह राय हो कि माल शीघ्र और सहज रूप से नष्ट होने वाला है या जहाँ निर्धारित कर या यथास्थिति, आरोपित अर्थदण्ड इस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसार जमा नहीं किया जाता है, वहाँ माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी या यथास्थिति कर निर्धारक प्राधिकारी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अनुसार की जा सके, विहित रीति से सार्वजनिक नीलामी द्वारा माल को बिकवा सकता है। ऐसे माल के विक्रय-आगम का समायोजन ऐसे विक्रय के व्यय, निर्धारित या आरोपित अर्थदण्ड के प्रति किया जायेगा। शेष धनराशि, यदि कोई हो, ब्यौहारी या यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति को उपधारा (9) के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जायेगी। (11) यदि उपधारा (7) के अधीन जमा की गयी धनराशि उपधारा (5) के अधीन आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि से अधिक हो तो इस प्रकार जमा की गयी अधिक धनराशि उस अधिकारी को वापस कर दी जायेगी।
राज्य के भीतर अथवा राज्य से राज्य के बाहर माल का संचलन	43-क	(1) धारा 43 में अन्य किसी बात के होते हुए भी किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, (जिसे आगे परिवहनकर्ता कहा गया है), जो माल की ऐसी मात्रा या माप या कीमत से अधिक जैसा कि राज्य सरकार उसे निमित्त अधिसूचित करे, राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान के लिये अथवा राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य भीतर किसी स्थान के लिये या राज्य के भीतर किसी स्थान से दूसरे राज्य से होते हुए राज्य में किसी स्थान के लिये माल के संचलन का इशारा रखता है तो माल के संचलन से पहले इस सम्बन्ध में वह विहित व्यक्तिगत क्रमांकित प्रारूप (जिसे आगे लौरी चालान कहा गया है) तैयार करेगा जिसमें परेषक और परेषिती का नाम एवं पूर्ण पता माल का विवरण अथवा मात्रा, बीजक/चालान (जो लागू हो) एवं माल के हक के दस्तावेज/जी0आर0/बिल्टी अथवा इन्हीं प्रकार के अन्य दस्तावेज एवं अन्य सूचनाएँ, जैसी कि कमिश्नर द्वारा विहित की जाय : परन्तु यह कि सरकार अधिसूचना के द्वारा माल के संचलन से पूर्व ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जैसी कि अधिसूचना द्वारा विहित की जाय, विहित प्राधिकारी के समक्ष लौरी चालान की प्रस्तुति के लिये व्यवस्था कर सकती है। (2) (क) परिवहनकर्ता, ऐसे लौरी चालान की अपने द्वारा हस्ताक्षरित प्रति और ऐसे दस्तावेजों की प्रतियाँ अपने साथ रखेगा और धारा 42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में प्राधिकृत अधिकारी की अपेक्षा पर किसी भी स्थान पर वाहन को रोकेगा और वाहन को माल व दस्तावेजों के साथ नजदीकी वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय में अथवा ऐसे अधिकारी द्वारा निर्देशित किसी अन्य स्थान पर ले जायेगा और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक कि ऐसे अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और यान की तलाशी लेने देगा

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2012 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

		परन्तु यह कि जहाँ माल राज्य के उसी स्थानीय क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन किया जा रहा है, कमिश्नर कतिपय प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ, जैसा कि वह उचित समझे, लौरी चालान अथवा हक के दस्तावेज रखे जाने की शर्त को शिथिल कर सकते हैं। यहाँ "स्थानीय क्षेत्र" से तात्पर्य ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है जैसा कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है ; (ख) परिवहनकर्ता ऐसे लौरी चालान की प्रति, ऐसी अवधि तक जैसी कि विहित की जाय, सुरक्षित रखेगा और, जब भी अपेक्षित हो, उसे प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर वह प्रति लौरी चालान पाँच सौ रुपये की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में अदा करने का दायी होगा। (3) जहाँ माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये है और ऐसा माल किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी वाहन में परिवहन किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को लौरी चालान तैयार करने अथवा साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। (4) पूर्ववर्ती उपनियमों में विनिर्दिष्ट अधिकारी यदि तलाशी या निरीक्षण करने के बाद सन्तुष्ट है कि— (क) परिवहनकर्ता विहित प्रारूप और विहित रीति में लौरी चालान तैयार या प्रस्तुत किये बिना या ऐसे लौरी चालान को साथ रखे बिना माल का परिवहन कर रहा है, या परिवहन करने का प्रयत्न, या दुष्प्रेरण कर रहा है, जिस पर यह धारा लागू होती है; या (ख) परिवहनकर्ता माल से सम्बन्धित बीजक/चालान (जो लागू हो) एवं माल के हक के दस्तावेज/जी0आर0/बिल्टी अथवा इन्हीं प्रकार के अन्य दस्तावेज के बिना माल परिवहन कर रहा है या परिवहन करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण कर रहा है; या (ग) परिवहन किये जा रहे माल का भार/मात्रा या उसके नगों की संख्या, लौरी चालान से अनाच्छादित है, तो वह— (एक) उपरोक्त उपधाराओं में वर्णित व्यक्ति को जाँच होने तक, जो सात दिन से अनधिक होगी, किसी भी तरीके से माल को विलग करने, पुनः परिवहन करने अथवा पुनः बुकिंग न करने को निर्देशित कर सकता है; (दो) ऐसे वाहन को माल सहित रोके रखने का आदेश कर सकता है। (5) (क) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का, परिवहनकर्ता को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात्, यह समाधान हो जाय कि पूर्ववर्ती उपधाराओं में वर्णित माल, विहित रीति से और विहित प्रारूप में, लौरी चालान के प्रस्तुत किये बिना परिवहन किया गया है, अथवा बिना लौरी चालान या अन्य विहित दस्तावेजों को साथ लिए, परिवहन किया गया है, और यह कि ऐसा माल; (एक) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित अनुसूची-1 में वर्णित माल से भिन्न है; और (दो) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये नहीं है; तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने में सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया गया है और ऐसे मामले में अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा 43 में किसी अन्य बात के होते हुए भी परिवहनकर्ता अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विंटल या क्विंटल के भाग के लिये पाँच सौ रुपये की दर से की जायेगी।
--	--	---

		(5) (ख) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का, परिवहनकर्ता को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि परिवहनकर्ता द्वारा विहित रीति से और विहित प्रारूप में, लौरी चालान के साथ परिवहन तो किया जा रहा है परन्तु वाहन में पाया गया कोई माल लौरी चालान से आच्छादित नहीं है, और यह कि ऐसा माल; (एक) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित अनुसूची-1 में वर्णित माल से भिन्न है; और (दो) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये नहीं है; तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने में सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया जा रहा है और ऐसे मामले में अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा 43 में किसी अन्य बात के होते हुए परिवहनकर्ता अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विंटल या क्विंटल के भाग के लिये पाँच सौ रुपये की दर से की जायेगी : परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा सामान्य निर्देश जारी कर सकती है कि, जहाँ धारा 43 (5) अथवा धारा 43 (7) के अन्तर्गत अर्थदण्ड अथवा ऐसी धनराशि जो सम्भाव्य अर्थदण्ड को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त हो, उपधारा (5) (ख) में उल्लिखित परिवहनकर्ता द्वारा, जमा कर दी गयी हो तो ऐसी परिस्थिति में उसी माल के संदर्भ में उस परिवहनकर्ता से उपधारा (5) (ख) के अन्तर्गत अर्थदण्ड की माँग नहीं की जाएगी : परन्तु यह और कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (5) में प्राविधानित अर्थदण्ड की धनराशि में वृद्धि कर सकती है। स्पष्टीकरण :— इस अधिनियम में उल्लिखित माल के अभिग्रहण एवं अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में धारा 43 के प्राविधान यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। (6) वाहन का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी परिवहनकर्ता पर एक लिखित आदेश तामील करेगा जिसमें ऐसे अभिग्रहण सम्बन्धी तथ्य तथा वह धनराशि अंकित की जायेगी जो आरोपित किये जाने वाले सम्भाव्य अर्थदण्ड को पूरा करने के लिये पर्याप्त राशि से अनधिक हो और ऐसी राशि को नकद जमा करने पर अभिग्रहीत किये गये वाहन को उस व्यक्ति, जिसके कब्जे अथवा नियंत्रण से वाहन को अभिग्रहीत किया गया था, के पक्ष में छोड़ दिया जायेगा। (7) उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी, जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, ऐसे पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्देश दे सकता है कि बिना कोई धनराशि जमा किये या ऐसी कम धनराशि जमा करने पर या अवसूलीय बैंक प्रतिभूति के रूप में प्रतिभूति जमा करने पर, जैसा वह उचित समझे, वाहन छोड़ सकता है। (8) धारा 51 अथवा धारा 53 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (5) के अधीन परित अर्थदण्ड आदेश या उपधारा (7) के अधीन प्रतिभूति के लिये आदेश के विरुद्ध, अर्थदण्ड अथवा प्रतिभूति की धनराशि, जैसी भी स्थिति हो, के जमा के साक्ष्य प्रस्तुत किये बगैर कोई अपील नहीं की जा सकेगी।¹
--	--	---

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 09 वर्ष 2012 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

अवमूल्यन की दशा में माल को अभिगृहीत करने की शक्ति	44.	(1) जहाँ कर निर्धारक प्राधिकारी या धारा 42 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य में कोई माल लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने वाले ब्यौहारी ने कर के भुगतान के अपवंचन की दृष्टि से ऐसे माल को आयात करने के लिए घोषण-पत्र में ऐसे माल की प्राक्कलित कीमत उसी उचित कीमत से कम दर्शायी गई है या ऐसे प्रपत्र में प्राक्कलित विक्रय कीमत नहीं दर्शायी है और ऐसे माल का उपधारित विक्रय कीमत ऐसे माल की उचित कीमत से कम है तो ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी ब्यौहारी को ऐसी प्राक्कलित विक्रय कीमत या यथास्थिति, उपधारित विक्रय कीमत के 110 प्रतिशत का भुगतान करके ऐसे माल को अर्जित कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन शक्ति का तब तक प्रयोग नहीं किया जायेगा, जब तक कि ब्यौहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया जाये। (3) {***}₁ (4) उपधारा (1) के अधीन अर्जित माल को ऐसी रीति से निस्तारित किया जायेगा, जैसी कमिश्नर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय। स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए :— (क) “उचित कीमत” से ऐसी रीति से अवधारित कीमत अभिप्रेत है, जैसी कमिश्नर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय; (ख) “उपधारित विक्रय कीमत” घोषणा-पत्र में दर्शायी गई कय कीमत के 110 प्रतिशत के बराबर होगी।
सूचना प्राप्त करने और साक्षियों को बुलाने की शक्ति	45.	(1) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी, जो कमिश्नर द्वारा नियुक्त एवं तैनात अधिकारी के नीचे स्तर का अधिकारी न हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रशासन या प्रवर्तन से सम्बन्धित किसी प्रयोजन हेतु नोटिस के द्वारा किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति को कोई सूचना या दस्तावेज, जिसमें इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख सम्मिलित है, जो उसके संज्ञान में है या उसके पास है, को उपलब्ध कराने के लिए आदेशित कर सकता है। जब कभी ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति सही, सम्पूर्ण और सत्य सूचना उपलब्ध करायेगा। (2) इस अधिनियम के अधीन ऐसे सभी अधिकारियों को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी वाद पर विचार करते समय वही अधिकारी होंगे, जो किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित है, अर्थात् :— (क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना; (ख) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना; और (ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना और किसी भी उपर्युक्त अधिकारी के समक्ष किसी भी कार्यवाही को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 और 228 के अन्तर्गत और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 196 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही समझा जायेगा। (3) किसी अभिलेख की प्रस्तुति कराने या किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए, आह्वान-पत्र विहित प्रपत्र में जारी किया जायेगा।
पुलिस आदि से सहायता लेने की शक्ति	46.	धारा 42, धारा 43 या धारा 48 के उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी राज्य के किसी पुलिस या अन्य अधिकारी अथवा अधिकारियों की सहायता ले सकता है।

1.उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 05 वर्ष 2008 की धारा 12 द्वारा निरसित।

{***} ₁	47.	{***} ₁
--------------------	-----	--------------------

2[घोषणा पत्रों द्वारा माल का राज्य के अन्दर आयात/परिवहन	48.	48. ((1) कर के परिहार या अपवचन अथवा कर के परिहार या अपवचन के प्रयास को रोकने या नियंत्रित करने के उद्देश्य से, यह प्राविधानित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अथवा व्यौहारी (जिसे आगे इस नियम में आयातकर्ता कहा गया है) जो धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल को, विक्रय, उपयोग, उपभोग अथवा अन्य व्यवस्थापन हेतु, ऐसी मात्रा या माप या ऐसे माल की कीमत से अधिक कीमत का माल, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, राज्य के बाहर के किसी सीन से राज्य के अन्दर लाने की, आयात करने की या अन्यथा प्राप्त करने की इच्छा करता है, विहित प्ररूप में घोषणा पत्र/ई-घोषण पत्र अथवा प्रमाण पत्र/ई-प्रमाण पत्र, ऐसी सूचनाओं से युक्त एवं ऐसी रीति से, जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाय, प्राप्त करेगा; परन्तु यह कि यदि आयातकर्ता कारबार के सम्बन्ध से भिन्न प्रयोजन के लिये ऐसे माल को लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इरादा रखता है, तो वह अपने विकल्प पर उसी प्रकार प्रमाण पत्रों/ई-प्रमाण पत्रों का विहित प्रपत्र प्राप्त कर सकता है : परन्तु यह और कि कमिश्नर विज्ञप्ति द्वारा व्यौहारियों की श्रेणी अथवा सभी व्यौहारियों के लिये विहित प्ररूप में आनलाइन घोषण पत्र हेतु आवेदन करना तथा प्राप्त करना तथा उन्हें अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार प्रयोग करना अनिवार्य/वैकल्पिक कर सकता है। इस पाठ में ऐसे घोषणा पत्रों को आगे ई- घोषणा पत्र कहा गया है। (2) जहाँ ऐसे माल का सड़क मार्ग से परेषण किया जाना है :- (क) आयातकर्ता विहित घोषणा पत्र / ई- घोषणा पत्र विहित रीति से प्राप्त करेगा तथा माल के संचलन के दौरान अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा- (एक) ऐसा, सम्यक रूप से डुप्लीकेट में भरे हुये एवं हस्ताक्षरित, घोषणा पत्र, जिसके अपेक्षित विवरण की प्रविष्टि आनलाइन प्रस्तुत टिपशीट में की गयी है, जैसा कि धारा 48 क में प्राविधानित है; परन्तु यह कि जहां ई-घोषणा पत्र का प्रयोग किया गया है एव ऐसे घोषण पत्र के अपेक्षित विवरण सम्यक रूप से आनलाइन भरे गये है तथ इनकी प्रविष्टि आनलाइन प्रस्तुत टिपशीट में की गयी है जैसा कि धारा 48 क में प्राविधानित है। ऐसे ई-घोषणा पत्र की प्रति माल के संचलन के साथ परिवहित करने की आवश्यकता नहीं होगी। (दो) धारा 48 के में विहित प्रावधानों के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत टिपशीट की ऐसी प्रति, जो अपेक्षित सूचना, जिसमें ऐसे घोषणा पत्र/ ई-घोषणा पत्र के अपेक्षित विवरण सम्मिलित है, से युक्त हो; (तीन) ऐसे माल से सम्बंधित बिक्री बीजक/बिल या चालन या इस तरह के अन्य दस्तावेज; (चार) संचलित माल से सम्बंधित जी0आर0/बिल्टी या माल के हक के दस्तावेज एवं धारा 42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी सीन पर अपेक्षा करने पर इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा।
--	-----	--

1.उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 09 वर्ष 2012 की धारा 7 द्वारा निकाला गया।

2.उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 21 वर्ष 2015 की धारा 2 द्वारा धारा 48 का (1)(2)(3)प्रतिस्थापित।

(ग) यदि किसी भी स्तर पर धारा 42 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी का माल के स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह समाधान हो जाये कि पूर्ववर्ती उपधाराओं में वर्णित माल, विहित रीति से और विहित प्ररूप में, टिपशीट को आनलाइन प्रस्तुत किये बिना परिवहन किया गया है अथवा ऐसी टिपशीट की प्रति को साथ लिये बिना, परिवहन किया गया है और यह कि ऐसा माल-

(एक) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में उल्लिखित अनुसूची 1 में वर्णित माल से भिन्न है, और

(दो) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग व उपभोग के लिये नहीं है;

तो यह समझा जायेगा कि माल के स्वामी द्वारा ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या देय कर या संभाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने हेतु किया जा रहा है।

- (3) यदि ऐसा माल राज्य में व्यक्तिगत सामान के रूप में लाया जाता है तो माल लाने वाला व्यक्ति अपने साथ विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से भरा हुआ और आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र रखेगा और आयातकर्ता उसे इस निमित्त कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ऐसी अवधि के अन्दर जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित की जाय, पृष्ठांकन किये जाने के लिये प्रस्तुत करेगा;

परन्तु यह कि जहां ई-घोषणा पत्र का प्रयोग किया गया है एवं ऐसी घोषणा के अपेक्षित विवरण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर कमिश्नर द्वारा विहित प्रारूप में सम्यक् रूप से आनलाइन भरे गये हैं तथा इनकी प्रविष्टि आनलाइन प्रस्तुत फार्म में कर दी गयी है, वहां ऐसे ई-घोषणा पत्र की प्रति माल के संचलन के साथ परिवहित करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा वहां यह समझा जायेगा कि व्यौहारी द्वारा ई-घोषणा पत्र के पृष्ठांकन सम्बंधी प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है।}

- (4) यदि कोई व्यक्ति कारबार से भिन्न प्रयोजन के लिये उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी माल को राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य में लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इरादा रखता है, और प्रमाण पत्र का विहित प्रपत्र प्राप्त करता है तो उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे मानों कि उसमें प्रयुक्त शब्द "घोषणा पत्र" के स्थान पर शब्द "प्रमाण पत्र" रखा गया हो।



		(5) पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, धारा 42 की उपधारा (1) उपधारा और (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर अपेक्षा किये जाने पर वाहन को रोकेंगे और उसे नजदीकी वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय या ऐसे अधिकारी द्वारा निर्देशित स्थान पर ले जायेगा और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक ऐसे अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और यान की तलाशी लेने देगा और माल का और पूर्ववर्ती उपधाराओं में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने देगा और यदि अपेक्षित हो तो उसे अपना नाम और पता और यान के स्वामी या यान को भाड़े पर देने वाले का नाम व पता और माल के पारेषक और पारेषिती का नाम व पता भी देगा। (6) इस धारा के अधीन यदि तलाशी लेने या निरीक्षण करने वाले अधिकारी को यह पता चले कि कोई व्यक्ति या व्यौहारी पूर्ववर्ती उपधाराओं में विनिर्दिष्ट उचित और वास्तविक दस्तावेजों के बिना किसी ऐसे माल का आयात कर रहा है या आयात करने का प्रयत्न या आयात का दुष्प्रेरण कर रहा है जिस पर यह धारा लागू होती है; तो वह – (क) उपरोक्त उपधाराओं में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, माल की जांच किये जाने तक जो सात दिन की अवधि से अनधिक होगी, सामान को किसी भी प्रकार से विलग न करने, पुनः परिवहन न करने अथवा पुनः बुकिंग न किये जाने के निर्देश दे सकता है। (ख) ऐसे माल को रोकने के आदेश दे सकता है और यदि यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायें यह समाधान हो जाता है कि ऐसे माल को इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन के प्रयास में आयात किया जा रहा है तो वह ऐसे माल को अभिग्रहीत करने के आदेश दे सकता है : परन्तु यह कि ऐसे अधिकारी द्वारा इस उपधारा के अधीन सम्पूर्ण अभिग्रहीत माल की एक सूची बनाई जायेगी और उसके द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी और उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को, जिससे माल अभिग्रहीत किया गया है, दी जायेगी। (7) उपधारा (6) के अधीन माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी अभिरक्षा में माल की सुरक्षा के सभी उपाये करेंगे और उपधारा (6) के परन्तुक में निर्दिष्ट सूची, अभिग्रहण से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजों सहित सम्बन्धित कर अधिकारी को प्रेषित करेंगे। (8) यदि ऐसे कर निर्धारण अधिकारी का, यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात समाधान हो जाये कि माल का आयात इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने के प्रयास में इस धारा के प्राविधानों का उल्लंघन करके किया गया है, तो वह अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अनाधिक धनराशि या इस अधिनियम के इन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, अधिरोपित करेगा। ऐसे आदेश की प्रति सम्यक रूप से तामील कराई जायेगी। (9) माल का अधिग्रहण करने वाला अधिकारी परिवहनकर्ता पर एक लिखित आदेश तामील करेगा, जिसमें ऐसे अभिग्रहण सम्बन्धी तथ्य तथा वह धनराशि अंकित की जायेगी, जो आरोपित किये जाने वाले सम्भाव्य अर्थदण्ड को पूरा करने के लिये पर्याप्त राशि से अनधिक हो और ऐसी राशि को नकद जमा करने पर अभिग्रहीत किये गये वाहन को उस व्यक्ति, जिससे वह वाहन को आयात करने के लिये प्राप्त किया गया था, के पक्ष में खर्च किया जायेगा।
--	--	--

		(10) उपधारा (9) में किसी बात के रहते हुये भी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, ऐसे पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्देश दे सकता है कि बिना कोई धनराशि जमा किये या ऐसी कम धनराशि जमा करने पर, या नकद से भिन्न रूप में, जैसा वह उचित समझे, प्रतिभूति देने पर माल छोड़ दिया जाये। (11) अर्थदण्ड या उसका ऐसा भाग जो उपधारा (9) के अधीन जमा की गयी किसी धनराशि का समायोजन करने के पश्चात शेष रह जाय, अर्थदण्ड आरोपित किये जाने के आदेश की प्रतिलिपि तामील किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, विहित रीति से, जमा किया जायेगा। चूक करने पर करनिर्धारक प्राधिकारी माल का विक्रय ऐसी रीति से करायेगा जो विहित की जाय और उसका विक्रय-आगम अर्थदण्ड के प्रति समायोजित करेगा और धारा 36 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, शेष धनराशि, यदि कोई हो, ब्यौहारी या, जैसी भी दशा हो, प्रभारी व्यक्ति को वापस कर देगा। (12) जहाँ माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी की, उपधारा (7) में निर्दिष्ट सूची और अन्य दस्तावेज भेजने के पूर्व या तत्पश्चात करनिर्धारक प्राधिकारी की किसी समय यह राय हो कि माल शीघ्र और सहज रूप से नष्ट होने वाला है या जहाँ निर्धारित कर या, यथास्थिति, आरोपित अर्थदण्ड इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जमा नहीं किया जाता है, वहाँ माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी या, यथास्थिति, करनिर्धारक प्राधिकारी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अनुसार की जा सके, विहित रीति से सार्वजनिक नीलामी द्वारा माल को बिकवा सकता है। ऐसे माल के विक्रय-आगम का समायोजन ऐसे विक्रय के व्यय, निर्धारित, या आरोपित अर्थदण्ड के प्रति किया जायेगा। शेष धनराशि, यदि कोई हो, ब्यौहारी या, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति को उपधारा (9) के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जायेगी। (13) यदि उपधारा (9) के अधीन जमा की गयी धनराशि उपधारा (8) के अधीन आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि से अधिक हो, तो इस प्रकार जमा की गयी अधिक धनराशि उस अधिकारी द्वारा जिसके पास वह जमा की गई हो, ब्यौहारी या, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति को धारा 36 के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जायेगी; स्पष्टीकरण 1 :- इस अध्याय के उद्देश्य से वाहन के प्रभारी व्यक्ति में, वाहन का स्वामी या वाहन को भाड़े पर लेने वाला, जैसी भी स्थिति हो, सम्मिलित होगा। स्पष्टीकरण 2 :- इस अध्याय के उद्देश्य से "संचलन में माल" से अभिप्रेत है— (क) ऐसा माल, जो परिवहनकर्ता एजेन्सी या व्यक्ति अथवा ऐसे अन्य उपनिहिती के कब्जे में है अथवा नियंत्रण में है; या (ख) ऐसा माल जो ऐसे मालस्वामी के स्वामित्व वाले वाहन में ले जाया जा रहा है; या (ग) ऐसा माल जो किसी व्यक्ति द्वारा ले जाया जा रहा है।¹ 48-क (1) धारा 48 में किसी अन्य बात के होते हुए भी, यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस अधिनियम के अधीन देय कर का कोई अपवंचन नहीं हो रहा है, किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, (जिसे आगे परिवहनकर्ता कहा गया है), जो माल की ऐसी मात्रा या माप या कीमत से अधिक, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, राज्य के बाहर के किसी स्थान से प्रान्त के अन्दर परिवहन करने का इरादा रखता है, तो राज्य में प्रवेश करने से पूर्व विहित
राज्य के भीतर "ट्रिप शीट" के विरुद्ध माल का परिवहन	48-क	48-क (1) धारा 48 में किसी अन्य बात के होते हुए भी, यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस अधिनियम के अधीन देय कर का कोई अपवंचन नहीं हो रहा है, किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, (जिसे आगे परिवहनकर्ता कहा गया है), जो माल की ऐसी मात्रा या माप या कीमत से अधिक, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, राज्य के बाहर के किसी स्थान से प्रान्त के अन्दर परिवहन करने का इरादा रखता है, तो राज्य में प्रवेश करने से पूर्व विहित

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 09 वर्ष 2012 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया।

		(2) जहाँ ऐसे माल का परिवहन राज्य में सड़क मार्ग से किया जाना है : (क) परिवहनकर्ता सम्यक् रूप से अपने द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी ट्रिप शीट की प्रति तथा अन्य दस्तावेज, जैसा कि विहित किये जायें, अपने साथ रखेगा और धारा 42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा किसी भी स्थान पर ऐसी अपेक्षा करने पर वाहन को रोकेगा और माल एवं दस्तावेजों सहित इसे नजदीकी वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा कि अधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाय, ले जायेगा और उसे तब तक खड़ा रखेगा जैसा कि अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और उसे वाहन की तलाशी लेने देगा और माल, ट्रिप शीट और अन्य दस्तावेजों की जाँच करने देगा; (ख) परिवहनकर्ता ऐसी ट्रिप शीट की प्रति, ऐसे समय तक, जैसा कि विहित किया जाय, सुरक्षित रखेगा और जब भी इस प्रकार अपेक्षा की जाय पुनः प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर वह प्रत्येक ट्रिप शीट के लिये पाँच सौ रुपये की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में अदा करने का दायी होगा; स्पष्टीकरण :- उन परिस्थितियों में जहाँ पर ट्रिप शीट की ऑनलाईन प्रस्तुति का शिथिलीकरण किया गया है राज्य में प्रवेश करने से पूर्व ट्रिप शीट तैयार करने के प्राविधान और परिवहन के दौरान इसे साथ रखने के प्राविधान प्रभावी रहेंगे। (3) जहाँ ऐसा माल राज्य के भीतर व्यक्तिगत सामान के रूप में लाया जा रहा है, वहाँ सामान लाने वाले व्यक्ति को ट्रिप शीट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। (4) यदि उपधारा (2) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अधिकारी तलाशी अथवा जाँच करने के पश्चात् सन्तुष्ट हो जाय कि – (क) परिवहनकर्ता विहित प्रारूप एवं रीति से ट्रिप शीट प्रस्तुत किये बिना अथवा ऐसी ट्रिप शीट की प्रति को साथ लिये बिना किसी माल का परिवहन, या परिवहन का प्रयास, या परिवहन का दुष्प्रण कर रहा है; या (ख) परिवहन किये जा रहे माल का भार/मात्रा या उसके नगों की संख्या, ट्रिप शीट से अनाच्छादित है, तो वह— (एक) उपरोक्त उपधाराओं में वर्णित व्यक्ति को माल के सत्यापन होने तक या जाँच होने तक जो सात दिन से अनधिक होगी, किसी भी तरीके से माल को विलग करने, पुनः परिवहन करने अथवा पुनः बुकिंग न करने को निर्देशित कर सकता है; (दो) ऐसे वाहन को माल सहित रोके रखने का आदेश कर सकता है। (5) (क) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का, परिवहनकर्ता को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात्, यह समाधान हो जाय कि पूर्ववर्ती उपधाराओं में वर्णित माल, विहित रीति से और विहित प्रारूप में, ट्रिप शीट को ऑनलाईन (online) प्रस्तुत किये बिना परिवहन किया गया है, अथवा ऐसी ट्रिप शीट की प्रति को साथ लिए बिना, परिवहन किया गया है, और यह कि ऐसा माल; (एक) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित अनुसूची-1 में वर्णित माल
--	--	--

		तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने में सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया जा रहा है और ऐसे मामले में अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा 48 में किसी अन्य बात के होते हुए भी परिवहनकर्ता, अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विंटल या क्विंटल के भाग के लिये पाँच सौ रुपये की दर से की जायेगी। (5) (ख) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का, परिवहनकर्ता को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि परिवहनकर्ता द्वारा विहित रीति से और विहित प्रारूप में, ऑनलाइन (online) प्रस्तुत की गयी ट्रिप शीट की प्रति के साथ परिवहन तो किया जा रहा है परन्तु वाहन में पाया गया कोई माल ट्रिप शीट से आच्छादित नहीं है, और यह कि ऐसा माल; (एक) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित अनुसूची-1 में वर्णित माल से भिन्न है; और (दो) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये नहीं है; तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने में सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया जा रहा है और ऐसे मामले में अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा 48 में किसी अन्य बात के होते हुए भी परिवहनकर्ता अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विंटल या क्विंटल के भाग के लिये पाँच सौ रुपये की दर से की जायेगी : परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा सामान्य निर्देश जारी कर सकती है कि, जहाँ धारा 48 (8) अथवा धारा 48 (9) के अन्तर्गत अर्थदण्ड अथवा ऐसी धनराशि जो सम्भाव्य अर्थदण्ड को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त हो, इस उपधारा में संदर्भित परिवहनकर्ता द्वारा, जमा कर दी गयी हो तो ऐसी परिस्थिति में उसी माल के संदर्भ में ऐसे परिवहनकर्ता से उपधारा (5) (ख) के अन्तर्गत अर्थदण्ड की माँग नहीं की जाएगी : परन्तु यह और कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (5) में प्राविधानित अर्थदण्ड की धनराशि में वृद्धि कर सकती है। स्पष्टीकरण :— इस अधिनियम में उल्लिखित माल के अभिग्रहण एवं अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में धारा 48 के प्राविधान यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। (6) वाहन अभिग्रहण करने वाला अधिकारी परिवहनकर्ता पर आदेश तामील करेगा, जिसमें ऐसे अभिग्रहण का तथ्य उल्लिखित होगा और ऐसी धनराशि इंगित की जायेगी जो उस धनराशि से अधिक नहीं होगी जो आरोपित किये जाने के लिये सम्भाव्य अर्थदण्ड को पूरा करने का पर्याप्त हो, जिसके नकद जमा करने पर इस प्रकार अभिग्रहीत किया गया वाहन उस व्यक्ति, जिसके कब्जे अथवा नियंत्रण से वाहन अभिग्रहीत किया गया है, के पक्ष में छोड़ दिया जायेगा। (7) उपधारा (6) में किसी बात के रहते हुये भी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, ऐसे पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्देश दे सकता है कि बिना कोई धनराशि जमा किये या ऐसी
--	--	---

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 09 वर्ष 2012 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया।

रेल, नदी, वायुमार्ग या डाक द्वारा राज्य के भीतर माल का आयात	49.	¹[(1) जहाँ ऐसी मात्रा, माप या कीमत जैसा कि धारा 48 की उपधारा (1) के सन्दर्भ में अधिसूचित की जाय, से अधिक कोई माल (इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अनुसूची-1 में वर्णित माल को छोड़कर) रेल, नदी, वायुमार्ग या डाक द्वारा पारेषित किया जाय तो आयातकर्ता— (क) तब तक उस माल को न तो छुड़ायेगा और न छुड़ायेगा जब तक कि वह ऐसे अधिकारी को, जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में, सम्यक् रूप से भर कर और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र को, ऐसे अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन के लिये प्रस्तुत न दे या करवा दे; और (ख) छुड़ाने के पश्चात् माल को, यथास्थिति, रेलवे स्टेशन, स्टीमर या बोट स्टेशन, एयरपोर्ट या डाकघर से तब तक न ले जायेगा और न ले जाने देगा जबतक कि माल के साथ ऐसे अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से पृष्ठांकित घोषणा पत्र की एक प्रति न हो : परन्तु यह कि यदि पंजीकृत ब्यौहारी ने, माल को छुड़ाने से पूर्व अथवा छुड़ाने से पूर्व विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर कमिश्नर द्वारा विहित प्रारूप में माल के सम्बन्ध में ऑनलाईन सूचना प्रस्तुत कर दी है और उस सूचना की इलैक्ट्रॉनिकली तैयार की गई हार्ड कापी माल के संचलन में साथ ले जायी गई है तो यह समझा जायेगा कि घोषणा पत्र के पृष्ठांकन सम्बन्धी प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है; ³[परन्तु यह और कि जहां ई-घोषणा पत्र का प्रयोग किया गया है एवं ऐसी घोषणा के अपेक्षित विवरण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर कमिशन द्वारा विहित प्रारूप में सम्यक रूप से आनलाइन भरे गये हैं तथा इनकी प्रविष्टि आनलाइन प्रस्तुत फार्म में कर दी गई है, वहां ऐसे ई-घोषणा पत्र की प्रति माल के संचलन के साथ परिवहित करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा वहां यह समझा जायेगा कि ब्यौहारी द्वारा ई-घोषणा पत्र के पृष्ठांकन सम्बन्धी प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है।]
² [ट्रांजिट पास के माध्यम से राज्य से होकर माल का अभिवहन	50.	(1) जब राज्य क बाहर क किसी स्थान से आकर राज्य स होत हुए राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को जानेवाला धारा 48 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल ले जाने वाला कोई यान राज्य से होकर गुजरे तब ऐसे यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, राज्य में प्रवेश करने से पहले कमिश्नर द्वारा विहित प्रारूप (जिसे आगे ट्रांजिट पास कहा गया है) में, जिसमें माल, यान, माल के हक के दस्तावेज/माल की रसीद/ बिल्टी और माल के संचलन से सम्बन्धित सूचनाओं के साथ साथ वे अन्य सूचनाएँ भी होंगी जो कमिश्नर द्वारा विहित की जाएँ, तैयार करेगा और इसे ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा। यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे माल को ले जाते समय अपने द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे ट्रांजिट पास की दो प्रतियाँ, माल के हक के दस्तावेज/ माल की रसीद/ बिल्टी और बीजक/बिल या चालान/इस तरह के अन्य दस्तावेज अपने पास रखेगा और राज्य के बाहर जाने के बाद कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसमें, निर्धारित सूचनाओं के अतिरिक्त राज्य से बाहर जाने अथवा अन्य राज्य में प्रवेश करने के साक्ष्य का विवरण, ऐसी रीति व समय के अन्दर जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाए, देगा, तथा ऐसे अधिकारी, जिसे कमिश्नर द्वारा इस हेतु अधिकृत किया जाए, द्वारा अपेक्षा किए जाने पर माल के राज्य के बाहर चले जाने अथवा गन्तव्य राज्य में पहुँच जाने के सम्बन्ध में उसके सन्तोषानुसार साक्ष्य

1.उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 09 वर्ष 2012 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

2.उपयुक्त की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

3.उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 21 वर्ष 2015 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

		परन्तु यह कि यदि ऐसे वाहन से ले जाये गये माल का राज्य में प्रवेश करने के पश्चात् किसी अन्य वाहन से परिवहन करके राज्य के बाहर ले जाया जाय तो यह सिद्ध करने का भार कि माल वास्तव में राज्य के बाहर चला गया है, उस वाहन, के प्रभारी व्यक्ति पर होगा, जिसके लिए ट्रांजिट पास प्रस्तुत किया गया था : परन्तु यह और कि माल के राज्य के बाहर जाने की सूचना और ट्रांजिट पास की ऑनलाईन प्रस्तुति कमिश्नर द्वारा एक निश्चित अवधि के लिये शिथिल की जा सकती है: परन्तु यह भी कि यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई करपवंचन न हो, इस धारा में उल्लिखित वाहन ऐसे सीनों, से ही राज्य के अन्दर प्रवेश करेगा तथा राज्य के बाहर जायेगा, जो कमिश्नर द्वारा अधिसूचित किए जायें। स्पष्टीकरण:— ऐसी परिस्थितियों में जहाँ ट्रांजिट पास का ऑनलाईन प्रस्तुतिकरण शिथिल किया गया है, राज्य में प्रवेश करने से पूर्व ट्रांजिट पास तैयार करने के प्राविधान और परिवहन के दौरान इसे साथ रखने के प्राविधान प्रभावी रहेंगे। ऐसे मामलों में राज्य से बाहर जाने से पूर्व माल सहित वाहन कमिश्नर द्वारा अधिसूचित स्थान पर रोका जायेगा और ट्रांजिट पास की एक प्रति कमिश्नर द्वारा इस प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जायेगी कि ले जाया जा रहा माल राज्य के अन्दर ही बेच दिया गया है। (2) ऐसे मामले में जैसा कि उपरोक्त उपधारा में उल्लेख किया गया है, यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से इस अधिनियम के अधीन माल की उपधारित बिक्री पर देय कर और सम्भाव्य अर्थदण्ड की धनराशि के दायी होंगे। (3) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके बारे में उपधारा (1) के अधीन यह उपधारणा विद्यमान है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर माल बेचा गया है, पर माल के पारगमन के लिये प्रत्येक प्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले माल के लिये इस निमित्त कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पृथक रूप से कर निर्धारण किया जायेगा : ¹[परन्तु यह कि ऐसा कर निर्धारण, इस प्राविधान के आरम्भ होने से पूर्व या उसके बाद उद्भूत हुए मामलों में किया जा सकेगा]: परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई भी कर निर्धारण अथवा अर्थदण्ड का आदेश सनवायी का यक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।
निश्चित अवधि के लिये नाके (जॉच चौकी) का परिनिर्माण	50—क	इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के अपवंचन रोकने अथवा जॉच करने के उद्देश्य से अथवा इस अध्याय के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये कमिश्नर कतिपय परिस्थितियों में अधिसूचना जारी करके ऐसे स्थान या स्थानों, जैसा कि वह उचित समझे, जॉच चौकियों की स्थापना अथवा नाकों का परिनिर्माण कर सकता है और ऐसे संचलन में किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, जॉच चौकी या नाकों को पार करने से पूर्व यान को रोकेगा और इस अध्याय के प्राविधानों के अनुसार माल के साथ ले जाए जाने वाले वांछित दस्तावेज इस निमित्त कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और अधिकारी को यान की तलाशी तथा माल एवं दस्तावेजों की जॉच करने देगा : परन्तु यह कि धारा 50 में अन्य किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन, जहाँ राज्य के निकास के समीप स्थापित जॉच चौकियों अथवा नाकों पर जॉच चौकी अधिकारी के समक्ष ट्रांजिट पास की दो प्रतियाँ प्रस्तुत की जायेंगी जिसमें से एक प्रति वाहन के राज्य से बाहर जाने के साक्ष्य के रूप में अधिकारी द्वारा वापस की जायेगी। ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसे वाहन द्वारा ले जाया जा रहा माल राज्य के भीतर बेच दिया गया है :

1—उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2015 की धारा 5 द्वारा परन्तुक प्रतिस्थापित।

		परन्तु यह और कि कमिश्नर एक बार में तीन माह से अधिक के लिये किसी जॉच चौकी की स्थापना अथवा नाके का परिनिर्माण नहीं कर सकेगा : परन्तु यह अग्रेत्तर और भी कि कमिश्नर ऐसी जॉच चौकी की स्थापना अथवा नाके के परिनिर्माण के लिये जारी अधिसूचना का अनुसमर्थन राज्य सरकार से करायेगा।¹
--	--	---

		अध्याय सात अपील और पुनरीक्षण
प्रथम अपील	51.	{(1) कर निर्धारण अधिकारी अथवा कर सम्प्रेक्षा के प्रभारी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश या धारा 42 (ब) की उपधारा (3) अथवा उपधारा (4) के अन्तर्गत पारित आदेश से व्यथित कोई ब्यौहारी अथवा अन्य व्यक्ति, निम्नलिखित को छोड़कर :- (क) धारा 56 में वर्णित आदेश; या (ख) धारा 43 की उपधारा (8) के अन्तर्गत पारित आदेश; या (ग) धारा 43-क की उपधारा (7) के अन्तर्गत पारित आदेश; या (घ) धारा 48 की उपधारा (10) के अन्तर्गत पारित आदेश; या (ङ) धारा 48-क की उपधारा (5) के अन्तर्गत पारित अभिग्रहण आदेश; या (च) धारा 48-क की उपधारा (6) अथवा उपधारा (7) के अन्तर्गत पारित आदेश ; आदेश की प्रति की तामीली किए जाने के 60 दिन के भीतर ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकता है जैसा कि विहित किया जाय और वह अपील के ज्ञापन की एक प्रति कर निर्धारण प्राधिकारी पर भी तामील करायेगा।² (2) (क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कर, फीस या अर्थदण्ड की विवादग्रस्त धनराशि एक हजार रुपये से अधिक न हो, वहाँ अपीलकर्ता, अपने विकल्प से, अपनी अपील के संक्षिप्त निस्तारण के लिए लिखित रूप से अपील प्राधिकारी से अनुरोध कर सकता है, जिस पर अपील प्राधिकारी तदनुसार अपील का विनिश्चय कर सकता है; (ख) अपील के संक्षिप्त निस्तारण की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी कि विहित की जाय; (ग) अपील में पारित किसी आदेश, जो कि संक्षिप्त निस्तारण में पारित किया गया है, के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण दायर नहीं किया जायेगा। (3) जहाँ किसी ब्यौहारी या व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध इस धारा के अधीन अपील दायर की गयी है और जहाँ ऐसी अपील दायर होने के फलस्वरूप कमिश्नर कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा पारित ऐसे आदेश को, आदेश की वैधता या औचित्य के बिन्दु पर धारा 52 के अधीन पुनरीक्षित नहीं कर सकता है तो कमिश्नर ऐसे आदेश की वैधता और औचित्य के ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर, जैसा कि आवेदन में उल्लिखित हो, परीक्षण करने के लिए अपील प्राधिकारी को आवेदन दे सकता है। ऐसे आवेदन की एक प्रति ब्यौहारी या जैसी भी स्थिति हो, ऐसे अन्य व्यक्ति पर तामील की जायेगी : परन्तु यह कि :- (क) इस उपधारा के अधीन कोई भी प्रार्थना-पत्र प्रश्नगत आदेश की तारीख की चार वर्ष की समाप्ति के बाद स्वीकार नहीं किया जायेगा;

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 09 वर्ष 2012 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया।

2. उपर्युक्त की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।

		(ख) इस उपधारा के अधीन वैधता और औचित्य का परीक्षण करने के लिए आवेदन ब्यौहारी या जैसी भी स्थिति हो, दूसरे व्यक्ति द्वारा दायर अपील के निस्तारण के बाद स्वीकार नहीं किया जायेगा; (ग) यदि कमिश्नर द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन दाखिल कर दिया गया है और ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति स्वयं के द्वारा दाखिल अपील या उपधारा (2) के अधीन अपील के संक्षिप्त निस्तारण हेतु दाखिल आवेदन वापस ले लेता है तो धारा 52 के प्रयोजन हेतु यह समझा जायेगा मानो कि कोई अपील दाखिल नहीं की गई है और ऐसे मामले में कमिश्नर द्वारा आवेदन दाखिल किये जाने की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और ब्यौहारी के आवेदन पर अपील अधिकारी के आदेश की तारीख तक की अवधि धारा 52 में उपबन्धित परिसीमा की अवधि की गणना के लिए निकाल दी जायेगी; और (घ) यदि गणना के पश्चात् परिसीमा की अवधि छः माह से कम आती है तो धारा 52 के अन्तर्गत कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण अपील प्राधिकारी के सम्बन्धित आदेश की प्राप्ति की तारीख से छः माह के भीतर किया जा सकता है। स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए कमिश्नर में वह अधिकारी, जो कि इस अधिनियम की धारा 53 के अधीन अधिकरण के समक्ष कमिश्नर की ओर से अपील दाखिल करने के लिए अधिकृत है, शामिल होगा। (4) इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक कि अपीलकर्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत विवरणी पर या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी प्रकम पर स्वीकार किये गये, इसमें जो भी अधिक हो, यथास्थिति, विक्रय आवर्त या कय आवर्त पर इस अधिनियम के अधीन देय कर या फीस की धनराशि का भुगतान करने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत कर दिया हो। [(4क) इस धारा में किसी अन्य बात के होते हुये भी, (i) एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा विवादित कर या अर्थदण्ड की राशि का पाँच प्रतिशत या रुपये एक लाख की धनराशि, जो भी न्यूनतम हो, भुगतान करने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो; (ii) एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश या अर्थदण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य आदेश के विरुद्ध की गयी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा विवादग्रस्त धनराशि का बीस प्रतिशत या रुपये पाँच लाख जो भी न्यूनतम हो, का भुगतान करने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो। (iii) किसी करमुक्ति या रियायती दर के आवर्त का घोषणा या प्रमाण पत्र, जिसे कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो या कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हो, के सम्बन्ध में अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक कि अपीलकर्ता ने अस्वीकृत या प्रस्तुत नहीं किये गये ऐसे घोषणा या प्रमाण पत्र के आवर्त की राशि पर इस अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य कर की दर से कर के दस प्रतिशत के बराबर भुगतान का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो। स्पष्टीकरण : उक्त धनराशि उपधारा (6) के अन्तर्गत दिये गये स्थगन की शर्तों के अतिरिक्त
--	--	---

— 1— उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2016 की धारा 9(एक) द्वारा जोड़ा गया।

		(5) अपील विहित प्रारूप में होगी और विहित रीति से सत्यापित की जायेगी। (6) अपील प्राधिकारी – (क) ऐसे मामले में, जिसमें अपीलकर्ता उपधारा (2) के अधीन अनुरोध करता है; और (ख) किसी भी अन्य मामलों में अपीलकर्ता के आवेदन पर और कमिश्नर को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् अपीलकर्ता द्वारा देय कर, फीस या अर्थदण्ड की धनराशि की वसूली को अपील के निस्तारण किये जाने तक स्थगित कर सकता है। (7) उपधारा (6) के उपखण्ड के खण्ड (ख) के अधीन कोई आवेदन ग्राह्य नहीं होगा, जब तक कि वह उपधारा (1) के अधीन अपील के ज्ञापन के साथ दाखिल नहीं किया गया है और कोई स्थगन आदेश 45 दिन से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा, जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा शेष धनराशि स्थगन आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अथवा कर निर्धारक प्राधिकारी के अपीलाधीन आदेश में दिये गये समय के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, जमा न कर दी गयी हो और जब तक कि अपीलकर्ता ने उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उस धनराशि के भुगतान के लिए, जिसकी वसूली स्थगित की गयी है, कर निर्धारक प्राधिकारी के संतोषानुसार प्रतिभूति न दे दी हो : परन्तु यह कि जहाँ स्थगित की गई धनराशि रू0 25,000 के कम है, ब्यौहारी से ऐसी धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिभूति दाखिल करना अपेक्षित नहीं होगा : परन्तु यह और कि जहाँ अपीलाधीन किसी आदेश में कर, फीस या अर्थदण्ड को कोई विवाद अन्तर्ग्रस्त नहीं है, वहाँ अपील प्राधिकारी ऐसी शर्तों, जैसा कि वह ठीक समझे, के अधीन ऐसे आदेश के क्रियान्वयन को अपील के निस्तारित होने तक स्थगित कर सकता है। स्पष्टीकरण— किसी प्राधिकारी द्वारा स्थगन के लिए उसी प्रकार के आवेदन को अधिकारिता के अभाव में अस्वीकार किये जाने मात्र से अपील प्राधिकारी ऐसे आवेदन को ग्रहण करने से प्रवारित नहीं होगा। (8) अपील प्राधिकारी सुसंगत अभिलेख मंगवाने और उसकी जाँच करने के पश्चात् अपीलकर्ता और कमिश्नर को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् या यथास्थिति उपधारा (2) के अधीन दी गई रीति का अनुसरण करने के पश्चात् :- (क) ऐसे आदेश की पुष्टि या उसका अधिशून्यन कर सकता है; (ख) कर निर्धारण या अर्थदण्ड की धनराशि को कम करके या यथास्थिति, बढ़ाकर ऐसे आदेश में परिवर्तन कर सकता है, चाहे ऐसी कमी या बढ़ोत्तरी अपील के आधार में उठाये गये प्रश्न से या अन्य प्रकार से उद्भूत हो;
--	--	--

		(ग) आदेश को अपास्त कर सकता है और कर निर्धारक प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है कि वह ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, नया आदेश पारित करे; या (घ) कर निर्धारक प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है कि ऐसी जाँच करे, जैसी निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाय और ऐसे समय के भीतर, जैसा निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जिसकी वह समय-समय पर अनुमति दे, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और ऐसे समय की समाप्ति पर, अपील प्राधिकारी चाहे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो या नहीं, पूर्ववर्ती उपखण्डों के उपबन्धों के अनुसार अपील पर विनिश्चय दे सकता है : परन्तु यह कि इस उपधारा की कोई बात अपील प्राधिकारी को किसी भी स्तर पर ऐसी टिप्पणी, जैसा कि वह ठीक समझे, के साथ अपील खारिज करने से नहीं रोकेगी, यदि अपीलकर्ता अपील को वापस लेने के लिए आवेदन देता है और कमिश्नर के द्वारा कर निर्धारण या अर्थदण्ड में बढ़ोत्तरी की प्रार्थना नहीं की गई है : परन्तु यह और कि बढ़ोत्तरी करने से पहले अपीलकर्ता को बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव पर सुनवाई का मौका दिया जायेगा : परन्तु यह भी कि अपील का निस्तारण ऐसी अवधि, जैसी कि विहित की जाये, के भीतर किया जायेगा: {प्रतिबन्ध यह भी है कि खण्ड (ग) में दिये गये निर्देशों के उपरान्त पारित नये आदेश के विरुद्ध अपील करने पर पुनः खण्ड (ग) में नया आदेश पारित करने हेतु निर्देश नहीं दिया जायेगा।} (9) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा। (10) यदि निर्धारित कर या लगाये गये फीस या अर्थदण्ड की धनराशि की उपधारा (6) के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा कम कर दी जाये तो वह वसूल किये गये अधिका कर, फीस या अर्थदण्ड को लौटाने का आदेश देगा। (11) इस धारा के अधीन अपीलों या अन्य प्रार्थना-पत्रों पर परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 लागू होगी। (12) अपील प्राधिकारी कमिश्नर के नियंत्रण और अधीक्षण में रहेगा : परन्तु यह कि इस नियंत्रण और अधीक्षण के अधिकार में कमिश्नर द्वारा कोई ऐसे आदेश, अनुदेश या निर्देश नहीं दिये जायेंगे, जो अपील प्राधिकारी के अपील कृत्यों के प्रयोग विषयक विवेक में हस्तक्षेप हो। (13) किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में एक ही वाद हेतुक से उत्पन्न ब्यौहारी द्वारा दायर अपील और कमिश्नर द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र की सुनवाई और निर्णय एक ही साथ किया जायेगा: परन्तु यह कि जहाँ ऐसी किसी अपील या आवेदन की सुनवाई और उसका विनिश्चय पहले हो गया है और यदि शेष अपील या आवेदन की सुनवाई करने वाला अपील अधिकारी यह विचार करता है कि ऐसा विनिश्चय ऐसी शेष बची अपील या आवेदन में राहत देने में बाधा बन सकता है तो वह ऐसे पूर्ववर्ती निर्णय को पुनः विनिश्चय हेतु वापस ले सकता है और पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए ऐसी अपील और आवेदन को एक साथ विनिश्चित करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकता है।
--	--	---

1— उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2016 की धारा 9 (दो) द्वारा जोड़ा गया।

कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण	52.	52. (1) कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर से अनिम्न पद का कोई अन्य अधिकारी, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा पारित धारा 56 में उल्लिखित आदेश से भिन्न किसी आदेश से सम्बन्धित अभिलेख को, ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजन हेतु मंगा सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है तथा उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे। (2) उपधारा (1) के अधीन ऐसा कोई आदेश, जिसका किसी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो। (3) धारा 51 की उपधारा (3) के उपबन्धों रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश :- (क) उस आदेश, जो धारा 51 के अधीन अपील की विषयवस्तु हो या रह चुका हो या उक्त धारा के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के पुनरीक्षण करने के लिए; (ख) प्रश्नगत आदेश की तारीख से 60 दिन की समाप्ति के पूर्व; (ग) प्रश्नगत आदेश की तारीख से चार वर्ष की समाप्ति के बाद, पारित नहीं किया जायेगा। स्पष्टीकरण— यदि किसी आदेश के विरुद्ध अपील वापस ले ली जाय या धारा 74 में विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान न करने या धारा 51 की उपधारा (1) का अनुपालन न करने के कारण खारिज कर दी जाय तो यह नहीं समझा जायेगा कि वह आदेश धारा 51 के अधीन अपील की विषयवस्तु रह चुका है। (4) इस धारा के अधीन कोई ब्यौहारी या कोई अन्य व्यक्ति आवेदन दाखिल करने का हकदार नहीं होगा।
अपील अधिकरण के समक्ष अपील	53.	53. [(1) धारा 51 के अधीन पारित किसी आदेश (उस धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश को छोड़कर), धारा 52 या धारा 76 के अधीन पारित किसी आदेश, धारा 57 के अधीन किसी विनिश्चय, धारा 43 की उपधारा (8) के अधीन किसी निर्देश, या धारा 43-क की उपधारा (7) के अधीन पारित किसी आदेश, या धारा 48 की उपधारा (10) के अधीन पारित किसी आदेश, या धारा 48-क की उपधारा (7) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश, विनिश्चय या निर्देश की उसके ऊपर तामीली के 90 दिन के भीतर अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। स्पष्टीकरण :- इस उपधारा के प्रयोजन हेतु कमिश्नर से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में कोई 'व्यक्ति' पद में कमिश्नर सम्मिलित है और कमिश्नर द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार सम्मिलित है।] (2) (क) उपधारा (1) में किसी बात के रहते हुए भी जहाँ कर, फीस अर्थदण्ड की विवादित धनराशि दो हजार रुपये से अनधिक है और विधि का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है, वहाँ अपीलकर्ता अपनी मर्जी से, अपनी अपील का संक्षिप्त निस्तारण करने के लिए अधिकरण से लिखित में प्रार्थना कर सकता है, जिस पर अधिकरण अपील का निस्तारण तदनुसार कर सकता है;

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 09 वर्ष 2012 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

		(ख) अपील के संक्षिप्त निस्तारण की रीति ऐसी होगी, जैसी कि विहित की जाय; (ग) अपील में पारित किसी आदेश, जिसका निस्तारण संक्षिप्त निस्तारण के रूप में हुआ है, के रूप से हुआ है, के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा। (3) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 इस धारा के अधीन अपील और अन्य प्रार्थना-पत्रों पर लागू होंगी। (4) अधिकरण अपीलकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद किसी भी स्तर पर अपील खारिज कर सकता है। (5) अधिकरण, यदि उसने उपधारा(4) के अधीन अपील पहले ही खारिज न कर दी हो, सुसंगत अभिलेख मँगाने और उनका परीक्षण करने के पश्चात् और पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् या यथास्थिति, उपधारा (2) के अधीन विहित रीति का अनुसरण करने के पश्चात् – (क) ऐसे आदेश की पुष्टि, उसको रद्द या परिवर्तित कर सकता है; या (ख) आदेश को अपास्त कर सकता है और यथास्थिति, कर निर्धारण करने वाले या अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण अधिकारी या कमिश्नर को निर्देश दे सकता है कि वह ऐसी अग्रतर जाँच, यदि कोई हो, जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, करने के पश्चात् नया आदेश दे। (6) यदि अधिकरण द्वारा उपधारा (5) के अधीन कर, फीस या अर्थदण्ड की कोई धनराशि कम की जाती है तो वह आदेश करेगा कि कोई धनराशि, जो देय धनराशि से अधिक वसूली गयी है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जाये। स्पष्टीकरण— आदेश में परिवर्तन करने के खण्ड (क) में निर्दिष्ट शक्ति के अन्तर्गत निर्धारित कर या अर्थदण्ड की धनराशि को को कम करने या बढ़ाकर आदेश में परिवर्तन करने का अधिकार भी, सम्मिलित है। तथापि कर या अन्य धनराशि बढ़ाने से पूर्व ब्यौहारी को देयता बढ़ाने के प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। (7) यदि इस धारा के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गई हो तो ऐसी अपील के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किये गये अपीलकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर अधिकरण, पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है, उसके अधीन किसी कर, फीस या अर्थदण्ड की विवादग्रस्त धनराशि को वसूल को या देय धनराशि की वापसी को पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही को या जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसके प्रवर्तन को अपील के निस्तारण होने तक स्थगित कर सकता है। (8) कर, फीस या अर्थदण्ड की किसी विवादग्रस्त धनराशि को वसूल के स्थगन के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि प्रार्थी ने धारा 51 की उपधारा (4) के अधीन जमा करने के लिए अपेक्षित धनराशि के अतिरिक्त, ऐसी विवादग्रस्त धनराशि को कम से कम एक तिहाई धनराशि के भुगतान का संतोषजनक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर दिया हो : परन्तु यह कि जहाँ विवादग्रस्त धनराशि रु० 25000/- से कम है, ब्यौहारी से ऐसी विवादित धनराशि की एक तिहाई धनराशि जमा करना अपेक्षित नहीं होगा। {*}₁ (9) जहाँ अधिकरण ने इस धारा के अधीन किसी कर, फीस या अर्थदण्ड की वसूली के स्थगन के लिए या उस आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, प्रवर्तन के स्थगन के लिए आदेश
--	--	--

1— उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2016 की धारा 10 द्वारा परन्तुक हटा दिया गया।

		परन्तु यह कि जहाँ स्थगित की गई धनराशि रू0 25000 /— से कम है, ब्यौहारी से ऐसी धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिभूति दाखिल करना अपेक्षित नहीं होगा। (10) (क) धारा 51 के अधीन अपील अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण – (एक) दो सदस्यों की न्याय पीठ द्वारा किया जायेगा, यदि ऐसा आदेश एडिशनल कमिश्नर (अपील) द्वारा किया गया हो अथवा विवादग्रस्त कर, फीस या अर्थदण्ड की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक हो; (दो) किसी अन्य मामले में एक सदस्य द्वारा किया जायेगा। 1. (ख) अधिनियम के निम्न प्राविधानों के अन्तर्गत दिए गये आदेश अथवा निर्देश के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायेगा। (एक) धारा 52 के अन्तर्गत पारित कोई आदेश; (दो) धारा 43 के उपधारा (8) के अन्तर्गत पारित कोई निर्देश; (तीन) धारा 43-क की उपधारा (7) के अन्तर्गत पारित कोई निर्देश; (चार) धारा 48 की उपधारा (10) के अन्तर्गत पारित कोई निर्देश; (पांच) धारा 48-क की उपधारा (7) के अन्तर्गत पारित कोई निर्देश।¹ (ग) धारा 76 की उपधारा (13) या उपधारा (16) के अधीन किसी आदेश या धारा 57 के अधीन दिये गये किसी विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी और उसकी सुनवाई और उसका निस्तारण तीन सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायेगा; (घ) अध्यक्ष, यदि उचित समझे :- (एक) किसी अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय वृहत्तर न्यायपीठ द्वारा किये जाने के निर्देश दे सकता है; (दो) किसी अपील का अन्तरण एक सदस्य से दूसरे सदस्य को कर सकता है। (ङ) दो या अधिक सदस्यों की किसी न्यायपीठ के समक्ष किसी मामले में, कोई ऐसा आदेश, जो मामले का अन्तिम रूप से निस्तारण करने वाले आदेश से भिन्न हो, न्यायपीठ का गठन करने वाले सदस्यों में से किसी एक द्वारा पारित किया जा सकता है। (11) कोई भी सदस्य, जिसने अधिकरण के समक्ष आने वाले किसी मामले में किसी भी क्षमता से कार्यवाही की है या जो अधिकरण के समक्ष आने वाले किसी मामले में व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हो, उस मामले की सुनवाई के लिए अर्हित नहीं होगा। (12) किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में एक ही वाद हेतुक से उत्पन्न समस्त अपीलों की सुनवाई और उनका निस्तारण एक साथ किया जायेगा : परन्तु यह कि जहाँ ऐसी अपीलों में से किसी एक या अधिक अपीलों की सुनवाई और विनिश्चय पहले ही किया जा चुका है, यदि अवशेष अपीलों की सुनवाई करने वाली न्यायपीठ यह विचार करती है कि ऐसे विनिश्चय से ऐसी अवशेष अपीलों में राहत देने में विधिक अड़चन हो सकती है, वहाँ वह, यदि पूर्वतर विनिश्चय – (क) लघुतर न्यायपीठ या समसंख्यक न्यायपीठ द्वारा दिया गया हो, ऐसे पूर्वतर विनिश्चय को वापस मँगा सकती है और सभी अपीलों का विनिश्चय एक साथ करने की कार्यवाही कर सकती है।
--	--	---

1—उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2015 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

		(13) किसी न्यायपीठ द्वारा सुने गये मामले का विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार होगा। यदि सदस्यों की राय बराबर विभाजित हो तो अधिकरण का अध्यक्ष – (क) यदि वह ऐसी न्यायपीठ का सदस्य नहीं था, अपनी राय दे सकता है या किन्हीं अन्य सदस्यों की राय के लिए मामला निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसे मामले का विनिश्चय ऐसी राय के अनुसार किया जायेगा; (ख) वृहत्तर न्यायपीठ बना सकता है। (14) जहाँ किसी मामले की सुनवाई द्विसदस्यीय पीठ द्वारा की जाती है और सदस्य किसी बिन्दु पर अपनी राय में विभाजित है और दूसरा सदस्य या अधिकरण के सदस्यगण उपधारा (10) के अधीन मामले को सुनने के लिए अर्हित नहीं हैं या फिलहाल अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए केवल दो सदस्य हैं तो राज्य सरकार किसी व्यक्ति, जो कि अधिकरण का सदस्य नियुक्त होने योग्य है, को अधिकरण के अतिरिक्त सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकती है और वह बिन्दु अधिकरण के उन सदस्यों, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है (उनको शामिल करते हुए, जिन्होंने प्रथम बार इसकी सुनवाई की है) की बहुसंख्यक राय के अनुसार विनिश्चित किया जायेगा। (15) अधिकरण अपीलकर्ता पर लिखित रूप से अपील निर्णय की नोटिस, निर्णय के कारणों का उल्लेख करते हुए तामील करेगा।
अपील अधिकरण का गठन	54.	54.(1) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिकरण को सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करने के लिए सरकार एक अधिकरण का गठन करेगी, जिसके एक अध्यक्ष और ऐसे सदस्य होंगे, जैसा कि वह ठीक समझे। (2) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से की जायेगी— (क) उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के ऐसे व्यक्ति, जो अपर जिला न्यायाधीश से निम्न पद पर न हों या न रहे हों; और (ख) उत्तराखण्ड व्यापार कर सेवा के ऐसे व्यक्ति, जो एडिशनल कमिशनर से निम्न पद पर न हों या न रहे हों। (3) राज्य सरकार अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए ऐसी अन्य अर्हताएं या शर्तें विहित कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे। (4) राज्य सरकार द्वारा अधिकरण के लिए नियुक्तियाँ की जायेंगी – (क) उन व्यक्तियों की स्थिति में, जो उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य रहे हैं या हैं, उच्च न्यायालय के परामर्श से; और (ख) उत्तराखण्ड व्यापार कर सेवा के व्यक्तियों की स्थिति में उन व्यक्तियों में से, जो एडिशनल कमिशनर से निम्न पद पर न हों या न रहे हों, योग्यता के सिद्धान्त पर चयन द्वारा। (5) उत्तर प्रदेश मूल नियम, जैसा कि उत्तराखण्ड में लागू हैं, के नियम 56 के उपबन्ध अध्यक्ष सहित अधिकरण के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे, जैसे कि वे किसी भी अन्य सरकारी सेवक पर लागू हैं। (6) अधिकरण के अध्यक्ष का मुख्यालय देहरादून में रहेगा और वह उत्तराखण्ड में सभी न्यायपीठों के ऊपर समवर्ती अधिकारिता रखेगा। (7) धारा 53 की उपधारा (10) के खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) में निर्दिष्ट अन्य एकल सदस्यीय न्यायपीठों का मुख्यालय और अधिकारिता उस प्रकार रहेगी, जैसा कि राज्य सरकार अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से समय-समय पर अधिसूचित करे। (8) अध्यक्ष समय-समय पर दो या दो से अधिक सदस्यों की न्यायपीठों का गठन कर सकता है और जैसा वह आवश्यक समझे, उनकी अधिकारिता और बैठने के स्थान को विनिर्दिष्ट कर सकता है। (9) अधिकरण के सदस्य अध्यक्ष के पञ्चायतिक निर्वाण और परीक्षण में रहेंगे।

उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण	55.	55. (1) धारा 53 की उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन दिये गये आदेश से, जो उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अपील का संक्षिप्त निस्तारण करने के आदेश से भिन्न हो या अधिकरण द्वारा धारा 30 के अधीन दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तामीली की तारीख से नब्बे दिन के भीतर उच्च न्यायालय में ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। (2) उच्च न्यायालय में विधि के बिन्दु पर या त्रुटिपूर्ण विनिश्चय या किसी विधिक प्रश्न पर अधिकरण द्वारा विनिश्चय न दिये जाने के बिन्दु पर पुनरीक्षण किया जा सकता है। (3) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण के आवेदन में मामले से सम्बन्धित विधिक प्रश्न का ठीक-ठाक वर्णन होगा और विधिक प्रश्न के सूत्रकरण या किसी अन्य विधिक प्रश्न उठाये जाने की अनुमति देने के लिए उच्च न्यायालय सक्षम होगा। (4) जहाँ किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति द्वारा अपील दाखिल की जाती है, वहाँ उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में कमिश्नर को भी एक पक्षकार बनाया जायेगा। (5) यदि इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हो तो उच्च न्यायालय उस निमित्त आवेदन दिये जाने पर पुनरीक्षण के लिए आशयित आदेश के अधीन देय कर, फीस या अर्थदण्ड की किसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली को या किसी देय धनराशि की वापसी को स्थगित कर सकता है : परन्तु यह कि ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली के स्थगन के लिए कोई आदेश तीस दिन से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा, जब तक कि आवेदक समबन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त प्रतिभूति न दे दे। (6) उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् अन्तर्ग्रस्त विधिक प्रश्न का विनिश्चय करेगा और यदि ऐसे विनिश्चय के परिणामस्वरूप कर, फीस या अर्थदण्ड की धनराशि को फिर अवधारित किया जाना अपेक्षित हो तो उच्च न्यायालय धनराशि को फिर से अवधारित करने के लिए विनिश्चय की एक प्रति, अधिकरण को भेज सकता है और तदनुसार अधिकरण ऐसा आदेश देगा, जो उक्त विनिश्चय के अनुरूप मामले का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हो। (7) किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में उसी वाद हेतुक से उत्पन्न अपीलों में धारा 53 के अधीन पारित आदेशों के पुनरीक्षण के लिए सभी प्रार्थना-पत्रों की एक साथ सुनवाई और विनिश्चय किया जायेगा : परन्तु यह कि जहाँ ऐसे प्रार्थना-पत्रों में से किसी एक या अधिक की सुनवाई और विनिश्चय पहले कर दिया गया है, वहाँ यदि उच्च न्यायालय अवशेष प्रार्थना-पत्रों की सुनवाई करते समय यह विचार करता है कि पूर्वतर विनिश्चय से ऐसे अवशेष प्रार्थना-पत्रों में राहत देने में विधिक अड़चन हो सकती है तो वह ऐसे पूर्वतर विनिश्चय को मँगा सकेगा और तत्पश्चात् सभी प्रार्थना-पत्रों पर एक साथ सुनवाई और विनिश्चय करने की कार्यवाही कर सकता है। (8) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के उपबन्ध इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिए दिये गये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए “कोई व्यक्ति” पद के अन्तर्गत कमिश्नर और राज्य
---------------------------------------	------------	---

आदेश, जिनके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण दाखिल नहीं किया जायेगा	56.	[अधोलिखित के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं होगा :— (क) कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के लिये जाँच प्रारम्भ करने हेतु धारा 24, धारा 25, धारा 26 और धारा 29 के अधीन कोई आदेश या नोटिस जारी नहीं किया जायेगा; या (ख) धारा 42 या धारा 43 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (4), उपधारा (7) के अधीन कोई आदेश या कार्यवाही; या (ग) धारा 43—क की उपधारा (2)(क) या उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन पारित आदेश या विनिश्चय; या (घ) धारा 43—क की उपधारा (5) के अधीन पारित अभिग्रहण आदेश या अर्थदण्ड का नोटिस या अर्थदण्ड के लिये जारी नोटिस; या (ङ) धारा 43—क की उपधारा (6) के अधीन पारित आदेश; या (च) धारा 25 की उपधारा (4) या धारा 25 की उपधारा (9) (ग) के अधीन पारित आदेश; या (छ) धारा 48 की उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (9) के अधीन पारित आदेश या निर्देश; या (ज) धारा 48—क की उपधारा (2)(ख) या उपधारा (4) के अधीन पारित आदेश या निर्देश; या
विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारण	57.	57. (1) यदि न्यायालय के समक्ष अन्यथा धारा 25, धारा 26 या धारा 29 के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से अन्यथा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ — (क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम, सोसाइटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग ब्यौहारी है; (ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई विशिष्ट कार्य स्वतः या परिणामतः माल का विनिर्माण उस शब्द के अर्थानुसार है; (ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हाँ तो उसकी विक्रय या यथास्थिति क्रय कीमत क्या है; (घ) किसी विशिष्ट ब्यौहारी को पंजीयन कराना अपेक्षित; (ङ) किसी विशिष्ट विक्रय या विशिष्ट क्रय के सम्बन्ध में कर देय है और यदि हाँ तो उसकी दर क्या है तो सम्बन्धित व्यक्ति या ब्यौहारी, धारा 74 में विनिर्दिष्ट फीस जमा करके, ऐसे दस्तावेजों सहित, जो विहित किये जायें, कमिश्नर को आवेदन दे सकता है। (2) कमिश्नर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् इस प्रकार उत्पन्न प्रश्न का, जैसा कि वह उचित समझे, विनिश्चय करेगा : परन्तु यह कि विनिश्चय देने के पूर्व कमिश्नर स्वविवेकानुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों से ऐसी जाँच करने के लिए कह सकता है, जिसे वह उस प्रश्न के विनिश्चय के लिए आवश्यक समझे। (3) इस धारा के अधीन कमिश्नर के विनिश्चय में किसी कर निर्धारक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अधिकरण द्वारा पहले दिये गये किसी आदेश की विधि मान्यता या उसके प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। (4) कोई प्रश्न, जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या अधिकरण द्वारा प्रार्थी के मामले में दिये गये पूर्ववर्ती आदेश से उत्पन्न हो, इस धारा के अधीन अवधारण के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा। (5) उपधारा (3) में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय, इस धारा के अधीन कमिश्नर द्वारा किया

1—उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 09 वर्ष 2012 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

		अध्याय आठ अपराध और अर्थदण्ड
--	--	--------------------------------

अपराध एवं अर्थदण्ड	58.	1(1) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति ने निम्नलिखित चार्ट के स्तम्भ (1) के किसी खण्ड में उल्लिखित अपराध हकिया है तो वह ऐसी जांच के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति, उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में उससे उल्लिखित दण्ड के रूप में निम्नलिखित अर्थदण्ड का भुगतान करेगा -											
		<table><tr><th>स्तम्भ-1 अपराध</th><th>स्तम्भ-2 अर्थदण्ड</th></tr><tr><td>(एक) इस अधिनियम के अधीन पंजीयन के लिए उत्तरदायी होते हुए भी, पंजीयन प्राप्त करने के लिए उसके जिम्मेदार होने की तारीख के 30 दिन बाद भी धारा 15 या धारा 16 के उपबन्धों के अधीन और उसके अनुसार पंजीयन प्राप्त किये बिना या धारा 20 के अधीन मांगी गई जमानत जमा किये बिना एक ब्यौहारी के रूप में अपना कारबार करता है या चालू रखता</td><td>(एक) प्रथम तीन महीने में व्यतिक्रम के लिए, प्रत्येक महीने या उसके भाग के निमित्त दो सौ रुपया और प्रथम तीन महीने के पश्चात् प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिए, जिसमें व्यतिक्रम किया जाता रहे, पांच सौ रुपया;</td></tr><tr><td>(दो) ऐसे समय जब वह माल का विक्रय या क़य करता है, पंजीकृत ब्यौहारी न होते हुए भी, मिथ्या दर्शाता है कि वह एक पंजीकृत ब्यौहारी है या था;</td><td>(दो) रुपये पांच हजार से अनधिक धनराशि;</td></tr><tr><td>(तीन) कर भुगतान करने के दायित्व से बचने या उसको टालने या दूसरे पर डालने की दृष्टि से जानबूझकर झूठी पंजीयन संख्या, जिसमें अन्य व्यक्ति की पंजीयन संख्या भी सम्मिलित है, का उपयोग करता है;</td><td>(तीन) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि;</td></tr><tr><td>(चार)युक्तियुक्त कारण के बिना, अपने आवर्त की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है या अनुमन्य समय के भीतर और विहित रीति से प्रस्तुत नहीं की है;</td><td>((चार) देय कर का कम से कम दस प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि देय कर दस हजार रुपये तक हो और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये से अधिक हो; परन्तु यह कि जहाँ अवधि बढ़ाने के लिये समय प्राप्त किया गया है तथा विलम्ब शुल्क जमा कर दिया गया है तो उपरोक्त अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया जायेगा; परन्तु यह और कि उन मामलों में जहाँ करदेयता शून्य है और समय बढ़ाने के लिये विलम्ब शुल्क के साथ समय नहीं लिया गया है तो प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये अधिकतम दो हजार</td></tr></table>	स्तम्भ-1 अपराध	स्तम्भ-2 अर्थदण्ड	(एक) इस अधिनियम के अधीन पंजीयन के लिए उत्तरदायी होते हुए भी, पंजीयन प्राप्त करने के लिए उसके जिम्मेदार होने की तारीख के 30 दिन बाद भी धारा 15 या धारा 16 के उपबन्धों के अधीन और उसके अनुसार पंजीयन प्राप्त किये बिना या धारा 20 के अधीन मांगी गई जमानत जमा किये बिना एक ब्यौहारी के रूप में अपना कारबार करता है या चालू रखता	(एक) प्रथम तीन महीने में व्यतिक्रम के लिए, प्रत्येक महीने या उसके भाग के निमित्त दो सौ रुपया और प्रथम तीन महीने के पश्चात् प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिए, जिसमें व्यतिक्रम किया जाता रहे, पांच सौ रुपया;	(दो) ऐसे समय जब वह माल का विक्रय या क़य करता है, पंजीकृत ब्यौहारी न होते हुए भी, मिथ्या दर्शाता है कि वह एक पंजीकृत ब्यौहारी है या था;	(दो) रुपये पांच हजार से अनधिक धनराशि;	(तीन) कर भुगतान करने के दायित्व से बचने या उसको टालने या दूसरे पर डालने की दृष्टि से जानबूझकर झूठी पंजीयन संख्या, जिसमें अन्य व्यक्ति की पंजीयन संख्या भी सम्मिलित है, का उपयोग करता है;	(तीन) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि;	(चार)युक्तियुक्त कारण के बिना, अपने आवर्त की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है या अनुमन्य समय के भीतर और विहित रीति से प्रस्तुत नहीं की है;	((चार) देय कर का कम से कम दस प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि देय कर दस हजार रुपये तक हो और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये से अधिक हो; परन्तु यह कि जहाँ अवधि बढ़ाने के लिये समय प्राप्त किया गया है तथा विलम्ब शुल्क जमा कर दिया गया है तो उपरोक्त अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया जायेगा; परन्तु यह और कि उन मामलों में जहाँ करदेयता शून्य है और समय बढ़ाने के लिये विलम्ब शुल्क के साथ समय नहीं लिया गया है तो प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये अधिकतम दो हजार	
स्तम्भ-1 अपराध	स्तम्भ-2 अर्थदण्ड												
(एक) इस अधिनियम के अधीन पंजीयन के लिए उत्तरदायी होते हुए भी, पंजीयन प्राप्त करने के लिए उसके जिम्मेदार होने की तारीख के 30 दिन बाद भी धारा 15 या धारा 16 के उपबन्धों के अधीन और उसके अनुसार पंजीयन प्राप्त किये बिना या धारा 20 के अधीन मांगी गई जमानत जमा किये बिना एक ब्यौहारी के रूप में अपना कारबार करता है या चालू रखता	(एक) प्रथम तीन महीने में व्यतिक्रम के लिए, प्रत्येक महीने या उसके भाग के निमित्त दो सौ रुपया और प्रथम तीन महीने के पश्चात् प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिए, जिसमें व्यतिक्रम किया जाता रहे, पांच सौ रुपया;												
(दो) ऐसे समय जब वह माल का विक्रय या क़य करता है, पंजीकृत ब्यौहारी न होते हुए भी, मिथ्या दर्शाता है कि वह एक पंजीकृत ब्यौहारी है या था;	(दो) रुपये पांच हजार से अनधिक धनराशि;												
(तीन) कर भुगतान करने के दायित्व से बचने या उसको टालने या दूसरे पर डालने की दृष्टि से जानबूझकर झूठी पंजीयन संख्या, जिसमें अन्य व्यक्ति की पंजीयन संख्या भी सम्मिलित है, का उपयोग करता है;	(तीन) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि;												
(चार)युक्तियुक्त कारण के बिना, अपने आवर्त की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है या अनुमन्य समय के भीतर और विहित रीति से प्रस्तुत नहीं की है;	((चार) देय कर का कम से कम दस प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि देय कर दस हजार रुपये तक हो और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये से अधिक हो; परन्तु यह कि जहाँ अवधि बढ़ाने के लिये समय प्राप्त किया गया है तथा विलम्ब शुल्क जमा कर दिया गया है तो उपरोक्त अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया जायेगा; परन्तु यह और कि उन मामलों में जहाँ करदेयता शून्य है और समय बढ़ाने के लिये विलम्ब शुल्क के साथ समय नहीं लिया गया है तो प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये अधिकतम दो हजार												

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 05 वर्ष 2008 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 25 वर्ष 2010 की धारा 12 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

(पाँच) इस अध्यादेश के अधीन आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत किया है;	(पाँच) दस हजार रुपये या अन्तर्गस्त कर की धनराशि, जो भी अधिक हो, से अनधिक धनराशि;
(छः) अपने आवर्त की विशिष्टियाँ छिपाई है अथवा जानबूझकर ऐसे आवर्त की त्रुटिपूर्ण विशिष्टियाँ प्रस्तुत की है;	(छः) कर की उस धनराशि का कम से कम पचास प्रतिशत, किन्तु दो सौ प्रतिशत से अनधिक, जो परवर्जित की जाती;

	(सात) युक्तियुक्त कारण के बिना – (क) अधिनियम के अधीन देय कर, विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व या उसके साथ जमा नहीं किया है; (ख) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है; (ग) अधिनियम के अधीन देय कर से अधिक कर के रूप में वसूली गई धनराशि या ऐसे कर के बदले में कोई भिन्न नाम या छद्म नाम देकर वसूली गई धनराशि विवरणी के साथ जमा नहीं किया है; (आठ) ऐसी धनराशि, जिसके सम्बन्ध में धारा 76 के उपबन्धों के अधीन अधिस्थगन स्वीकृत किया गया है, का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट अवधि में करने में असफल रहता है; (नौ) किसी माल के विक्रय या क़य पर कोई कर मांगे या वसूल करे, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय न हो; (दस) धारा 22 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करके विक्रय या क़य पर कर के रूप में कोई धनराशि या ऐसे कर के बदले कोई भिन्न या छद्म नाम देकर कोई धनराशि वसूल करता है;	(सात) 1. (क) (i) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के पांच प्रतिशत के बराबर हावे, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक न हो; (ii) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के दस प्रतिशत से कम न हो और बीस प्रतिशत से अधिक न हो, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक का है और ऐसे कर की राशि बीस हजार तक है; (iii) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के दस प्रतिशत से कम और तीस प्रतिशत से अधिक न होगी, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक का है और ऐसे कर की राशि बीस हजार से अधिक है। (ख) (i) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के पांच प्रतिशत के बराबर हो, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक न हो; (ii) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के दस प्रतिशत से कम और बीस प्रतिशत से अधिक न होगी, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक का है और ऐसे कर की राशि बीस हजार तक है; (iii) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के बीस प्रतिशत से कम और तीस प्रतिशत से अधिक न होगी, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक का है और ऐसे कर की राशि बीस हजार से अधिक है। (आठ) देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये तक हो और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये से अधिक हो; (नौ) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि; (दस) ऐसी धनराशि, जो वसूले गये या अधिक वसूले गये कर की धनराशि से कम न हो, किन्तु उक्त धनराशि के तीन गुना से अधिक न हो;
--	---	---

----- 1-उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2015 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

	(ग्यारह) इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है; (बारह) इस अधिनियम के अधीन देय कर या फीस या अर्थदण्ड या किसी अन्य धनराशि के जमा करने का मिथ्या प्रमाण प्रस्तुत करता है; (तेरह) विहित रीति से बहियाँ, लेखे, दस्तावेज नहीं रखता है; (चौदह) मिथ्या लेखा रजिस्टर या दस्तावेज रखा है अथवा प्रस्तुत किया है;	(ग्यारह) पाँच हजार रुपये या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो; (बारह) पाँच हजार रुपये या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो; (तेरह) रुपये पाँच हजार से अनधिक धनराशि; (चौदह) कर की उस धनराशि का कम से कम पचास प्रतिशत, किन्तु दो सौ प्रतिशत से अनधिक, जो तद्वारा परिवर्जित हो जाती;
--	--	---

	(पन्द्रह) कोई ऐसी सूचना, जो उसकी जानकारी में या उसके पास हो और जिसकी उससे इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी हो, प्रस्तुत करने से इनकार करता है अथवा उसमें उपेक्षा करता है अथवा ऐसी सूचना प्रस्तुत करता है, जो किन्हीं	(पन्द्रह) प्रत्येक व्यक्तिकम के लिए रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि; } ³
	(सोलह) धारा 62 के उपबन्धों के उल्लंघन में संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है;	(सोलह) रुपये पाँच हजार से अनधिक धनराशि;
	(सत्रह) किसी बही, दस्तावेज या लेखा बही या किसी कम्प्यूटर या कम्प्यूटर फ्लॉपी में रखी गयी सामग्री का निरीक्षण या परीक्षण करने देने से इनकार करता है या प्रस्तुत करने में उपेक्षा करता है या धारा 42 के उपबन्धों के अनुसार उनकी प्रतिलिपियाँ या प्रिन्ट आउट	(सत्रह) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि;
	(अठारह) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन निरीक्षण को रोकने के उद्देश्य से अपना कारोबार स्थल बन्द कर देता है अथवा छोड़ देता है;	(अठारह) रुपये पाँच हजार से अनधिक धनराशि;
	(उन्नीस) {***} ¹	(उन्नीस) {***} ¹
	² [(बीस) धारा 50 के अधीन स्थापित जाँच चौकी अथवा नाके पर अथवा किसी अन्य स्थान पर धारा 42, 43, 43(क), 48(क) के अधीन सशक्त अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा करने पर वाहन को जाँच के लिये रोकने या खड़ा करने से इनकार करता है या असफल रहता है;	(बीस) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि;

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 09 वर्ष 2012 की धारा 14 (क) द्वारा निकाला गया।

2. उपर्युक्त की धारा 14 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2016 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।

	(इक्कीस) धारा 50 के प्राविधानों के अनुसार ट्रांजिट पास तैयार करने, प्रस्तुत (submit) करने अथवा साथ रखने में असफल रहता है, अथवा उसे धारा के प्राविधानों के अनुसार नहीं करता है। (बाइस) एक परिवहक या अग्रेषण अभिकर्ता किसी वाहन, जो राज्य के माल को लाकर राज्य के जाने के लिए निर्वहन करता वाहन चालक या प्रभारी व्यक्ति माल प्राप्त करता है लेकिन यह प्रमाणित करने में असफल रहता है कि माल राज्य के बाहर ले जाया गया है; ((तेइस) किसी यान के स्वामी या संचालन में के स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा व्यक्ति या ड्राइवर या यान माल के प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी हो, द्वारा राज्य के अन्दर से के अभिवहन के लिये ट्रांजिट पास तैयार करने अथवा प्रस्तुत करने के बाद, धारा 50-क के अधीन स्थापित जॉच चौकी के प्रभारी अथवा धारा 42 या धारा 43 में सशक्त अधिकारी के समक्ष माल सहित ट्रांजिट पास की प्रतियां प्रस्तुत (produce) नहीं करता है अथवा धारा 50 के प्राविधानों के अनुसार यह प्रमाणित करने में असफल रहता है कि माल राज्य के बाहर ले जाया जा चुका है। (चौबीस) धारा 42 की उपधारा (7) के अधीन लगाई गई किसी मुहर से अन्तःक्षेप करता है; (पच्चीस) धारा 60 के उपबन्धों के अनुसार बिक्रीबीजक जारी करने में असफल अथवा बिक्रीबीजक अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण विशिष्टियों के साथ जारी अथवा ऐसा बीजक जारी पश्चात् उसको अपनी लेखा में शुद्धतया लेखाबद्ध करने में असफल रहता है;	(इक्कीस) अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन 50-क गुना धनराशि जो भी अधिक हो।} परिदत्त (बाइस) अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के होते हुए चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि बाहर से या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों बाहर ले के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर है, के की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक से कोई हो; (तेइस) अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 माल प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस प्राधिकृत अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन अथवा ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन स्थिति गुना धनराशि, जो भी अधिक हो।} होकर माल (चौबीस) रुपये पच्चीस हजार से अनधिक धनराशि; (पच्चीस) प्रथम व्यतिक्रम के लिए एक सौ रुपये या अन्तर्ग्रस्त कर की दुगुनी रहता है धनराशि, जो भी अधिक हो और द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती व्यतिक्रम के करता है लिए दो सौ रुपये या अन्तर्ग्रस्त कर करने के की दुगुनी धनराशि, जो भी अधिक हो; बहियों
--	--	--

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 09 वर्ष 2012 की धारा 14 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(सत्ताईस) किसी माल के प्रेषण पर परिवहन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार चालान या

(सत्ताइस) प्रथम व्यतिक्रम के लिए एक सौ रुपये या अन्तर्ग्रस्त कर की दुगुनी धनराशि, जो भी अधिक हो और द्वितीय अन्तरण-बीजक या परिवहन-मीमो और प्रत्येक पश्चात्वर्ती व्यतिक्रम के जारी करने में असफल रहता है;

(अट्ठाइस) कोई मिथ्या बिक्रीबीजक, ऐसे लिए दो सौ रुपये या अन्तर्ग्रस्त कर की दो गुनी धनराशि, जो भी अधिक हो;

(अट्ठाइस) रुपये पाँच हजार से अनधिक बिक्रीबीजक में दर्शाये गये माल के धनराशि;

विक्रय या क्रय किये बिना जारी करता

है या प्राप्त करता है;

(उन्तीस) कोई झूठा या गलत घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र जारी करता है या देता है, जिसके कारण इस अधिनियम के अधवा इसके अधीन बने नियमों या जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत विक्रय या क्रय पर कर न लग सके;

(तीस) किसी घोषणा का विवरण प्रपत्र या प्रमाण-पत्र उपयोग करता है, जो उसने या उसके कर्ता या अभिकर्ता द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त नहीं किये हैं;

(इकतीस) किसी घोषणा के विहित प्रपत्र या प्रमाण-पत्र को किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन विधि पूर्ण प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु

(उन्तीस) अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो;

(तीस) अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो;

(इकतीस) माल के आवर्त को कराधेय मानते हुए, इस पर कर की धनराशि के तीन गुना के बराबर धनराशि या उसमें दर्शित माल की कीमत का चालीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो और यदि घोषणा-पत्र या

अन्तरण करता है;

प्रमाण-पत्र का प्रपत्र खाली पाया

जाता

है तो दस हजार रुपये से अनधिक;

(बत्तीस) राजस्व को हानि पहुँचाने के आशय से किसी ऐसे घोषणा के विहित प्रपत्र या प्रमाण-पत्र को प्राप्त करता है या रखता है, जिसको कर्ता या अभिकर्ता द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन

(बत्तीस) माल के आवर्त को कराधेय मानते हुए इस पर कर की धनराशि के तीन गुना के बराबर धनराशि या उसमें दर्शित माल की कीमत का चालीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो और यदि घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र का प्रपत्र खाली पाया जाता प्राप्त नहीं किया गया है;

है तो दस हजार रुपये से अनधिक;

(तैंतीस) किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके किसी कार्य को करने से या उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोकता है या उसमें बाधा डालता है या किसी अधिकारी को गाली देता है या धमकाता है;

(तैंतीस) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि;

(चौंतीस) किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने की दृष्टि से अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को भड़काता है या आमंत्रित करता है या किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकने की दृष्टि से किसी अवैधानिक सभा जमाव में भाग लेता है या किसी अधिकारी को गाली देता है या धमकी देता है;

(चौंतीस) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि;

(पैंतीस) पंजीयन के लिए प्रार्थना-पत्र पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में मिथ्या सत्यापन या घोषणा करता है;

(पैंतीस) रुपये पाँच हजार से अनधिक धनराशि;

(छत्तीस) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके कार्य करता है

(छत्तीस) रुपये दस पाँच से अनधिक धनराशि;

((सैंतीस) धारा 35 की उपधारा (13) के अधीन (सैंतीस) प्रथम तीन माह के दौरान व्यतिक्रम टैक्स डिडक्शन एकाउन्ट नम्बर प्राप्त के लिये प्रत्येक माह अथवा उसके करने के लिये दायी व्यक्ति यदि टैक्स भाग के लिये पांच सौ रुपये और डिडक्शन एकाउन्ट नम्बर हेतु आवेदन प्रथम तीन माह के बाद निरन्तर करने में असफल रहता है।

व्यतिक्रम के लिये प्रत्येक माह अथवा उसके भाग के लिये एक हजार रुपये।²

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनार्थ, कर निर्धारक प्राधिकारी से जाँच चौकी पर तैनात वाणिज्य कर अधिकारी से अनिम्न पद का अधिकारी या धारा 42 या 43 या दोनों, यथास्थिति, अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है।¹

- (2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्रति ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति पर तामील की जायेगी और अर्थदण्ड के रूप में आरोपित धनराशि ऐसे ब्यौहारी या व्यक्ति द्वारा तामिली के तीस दिन के भीतर विहित रीति से जमा की जायेगी और ऐसा न करने पर उसे उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा, मानो वह मालगुजारी का कोई बकाया हो।
- (3) उपधारा (1) के अधीन उस समय तक कोई आदेश नहीं दिया जायेगा, जब तक ब्यौहारी या अन्य सम्बद्ध व्यक्ति की सुनवाई न कर ली जाय, अथवा उसको सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर न दिया जाये।
- (4) इस धारा के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों के साथ मृत व्यक्तियों के निष्पादक, प्रबन्धक और विधिक प्रतिनिधि पर भी लागू होंगे।

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 05 वर्ष 2008 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित। 2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 25 वर्ष 2010 की धारा 12(2) द्वारा बढ़ाया गया।

		अध्याय नौ ब्यौहारियों द्वारा लेखा रखा जाना
--	--	---

लेखों का रख रखाव	59.	(1) प्रत्येक ब्यौहारी या व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत है या पंजीकृत के लिए दायी है या इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिए दायी है, जिसमें इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) और (2) के अन्तर्गत आच्छादित कोई ब्यौहारी भी सम्मिलित है, ऐसा सच्चा और सही लेखा रखेगा, जिसमें ऐसे माल की कीमत दिखाई गयी हो, जो उसने क़य, विनिर्मित या विक्रय या सम्भरण किया हो और ऐसे अभिलेख रखेगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उसके अधीन जारी अधिसूचनाओं के अधीन विहित किया जाय : परन्तु यह कि यह उपधारा ऐसे ब्यौहारियों पर लागू नहीं होगी, जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी नहीं है। (2) कोई विनिर्माता, जो इस अधिनियम के अधीन कर का दायी है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखों के अतिरिक्त, कच्चे माल और प्राप्त उत्पादन के सम्बन्ध में भी स्टॉक बहियाँ रखेगा। (3) कमिश्नर किसी ब्यौहारी को या ब्यौहारियों के किसी वर्ग को निर्देश दे सकता है कि वे ऐसी शर्तों या निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसी इस निमित्त विहित की जायें, सामान्यतया ऐसे लेखे और अभिलेख, जिसमें माल के क़य, विक्रय और परिदान के अभिलेख भी सम्मिलित है, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से रखेंगे, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय। (4) प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट ब्यौहारी कारबार के दौरान रखे गये सभी लेखे, रजिस्टर एवं दस्तावेज अपने कारबार स्थल कर रखेगा। (5) जहाँ किसी ब्यौहारी, जैसा कि उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, ने अपने कारबार के मुख्य स्थान के अन्यथा राज्य में शाखा कार्यालय स्थापित किये हो तो ऐसी प्रत्येक शाखा से सम्बन्धित सुसंगत लेखे, रजिस्टर एवं दस्तावेज ऐसी शाखा पर रखेगा। (6) ऐसा ब्यौहारी, जो बहियाँ या लेखे किसी कम्प्यूटर में रखता है, वह ऐसी बहियों या लेखों या दस्तावेजों की फ़लोंपी तैयार करेगा और अपने लेखों के भाग स्वरूप रखेगा। वह ऐसे समस्त बही, लेखों और दस्तावेजों का दिन प्रतिदिन का प्रिन्ट आउट भी रखेगा। (7) ऐसा ब्यौहारी, जो धारा 6 के अधीन इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है, वह कर अवधि के अनुरूप इनपुट टैक्स के लाभ की संगणना के सम्बन्ध में रजिस्टर रखेगा। (8) जहाँ कोई ब्यौहारी विनिर्मित माल को निम्न में से एक से अधिक तरीके से क़य करता है या प्राप्त करता है या व्ययन करता है— (क) कराधेय माल का राज्य के अन्दर विक्रय करता है; (ख) कराधेय माल का अन्य ब्यौहारियों को राज्य के अन्दर विक्रय हेतु प्रेषण करता है; (ग) कराधेय माल का अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय करता है; (घ) माल की भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय करता है या कराधेय माल को राज्य के बाहर विक्रय के अन्यथा प्रेषण करता है; या (ङ) कराधेय माल का प्रेषण विक्रय के अन्यथा राज्य के बाहर करता है तो वह माल का विक्रय या प्रेषण और साथ ही क़य और प्राप्ति का ऐसे प्रयोजनों के लिए, जहाँ तक सम्भव हो, अलग-अलग लेखा रखेगा। (9) कर के लिए दायी प्रत्येक ब्यौहारी राज्य के अन्दर से क़य और राज्य के बाहर से आयातित माल की उनके क़य कीमत सहित, सूची निम्नानुसार तैयार करेगा —
------------------	-----	--

		(क) उस तारीख, जिसमें ब्यौहारी कर भुगतान का दायी बन जाता है, में प्रारम्भिक स्टॉक में धारित माल; (ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अन्तिम तारीख को अन्तिम स्टॉक में धारित माल; (ग) ऐसे कर निर्धारण वर्ष, जिसमें ब्यौहारी धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन पंजीयन के निरस्तीकरण के लिए आवेदन करता है, के प्रथम दिवस में प्रारम्भिक स्टॉक में धारित माल, निरस्तीकरण के लिए आवेदन करता है, के प्रथम स्टॉक में धारित माल : परन्तु यह कि यदि ब्यौहारी किसी माल का विनिर्माण करता है और स्टॉक में कोई विनिर्मित या अर्ध-विनिर्मित माल रखता है तो वह माल की सूची भी बनायेगा और विनिर्मित या अर्ध-विनिर्मित माल के घटक के रूप में उपयोग किये गये माल की अनुमानित/क्रय कीमत और ऐसे माल के विनिर्माण में ईंधन या उपभोग्य स्टोर या स्नेहकों या पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग किये गये माल की अनुमानित क्रय कीमत अभिलिखित करेगा। {(10) यदि कोई पंजीकृत ब्यौहारी अथवा ब्यौहारी, जो कर भुगतान करने के लिए दायी है, किसी कर योग्य माल को बिक्री के फलस्वरूप अथवा अन्यथा {***}² परेषित करता है, तो – (क) ऐसा ब्यौहारी, बिक्री के अन्यथा, माल के परेषण के मामले में एक बिक्री बीजक या चालान [प्रत्येक क्रमांकित, संख्या एवं जारी करने की तारीख सहित]³ जारी करेगा, जिसमें परेषणकर्ता तथा परेषती का नाम, पता तथा पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या (प्रभावी तारीख सहित) अंकित किया जायेगा तथा विक्रय के मामले में, माल का विवरण, मात्रा, परिमाण तथा प्रभारित कर की धनराशि तथा परेषण के मामले में, माल का अनुमानित मूल्य तथा बिक्री के मामले में माल का मूल्य अंकित किया जायेगा; (ख) ऐसा ब्यौहारी, क्रेता अथवा परेषती व्यक्ति को मूल रूप में मूल बिक्री बीजक अथवा यथास्थिति, चालान जारी करेगा तथा विक्रय के मामले में, बीजक की प्रथम प्रति तथा परेषण के मामले में, चालान की मूल प्रति माल के अभिवहन के दौरान माल के साथ रहेगी तथा विक्रय के मामले में, बीजक की द्वितीय प्रति तथा परेषण के मामले में, चालान की द्वितीय प्रति ब्यौहारी द्वारा अपने लेखों के भाग के रूप में सुरक्षित रखी जायेगी; (ग) परेषती को सुपुर्द करने के लिए माल को परिवहन करने वाला व्यक्ति, बिक्री बीजक अथवा चालान में वहन की पंजीयन संख्या अंकित करेगा और ऐसा दस्तावेज परेषती को माल के साथ प्रदान करेगा; (घ) माल का परेषती ब्यौहारी, ऐसा कोई दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करेगा तथा उसे धारा 61 में निर्धारित अवधि तक के लिए सुरक्षित रखेगा।¹ (11) जहाँ कोई ब्यौहारी इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये नियमों या जारी की गई अधिसूचनाओं के अधीन विहित कोई प्रमाण-पत्र या कोई घोषणा का प्रपत्र प्राप्त करता है, तो – (क) वह उनका विहित रीति में उपयोग करेगा और ऐसे प्रयुक्त या अप्रयुक्त प्रमाण-पत्र या घोषणा के प्रपत्रों का विहित रीति से लेखा रखेगा; (ख) ऐसे प्रयुक्त या अप्रयुक्त प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र के प्रपत्रों का किसी विधिपूर्ण प्रयोजन के अन्यथा वह किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण नहीं करेगा और न कोई अन्य व्यक्ति, इनको प्राप्त करेगा; (ग) कोई ब्यौहारी, जो किसी विहित प्रपत्र, जिसमें उसकी द्वितीय प्रतिलिपि भी सम्मिलित है और अन्य सम्बद्ध दस्तावेज प्राप्त करता है, वह उनको धारा 61 के अधीन विहित
--	--	--

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 05 वर्ष 2008 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 09 वर्ष 2012 की धारा 15 (क) द्वारा हटाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 15 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।

बिक्री बीजक	60.	(1) प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी, जो कराधेय माल का विक्रय, किसी अन्य ब्यौहारी, चाहे पंजीकृत हो या नहीं, को करता है तो विक्रय के समय ऐसी विशिष्टियाँ, जैसा कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है, से युक्त बिक्री बीजक केता का उपलब्ध करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा। माल के विक्रय पर प्रभारित कर की धनराशि अलग-अलग दर्शायी जायेगी : परन्तु यह कि यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अधीन कोई बीजक जारी किया जाता है तो वह एक बिक्री बीजक समझा जायेगा, यदि इसमें उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट हों। (2) उपधारा (1) के अधीन जारी बिक्री बीजक की मूलप्रति और उसकी प्रतियों में निम्न विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी :- (क) पंजीकृत विक्रेता ब्यौहारी का नाम, पता और पंजीयन प्रमाण-पत्र संख्या [अर्थात् टैक्स पेयर्स आइडेंटिफिकेशन नम्बर (टिन)]² और तारीख जब से प्रभावी है; (ख) पंजीकृत केता ब्यौहारी का नाम, पता और प्रभावी सहित पंजीयन प्रमाण-पत्र संख्या [अर्थात् टैक्स पेयर्स आइडेंटिफिकेशन नम्बर (टिन)]² ; (ग) कमिक संख्या और तारीख जब बिक्री बीजक जारी किया गया है; (घ) विक्रय किये गये माल का वर्णन, मात्रा, परिणाम और कीमत और उस पर प्रभारित कर की धनराशि अलग-अलग दर्शाते हुए; (ङ) विक्रेता ब्यौहारी या उसके प्रबन्धक, अभिकर्ता या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत [कर्मचारी]¹ के हस्ताक्षर। (3) प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी ऐसे प्रत्येक माल के विक्रय, जिस पर कीमत पारित किया जाता है, के सम्बन्ध में केता को एक बिक्री बीजक जारी करेगा और वह करमुक्त माल की कीमत, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाये, से अधिक धनराशि के विक्रय के सम्बन्ध में केता को एक बिक्रीबीजक जारी करेगा। (4) प्रत्येक बिक्री बीजक, जारी किये जाने से पूर्व, ब्यौहारी या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अभिप्रमाणित किया जायेगा। (5) बिक्री बीजक तीन प्रतियों में जारी किया जायेगा। मूल प्रति केता को जारी की जायेगी और प्रथम प्रति माल का परिदान प्राप्त करने वाले ब्यौहारी या जैसी भी दशा हो, किसी अन्य व्यक्ति को जारी की जायेगी और दूसरी प्रति विक्रेता ब्यौहारी द्वारा सुरक्षित रखी जायेगी। (6) प्रत्येक विक्रय के लिए एक से अधिक बिक्री बीजक जारी नहीं किया जायेगा। (7) किसी भी व्यक्ति को बिक्री बीजक किसी भी परिस्थिति, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों से भिन्न हो, में उपलब्ध नहीं कराया जायेगा लेकिन "डुप्लीकेट" चिह्नित प्रतिलिपि विहित रूप से जारी की जा सकती है, यदि मूल बीजक पाने वाला व्यक्ति इस कारण कि मूल प्रति खो गई है, ऐसी प्रार्थना करता है। (8) बिक्री बीजक का विवरण ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाय, अभिलिखित किया जायेगा।
-------------	-----	--

1.उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 05 वर्ष 2008 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

2.उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 25 वर्ष 2010 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

अवधि जब तक लेखे
स्टॉक, कय, रखे जायेंगे
वारुचर भी
वर्ष की
निर्धारण
हो,

61.

[(1) प्रत्येक ब्यौहारी अपने कारोबार के दौरान रखे गये सभी लेखे, जिनमें उत्पादन, परिदान या विक्रय से सम्बन्धित बिक्री बीजक, जमा-पत्र, नाम-पत्र और सम्मिलित हैं, कर निर्धारण वर्ष, जिससे वे सम्बन्धित हो, की समाप्ति के पश्चात् 06 अवधि के लिए या ऐसे कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में कर निर्धारण या पुनःकर या अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के पूरे होने तक, जो भी पश्चात्वर्ती सुरक्षित रखेगा।]⁵

(2) प्रत्येक ब्यौहारी, जो अभिलेख इलैक्ट्रॉनिक तरीके से रखता है, उनको इलैक्ट्रॉनिक तरीके से पढ़े जाने योग्य रूपविधान में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सुरक्षित रखेगा।

लेखों की संपरीक्षा
कोई
अधिक हो
किसी
रूप से
करते

62. (1) जब किसी विशेष वर्ग में, किसी ब्यौहारी का सकल आवर्त 6[रूपये पांच करोड़] या अन्य धनराशि, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, से जाता है तो ऐसा ब्यौहारी, उस वर्ष से सम्बन्धित अपने लेखों की सम्परीक्षा [***]² लेखाकार से करायेगा और ऐसे सम्परीक्षण की आख्या, ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक हस्ताक्षरित और सत्यापित और ऐसी विशिष्टियों, जो विहित की जायें, को उल्लेखित हुए, प्राप्त करेगा।
- (2) ऐसे ब्यौहारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट की सत्य प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को धारा 25 में विहित वार्षिक विवरणी के साथ दाखिल की जायेगी।³
- (3) यदि किसी विशेष वर्ग में किसी ब्यौहारी का सकल आवर्त 6[एक करोड़ रुपये से अधिक किन्तु रुपये पांच करोड़ से अनधिक] हो जाता है तो ऐसा ब्यौहारी, किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कौन्सल एकाउन्टेन्ट अथवा किसी लेखा परीक्षक (ऑडिटर) द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित अपने लेखों की सम्परीक्षा रिपोर्ट की एक सत्यप्रति प्रस्तुत करेगा, यह रिपोर्ट [धारा 25 में विहित वार्षिक विवरणी के साथ]⁴ कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन हेतु “लेखाकार” से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 में परिभाषित किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट और लागत तथा संकर्म लेखा अधिनियम, 1959 में परिभाषित लागत एकाउन्टेन्ट अभिप्रेत है और इसमें ऐसा व्यक्ति, जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबन्धों के आधार पर उस अधिनियम के अधीन पंजीकृत कम्पनियों के सम्परीक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने का हकदार है, भी सम्मिलित है।¹

अध्याय — दस

विविध

मिथ्या प्रमाण—पत्र
के आदि जारी करने पर
बनाये दायित्व
प्रमाण—पत्र या
साथया
कोई कर
ऐसा

63. इस अधिनियम में अन्यत्र दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और धारा 58 उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन गये नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन विहित कोई ऐसा मिथ्या या गलत घोषणा—पत्र किसी अन्य व्यक्ति को जारी करे, जिसके कारण ऐसे अन्य व्यक्ति के उसके द्वारा किये गये क्रय या विक्रय के संव्यवहार पर इस अधिनियम के अधीन आरोपणीय नहीं रह जाता है या रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है तो वह ऐसे संव्यवहार पर ऐसी धनराशि का दायी होगा, जो ऐसे संव्यवहार पर देय होती, यदि प्रमाण—पत्र या घोषणा—पत्र जारी न किया गया होता :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने से पूर्व सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 05 वर्ष 2008 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 25 वर्ष 2010 की धारा 14(क) द्वारा हटाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 14 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 14 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19 वर्ष 2016 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19 वर्ष 2016 की धारा 5 के (1) एवं (2) द्वारा शब्द प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण— यदि प्रमाण—पत्र या घोषणा—पत्र जारी करने वाला व्यक्ति उसमें अपना यह अभिप्राय प्रकट करे कि वह अपने द्वारा क्रय किये माल का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिए करेगा, जिससे कोई कर देय न होगा या रियायती दर पर देय होगा, किन्तु उसका उपयोग ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए करे तो प्रमाण—पत्र या घोषणा—पत्र को इस धारा के प्रयोजन के लिए गलत समझा जायेगा।

अधिकारिता के
प्रति आपत्ति
जब
की गई
उससे

64. (1) किसी अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अधिकरण द्वारा किसी कर निर्धारक प्राधिकारी की क्षेत्रीय या धन सम्बन्धी अधिकारिता के प्रति कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी, तक कि ऐसी आपत्ति यथासम्भव शीघ्र अवसर पर कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष न हो और जब तक कि अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अधिकरण की राय में वास्तव में न्याय न हो पाया हो।

- (2) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी की केवल क्षेत्रीय या धन सम्बन्धी अधिकारिता के अभाव के कारण अथवा किसी प्रकार के किसी अन्य कारण से, जिससे सार पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई कर निर्धारण अपास्त या अपखण्डित कर दिया गया हो तो निर्धारिती द्वारा

स्वीकृत दायित्व की सीमा तक पहले से ही दिया गया कर इस प्रकार कर निर्धारण के अपास्त या अपखण्डित किये जाने के फलस्वरूप उसे वापस किये जाने योग्य नहीं होगा।

कर दायित्व 65. (1) जहाँ कारबार से सम्बन्धित कोई माल :-

अवधारित करने में

कुछ अवधारणाएं

पाया

(क) किसी ब्यौहारी से सम्बन्धित होना पता लगता है और किसी भवन या स्थान पर जाता है लेकिन ब्यौहारी ने अपनी लेखापुस्तकों में उसे दर्ज नहीं किया है;

(ख) किसी ब्यौहारी से सम्बन्धित होना पता लगता है और किसी वाहन, चाहे उस ब्यौहारी का हो या न हो, में पाया जाता है और ऐसे माल के साथ इस अधिनियम की किसी उपबन्ध के अधीन विहित कोई दस्तावेज नहीं हो;

(ग) कोई व्यक्ति, जो कारबार के अन्यथा किसी वृत्ति को करने का दावा करता है, की अभिरक्षा में पाया जाता है, यह साबित करने में विफल होता है कि ऐसा माल किसी दूसरे व्यक्ति या ब्यौहारी का है, तो यह समझा जायेगा कि ऐसा माल ऐसे ब्यौहारी या व्यक्ति द्वारा उसकी बिक्री पर या यदि यह पाया जाता है कि माल विनिर्माण में प्रयोग के लिए है तो ऐसे माल के प्रयोग से विनिर्मित माल के विक्रय पर, कर के भुगतान से बचने के उद्देश्य से राज्य के बाहर से आयात किया गया है या राज्य के भीतर से कय किया गया है।

(2) जहाँ किसी जाँच चौकी या राज्य के भीतर किसी स्थान पर यह पाया जाता है कि कारबार के प्रयोजन से कोई कराधेय माल धारा 48 के अधीन विहित किसी घोषणा के प्रपत्र के बिना आयात किया जा रहा है तो जब तक समुचित और पर्याप्त साक्ष्य देने के बाद अन्यथा साबित न हो, यह समझा जायेगा कि -

(क) ऐसे माल का आयात इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से बचने के उद्देश्य से किया जा रहा है;

(ख) ऐसे माल का आयात इस अधिनियम के अधीन ऐसे माल के विक्रय पर कर के भुगतान से बचने के उद्देश्य से किया जा रहा है :

परन्तु यह कि यदि माल किसी माल के विनिर्माण में प्रयोग के लिए है तो यह समझा जायेगा कि माल का आयात ऐसे माल के प्रयोग से विनिर्मित माल के विक्रय पर कर के भुगतान से बचने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

(3) जहाँ कोई बही, लेखे या दस्तावेज किसी स्थान या भवन या वाहन में पाये जाता है तो जब तक कि उस स्थान या भवन या वाहन का प्रभारी व्यक्ति समुचित और पर्याप्त साक्ष्य देने के बाद यह साबित न कर दे कि वे किसी अन्य व्यक्ति या ब्यौहारी की है, ऐसा व्यक्ति माल के कय और विक्रय के कारबार से सम्बन्धित ऐसे संव्यवहारों के सम्बन्ध में, जो कि ऐसे बही, लेखे या दस्तावेज में पाये जायें, ब्यौहारी समझा जायेगा।

(4) जहाँ किसी ब्यौहारी से सम्बन्धित किसी माल का विक्रय और या कय के संव्यवहार किसी दूसरे ब्यौहारी के बही, लेखे या दस्तावेज में पाये जाते हैं और यदि ऐसे संव्यवहार पूर्ववर्ती ब्यौहारी द्वारा कारबार के सामान्य क्रम में रखे गये बही, लेखे या दस्तावेज में दर्ज नहीं पाये जाते हैं तो

यह समझा जायेगा कि वे संव्यवहार ऐसे पूर्ववर्ती ब्यौहारी से सम्बन्धित है और ऐसे माल के विक्रय पर या यदि ऐसे बही, लेखे या दस्तावेज में अभिलिखित माल विनिर्माण में प्रयोग के लिए हैं तो ऐसे माल का प्रयोग करके विनिर्मित किये जाने वाले माल के विक्रय पर, कर के भुगतान से बचने के उद्देश्य से आयात किया गया है या राज्य के भीतर कय किया गया है।

(5) जहाँ राज्य के भीतर किसी माल के कय या विक्रय के सम्बन्ध में धारा 59 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट चालान या ट्रान्सपोर्ट बीजक जारी करना या प्राप्त करना या पारगमन के दौरान माल के साथ ले जाया जाना अपेक्षित है और यदि ऐसे उपबन्धों का पालन नहीं किया गया है या माल पूरे का पूरा या अंशतः ऐसे दस्तावेजों से आच्छादित नहीं है तो यह समझा जायेगा कि ऐसा माल का विक्रय या जैसे भी स्थिति हो, कय ऐसे माल के कय या विक्रय पर अथवा यदि माल विनिर्माण में प्रयोग के लिए है तो ऐसे माल के प्रयोग से विनिर्मित किये जाने वाले माल के विक्रय पर कर के भुगतान से बचने के उद्देश्य से किया गया।

(6) जहाँ कोई ब्यौहारी बिक्री बीजक में दर्शाये गये माल का क्रय किये बिना कोई बिक्री बीजक किसी पंजीकृत ब्यौहारी से प्राप्त करता है तो यह समझा जायेगा कि ब्यौहारी, जिसने ऐसे दस्तावेज प्राप्त किये हैं, ने दस्तावेज में दर्शाये गये माल का क्रय दूसरे व्यक्ति से, ऐसे माल के क्रय पर उन परिस्थितियों में जिनमें ऐसे माल का विक्रय करने वाले ब्यौहारी पर कर अवधारित नहीं किया जा सकता, कर के भुगतान से बचने के उद्देश्य से किया गया है और क्रय करने वाले ऐसे ब्यौहारी के ऐसे क्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर देय होगा।

(7) यदि कर निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि कोई "स्कीम" ऐसे प्रवृत्त की गयी है या कार्यान्वित की जा चुकी है कि किसी व्यक्ति ने स्कीम के सम्बन्ध में —

(क) किसी व्यक्ति के कर भुगतान करने के दायित्व में कमी;

(ख) किसी व्यक्ति के इनपुट टैक्स लाभ या वापसी की हकदारी में वृद्धि;

(ग) कर भुगतान करने के दायित्व का कोई अन्य परिवर्जन या स्थगन, के परिणाम स्वरूप कर लाभ प्राप्त कर लिया है तो यह समझा जायेगा कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्होंने स्कीम कार्यान्वित की थी या प्रवृत्त की थी, ने ऐसे व्यक्ति को कर का लाभ प्राप्त काने के लिए समर्पित बनाने के एकमात्र और प्रधान उद्देश्य से ऐसा किया था और कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति, जिसने लाभ प्राप्त किया है, पर कर दायित्व अवधारित कर सकता है, मानों की स्कीम न तो प्रवृत्त की गयी और न कार्यान्वित की गयी थी।

स्पष्टीकरण— "स्कीम" में कोई करारनामा, व्यवस्था, वचन या वचनबद्धता (चाहे अभिव्यक्त की गयी हो या विवक्षित हो और चाहे लागू करने योग्य हो या न हो या विधिक कार्यवाही द्वारा लागू करने का आशय हो) या कोई योजना, सुझाव, कार्यवाही या संचालन की विधि सम्मिलित है।

साबित करने का भार 66. (1) यदि किसी कर निर्धारण कार्यवाही में जहाँ कोई तथ्य विशेषतः करदाता के ज्ञान में हो तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होगा और विशेष रूप से, ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार, जो मामले को इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के किसी भी अपवाद, छूट या मुक्ति के अन्तर्गत लाती हो या कि वह धारा 6 के अन्तर्गत टैक्स के लाभ का पात्र है, उसी पर होगा और कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसी परिस्थितियों अभाव की अवधारणा करेगा।

सम्बन्ध में 67. (2) यदि कोई ब्यौहारी यह दावा करता है कि वह विक्रय या क्रय के किसी संव्यवहार के कर के भुगतान का दायी नहीं है तो उन तथ्यों और परिस्थितियों, जिनके आधार पर वह देयता से छूट का दावा करता है, के अस्तित्व को साबित करने का भार उसी पर होगा।

अपील में 67. निर्धारित अपील सुनने वाले प्राधिकारी या अधिकरण के समक्ष मौखिक या दस्तावेज के रूप में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार न होगा, सिवाय उस दशा के जब पेश किया वाला साक्ष्य ऐसा साक्ष्य हो, जिसे कर निर्धारक प्राधिकारी ने गलती से ग्रहण करने से किया हो अथवा जो सम्यक् तत्परता बरतने के बावजूद भी उसकी जानकारी में नहीं था उसके द्वारा कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था और मामले में अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेख पर लिए जाने पर कर निर्धारक प्राधिकारी को या खण्डन करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

हानि-रक्षा 68. कोई नालिश, अभियोग अथवा कोई कानूनी कार्यवाही किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध किसी ऐसे काम के सम्बन्ध में नहीं की जा सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन अथवा तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भाव से किया गया हो अथवा किये जाने के लिए आशयित हो।

कतिपय 69. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा किये गये कार्यवाहियों पर किसी कर निर्धारण या दिये गये किसी आदेश द्वारा किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी और इस अधिनियम में की गई व्यवस्था के सिवाय ऐसे किसी कर निर्धारण या के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना-पत्र नहीं दिया जायेगा।

कुछ ऐसी सूचना, 70. (1) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत कोई दिया गया बयान या जो गोपनीय होगी दाखिल की गई विवरणी या प्रस्तुत किये गये लेखे या दस्तावेज या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किसी भी कार्यवाही के दौरान दिया गया कोई साक्ष्य या शपथ-पत्र या बयान अथवा किसी माँग की उगाही से सम्बन्धित किसी कार्यवाही हेतु, इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजन के लिए तैयार किये गये अभिलेख में, जो विवरण होगा, वह गोपनीय माना जायेगा।

(2) उपधारा (1) में जो कुछ कहा गया है, वह उन बातों के प्रकट करने में बाधक नहीं होगा, यदि –

- (क) इस अधिनियम अथवा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अनुसंधान करना हो अथवा उसके लिए अभियोग चलाना हो;
- (ख) कोई व्यक्ति इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी माँग की उगाही के लिए प्रचलित वैधानिक कार्यवाही में आवश्यक हो;
- (ग) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी माँग की उगाही के लिए प्रचलित वैधानिक कार्यवाही में आवश्यक हो;
- (घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही से उत्पन्न किसी विषय के किसी ऐसे दीवानी के मुकदमें में हो, जिसमें सरकार एक पक्ष के रूप में हो;
- (ङ) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन प्राप्त अधिकारों का लोकसेवक द्वारा ऐसे लेख-पत्र का अवरोध करने के लिए, जिस पर अपर्याप्त कीमत का स्टाम्प लगा हो, वैधानिक प्रयोग किया जाय;
- (च) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा कोई कर लगाये जाने या उसके द्वारा लगाये गये किसी कर की उगाही के लिए उसके किसी अधिकारी को उनका प्रकट किया जाना आवश्यक हो;
- (छ) केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को किसी सरकारी सेवा के विरुद्ध कोई जाँच करने के प्रयोजनार्थ हो;
- (ज) लोक लेखों की लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ हो;
- (झ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अन्य विधिपूर्ण प्रयोजन हेतु हो।
- (3) इस धारा में उल्लिखित कुछ भी ब्यौहारी के किसी वर्ग अथवा संव्यवहारों के किसी वर्ग से सम्बन्धित किसी सूचना के प्रकाशन पर लागू नहीं होगा, यदि कमिश्नर की राय में ऐसी सूचना को प्रकाशित करना लोकहित में वांछनीय है।
- (4) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार की राय है कि किन्हीं ब्यौहारियों या अन्य व्यक्तियों के नाम और ऐसे ब्यौहारियों या व्यक्तियों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से सम्बन्धित विशिष्टियों में से कोई विशिष्ट प्रकाशित या उद्घाटित करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है तो वह ऐसे नाम और विशिष्ट ऐसी रीति से, जैसा कि वह ठीक समझे प्रकाशित या उद्घाटित कर सकती है अथवा प्रकाशित या उद्घाटित करा सकती है।
- (5) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से सम्बन्धित किसी कर का आरोपण या अर्थदण्ड का अधिरोपण या ब्याज का आरोपण या किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध का इस धारा के अधीन प्रकाशन या उद्घाटन नहीं किया जायेगा, जब तक कि समुचित अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये बिना अपील प्रस्तुत करने का समय समाप्त न हो गया हो या यदि अपील

प्रस्तुत की गई है तो उसका निस्तारण न हो गया हो।

स्पष्टीकरण— यदि सरकार की राय में मामले की परिस्थितियों से औचित्य प्रकट होता है तो फर्म, कम्पनी या व्यक्तियों के अन्य संगम के मामले में फर्म के भागीदारों, कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्ताओं, सचिवों, कोषाधिकारियों या प्रबन्धकों या संगम के सदस्यों के नाम, जैसी भी स्थिति हो, भी प्रकाशित या उद्घाटित किये जा सकते हैं।

नियम बनाने की
सकेगी। शक्तियाँ

71. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना

में

(2) विशिष्टतया या पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध हो सकेगा –

(क) ऐसे सभी मामले, जिन्हें विहित करना इस अधिनियम के द्वारा स्पष्ट रूप से अपेक्षित या अनुमन्य हो;

(ख) माल विक्रय करने अथवा क्रय करने के काम में लगे हुए व्यक्तियों को पंजीयन देने और इससे सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु इससे सम्बन्धित शर्तें और पंजीयन की फीस के विषय में;

(ग) इस अधिनियम के अनुसार कर निर्धारण के विषय में आवर्त धन को अवधारित करने की विधि के लिए;

(घ) विवरणी और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए और व्यक्तियों के शपथ पर बयान लेने के और उनकी उपस्थिति को बाध्य करने के विषय में;

(ङ) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति, कर्तव्यों और शक्तियों के विषय में, (च) इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुकरणीय प्रक्रिया को और कार्यवाही से सम्बन्धित प्रयोग में लाये जाने वाले प्रारूपों को सामान्यतः नियमित करने के विषय में;

(छ) धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन जमा की गई धनराशियों की वापसी, ऐसी वापसियों के लिए रीति और वह अवधि, जिसके भीतर वह की जा सकती है;

(ज) धारा 42 की उपधारा (7) के अधीन मुहर लगाने की रीति और वह रीति और वह व्यक्ति, जिसके द्वारा उसे हटाया जायेगा और उस उपधारा में निर्दिष्ट मुहर बन्द सम्पत्ति और अन्य माल और दस्तावेजों की अभिरक्षा के लिए;

(झ) धारा 43 के अधीन अभिगृहीत माल की अभिरक्षा; और

(ञ) ऐसे विषय, जिनको विहित करना है अथवा जिनको विहित किया जा सकता है।

(3) इस धारा के द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि नियमों के प्रभावी होने से कम से कम चार सप्ताह पूर्व उनका प्रकाशन हो :

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उसे तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह ऐसे पूर्व प्रकाशन के बिना कोई नियम बना सकती है।

(4) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे और इस प्रकार प्रकाशित हो जाने पर वे तुरन्त प्रभावी होंगे मानो कि वे इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हैं।

(5) इस धारा के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम, बनाये जाने के तुरन्त बाद यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, जो कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त चले, रखा जायेगा और जब तक कि कोई बाद की तारीख विहित न की जाय, गजट में प्रकाशित होने के तारीख से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, जो राज्य विधान सभा उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हो, प्रभावी होगा किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उस अवधि के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

पूर्वगामी प्रभाव से 72.
वह अधिसूचनाएं जारी
कि करने की शक्ति
छः

यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इस प्रकार अधिसूचना जारी कर सकती है, जिससे वह ऐसी तारीख से प्रभावी हो सके, जो ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से माह पूर्व की न हो :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन भूतलक्षी प्रभाव से कोई ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी, जिससे ब्यौहारी के कर दायित्व में वृद्धि होने की सम्भावना हो।

राजस्व को कपट 73.
दायी वंचित करने के
पक्ष लिए किये गये
अन्तरण का शून्य
है कि
होना
अन्य

जहाँ इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों की विचार अवधि में कर अथवा अन्य देयों का कोई व्यक्ति अपने स्वामित्व में किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति के

में प्रभार उत्पन्न करता है अथवा उसे अन्तरित करता है और ऐसा इस इरादे से करता

ऐसा कर अथवा अन्य देय कपट वंचित हो जाय तो ऐसा प्रभार अथवा अन्तरण उक्त कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान किये जाने वाले किसी कर या देयों के सम्बन्ध में दावे के प्रति शून्य होगा :

परन्तु यह कि इस धारा की कोई बात सद्भावी और प्रतिफलदाता अन्तरिती के अधिकारों को कम नहीं करेगी।

- कतिपय मामलों में अपील फीस 74. (1) उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन दाखिल या प्रस्तुत के ज्ञापन अथवा अन्य प्रार्थना-पत्रों पर देय फीस निम्न प्रकार होगी—
- (क) धारा 51 के अधीन अपील के विवादग्रस्त कर, फीस या अर्थदण्ड की धनराशि ज्ञापन पर का 2 प्रतिशत किन्तु कम से कम एक सौ रुपया और अधिक से अधिक एक हजार रुपया;
- (ख) धारा 53 के अधीन अपील के विवादग्रस्त कर, फीस या अर्थदण्ड की धनराशि ज्ञापन पर का साढ़े सात प्रतिशत किन्तु कम से कम पाँच सौ रुपया और अधिक से अधिक दो हजार रुपया;
- (ग) धारा 57 के अधीन प्रार्थना-पत्र एक सौ रुपया
- (घ) किसी अन्य आवेदन पर
- (एक) जब वह कमिश्नर या पुनरीक्षण बीस रुपया अधिकारी या अधिकरण को सम्बोधित हो
- {(दो) जब किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को सम्बोधित हो
- (क) दस रुपया,
- (ख) कोई फीस नहीं, जहां आवेदन विभागीय वैबसाईट पर आनलाईन प्रस्तुत किया जाय।}

1—उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 सन 2014 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

- (2) इस धारा में और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में विनिर्दिष्ट फीस विहित रीति से देय होगी और उसको जमा करने का सबूत, यथास्थिति, ज्ञापन या आवेदन में संलग्न किया जायेगा :

परन्तु यह कि जहाँ देय फीस की धनराशि पचास रुपये से अधिक न हो, वहाँ उसका भुगतान न्यायालय फीस स्टाम्प में किया जा सकता है।

- (3) निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई फीस देय न होगी —

(क) कमिश्नर या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन नियुक्त किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्र या अपील का ज्ञापन;

(ख) ऐसा प्रार्थना-पत्र, जिनमें केवल सूचना माँगी गयी हो और जिसमें किसी विनिर्दिष्ट अनुतोष की प्रार्थना न की गई हो; और

(ग) धारा 57 के अधीन आवेदन पत्र, जिसमें केवल लागू होने वाली कर की दर या जिस पर कर देय हो, के सम्बन्ध में निर्णय की माँग की गई हो।

बिन्दु,

बकाया माफी एवं 75. (1) राज्य सरकार ऐसे किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति के कर, अर्थदण्ड, ब्याज या अन्य देयों किस्तें मंजूर करने का माफ कर अधिकार सकती है।

(1) राज्य सरकार ऐसे किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति के कर, अर्थदण्ड, ब्याज या अन्य की बकाया को, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जैसा उपयुक्त समझा जाये, सकती है।

(2) कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार प्रतिभूति देने की शर्तों को सम्मिलित करते हुए ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जैसा उपयुक्त समझा जाये —

(क) राज्य सरकार, ऐसे किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति को, जिस पर कर, अर्थदण्ड या अन्य देय की धनराशि बकाया हो, उतनी मासिक किस्तों में, जितनी वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, ऐसी धनराशि का भुगतान करने की अनुमति दे सकती है; और

(ख) कमिश्नर उसी तरह, ऐसे किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति को, जिस पर कर, अर्थदण्ड या अन्य देय की धनराशि, जिसका कुल योग दो लाख रुपये से अधिक न हो, बकाया हो, बीस से अनधिक उतनी मासिक किस्तों में, जितनी

वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, ऐसी धनराशि जमा करने की अनुमति दे सकता है।

- भीतर (3) जहाँ ऐसा ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति, उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश के तीस दिन के बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए, सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार, पर्याप्त प्रतिभूति देने में असफल रहता है या ऐसे आदेश में अधिरोपित शर्तों या निर्बन्धनों का पालन करने में असफल रहता है, वहाँ देय धनराशि तुरन्त वसूल की जाएगी।¹
- कर भुगतान के लिए माल अधिस्थगन 76. (1) इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुए भी, जहाँ राज्य सरकार की राय है किसी का उत्पादन बढ़ाने के लिए या राज्य में सामान्य रूप से या किसी जनपद के किसी भाग में विशेष रूप से किसी उद्योग के विकास को बढ़ाया देने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह प्रार्थना-पत्र पर या अन्यथा किसी विशेष मामले में या सामान्य रूप से अधिसूचना जारी करके घोषित कर सकती है कि ऐसे ब्यौहारियों, जो नई इकाइयाँ चला रहे हैं, जिनके उत्पादन प्रारम्भ करने की तारीख इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व किसी तारीख को पड़ती है और ऐसे ब्यौहारियों, जो ऐसी उत्पादन करने वाली इकाइयों के स्वामी हैं, जिन्होंने इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व विस्तारीकरण, विविधीकरण या आधुनिकीकरण या बैकवर्ड इन्टीग्रेशन किया है और यदि ऐसे ब्यौहारियों के पास उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4-क के उपबन्धों, बनाये गये नियमों या उनके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं के अधीन जारी पात्रता प्रमाण-पत्र है, को इस धारा में दी गई शर्तों के अधीन और ऐसी अन्य शर्तों, जैसी कि विहित की जायें अथवा जैसी कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के अधीन माल की विक्रय पर करमुक्ति, चाहे पूर्णतः या अंशतः या घटी दर पर, कर के बदले स्वीकृत कर के भुगतान के लिए अधिस्थगन स्वीकृत किया जायेगा।

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2008 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।

- (2) ऐसे ब्यौहारियों, जिन्हें इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व स्वीकृत कर के भुगतान के लिए अधिस्थगन की सुविधा स्वीकार की गई है, को ऐसी सुविधा जारी रहेगी और इस अधिनियम के अधीन स्वीकार की गई समझी जायेगी और उस सीमा तक उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के उपबन्ध इस अधिनियम के भाग समझे जायेंगे। इस धारा के अधीन स्वीकृत सुविधा ऐसी शर्तों, जैसी कि इस धारा में दी गई है या जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के अधीन होगी।
- (3) इस अधिनियम के लागू होने के समय पर उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अधीन स्वीकृत कर के भुगतान के लिए अधिस्थगन के लिए आदेश जारी करने के लिए कमिशनर व्यापार कर के समक्ष अवशेष कोई प्रार्थना-पत्र इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कमिशनर के समक्ष अवशेष समझा जायेगा और उसे उस अधिनियम, जैसा कि वह उस तारीख को, जब कि आवेदन कमिशनर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, प्रभावी था, के उपबन्धों के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
- (4) इस अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत और विषेय रूप से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4-क अथवा धारा 8 की उपधारा (2-क), उनके अधीन बनाये गये नियम या जारी अधिसूचनाओं के विपरीत किसी बात के रहते हुए भी –
- (क) इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व की किसी तारीख पर पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकार करने के लिए उस अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी के समक्ष अवशेष समझा जायेगा;
- (ख) ब्यौहारी, जो कि ऐसी नई इकाइयों के स्वामी हैं, जिनकी उत्पादन प्रारम्भ करने की तारीख इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले पड़ती है और ब्यौहारी, जो ऐसी इकाइयों के स्वामी हैं, जिन्होंने इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व विस्तारीकरण या विविधीकरण या आधुनिकीकरण या बैकवर्ड इन्टीग्रेशन किया है, वे उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4क के उपबन्धों के अधीन उस अधिनियम के अधीन विहित समय के भीतर इस अधिनियम के अधीन विहित

प्राधिकारी के समक्ष पात्रता प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) उपधारा (4) के अधीन पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र विहित प्राधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के उपबन्धों, उनके अधीन बनाये गये नियमों और जारी अधिसूचनाओं, जैसा कि इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को प्रभावी है, के अनुसार निस्तारित किये जायेंगे और ब्यौहारी, यदि पात्र पाया जाता है, को पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जायेगा और ऐसा ब्यौहारी उपधारा (6) में उपबन्धित सीमा और अवधि के लिए स्वीकृत कर के भुगतान के अधिस्थगन के लिए हकदार होगा।

(6) इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए ब्यौहारी, जिनके पास या तो इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के उपबन्धों के अधीन स्वीकृत प्रमाण-पत्र है या जिनको उपधारा (5) के अधीन पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया जाए, निम्न शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश की धारा 4क और उसके अधीन बनाये गये नियम या उनके अधीन जारी की गयी सुसंगत अधिसूचनाओं के उपबन्धों के अनुसार कर से रियायत या जैसी भी दशा हो, कर से मुक्ति के बदले अधिस्थगन की सुविधा के लिए हकदार होंगे :-

(क) ब्यौहारी, जिन्होंने कर से मुक्ति के बदले कर के भुगतान के लिए अधिस्थगन का विकल्प दिया था, अधिस्थगन के आदेश में उल्लिखित अधिकतम अवधि में से उस तारीख को बची शेष अवधि के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित कर से मुक्ति की कुल धनराशि का एक सौ प्रतिशत और पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित स्थिर पूँजी विनियोजन की धनराशि के पचास प्रतिशत में से ऐसी कुल धनराशि, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व की अवधि के दौरान कर के भुगतान के लिए अधिस्थगन की सुविधा का उपभोग कर लिया गया है, को कम करके निकली शेष धनराशि की सीमा तक अधिस्थगन की सुविधा के हकदार होंगे;

(ख) ब्यौहारी, जो कि इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व किसी अवधि के लिए करमुक्ति का उपभोग कर रहे थे; या तो —

(एक) ऐसा करना पात्रता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित अधिकतम अवधि में से उस तारीख को बची शेष अवधि के लिए और शेष बची धनराशि (पात्रता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित कर से मुक्ति की धनराशि में से इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व उपभोग की गई कर से मुक्ति की कुल धनराशि को घटाते हुए) की सीमा तक जारी रख सकते हैं;

(दो) विहित रीति से कर से मुक्ति के बदले कर के भुगतान के लिए अधिस्थगन चुन सकते हैं और ऐसी इकाई अधिस्थगन के आदेश में उल्लिखित अधिकतम अवधि में से उस तारीख को बची शेष अवधि के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित कर से मुक्ति की कुल धनराशि का एक सौ प्रतिशत और पात्रता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित स्थिर पूँजी विनियोजन की धनराशि के पचास प्रतिशत में से ऐसी कुल धनराशि, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व की अवधि के दौरान कर की छूट की धनराशि की सुविधा का उपभोग कर लिया गया है, को कम करके निकली शेष धनराशि की सीमा तक अधिस्थगन की सुविधा के हकदार होंगे :

परन्तु यह कि यदि ब्यौहारी इस अधिनियम के प्रारम्भ के 30 दिन के भीतर उपरोक्त 2 विकल्प में से किसी एक को नहीं चुनता है तो यह समझा जायेगा कि ब्यौहारी उपरोक्त उपबन्ध (एक) के अनुसार जारी रखने का इच्छुक है;

((ग) पात्रता प्रमाण-पत्र धारक ऐसे ब्यौहारी से, जो कि पूर्णतः या अंशतः कर मुक्त हो, माल का कय करने वाला पंजीकृत ब्यौहारी, विक्रेता ब्यौहारी कर के बीजक में प्रभारित कर की धनराशि के इनपुट टैक्स लाभ लेने का हकदार

होगा और विक्रेता ब्यौहारी, इस प्रयोजन हेतु, बीजक में निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा –

प्रमाण-पत्र

“प्रमाणित किया जाता है कि ब्यौहारी पात्रता प्रमाण-पत्र संख्या दिनांक के अनुसार की दर से कर में छूट का हकदार है, जिसके अनुसार इस बीजक में छूट की धनराशि रु० बनती है।”

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2008 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित।

- (7) इस धारा के अधीन अधिस्थगन के अन्तर्गत स्वीकृत कर के भुगतान के लिए, प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए कर की धनराशि, जिसका माल की विक्रय पर देय स्वीकृत कर के रूप में भुगतान के लिए व्यापारी दायी होता, यदि कर मुक्ति स्वीकार न की गई होती, में से पात्रता प्रमाण-पत्रों की शर्तों के अनुसार कर निर्धारण वर्ष के लिए देय स्वीकृत कर की कोई धनराशि कम करके सात वर्ष की अवधि के लिए अधिस्थगित की जायेगी। सात वर्ष की ऐसी अवधि की गणना कर निर्धारण वर्ष, जिससे कर की ऐसी धनराशि सम्बन्धित है, के ठीक बाद पड़ने वाले कर निर्धारण वर्ष की पहली मई से की जायेगी। प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष, जिसके लिए अधिस्थगन स्वीकार किया जाता है, के लिए कर की धनराशि ब्यौहारी द्वारा अधिस्थगन अवधि की समाप्ति के एक माह के भीतर एक मुश्त की जायेगी :

परन्तु यह कि इस धारा की उपधारा (14) के उपबन्धों के अधीन जब अधिस्थगन समाप्त हो जाता है तो देय सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान इसके देय होने के तीन माह के भीतर एक मुश्त किया जायेगा।

- (8) अधिस्थगन केवल उन्हीं विनिर्माताओं को स्वीकार किया जायेगा, जिनके पास पात्रता प्रमाण-पत्र है और जो विहित प्राधिकारी से अधिस्थगन का प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हैं।
- (9) अधिस्थगन पात्रता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित माल के विक्रय पर कर के सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा और माल के क्रय, यदि कोई हो, पर देय कर के सम्बन्ध में और माल के विक्रय, जिस पर पात्रता प्रमाण-पत्र लागू नहीं हैं, के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा।
- (10) अधिस्थगन स्वीकृत रूप से देय कर से अधिक विहित कर की धनराशि पर स्वीकार्य नहीं होगा और कर की धनराशि और उपधारा (6) में उल्लिखित अवधि के लिए सीमित होगा।
- (11) अधिस्थगन केवल ऐसे विनिर्माताओं को उपलब्ध होगा, जो राज्य सरकार के पक्ष में अपनी सम्पत्ति, जो कर की धनराशि, जिसके लिए अधिस्थगन स्वीकार किया गया है, को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त हो, पर प्रथम प्रभार सृजित करते हैं।
- (12) अधिस्थगन ऐसी शर्तों के अधीन होगा, जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके विहित करे।
- (13) कमिश्नर लिखित आदेश द्वारा कर मुक्ति या छूट की अवधि की समाप्ति से पूर्व अथवा बाद में निम्नलिखित परिस्थितियों में पात्रता प्रमाण-पत्र को संशोधित या रद्द कर सकता है :-
- (क) जहाँ पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि है;
- (ख) जहाँ इकाई ऐसी सुविधा की हकदार नहीं है या ऐसी सुविधा की कम अवधि के लिए अथवा किसी भिन्न तारीख से हकदार है;
- (ग) जहाँ ब्यौहारी ने किसी भी रीति से पात्रता प्रमाण-पत्र का दुरुपयोग किया है;
- (घ) जहाँ ब्यौहारी ने पात्रता प्रमाण-पत्र की किन्हीं शर्तों के विपरीत कार्य किया है;
- (ङ) जहाँ ब्यौहारी ने या तो इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अधीन स्वयं के द्वारा देय कर या अर्थदण्ड की किसी धनराशि का भुगतान नहीं किया है;
- (च) जहाँ ब्यौहारी इस अधिनियम अथवा केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अधीन कर के अपवचन में लिप्त है; या
- (छ) जहाँ ब्यौहारी ने कारबार बन्द कर दिया है और ऐसे किसी भी मामले में अधिस्थगन की सुविधा आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से वापस ले ली जायेगी और यह तारीख आदेश की तारीख से पूर्व भी हो सकती है। तथापि दुरुपयोग या

शर्त के उल्लंघन के मामलों में पात्रता प्रमाण-पत्र रद्द किया जाना ऐसे दुरुपयोग या उल्लंघन की तारीख से पूर्व प्रभावी नहीं होगा :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई आदेश ब्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

(14) अधिस्थगन समाप्त हो जायेगा और सम्पूर्ण धनराशि –

(क) उस तारीख को जब ब्यौहारी कारबार बन्द कर दे;

(ख) उस तारीख को जब ब्यौहारी उन शर्तों, जिनके अधीन पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकार किया गया है, में से किसी शर्त का उल्लंघन करता है;

(ग) उस तारीख को जब उपधारा (13) के अधीन पात्रता प्रमाण-पत्र के रद्द किये जाने का आदेश ब्यौहारी के ऊपर तामील किया जाता है, देय हो जायेगी और धनराशि का भुगतान उसके देय होने के तीन माह के भीतर एक मुश्त किया जायेगा।

(15) यदि कोई ब्यौहारी इस धारा की उपधारा (7) या उपधारा (14) के उपबन्धों के अधीन देय धनराशि का भुगतान उनमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर करने में विफल रहता है तो वह धारा 58 के अधीन उसकी देयता के रहते हुए, व्यतिक्रम की अवधि के लिए 15 प्रतिशत वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान के लिए दायी होगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अन्तर्गत कोई अर्धदण्ड ब्यौहारी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आरोपित नहीं किया जायेगा।

(16) यदि ऐसे विनिर्माता, जो इस धारा के अधीन कर की दर में कमी के लिए पात्र था, का धारा 3 की उपधारा (7) के खण्ड (ड) के अन्तर्गत कारबार बन्द हो जाय और यदि विक्रय, लाइसेन्स, संविदा, पट्टा, प्रबन्ध अभिकरण द्वारा या अन्य रीति से उसका उत्तराधिकारी कोई अन्य विनिर्माता होता है तो ऐसा उत्तराधिकारी विनिर्माता उपधारा (13) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे उत्तराधिकार के 60 दिन के भीतर, पूर्ववर्ती विनिर्माता को दी गयी या दी जा सकने वाली सुविधा की असमाप्त अवधि के लिए इस धारा के अधीन सुविधा हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी को आवेदन कर सकता है;

परन्तु यह कि उपर्युक्त अधिकारी स्वविवेक से और अभिलिखित किये जाने वाले यथोचित और पर्याप्त कारणों से इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की तारीख से 6 मास के भीतर दिये गये आवेदन-पत्र को ग्रहण कर सकता है;

परन्तु यह और कि कर की देयता के प्रयोजन के लिए ऐसा विनिर्माता और उत्तराधिकारी विनिर्माता धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन अन्तरणकर्ता और अन्तरिती माना जायेगा;

परन्तु यह भी कि असमाप्त अवधि की संगणना करने में ऐसी अवधि को, जिसके दौरान किसी न्यायालय या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण से सम्बन्धित अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के कारण उत्तराधिकारी विनिर्माता का उत्पादन बन्द रहता है, निकाल दिया जायेगा।

(17) राज्य सरकार, यदि उसकी राय है कि यह अब आगे लोकहित में नहीं है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन कर के भुगतान के लिए अधिस्थगन की सुविधा वापस ले सकती है :

परन्तु यह कि यह सुविधा भूतलक्षी प्रभाव से वापस नहीं ली जायेगी।

स्पष्टीकरण— “नई इकाई” और “इकाई, जिसमें विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण या बैकवर्ड इन्टीग्रेशन किया हो” और “पात्रता प्रमाण-पत्र” पदों का वही अर्थ होगा, जैसा कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4क के अधीन उनका है।

रूग्ण औद्योगिक
रहते इकाइयों के लिए
के सुविधा
को
जाय,
पुनरुद्धार

77. (1) धारा 34 और धारा 75 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, किन्तु ऐसी शर्तों के
हुए, जिन्हें अधिरोपित किया जाना उचित समझा जाय, राज्य सरकार इस अधिनियम
उपबन्धों के अधीन किसी औद्योगिक इकाई द्वारा विद्यमान या भावी देयों के भुगतान
आस्थगित करने या ऐसे देयों का भुगतान उतनी किस्तों में, जितनी विनिर्दिष्ट की
करने की अनुज्ञा दे सकती है, यदि ऐसी औद्योगिक इकाई को रूग्ण इकाइयों के
के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकृत निकाय द्वारा

- इस
और
पुनरुद्धार
- निमित्त विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार रूग्ण इकाई घोषित किया जाय केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, द्वारा नियुक्त किसी अनुमोदित अभिकरण द्वारा के लिए अनुमोदित किया जाय।
- (2) धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी रूग्ण इकाई के विरुद्ध पारित एक पक्षीय कर निर्धारण या अर्थदण्ड के किसी आदेश को अपास्त कर सकती है और विधि के अनुसार मामले का फिर से निस्तारण करने का निर्देश दे सकती है।
- आंकड़े संग्रह करने
की शक्ति
करवा
विचारणीय
78. (1) इस अधिनियम के बेहतर प्रशासन के प्रयोजन हेतु यदि कमिशनर समझता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह परिपत्र जारी करके और/या समाचार पत्र में प्रकाशित करके या राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी मामले से सम्बन्धित आंकड़े संग्रह करने के लिए निर्देशित कर सकता है।
- (2) ऐसे निर्देश दिये जाने पर कमिशनर या उनके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत कोई व्यक्ति सभी ब्यौहारियों या ब्यौहारियों के वर्ग या किसी विशेष ब्यौहारी को किसी भी मामले, जिसके सम्बन्ध में आंकड़ों का संग्रह किया जाना है, से सम्बन्धित ऐसी सूचना या विवरणी या विवरण, जैसा कि उसमें उल्लेख हो, देने के लिए आदेशित कर सकता है।
- (3) ब्यौहारी या ब्यौहारी समूह दिये गये समय के भीतर ऐसी सूचना देने के लिए दायी होंगे।
- कठिनाइयों का
राज्य निवारण करने की
हो, कर शक्ति
हो।
79. (1) जहाँ इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उठती है तो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे आदेश, जो इस अधिनियम से असंगत न सकती है, जो कठिनाइयों के निवारण करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत
- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किये जायेंगे।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त चले, रखा जायेगा और जब तक कि कोई बाद की तारीख विहित न की जाये, गजट में प्रकाशित होने की तारीख से, ऐसे उपान्तरणों या वातिलीकरणों के अधीन रहते हुए, जो राज्य विधान सभा उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हो, प्रभावी होगा किन्तु इस प्रकार का कोई उपान्तरण या वातिलीकरण सम्बद्ध आदेश के अधीन पहली की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, सिवाय इस बात के कि कर या अर्थदण्ड या आरोपण, निर्धारण, लगाया जाना अथवा वसूल किया जाना उक्त उपान्तरण या वातिलीकरण के अधीन होगा।

अध्याय ग्यारह

संकमणकालीन उपबन्ध, निरसन और व्यावृत्ति

- संकमणकालीन उपबन्ध 80.
- विशेष रूप से और इस अधिनियम की धारा 81 के अधीन निरसन और व्यावृत्ति के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन उपबन्धों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा –
- (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे आगे निरसित अधिनियम कहा गया है) या जैसी भी स्थिति हो, उत्तराखण्ड
- मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005 (जिसे आगे निरसित अध्यादेश कहा गया है) के अधीन कमिशनर, एडीशनल कमिशनर, एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2, ज्वाइंट कमिशनर, डिप्टी कमिशनर, असिस्टेन्ट कमिशनर या व्यापार कर अधिकारी ग्रेड-2 के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति या कमिशनर की सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से ठीक पूर्व अपने पद पर बना हुआ था, ऐसी तारीख को और ऐसी तारीख से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा और इस रूप में अपने पद पर उस समय तक बना रहेगा, जब तक कि वह वाणिज्य कर विभाग में ऐसे पद पर है और ऐसा अधिकारी इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और जारी अधिसूचनाओं के अधीन निहित अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।

- (2) निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से ठीक पूर्व अपने पद पर बना हुआ था, ऐसी तारीख को और ऐसी तारीख से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा और इस रूप में अपने पद पर उस समय तक बना रहेगा जब तक कि वह अपील अधिकरण में ऐसे पद पर है और ऐसा अधिकारी इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और जारी अधिसूचनाओं के अधीन निहित अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा।
- (3) निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश या उसके अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियम, विनियम, जारी सूचनाएं या आदेश या निर्देश अथवा कमिश्नर द्वारा जारी आदेश या निर्देश, जो इस अधिनियम के लागू होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसी तारीख को या उसके बाद जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के असंगत नहीं हैं, प्रभावी बने रहेंगे, जब तक कि वे निरस्त या संशोधित न किये जायें।
- (4) निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व कमिश्नर द्वारा किसी भी पदनाम से उनकी सहायता के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को किसी अधिकार का प्रत्यायोजन का कोई आदेश इस अधिनियम के लागू होने के बाद ऐसी तारीख को और उसके बाद प्रभावी बना रहेगा।
- (5) इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसी तारीख को या उसके बाद किसी माल के विक्रय या क्रय पर कर के भुगतान की देयता समाप्त हो जायेगी।
- (6) इस अधिनियम के लागू होने की तारीख के पूर्व निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन किसी विक्रय या क्रय के सम्बन्ध में उनके अधीन निर्धारित कोई कर या आरोपित कोई अर्थदण्ड इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत देय होगा और वसूल किया जायेगा। इस अधिनियम के लागू होने की तारीख के पूर्व की अवधि के लिए देय ब्याज की धनराशि का भुगतान और वसूली निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा और ऐसी तारीख को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसका भुगतान किया जायेगा और वसूल किया जायेगा।
- (7) यदि किसी विवरणी की अवधि अंशतः इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित है तो ऐसी तारीख से पूर्व की अवधि और इस तारीख से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए अलग-अलग विवरणी दाखिल की जायेगी।
- (8) कोई ब्यौहारी, जिसके लेखे, बहियाँ या दस्तावेज निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन अभिग्रहीत किये गये हैं तो वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को या उसके बाद रखे बने रहेंगे।
- (9) निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन घोषणा-पत्रों या प्रमाण-पत्रों के सभी प्रपत्र, जो इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से ठीक पूर्व की तारीख को प्रभावी बने हुए थे और जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप हैं, ऐसी तारीख से प्रभावी बने रहेंगे और ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति द्वारा उस प्रयोजन, जिसके लिए वे ऐसी तारीख से पूर्व प्रयोग किये जा रहे थे, प्रयोग किये जा सकते हैं, जब तक कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रपत्रों या प्रमाण-पत्रों के प्रयोग को बन्द करने का निर्देश न दे।
- (10) निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत विहित घोषणा-पत्रों या प्रमाण-पत्रों के कोई प्रपत्र जो कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं और किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति के पास बिना प्रयोग किये रखे हैं, कर निर्धारक प्राधिकारी, जिससे वे प्राप्त किये गये थे, को यदि पहले ही निरसित

अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वापस न कर दिया गया हो, इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से साठ दिन के भीतर वापस किये जायेंगे।

(11) इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से ठीक पूर्व की तारीख पर राज्य के भीतर माल का परिवहन करने हेतु घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र के प्रपत्र के लिए कोई अवशेष आवेदन इस अधिनियम के अधीन दिया गया समझा जायेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

(12) इस अधिनियम के उपबन्धों के लागू होने की तारीख को निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन अवशेष निम्नलिखित कार्यवाहियाँ या वे कार्यवाहियाँ, जो कि निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन किसी कार्यवाही के फलस्वरूप उत्पन्न हों, निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन उपबन्धों के अनुसार इस अधिनियम में विहित समय के भीतर निस्तारित की जायेंगी:-

(क) पंजीयन या मान्यता प्रमाण-पत्र या पात्रता प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के लिए कोई प्रार्थना-पत्र;

(ख) कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई मामला;

(ग) अपील, पुनरीक्षण रिफरेन्स या पुनर्विचार का कोई मामला;

(घ) कोई मामला, जिसमें किसी अधिकारी या प्राधिकारी को किसी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा नया आदेश करने का निर्देश दिया गया है;

(ङ) कमिश्नर के समक्ष निरसित अध्यादेश की धारा 4ए की उपधारा (3) या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के सुसंगत उपबन्धों के अधीन अवशेष कोई मामला;

(च) किसी आदेश में अभिलेख पर भूल सुधार का कोई मामला;

(छ) अपराधों के विरुद्ध अर्थदण्ड या अभियोजन का कोई मामला;

(ज) अभिग्रहण का कोई मामला;

(झ) एकपक्षीय रूप से किये गये किसी कर निर्धारण आदेश को अपास्त करने का कोई प्रार्थना-पत्र;

(ञ) कोई अन्य मामला;

(ट) कोई अन्य प्रार्थना-पत्र;

(13) इस धारा की उपधारा (14) या उपधारा (15) के उपबन्धों के अधीन निरसित अधिनियम या उनके अधीन बनाये गये नियमों या जारी अधिसूचनाओं के किन्हीं उपबन्धों के अधीन स्वीकृत कर के भुगतान से मुक्ति या कर के भुगतान में कोई भी रियायत या कर की दर में कोई रियायत या घटोत्तरी या किसी माल के किसी विक्रय या क़य के सम्बन्ध में कोई कटौती या प्रतिपूर्ति इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को या उसके बाद किसी

माल के क़य या विक्रय के सम्बन्ध में ग्राह्य नहीं होगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा निरसित अध्यादेश के सुसंगत उपबन्धों के अधीन इस सुविधा को जारी रखना अनुमन्य न कर दिया हो और ऐसी स्थिति में यह सुविधा जारी रहेगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा निरसित अथवा संशोधित न कर दी गयी हो।

(14) यदि इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व निरसित अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2-क) या निरसित अध्यादेश के सुसंगत उपबन्धों के अधीन किसी औद्योगिक इकाई को अधिस्थगन स्वीकार किया गया है या इस अधिनियम की धारा 76 के उपबन्धों के अन्तर्गत अधिस्थगन स्वीकार किया जाये और जो उस अधिनियम या अध्यादेश की अधीन ऐसी तारीख को इस तरह पात्र बना रहता है यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता तो इस अधिनियम की धारा 76 के उपबन्धों के अनुसार और ऐसी शर्तों एवं निर्बन्धनों के अधीन, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, कमिश्नर द्वारा इस अधिनियम के अधीन देयकर के भुगतान के लिए अवशेष अवधि के लिए अधिस्थगन अनुमन्य किया जा सकता है।

(15) निरसित अधिनियम की धारा 4क के उपबन्धों के अधीन किसी औद्योगिक इकाई को स्वीकृत कर के भुगतान से छूट या कोई रियायत या किसी माल के विक्रय या क़य के सम्बन्ध में कोई रियायत या घटोत्तरी या निरसित अध्यादेश की सुसंगत उपबन्धों के अधीन अनुमन्य की गयी ऐसी सुविधा, अवशेष अवधि के लिए, निरसित अध्यादेश

की धारा धारा 76 के उपबन्धों के अनुसार और ऐसी शर्तों एवं निर्बन्धनों के अधीन, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, जारी रहेगी।

- (16) यदि इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अन्तर्गत किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति द्वारा देय किसी धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में कोई वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है तो वह इस अधिनियम के लागू होने पर उस प्रक्रम, जिस पर वह अवशेष थी, से जारी रहेगी।
- (17) इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व किसी ब्यौहारी द्वारा किये गये व्यतिक्रम या किये गये अपराधों के सम्बन्ध में अर्थदण्ड या अभियोजन की कार्यवाहियाँ निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन उपबन्धों के अनुसार की जायेंगी और इस अधिनियम के लागू हो जाने की तारीख के बाद किये गये व्यतिक्रम या किये गये अपराधों के सम्बन्ध में अर्थदण्ड या अभियोजन की कार्यवाहियाँ इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी। यदि व्यतिक्रम जारी रहने वाली प्रकृति का है और ऐसी तारीख को या उसके बाद जारी रहता है तो अर्थदण्ड या अभियोजन की कार्यवाहियाँ इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायेंगी।
- (18) यदि निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन ब्यौहारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर या अर्थदण्ड या फीस की जमा की गई या उससे वसूल की गई कोई धनराशि देय कर या अर्थदण्ड या फीस की धनराशि से अधिक पायी जाती है तो वह पहले ऐसे ब्यौहारी के विरुद्ध निरसित अधिनियम के अधीन या निरसित अध्यादेश के अधीन या इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अधीन शेष रही बकाया की किसी धनराशि के प्रति समायोजित की जायेगी और शेष धनराशि, यदि कोई हो, ऐसे ब्यौहारी या व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वापस की जायेगी। ब्याज, यदि देय है तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार दिया जायेगा।
- (19) कोई ब्यौहारी, जो निरसित अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत ब्यौहारी था किन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पंजीयन प्राप्त करने के लिए दायी नहीं रह गया हो और यदि वह स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत रहने का इच्छुक नहीं है तो वह यदि उसने निरसित अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन पहले ही ऐसा न कर दिया हो, निरसित अधिनियम के अधीन स्वीकृत पंजीयन प्रमाण-पत्र, घोषणा-पत्रों और प्रमाण-पत्रों के प्रपत्रों, यदि उसके पास बिना प्रयोग किये अवशेष रहते हैं, के सहित, इस अधिनियम के लागू होने की तारीख के एक माह की अवधि के भीतर अभ्यर्पण करेगा।
- (20) यदि निरसित अधिनियम की धारा 7घ के उपबन्धों के अधीन कर के भुगतान के बदले एक मुश्त भुगतान की योजना के अन्तर्गत किसी अवधि का कोई भाग इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को या उसके बाद समाप्त होता है तो वह वित्तीय वर्ष, जिसमें अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख पड़ती है, के समाप्त होने तक वैध समझी जायेगी, जब तक राज्य सरकार इसके अन्यथा कोई आदेश न करे।
- (21) निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन दी गयी कोई प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति निरसित अधिनियम, निरसित अध्यादेश और इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु वैध समझी जायेगी :

परन्तु यह कि इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात कर निर्धारक प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी ब्यौहारी से प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति माँगने से नहीं रोकेगी।

- (22) प्रत्येक ब्यौहारी, जो निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन पंजीकृत हुआ है और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पंजीयन के लिए दायी बना रहता है और पंजीयन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को वैध है, उसे इस अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत ब्यौहारी समझा जायेगा।
- (23) प्रत्येक ब्यौहारी, जो निरसित अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत ब्यौहारी था और इस अधिनियम के अन्तर्गत आवर्त की सीमाओं के मद्देनजर पंजीयन के लिए दायी नहीं है और उसने पहले ही निरसित अध्यादेश के अधीन स्वैच्छिक पंजीयन हेतु आवेदन न कर दिया हो और/या उसको स्वीकृत न कर दिया गया हो, किन्तु वह पंजीयन रखे रहने का इच्छुक है और इस प्रयोजन हेतु आवेदन करता है तो उसे इस

अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक पंजीयन स्वीकृत किया जा सकता है और वह इस अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत ब्यौहारी समझा जायेगा।

- (24) प्रत्येक ब्यौहारी, जिसको निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकार किया गया है और वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को वैध है, इस अधिनियम के अधीन एक मान्यता प्राप्त ब्यौहारी समझा जायेगा।
- (25) निरसित अधिनियम के लागू होने की तारीख पर बचे स्टॉक, जिस पर उसके क्रय के स्तर पर कर लग चुका है, के सम्बन्ध में ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों, जैसी कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विहित की जायें, के अधीन इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा।

निरसन और व्यावृत्ति
आदेश,
जाता है

81. (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण 2002 तथा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005 एतद्वारा निरसित किया :

प्रोद्भूत
और
के
प्रयोग
नोटिस,
अध्यादेश
दौरान

परन्तु यह कि ऐसा निरसन उस निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के पूर्व कार्यान्वयन अथवा उसके अधीन पहले से ही अर्जित, और उपगत किसी अधिकार, हक, उत्तरदायित्व या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा उसके रहते हुए उस निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश सुसंगत उपबन्धों के अधीन द्वारा प्रदत्त अथवा उसके अधीन किसी अधिकार का करते हुए की गई कोई बात या कोई कार्यवाही, जिसमें कोई नियुक्ति, अधिसूचना, आदेश, नियम, प्रपत्र, विनियम, प्रमाण-पत्र, लाइसेन्स या परमिट भी सम्मिलित है, अथवा पूर्व अधिनियम के निरसित होते हुए भी उस अवधि, जिसमें वे प्रभावी थे, के वैध रहेगी और सदा वैध समझी जायेगी।

- (2) निरसन :-

- (क) किसी बात, जो निरसन प्रभावशाली होने के समय प्रवृत्त या विद्यमान नहीं थी, को पुनर्जीवित नहीं करेगा;
- (ख) निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश का पूर्व कार्यान्वयन अथवा उसके अधीन की गई अथवा होने दी गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा;
- (ग) निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, उत्तरदायित्व को प्रभावित नहीं करेगा;
- (घ) निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन किये गये किसी अपराध या अतिक्रमण के सम्बन्ध में उपगत या अधिरोपित किसी अर्थदण्ड समपहरण या दण्ड को प्रभावित नहीं करेगा;
- (ङ.) निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन संस्थित, जारी रखी गई या प्रवृत्त कोई अन्वेषण, जाँच, कर निर्धारण कार्यवाही, कोई अन्य विधिक कार्यवाही या उपचार को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसा ऐसा अर्थदण्ड, समपहरण या दण्ड, जो ऊपर कहा गया है अथवा निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन संस्थित, जारी रखी गई या प्रवृत्त कोई कार्यवाही या उपचार, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन संस्थित, जारी रखी गई या प्रवृत्त समझी जायेगी।
- (3) निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन बनाये गये सभी नियमों और/या उन नियमों के अधीन जारी की गई और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को प्रभावी अधिसूचनाएं, प्रभावी बनी रहेगी जब तक कि ऐसे नियम या अधिसूचनाएं, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों और जारी की गई अधिसूचनाओं के उपबन्धों के अधीन अभिव्यक्त शब्दों में या उसमें निहित अर्थ के अनुसार अधिकांश न कर दी गई हो।
- (4) किसी नियम, अधिसूचना, विनियम या प्रपत्र में निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश की किसी धारा का कोई सन्दर्भ इस अधिनियम की तत्स्थानी सुसंगत धारा का सन्दर्भ समझा जायेगा जब तक कि ऐसे नियम, अधिसूचना, विनियम या प्रपत्र में संशोधन न कर दिये जायें।

- (5) इस अधिनियम में उपबन्धित परिसीमा भविष्यलक्षी रूप से लागू होगी और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व घटित समस्त घटनाओं और उत्पन्न हुए समस्त विवाद निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश में उपबन्धित परिसीमा और उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।
- (6) अधिनियम के निरसन के होते हुए भी –
- (क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व की अवधि के लिए कोई अभियोग या कार्यवाही, जो निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन पहले ही शुरू कर दी गई थी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वैध रूप से जारी रखी जायेगी;
- (ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की अवधि के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन देय कोई कर, फीस, अर्थदण्ड, ब्याज या अन्य धनराशि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विहित रीति से भुगतान की जायेगी और वसूल की जायेगी, मानो कि यह अधिनियम उस अवधि में प्रवृत्त था।
- (7) कर, ब्याज, अर्थदण्ड, फीस और अन्य धनराशि की समस्त बकाया, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर देय थी, चाहे प्रारम्भ होने से पहले निर्धारित या आरोपित किया गया था अथवा प्रारम्भ होने के बाद निर्धारित या आरोपित किया गया हो, वसूल की जा सकती है
- मानो कि ऐसा कर, ब्याज, अर्थदण्ड, फीस और अन्य धनराशि, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्धारित या आरोपित की गई हो और इस अधिनियम में उपबन्धित वसूली के सभी तरीके, जिसमें ब्याज, अर्थदण्ड का आरोपण या अभियोजन भी सम्मिलित है, इस प्रकार की बकाया पर लागू होंगे मानो कि ऐसी धनराशियाँ, इस अधिनियम के अधीन निर्धारित, आरोपित और माँगी गई थी।
- (8) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन किसी प्राधिकारी को प्रस्तुत और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर लम्बित कोई प्रार्थना-पत्र, अपील, पुनरीक्षण और अन्य कार्यवाही, ऐसे प्रारम्भ के बाद उस अधिकारी या प्राधिकारी को अन्तरित और उनके द्वारा निस्तारित की जायेगी, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रार्थना-पत्र, अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता रखते होंगे, मानो कि यह अधिनियम उस समय प्रवृत्त था, जब कि ऐसा प्रार्थना-पत्र, अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही की गई थी।

अनुसूची – एक

(उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (2) का खण्ड (क) देखिए)

इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय अथवा क्रय पर इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर देय नहीं होगा।

क्रम संख्या	माल का वर्णन
1	2
1	मनुष्य या पशु द्वारा चालित कृषि उपकरण और पशुओं द्वारा चालित गाड़ी
2	विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले उपकरण एवं सहायक सामान
3	सभी प्रकार के जूते व चप्पल, जिनका विक्रय मूल्य रु0 300/- से भी कम है
4	मत्स्य आहार, कुक्कुट आहार, पशु आहार और पशु चारा, जिसमें हरा चारा, चूनी, भूसी, छिलका, चोकर, जवी, ग्वार, तेल रहित राइस पॉलिश, तेल रहित राइस ब्रान, तेल रहित राइस हस्क और तेल रहित पैडी हस्क या धान का बाहरी छिलका तथा मत्स्य, कुक्कुट एवं पशु आहार अनुपूर्ति, सांद्रित चारा तथा एडिटिव (योज्यक), व्हीट ब्रान तथा तेल रहित केक सम्मिलित है लेकिन इसमें खली, राइस पॉलिश, राइस ब्रान, राइस हस्क सम्मिलित नहीं है।
5	बाँस, बाँस की चटाई और बाँस से बनाई गयी टोकरी
6	बहुमूल्य धातु से बनी चूड़ियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की चूड़ियाँ और कुमकुम, बिन्दी, आलता और सिन्दूर
7	मधुमक्खी का कृत्रिम घर और शहद
8	पान के पत्ते

9	बायोमास बिक्रिटस
10	पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं जर्नल, जिसमें नक्शे, चार्ट तथा ग्लोब भी सम्मिलित हैं
11	सभी प्रकार की डबलरोटी, पीजा डबलरोटी को छोड़कर और बन्द एवं रस्क
12	झाड़ू की सीक, सरकंडा का बना मूड़ा, फल बहारी झाड़ू
13	चाक बत्ती
14	चरखा, अम्बर चरखा, हथकरघा
15	चिवड़ा, लइया (मुरमुरा), लावा (खील), पोहा, सत्तु और सूखे भुने व तले हुए चने
16	प्रमाणित जैविक अनाज व दालें
17	मोटे अनाज, जिसमें धान, चावल एवं गेहूँ सम्मिलित नहीं हैं लेकिन कुट्टू, रामदाना, सिंघाड़ा (चाहे ताजा, सुखा या उबला हुआ), कुट्टू आटा और सिंघाड़ा आटा सम्मिलित हैं
18	कन्डोम एवं गर्भनिरोधक
19	लच्छी में सूती एवं रेशमी यार्न
20	ड्रिप सिंचाई प्रणाली यंत्र तथा स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली यंत्र और उनके पुर्जे
21	कुम्हार द्वारा निर्मित मिट्टी के बर्तन और अन्य सभी सामान
22	विद्युत ऊर्जा
23	मछली पकड़ने के जाल तथा उसका कपड़ा और मछली के बीज, झींगे के बीज
24	ताजे फल और सब्जियाँ, जिसमें लहसुन एवं अदरक, फलों का ताजा रस और फलों के शेक, जैसे मैंगो शेक सम्मिलित हैं
25	ताजा दूध, पास्चराइज्ड दूध, बटर मिल्क, सप्रेटा दूध, दही और लस्सी
26	ताजे पौधे, पौध एवं ताजे फूल
27	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0) के माध्यम से विक्रय किया गया अनाज और अन्य सामान, जिसमें मिट्टी का तेल सम्मिलित नहीं हैं
28	गुड़, जिसमें गुड़ शक्कर, जैगरी पाउडर, गुड़ लौटा, गुड़ रस्कट और पामीरा गुड़ और खाद्य किस्म की गुड़ राव
29	हथकरघे पर निर्मित सभी प्रकार के कपड़े चाहे सादे, छपे हुए, रंगे हुए या कटे हुए हों, जिसके अन्तर्गत हथकरघे से बनी धोती, साड़ी, बेड-सीट, बेड-कवर्स, चद्दरें, मेजपोश, तकिये के गिलाफ, रुमाल, स्कार्फ, नेपकिन्स, झाड़न, शाल, लोई, लिहाफ, झोला, संजाफ और झालरदार तौलिये, ओढ़नी और दुग्गा तथा हथकरघे पर निर्मित ऊनी कम्बल और नमदे सम्मिलित हैं और गाँधी टोपी
30	बूटी, छाल, सूखे पौधे, सूखी जड़ें, जिन्हें सामान्यतः जड़ी-बूटी के नाम से जाना जाता है और सूखे फल और सुगन्धित पौधे व घास, जिसमें आर्गेनिक साल्वेंट ऑयल की हर्ब्स भी सम्मिलित हैं
31	(1) मानव रक्त, रक्त प्लाज्मा, रक्त लाल सेल और प्लेटलेट्स (2) रक्त बैंक में रक्त संग्रह, रक्त निकालने की प्रक्रिया और रक्त प्रसंस्करण, जिसमें रक्त घटक निर्माण सम्मिलित हैं, के लिए प्रयोग किये जाने वाले उपस्कर और उपभोग्य सामान
32	सुगन्धित बत्तियाँ, जिनको सामान्यतः अगरबत्ती, धूप बत्ती या धूप कत्ती के नाम से जाना जाता है और हवन सामग्री, जिसमें समब्रेनी व लोहान भी सम्मिलित हैं
33	देसी हस्त निर्मित वाद्य यन्त्र
34	मिट्टी के तेल का लैम्प/लालटेन, पेट्रोमैक्स, काँच की चिमनी
35	खादी के वस्त्र/सामान और इस प्रकार की अन्य निर्मित वस्तुएं, जो सरकार द्वारा विज्ञापित की जायें
36	सिखों द्वारा प्रयोग की जाने वाली कृपाण तथा गोरखों की खुखरी
37	पत्तल एवं दोने, दाबे या स्टिच किये गए
38	मास, मछली, झींगा और अन्य जलीय उत्पाद, जो क्योर्ड या हिमशीतित या प्रसंस्कृत या डिब्बाबन्द न हो और अण्डे, पोल्ट्री और पशुधन
39	राष्ट्रीय ध्वज
40	निवाड़, बान एवं बान रस्सी
41	राजकीय कोषागार द्वारा विक्रीत नान-ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर, सरकार द्वारा विक्रीत पोस्टल सामग्री, जैसे लिफाफे, पोस्टकार्ड इत्यादि; भारतीय रिजर्व बैंक को बेचे जाने वाले रुपये और खुले अथवा बुक फार्म में चैक

42	जैविक खाद, जैव खाद और जैव सूक्ष्म बलबद्धक तथा वनस्पति उपज प्रवर्धक तथा नियंत्रक, शाकनाशी, कृतकनाशी, कीटनाशी, अपतृणनाशी तथा नाशकजीव मार
43	पापड़, कचरी, सिवैयां, मंगोड़ी, बड़ी और सोयाबनी बड़ी (जिसमें वायुरोधी पैकेट में विक्रीत सोयाबीन बड़ियाँ शामिल नहीं हैं)
44	निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों का पोटाश एवं फॉस्फेटिक कम्पोनेन्ट – (1) डी0ए0पी0 (18:46:0), (2) एम0ओ0पी0, (3) एस0एस0पी0, (4) एन0पी0के0 (12:32:6 / 20:20:6 / 15:5:15 / 23:23:0 / 14:35:4 / 20:20:10 / 15:15:75 / 10:10:10 / 12:6:0 / 16:9:0)
45	धार्मिक संस्थाओं द्वारा बिक्री किया गया प्रसाद
46	राखी
47	कच्ची ऊन
48	धार्मिक तस्वीरें, जो कलैण्डर या प्रचार सामग्री की तरह प्रयुक्त न हों और मिट्टी की बनी मूर्तियाँ
49	पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण और उनके पुर्जे
50	पवित्र धागा, जिसे सामान्यतः यज्ञोपवीत कहते हैं और रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की माला एवं तुलसी कंठी माला
51	नमक (ब्रांडिड अथवा अन्यथा)
52	सभी प्रकार के बीज, तिलहनी को छोड़कर
53	वीर्य, जिसमें पशु का हिमशीतित वीर्य सम्मिलित है
54	रेशम के कीड़े, जो ककून प्रजनित करते हों एवं कच्ची रेशम
55	स्लेट, (जिसमें लेखनपट सम्मिलित नहीं हैं), स्लेट पेन्सिल और तख्ती
56	चीनी, जिस पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के अधीन अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहणीय हो
57	कपड़ा, जिस पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के अधीन अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहणीय हो लेकिन इसमें बिछावन की चादर, तकिये के गिलाफ और इस प्रकार की अन्य निर्मित वस्तुएँ और आयातित कपड़ा सम्मिलित नहीं हैं
58	तम्बाकू, जिस पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के अधीन अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहणीय हो और इसमें बीड़ी, सिगरेट एवं सिगार सम्मिलित हैं लेकिन गुटका और आयातित तम्बाकू सम्मिलित नहीं हैं
59	अप्रसंस्कृत हरी चाय की पत्तियाँ
60	पानी, जो (1) एयरटेड, मिनरल, डिस्टिल्ड, मेडिसिनल, आयोनिक, बैटरी, डिमिनरलाइज्ड पानी और (2) सील बन्द पात्र में बेचे जाने वाले पानी, से भिन्न हो

अनुसूची – दो (क)

(उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (2) का खण्ड (ख) देखिए)

इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर एक प्रतिशत की दर से कर देय होगा।

क्रम संख्या	माल का वर्णन
1	2
1	सोना, चाँदी, प्लेटिनम एवं अन्य मूल्यवान धातुएँ
2	सोने, चाँदी, प्लेटिनम एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं से बनी वस्तुएँ, जिसमें सोने, चाँदी, प्लेटिनम एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषण सम्मिलित हैं
3	बहुमूल्य और कम मूल्य वाले रत्न।

अनुसूची – दो (ख)

(उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) का उपखण्ड (एक) देखिए)

इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर चार प्रतिशत की दर से कर देय होगा।

क्रम संख्या	माल का वर्णन
1	2

1	अम्ल (एसिड)
2	कृषि यंत्र, जो मनुष्य अथवा पशु या ट्रैक्टर द्वारा चालित न हों
3	सभी प्रकार के संचार उपकरण जैसे प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज (पीओबीएक्स) और इलैक्ट्रॉनिक प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज (ईओपीओबीओएक्स) तारलेखित्र, वायरलेस यंत्र और उनके पुर्जे
4	सभी अभूत वस्तुएं जैसे कॉपीराइट, पेटेंट एवं रेप्लाइसेन्स इत्यादि
5	सभी धातुओं की कास्टिंग
6	सभी प्रसंस्कृत व परिशोधित सब्जियाँ, शाकाहारी मशरूम तथा फल, जिसमें फलों के जैम, जैली, स्क्वैश, पेस्ट, फलों के पेय, फलों का रस और अचार चाहे बन्द डिब्बों में हो अथवा अन्यथा भी सम्मिलित है
7	लच्छी में सूती एवं रेशमी धागे के अतिरिक्त सभी प्रकार के धागे, जिसमें पॉलिस्टर फाईबर यार्न तथा स्टैपल फाईबर यार्न सम्मिलित हैं और सिलाई धागा
8	एल्यूमीनियम, लोहा व इस्पात, प्लास्टिक तथा बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर अन्य सामग्री से बने सभी प्रकार के बर्तन (जिसमें प्रेशर कुकर/पैन भी सम्मिलित है), बाल्टियाँ एवं कन्टेनर्स और इनैमिल के बर्तन
9	पैकिंग का सामान, जिसमें – (क) कागज, पेपर बोर्ड, कोरोगेटेड शीट्स, प्लास्टिक से बने बक्से, डिब्बे, कार्टन, जैरी कैन, थैले, (ख) पुर्न-चकित कागज से बने मोल्डिड ट्रे, (ग) जूट एवं सन से बनाये गये टाट व बोरे, (घ) लेमिनेटेड जूट के बोरे भी सम्मिलित है
10	एल्यूमिनियम, इसके मिश्रण तथा उत्पादन (कर्पण को छोड़कर)
11	एल्यूमिनियम कन्डक्टर, जो स्टील से री-इन्फोर्सड (एओसीओएसओआरओ) हो
12	आर्कनोट का पाउडर और सुपारी
13	आटा, मैदा, सूजी, बेसन, दलिया
14	गन्ने की खोई
15	बेसिक क्रोमियम सल्फेट, सोडियम बाई-क्रोमेट
16	बियरिंग
17	बिछावन की चादर, तकिये के गिलाफ और इस प्रकार की अन्य निर्मित वस्तुएं
18	सभी तरह की और सभी वर्णन की बैल्टिंग
19	साईकिल, तिपहिया साईकिल, साईकिल रिक्शा और उनके पुर्जे, टायर, ट्यूब
20	बिटुमिन (कोलतार)
21	बोन मील
22	मोमबत्ती
23	रैंडी का तेल (कास्टर-ऑयल)
24	कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटेश, सोडा ऐश
25	सैन्ट्रीफ्यूगल एवं मोनोब्लॉक सबमर्सिबल पम्प और उनके पुर्जे
26	लकड़ी का कोयला
27	रासायनिक खाद, सूक्ष्म बलबर्द्धक तथा वनस्पति उपज प्रवर्धक तथा नियंत्रक, शाकनाशी, कृंतकनाशी, कीटनाशी, अपतृणनाशी तथा नाशकजीव मार
28	मृतिका (क्ले) जिसमें, अग्निसह मृतिका, महीन चीनी मिट्टी तथा गोला मृतिका भी सम्मिलित है
29	नारियल फाईबर
30	खोल में नारियल तथा नारियल की अलग की गई गिरी और हरा नारियल
31	कॉफी की फली एवं बीज, कोको फली, चाय की हरी पत्ती एवं चिकनेरी
32	क्वायर एवं क्वायर उत्पाद, जिसमें क्वायर के गद्दे सम्मिलित नहीं हैं
33	कंधे
34	कम्प्यूटर स्टेशनरी
35	भोजन पकाया हुआ
36	कॉटेज चीज और पनीर
37	रुई एवं रुई छीजन
38	कूसिबल्स
39	कागज तथा प्लास्टिक के बने प्याले, ग्लास और प्लेटें
40	केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में मोटे अनाज को छोड़कर यथाविनिर्दिष्ट घोषित माल

41	ड्रग्स, औषधियाँ और फार्मास्यूटिकल्स निर्मिति (एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा यूनानी) जिसमें टीके की दवा, सिरिज व पट्टियाँ, औषधिक मल्हम, जो ड्रग लायसेंस के अधीन उत्पादित हों और आई0पी0 श्रेणी का हल्का लिक्विड पैराफीन
42	रंगने के द्रव्य (डाइज), एसिड डाइज, बेसिक डाइज
43	खाद्य तेल
44	कढ़ाई व जरी का सामान अर्थात्— (क) इमि (ख) जरी (ग) कस्ब (घ) साइमा (ङ) डबका (च) चुमकी (छ) गोटा (ज) सितारा (झ) नक्सी (ञ) कोरा (ट) काँच के दाने (ठ) ग्लजल (ड) कढ़ाई की मशीन (ढ) कढ़ाई की सुइयाँ
45	अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ पुस्तिका और प्रयोगशाला नोट बुक
46	बच्चों को दूध पिलाने की बोतल और चूचुक
47	लौह एवं अलौह धातुएं और मिश्रित धातुएं तथा अधातु जैसे एल्यूमिनियम, ताँबा, जिंक और उनके बहिर्वेधन
48	सभी प्रकार के रेशे एवं रेशे की छीजन
49	जलौनी लकड़ी
50	ग्लूकोज—डी
51	हैण्ड पम्प, पुर्जे और फिटिंग
52	हींग (ऐसफोडिटा)
53	होज पाइप और उनके फिटिंग
54	होजरी गुड्स
55	अनाज के हस्त और ब्रान
56	हस्क, जिसमें मूँगफली का हस्त सम्मिलित है
57	बर्फ
58	नकली आभूषण
59	औद्योगिक केबिल (उच्च वोल्टेज केबिल, एक्स0एल0पी0ई0 केबिल, जैलि—फील्ड केबिल, प्रकाशिक फाईबर केबिल)
60	विद्युत्तरोधक

61	सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद, जैसा कि नीचे वर्णित है :- (एक) वर्ड प्रोसेसिंग मशीन्स, इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स (दो) सूक्ष्मफोन्स, मल्टीमीडिया स्पीकर्स, हैंड फोन्स आदि (तीन) टेलीफोन उत्तरण मशीन्स (चार) प्रीपेयर्ड अनरिकॉर्डेड मीडिया फोर साउण्ड रिकॉर्डिंग (पाँच) प्रीपेयर्ड रिकॉर्डेड मीडिया फोर साउण्ड रिकॉर्डिंग (छः) आई टी सॉफ्टवेयर या कोई मीडिया (सात) संचारण उपकरण, रेडियो या टीवी0 ब्रोडकास्टिंग के उपकरण को छोड़कर (आठ) रेडियो कम्यूनिकेशन रिसीवर्स, रेडियो पेजर्स (नौ) ऐरियल्स, एन्टीनाज और पुर्जे (दस) एलसीडी0 पैनल्स, एलसीडी0 पैनल्स और पुर्जे (ग्यारह) विद्युत संधारित्र, स्थाई परिवर्ती और पुर्जे (बारह) इलैक्ट्रॉनिक कैल्कुलेटर्स (तेरह) विद्युत प्रतिरोधक (चौदह) प्रिंटेड सर्किट्स (पन्द्रह) स्वीचेज, सम्बन्धक, रैलेज (पाँच एम्पीयर) तक (सोलह) पिक्चर ट्यूब्स से भिन्न डाटा/ग्राफिक समप्रदर्शित ट्यूब्स और पुर्जे (सत्रह) डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और इसी प्रकार के सेमी-कंडक्टर युक्ति (अठारह) इलैक्ट्रॉनिक इन्टीग्रेटेड सर्किट्स और माइक्रो एसेम्बलीज (उन्नीस) संकेत जनित्र और पुर्जे (बीस) प्रकाशिक फाइबर केबिल्स (इक्कीस) प्रकाशिक फाइबर और प्रकाशिक फाइबर बण्डल्स, केबिल्स (बाइस) द्रव क्रिस्टल युक्ति, सपाट प्रपट्टी संप्रदर्शित युक्ति और पुर्जे
	(तेइस) अभिकलित्र सिस्टम्स और परिधीयतन्त्र, इलैक्ट्रॉनिक डायरीज (चौबीस) कैथोड रे ऑसिलोस्कोप्स, स्पैक्ट्रम एनेलाइजर्स, सिगनल एनेलाइजर्स (पच्चीस) एचएसएन 84:69, 84:70 एवं 84:71 के पुर्जे एवं सहायक सामान (छब्बीस) डीसी0 माइक्रोमोटर्स, स्टैपर मोटर्स 37:5 वाट्स के (सताईस) एचएसएन 85:01 के पुर्जे (अठाईस) अभिच्छिन्न ऊर्जा आपूर्ति (उन्तीस) स्थाई चुम्बक और वस्तुएं (तीस) लाईन टेलीफोनी या लाईन टेलिग्राफी के लिए विद्युत उपकरण (इकतीस) सेल-फोन (बत्तीस) डीवीडी0 और सीडी0
62	कत्था
63	खाण्डसारी
64	खोया/खोआ
65	बुनाई की ऊन
66	लिग्नाइट
67	चूना, चूना पत्थर, क्लिंकर और डोलोमाइट और पुताई का अन्य सामान, जो इस अनुसूची या किसी अन्य अनुसूची में अन्यत्र उल्लिखित नहीं है
68	लाइनर अल्काईल बेन्जीन, एलएबी0 सल्फोनिक एसिड, अल्फा औलिफीन सल्फोनेट के नाम से जाना जाता है और लिक्विड प्रोडक्ट ऑफ अर्धन वेस्ट
69	लिक्विड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलोज, जिसको सामान्यतः एलपीसी0 के नाम से जाना जाता है और लिक्विड प्रोडक्ट ऑफ अर्धन वेस्ट
70	खुले बिस्कुट
71	मक्का का स्टार्च, मक्का का ग्लुटिन और मक्का का अंकुर व तेल
72	चिकित्सा सम्बन्धी उपस्कर/युक्तियाँ और इम्प्लांट

73	मिश्रित पी0वी0सी0 स्टेब्लाइजर
74	मछुवारों द्वारा मछली पकड़ने कके लिए प्रयोग की जाने वाली अयान्त्रिक नावें
75	नट, बोल्ट, पेंच, कीलें और फास्टनर
76	खली
77	तिलहन
78	अयस्क धातुएं एवं खनिज, जिसमें गौण खनिज सम्मिलित नहीं है
79	कागज, जिसमें अखबारी कागज सम्मिलित है और पेपरबोर्ड
80	पैराफीन वैक्स
81	सभी प्रकार के पाईप, जिनमें जी0आई0 पाईप, सी0आई0 पाईप, डक्टाईल पाईप और पी0वी0सी0 पाईप सम्मिलित है और उनकी फिटिंग
82	पिज्जा डबलरोटी
83	प्लास्टिक कणिका (ग्रेन्यूल), प्लास्टिक चूर्ण और मास्टर बैचेज
84	पौरिज
85	मुद्रित सामग्री, जिसमें डायरी, कैलेण्डर आदि सम्मिलित है
86	मुद्रण स्याही, जिसमें टोनर और कार्टरिज सम्मिलित नहीं है
87	प्रसंस्कृत मॉस, कुक्कुट, मछली, झींगा और जलीय उत्पाद
88	बांस, लकड़ी एवं कागज का लुगदी
89	रेल के वैगन, इंजन, डिब्बे और उनके पुर्जे
90	सिले सिलाए वस्त्र
91	तापसह एकाशम
92	चावल, गेहूँ, दालें तथा धान
93	चावल की चोकर, चावल की भूसी और चावल की पॉलिश, जिसमें चावल की तेल रहित चोकर, चावल की तेल रहित भूसी और चावल की तेल रहित पॉलिश सम्मिलित नहीं है
94	नदी का बालू और रोड़ी (ग्रेट), जिसमें (क) बोल्टर्स और स्टोन केशर द्वारा विनिर्मित ग्रेड और बालू सम्मिलित नहीं है
95	लीसा
96	रबड़, कच्चा रबड़, रबड़ के पौधे का दूध (लैटेक्स) तथा सूखा पसलीदार
97	सवाई घास तथा रस्सी
98	माचिस
99	सिलाई मशीन, इसके पूर्ण तथा सहायक सामान
100	पानी के जहाज एवं अन्य जलयान
101	रेशमी कपड़ा, जिसमें हैण्डलूम रेशम सम्मिलित नहीं है, जब तक अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी से आच्छादित न हो
102	मंथित दूध का चूर्ण और यू0एच0टी0 दूध
103	विलायक तेल, जिसमें कार्बनिक विलायक तेल सम्मिलित नहीं है
104	चश्में तथा उसके पूर्ण और संघटक और संस्पर्श लेन्स व लेन्स निर्मलित्र
105	सभी प्रकार के और सभी रूपों में मसाले, जिसमें जीरा, सौंफ, हल्दी और सूखी मिर्च और सूखे मेवे सम्मिलित है
106	खेलकूद का सामान, जिसमें वस्त्र और जूते सम्मिलित नहीं है
107	घोषित माल के अधीन न आने वाले स्टेनलैस स्टील शीट्स
108	स्टार्च
109	मिठाई, रेबड़ी, गजक एवं शक्कर के उत्पाद, जैसे कुलिया, बताशे, खिलौने, इलाइची दाना आदि और नमकीन, जो पैक न किये गये हों
110	इमली और उसका चूर्ण
111	चाय
112	ताड़ी, नीरा और अर्क
113	औजार

114	खिलौने, जिसमें इलैक्ट्रॉनिक खिलौने सम्मिलित नहीं हैं
115	ट्रैक्टर, श्रेशन, हार्वेस्टर, पॉवर टिलर्स, ट्राली और उनके संघटक और पूर्ण
116	ट्रान्समिशन टावर्स
117	छाता, जिसके अन्तर्गत उद्यान छाता नहीं है
118	इस्तेमाल किये गये मोटर वाहन
119	वनस्पति (हाइड्रोक्ृत वनस्पति तेल)
120	वनस्पति तेल, जिसके अन्तर्गत गिंगली और ब्रान ऑयल सम्मिलित है
121	गीला, खजूर और नारियल
122	लकड़ी के कट
123	ऊनी लोई, पट्टू, गब्बा, शाल और कम्बल
124	लेखन स्याही
125	लेखन उपकरण, ज्यामितीय डिब्बे, रंग के डिब्बे, रंग की पेन्सिल, पेन्सिल की तीक्ष्णक और वैज्ञानिक, गणितीय, सर्वे, यांत्रिक रेखाचित्र और जैव उपकरण और यंत्र
126	जिप फास्टर, जिप रोल और उसके संघटक भाग

अनुसूची – दो (ग)

(उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख)
का उपखण्ड (एक) देखिए)

इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर स्तम्भ-3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दर से कर देय होगा।

क्रम संख्या	माल का वर्णन	कर की दर प्रतिशत
1	2	3
1.	लॉटरी टिकिट	32.5%
2.	शीरा	20%

अनुसूची – तीन

(उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड
(ख) का उपखण्ड (दो) देखिए)

इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के माल पर अनुसूची के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट विक्रय के बिन्दु पर उसके स्तम्भ-4 के सामने विनिर्दिष्ट दर पर कर देय होगा।

“नि0” से उत्तराखण्ड में विनिर्माता द्वारा विक्रय अभिप्रेत है;

“आ0” से उत्तराखण्ड में आयातकर्ता द्वारा विक्रय अभिप्रेत है।

क्रम संख्या	माल का वर्णन	कर का बिन्दु	कर की दर प्रतिशत
1	2	3	4
1	(क) सभी प्रकार की स्पिट और स्पिटमय शराब, जिसमें मिथाइल अल्कोहल और संयुक्त प्रान्त मोटर स्पिट, डीजल, ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित अल्कोहल सम्मिलित है, किन्तु देशी शराब सम्मिलित नहीं है; (ख) देशी शराब	नि0 या आ0	32.5% करमुक्त
2	मोटर स्पिट, जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्पिट, डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित है।	नि0 या आ0	25%
3	डीजल ऑयल, जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्पिट, डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित है।	नि0 या आ0	21%

4	एविएशन टरबाइन फ्यूल	नि0 या आ0	20%
5	प्राकृतिक गैस	नि0 या आ0	20%
6	मिट्टी का तेल	नि0 या आ0	12.5 %
7	पैट्रोल मिश्रित बायो फ्यूल या डीजल मिश्रित बायो फ्यूल, जिसमें बायो फ्यूल की मात्रा 5% से कम न हो	नि0 या आ0	12.5%

अनुसूची – चार

(उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) को देखिए)

इस अनुसूची के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट ब्यौहारियों/व्यक्तियों को या के द्वारा किसी माल का विक्रय स्तम्भ-4 में विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए, पूरे या आंशिक कर, जैसा कि स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट किया गया है, से मुक्त रहेगा।

क्रम संख्या	ब्यौहारियों/व्यक्तियों का विवरण	कर मुक्त		शर्तें, यदि कोई हो
		कर मुक्ति का प्रकार	कर मुक्ति की सीमा	
1	2	3(क)	3(ख)	4
1	कैंटीन स्टोर्स विभाग/मिलिट्री कैंटीन को नीचे दिये गये अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल की बिक्री या उनके द्वारा कय और बिक्री— अनुसूची (1) आयुध, जिसके अन्तर्गत राइफल, रिवाल्वर, पिस्तौल और उनके भाग और सहायक सामान और उसके लिए गोला बारुद भी है किन्तु इसके अन्तर्गत खुखरी, भाला, छुरा और तलवार और बारह बोर की शाट गन के लिए गोला बारुद नहीं है। (2) बिजली के सभी सामान यंत्र, उपकरण, साधित्र और ऐसी सभी वस्तुएं, जिनका प्रयोग विद्युत शक्ति के बिना नहीं हो सकता, जिसके अन्तर्गत बिजली के मृत्तिका पात्र और पोर्सीलेन, विद्युत शक्ति के जनन, वितरण और पारेषण के लिए अपेक्षित बिजली की सज्जा, संयंत्र और उनके सहायक सामान, विद्युत चालित मोटर और उसके पूजों और समस्त अन्य सहायक सामान और संघटक भाग हैं, चाहे उसे पूर्णतः या पूजों में बेचा जाता हो किन्तु, जिसके अन्तर्गत पंखा, बिजली के बल्ब, प्रतिदीप्त ट्यूब (जिसके अन्तर्गत इनके स्टार्टर चोक, फिक्सचर, फिटिंग्स और सहायक सामान भी हैं) टार्च, टार्च के बल्ब, टार्च सेल, ड्राई सेल, बैटरीज, इस्त्री, टोस्टर, केतली, मिक्सी कम ग्राइन्डर और ओवन नहीं है।	को बिक्री या उनके द्वारा कय और बिक्री	करमुक्त	शर्त यह है कि कमांडिंग ऑफिसर से अनिम्न पद के किसी अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाय कि माल भारतीय सशस्त्र बल/ अन्य रक्षा अधिष्ठान के सदस्यों/ भूतपूर्व सैनिकों को बेचे जाने के लिए है
	सामान। (5) सूती कालीन और पाइलदरियों को छोड़कर सभी प्रकार के कालीनों, जिसके अन्तर्गत नमदा भी है। (6) मोटर गाड़ियों की चैसी और मोटर गाड़ियों के चैसी पर बनाये गये या उन पर चढ़ाने के लिए तात्पर्यित बाड़ी या टैंकर या मोटर			

	(7) सिनेमाटोग्राफी-सज्जा, जिसके अन्तर्गत कैमरा प्रोजेक्टर और ध्वनि आलेखन और पुनरुत्पादन सम्बन्धी सामान, लेंस, फिल्म और फिल्स स्ट्रिप और उनके साथ प्रयुक्त किये जाने के लिए अपेक्षित सिनेमा कार्बन, सिनेमा स्लाइड या फिल्म, संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान भी हैं। (8) धातु की तिजोरी, रोकड़पेटी (कैश बॉक्स) और आलमारियाँ (रु० 1200 से अनधिक मूल्य की आलमारियों को छोड़कर) सभी प्रकार की धातु के फर्नीचर चाहे उन्हें सज्जित या असज्जित रूप से बेचा जाय, धातु के फर्नीचर के भाग, फाइबर ग्लास, प्रबलित (री-इन्फोर्सड) प्लास्टिक से बना फर्नीचर, गद्दीदार (अप-होल्डर्स) फर्नीचर और फर्नीचर, जिसके बनाने में लैमीनेटेड शीट का प्रयोग किया जाता है। (9) फोम रबड़, प्लास्टिक या फोम या अन्य सिन्थेटिक फोम या फाइबर फोम या रबड़युक्त क्वायर से बनी चादर (सीट), कुशन, तकिया, गद्दा और अन्य वस्तुएं। (10) मोटर, ट्रक मोटर बस, मोटर साइकिल कम्बीनेसन्स, मोटर कार, जीप और अन्य मोटर गाड़ियाँ, जिनके अन्तर्गत मोटर साइकिल, मोटर स्कूटर और मोटरेट्स (मोपेड्स) भी शामिल है। (11) कार्यालय में उपयोग की मशीनें और उपकरणों, जिसके अन्तर्गत, टेबुलेटिंग, कैल्कुलेटिंग, डुप्लीकेटिंग, कैश रजिस्ट्रिंग, चैक राइटिंग, एकाउंटिंग, सांख्यिकी, इन्डैक्सिंग, कार्ड पंचिंग, फ्रेकिंग और एडेसिंग मशीन भी है और टाइपराइटर, कम्प्यूटर (जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाइयाँ और परिधीय यंत्र भी है), टैलीप्रिंटर और सहायक मशीनें और ऐसी कार्यालय मशीनों और उपकरणों के संघटक भाग, पुर्जे और सहायक सामान भी है। (12) फोटोग्राफी, एन्लार्जर, लेंसेस, कागज, प्लेट और कागज और उपर्युक्त संघटक भाग, पुर्जा वाटर कूलर, रूम कूलर, एयर कन्डीशनर, एयर कूलर, वाटर कूलर, वाकइन कूलर और उनका संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान एवं पोलिस्ट्रीन फोम सहित प्रशीतन सामग्री भी है।			

	(14) मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब, पुर्जे और सहायक सामान, जिसमें मोटर साइकिल, मोटर स्कूटर और मोटरेट्स (मोपेड) के टायर और ट्यूब नहीं हैं। (15) (क) बेतार प्रसारण और ग्रहण उपकरण यंत्र और साधित्र, जिसके अन्तर्गत ट्रांजिस्टर रेडियो और दूसरे रेडियो और उसके संघटक भाग, पूर्जा और उनके सहायक सामान, जैसे ट्रांजिस्टर और बिजली के बल्ब भी हैं किन्तु इसके अन्तर्गत रु0 1200 से कम मूल्य के ट्रांजिस्टर रेडियो अन्य रेडियो और एक्यूमुलेटर नहीं हैं; (ख) ध्वनि प्रसारण उपकरण यंत्र और साधित्र, जिसके अन्तर्गत टेलीफोन इन्टरकॉम यंत्र और लाउडस्पीकर, श्रव्य दृश्य और इलैक्ट्रॉनिक, उपकरणों के साथ प्रयुक्त किये जाने वाले समस्त एम्पलीफाइंग उपकरण भी हैं किन्तु इसके अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक और प्रसारण साधित्र नहीं हैं, जो विशिष्ट रूप में श्रवण यंत्र के रूप में उपयोगार्थ शरीर पर धारण किये जाते और ऐसे उपकरण यंत्र और साधित्र के संघटक भाग, पुर्जे और सहायक सामान; (ग) ध्वनि आलेखन करने वाले उपकरण, यंत्र और साधित्र, जैसे डिक्टाफोन टेपरिकार्डर, कैसेट मशीन और उनका संघटक भाग पूर्जा और सहायक सामान, जिसके अन्तर्गत टेप-रिकॉर्डर और रिकॉर्डिंग कैसेट और रील टेप नहीं हैं; (घ) अन्य श्रव्य दृश्य और इलैक्ट्रॉनिक उपकरण यंत्र और साधित्र, जिसके अन्तर्गत टेलीविजन, रिसीविंग सेट, टेलीविजन कैमरा और प्रसारणसा उपकरण, रिकार्ड प्लेयर और चेन्जर, चाहे बिना स्पीकर के या विल्ट-इन-स्पीकर के सहित, टेलीफोन, ग्रामोफोन रिकार्ड रेडियो ग्रामोफोन और दो या अधिक श्रव्य या दृश्य उपकरणों, जैसे रेडियो, कैसेट रिकार्ड प्लेयर, टेलीविजन और उसी तरह की वस्तुओं के समुच्चय भी हैं			
--	---	--	--	--

अनुसूची – पाँच

(उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (2) का खण्ड (ड) देखिए)

इस अनुसूची के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट व्यक्तिय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए, किसी कराधेय माल के क्रय पर उनके द्वारा दिये गये कर की वापसी का हकदार होगा।

क्रम सं०	माल का वर्णन	शर्तें, यदि कोई हो तो
1	भारत में विदेशों के राजदूत उच्चायुक्त एवं डिप्लोमैट्स	
2	संयुक्त राष्ट्र और उत्तराखण्ड में उसकी विशिष्ट ऐजेन्सियाँ	
3	यूनाइटेड नेशन्स इण्टरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेन्सी फण्ड	
4	अमेरिकन कम्युनिटी इमरजेन्सी फण्ड फार चाइल्ड फेमिन रिलीफ	

5	केयर (को-ऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीव्हेयर)	
6	ऑक्सम (ओ0एक्स0ए0एम0)	
7	(क) भूटान सरकार; (ख) महामहिम भूटान नरेश अथवा भूटान शाही परिवार के सदस्य; (ग) भारतीय सैनिक प्रशिक्षण टीम, भूटान या दन्टक परियोजना, भूटान; (घ) भूटान के निवासी किसी ब्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा अपने निजी प्रयोग या भूटान में पुनर्विक्रय हेतु	शर्त यह है कि ब्यौहारी कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष, निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं पदीय मुहर के अधीन प्रमाणित यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें की वस्तुएं भूटान को निर्यात एवं भूटान में प्रयोग हेतु हैं और वास्तव में भूटान के क्षेत्र में प्रवेश कर गयी है— (एक) भूटान की सरकार को या महामहिम भूटान नरेश या भूटान राज परिवार के किसी सदस्य को की गयी विक्रय के सम्बन्ध में, भूटान सरकार के किसी आयुक्त, उपायुक्त या परगना अधिकारी द्वारा या भूटान के राज्य व्यापार निगम के निदेशक द्वारा या मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भूटान सरकार द्वारा या वित्त मंत्री, भूटान सरकार द्वारा; (दो) दन्टक परियोजना को की जाने वाली विक्रय के सम्बन्ध में, मुख्य अभियंता दन्टक द्वारा या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नाम-निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा; (तीन) भारतीय सैनिक प्रशिक्षण टीम को की गई विक्रय के सम्बन्ध में, आई0एम0टी0आर0ए0 टी0 के समादेष्टा द्वारा या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा; और (चार) किसी अन्य विक्रय के सम्बन्ध में वित्त मंत्री, भूटान सरकार द्वारा या परगनाधिकारी, भूटान

THE UTTARAKHAND VALUE ADDED TAX ACT, 2005

[Uttarakhand Act No. 27 of 2005]

AN ACT

to provide for and consolidate the law relating to levy of Value Added Tax on sales or purchases of goods in the State of Uttarakhand.

Be it enacted in the Fifty -sixth year of the Republic of India as follows:--

CHAPTER--I PRELIMINA RY

Short title, Extent and Commencement	1-	(1) This Act may be called The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005. (2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand. (3) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of October, 2005.
--------------------------------------	----	--

Definitions	2-	In this Act, unless the context otherwise requires-- (1) "Assessee" means any person by whom tax or any other sum of money is payable under this Act and includes every person in respect of whom any proceedings under this Act have been taken for the assessment of tax payable by him; (2) "Assessing Authority" means any person appointed by the State Government or the Commissioner to perform all or any of the functions of assessing authority under this Act; (3) "Assessment Year" means a period of 12 months ending on March 31; (4) "Appellate Authority" means the authority to whom an appeal lies under Section 51; (5) "Appellate Tribunal" means the Appellate Tribunal constituted under Section 54 of this Act; (6) "Business" includes- (a) any trade, commerce or manufacture, or (b) any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture, or (c) any transaction in connection with, or incidental or ancillary to such trade, commerce, manufacture, adventure or concern, or (d) any occasional transaction in the nature of such trade, commerce, manufacture, adventure or concern whether or not there is volume, frequency, continuity or regularity of such transaction, whether or not such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make gain or profit and whether or not any gain or profit accrues from such trade, commerce, manufacture,
-------------	----	---

		(f) Any transaction of buying, selling or supplying plant, machinery, raw materials, processing material, packing material, empties, consumable stores, waste or by products, or any other goods of a similar nature or any unserviceable or obsolete or discarded machinery or any parts or accessories thereof or any waste or scrap or any of them or any other transaction whatsoever which is ancillary to or is connected with or is incidental to, or results from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern or works contract or lease but does not include any activity in the nature of mere service or profession which does not involve the purchase or sale of goods; [(7) "Casual Dealer" means a person who whether as principal, agent or in any other capacity, undertakes occasional transactions involving buying, selling, supplying or distributing goods or conducting any exhibition-cum-sale in the State of Uttarakhand, whether for cash or for deferred payment, or for commission, remuneration or other valuable consideration, for a period not exceeding 60 days at a time or such other period as may be prescribed and includes, (a) a transporter as defined in sub-section (49) of section 2 or a transporting agent, whether he has fixed place of business in Uttarakhand or not, who, while holding goods in custody for any person before or after their transportation, or while carrying goods in his vehicle, fails to disclose the name and address of the consignor or consignee in Uttarakhand or fails to furnish a copy of invoice, challan, goods receipt (G.R)/bilty or consignment note or document of like nature in respect of such goods, or (b) an owner or lessee or occupier of a warehouse who fails to disclose the name and address of the owner of any goods stored at his warehouse or fails to satisfy that such goods are for his personal use or consumption, and such transporter, transporting agent or owner or lessee or occupier of a warehouse, shall be deemed to have purchased such goods on his own account.]² (8) "Capital Goods" means plant, machinery and equipments (including pollution control equipments, quality control equipments or laboratory equipments) used in the manufacturing or processing of taxable goods excluding Special Category Goods specified in Schedule III of this Act, and also excluding such goods when used in civil structures as may be prescribed; [(9) "Commissioner" means the Commissioner of Commercial Tax appointed by the State Government and includes an Additional Commissioner, and a Joint Commissioner of Commercial Tax appointed by the Government;]¹ (10) "Date of commencement" means the date on which this Act comes into remuneration or other valuable consideration, and includes—
--	--	--

1. Substituted by section 3 (a) of Uttarakhand Act No. 05 of 2008.

2. Substituted by section 2 (A) of Uttarakhand Act No. 09 of 2012.

		(a) a department of the Central Government or any State Government or a local authority by name of any Panchayat, Municipality, Development Authority, Cantonment Board or any autonomous or statutory body, (b) an industrial, commercial, banking, insurance or trading undertaking whether or not of the Central Government or any of the State Governments or of a local authority, (c) a commission agent, factor, broker, arhti, del credere agent, or any other mercantile agent by whatever name called, and whether of the same description as hereinbefore mentioned or not, who carries on the business of buying, selling, supplying or distributing goods on behalf of any principal, whether disclosed or not, (d) any person who acts within the State as an agent of a non-resident dealer <i>i.e.</i> as an agent on behalf of a dealer residing out side the State, and buys, sells, supplies or distributes goods in the State or acts on behalf of such dealer, as— (i) a mercantile agent as defined in the Sale of Goods Act, 1930, or (ii) an agent for handling of goods or documents of title relating to goods, or (iii) an agent for the collection or the payment of the sale price of goods or a guarantor for such collection or such payment, (e) an individual, a firm or a company or other body corporate, club, Hindu undivided family or any other system of joint family, association of persons, trust, and cooperative society or any other society, whether such society is incorporated or unincorporated, and which carries on such business including buying goods for and selling to its members for a price, fee or subscription, whether in the course of business or not, (f) a non-resident dealer whether an individual, or a firm or a company or association or other body of persons, whether incorporated or not, the principal office or headquarters whereof is out side the State, whether or not having branch or office in the State, in respect of purchases or sales, supplies or distribution of goods in the State of Uttarakhand directly or through his agent or
--	--	---

		by the principal or a nominee of the principal; (h) a casual-dealer; (i) a person who supplies byway of or as a part of any service or any other manner whatsoever, goods, being foods or any other articles for human consumption or any drink (whether or not intoxicating), where such supply or service is for cash or deferred payment or other valuable consideration; (j) any person who, for the purposes of or in connection with or incidental to or in the course of his business disposes of any goods as unclaimed or confiscated, or unserviceable or scrap, surplus, old, obsolete or as discarded material or waste products by way of sale; (k) a person engaged in the business of transfer otherwise than in
		(l) any person who carries on the business of transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract; (m) Any person who carries on the business of transfer of right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration; (n) any person engaged in business of delivery of goods on hire purchase or any other system of payment by instalment: Provided that a person who sells agricultural or horticultural produce grown by him or grown on any land in which he has an interest, whether as owner, usufructuary mortgagee, tenant, or otherwise, or who sells poultry or dairy products from fowls or animals kept by him shall not, in respect of such goods, be treated as a dealer; (12) "Declared Goods" means goods declared under Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956, to be of special importance in inter--state trade or commerce; (13) "Document" means title deeds, writing or inscription and includes electronic data, computer programmes, computer tapes, computer discs, computer floppies and the like that furnishes evidence; [(13-A) "Document of title" means, any document which confers a title of goods and includes a bill of lading, dock warrant, goods receipt/ bilty, railway receipt, warehouse keeper's certificate, warrant or order for the delivery of goods and any other like document used in the ordinary course of business as proof of the possession or control of goods, or authorizing or purporting to authorize, either by endorsement or by delivery, the possessor of the document to transfer or to receive goods thereby represented.]¹

		fastened to any thing permanently attached to the earth which under the contract of sale are agreed to be severed; (b) all materials, commodities and articles (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract including those used in the fitting out, improvement or repair of any movable or immovable property, or involved in lease or hire purchase; (15) "Government" means the Government of the State of Uttarakhand; [(16) "Importer" in relation to any goods means a dealer who brings or receives any goods into the State from any place outside the State and includes a dealer- (i) who makes first sale of any goods brought or received into the State from any place outside the State; or (ii) who receives any goods into the State on behalf of any other persons
--	--	--

1. Substituted by section 2 (B) of Uttarakhand Act No. 09 of 2012.

		(iii) on whose behalf any goods are received into the State from any place outside the State by any other person;]² [(16-A) "Import" means bringing or receiving of goods, into the State from outside the State or from outside the country, as a result of purchase or otherwise.]² (17) "Input Tax" in relation to any registered dealer means a tax: paid or payable under this Act by the dealer to another registered dealer on the purchase of any taxable goods other than Special Category Goods in the course of business for re-sale or for use in manufacturing or processing of such taxable goods for sale or for use as containers or packing materials for packing of such manufactured goods. (18) "Lease" means any agreement or arrangement whereby the right to use any goods for any purpose is transferred by one person to another (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration without the transfer of ownership and includes a sub-lease but does not include any transfer on hire purchase or any system of payment by installment; (19) "Lessee" means any person to whom the right to use any goods for any purpose is transferred under a lease; (20) "Lessor" means any person by whom the right to use any goods for any purpose is transferred under a lease; (21) "Manufacture" means any activity that brings out a change in an article or results in transformation into a new and different article so
--	--	--

		prescribed; (22) "Manufacturer" in relation to any goods means the dealer who makes the first sale of such goods in the State after their manufacture and includes a dealer who makes purchases from any other dealer not liable to tax: on the sales under the Act other than sales exempted under Section 4; (23) "Non-resident Dealer" means a dealer who carries on business in, Uttarakhand, but who has no fixed place of business or residence in Uttarakhand; [(25) "Officer-in-charge of a check post or barrier" means an officer not below the rank of Commercial Tax Officer, posted at such check post or barrier;]¹ (26) "Out put Tax" in relation to any registered dealer means the tax: charged or chargeable under this Act in respect of any sale or supply of taxable goods made by the dealer in the course of business and includes tax: paid by a Commission Agent in respect of sale of taxable goods made on behalf of such dealer; (27) " Person" includes-- (a) an individual; 1. Substituted by section 3 (b) of Uttarakhand Act No. 05 of 2008. 2. Substituted by section 2 (C) and (D) of Uttarakhand Act No. 09 of 2012.
		[(c) a company or a corporation or a financial institution or a bank;]¹ (d) a firm; (e) an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not; (f) the Central Government or the Government of Uttarakhand or the Government of any other State or Union Territory in India; (g) a local authority, a club, a society or trust; (28) "Place of Business" means any place where a dealer carries on business and includes— (a) any shop, warehouse, godown or other place where a dealer stores his goods; (b) any place where a dealer produces or manufactures goods; (c) any place where a dealer keeps his books of accounts; (d) any place where a dealer executes the works contract or where the right to use goods is exercised; (e) in any case where a dealer carries on business through an agent (by

		(f) any place where a dealer or a person books or delivers goods and any vehicle or vessel or any other carrier wherein the goods are stored or used for transporting goods. (29) "Prescribed" means prescribed under this Act or under the rules made or notifications issued under this Act; (30) "Purchase" with all its grammatical variation and cognate expressions shall be construed from the word "Sale"; (31) "Purchase Price" means the amount of valuable consideration paid or payable by a person for the purchase of any goods, less any sum allowed by the seller as cash discount according to trade practice and shall include any sum charged for any thing done by the seller in respect of the goods at the time of or before delivery thereof, other than the cost of freight or delivery, or the cost of installation when such cost is separately charged; (32) "Recipient" means a person receiving goods, as defined for the purpose of this Act; (33) "Registered Dealer" means dealer registered under this Act, and includes a dealer who has obtained registration voluntarily; (34) "Repealed Act" means the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002; (35) "Repealed Ordinance" means the Uttarakhand Value Added Tax Ordinance, 2005; (36) " Re- sale" means a sale of purchased goods— (a) in the same
		1- Substituted by section 3 (c) of Uttarakhand Act No. 05 of 2008.
		(37) "Return" means any return prescribed and / or required to be furnished under this Act or the rules made thereunder; (38) " Reverse Tax" means that portion of input tax on the goods for which credit has been availed but such goods are used subsequently for any purpose other than re-sale or manufacture of taxable goods or execution of works contract or use as container or packing materials within the State; (39) "Rules" means rules made under this Act; (40) "Sale" with its grammatical variation and cognate expressions means any transfer of property in goods (other than by way of mortgage, hypothecation, charge or pledge) by one person to another in the course

		consideration, and includes-- (a) a transfer otherwise than in pursuance of a contract, of property in any goods for cash, deferred payment or other valuable consideration; (b) a transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract; (c) the delivery of goods on hire purchase or any system of payment by installments; (d) a transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration; (e) a supply of goods by any unincorporated association or body of persons- to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration; (f) any supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or drink (whether or not intoxicating) where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration; (g) a transfer of property in goods by an auctioneer referred to in clause (g) of sub-section (11) or sale of goods by any dealer in the course of any other activity in the nature of banking or insurance, who in the course of his main activity also sells goods repossessed or reclaimed; And such delivery, transfer or supply of any goods under clauses (a) to (g) above shall be deemed to be the sale of those goods by the person making the delivery, transfer or supply, and purchaser of those goods shall be the person to whom such delivery, transfer or supply is made; Explanation 1: A sale or purchase shall not be deemed to have taken place in side the State if the goods are sold-- (a) in the course of inter-state trade or commerce; or (b) outside the State of Uttarakhand otherwise than by way of sale; or (c) in the course of import into or export out of the territory of India; Explanation 2:- A sale or purchase shall be deemed to have taken place in the State under sub- clause (b) if the goods are in the State at the time of transfer of property in such goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract, notwithstanding that
		Explanation 3:- Notwithstanding any thing contained in this Act, two independent sales or purchases shall, for the purpose of this Act, be deemed to have taken place--

		(a) when the goods are transferred from a principal to his selling agent and from the selling agent to his purchaser; (b) when the goods are transferred from the seller to a buying agent and from the buying agent to principal, and if the agent is found in either of the cases aforesaid-- (i) to have sold the goods at one rate and passed on the sales proceeds to his principal at another rate, or (ii) to have purchased the goods at one rate and passed them to his principal at another rate, or (iii) not to have accounted to his principal for the entire collection or deductions made to him, from the sales or purchases effected by him on behalf of his principal, or (iv) to have acted for a fictitious or non-existent principal; (41) "Sale Invoice" means a document listing goods sold, with price, quantity, tax charged, and such other particulars as may be prescribed in the Act or the Rules made thereunder; (42) "Sale Price" means the amount of valuable consideration received or receivable by a dealer for sale of any goods and shall include any sum charged for any thing done by the dealer in respect of goods at the time or before the delivery thereof, excise duty, special excise duty or any other duty or tax but shall not include-- (a) any sum allowed by the seller of goods to the purchaser as cash discount, commission or trade discount according to normal trade practice, at the time of sale of goods, (b) the cost of outward freight or delivery or the cost of installation in cases where such cost is separately charged, (c) the amount of tax under this Act, if separately charged by the dealer; Explanation:- For the purpose of this sub-section "Sale Price" includes-- (a) in relation to the delivery of goods on hire purchase or any other system of payment by installments, the total amount of valuable consideration including deposit or other initial payment in order to complete the purchase or the acquisition of the property in goods. It includes hire charges, interest and other charges incidental to such transaction, but does not include any sum payable as penalty or as compensation or damages for breach of agreement; (b) in relation to transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) the valuable consideration or (c) in relation to the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract, the valuable consideration paid or payable to a person for the execution of such works contract, less the actual amount representing labour and such other charges as may be prescribed, but does not include any sum payable as a
--	--	--

penalty or as compensation or damages for breach of agreement;

(d) the amount of duties paid or payable under Central Excise Act, 1944, or Customs Act, 1962, or U.P. Excise Act, 1910, as applicable in Uttarakhand, in respect of such goods at the time of clearance of the goods from bonded warehouse, whether such duties are paid or payable by or on behalf of the seller or by any other person;

(e) the price of packing material in which goods sold are packed;

(43) "Special Category Goods" means the goods specified in Schedule III of this Act on which tax is payable at the point of Importer or Manufacturer;

(44) "State" means the State of Uttarakhand;

(45) "State Government" means the Government of State of Uttarakhand;

[(46) "Tax" means the tax payable under this Act, and includes the amount as lump sum (composition money) accepted in lieu of actual amount of tax due on the turnover as provided under Section 7 of the Act, amount of reverse input tax credit and the amount of additional tax leviable under section 3(A);]¹

(47) "Tax Period" means a calendar month, a quarter of a year, or a year, as may be prescribed, or part thereof;

(48) "Taxable Turnover" means the turnover on which a dealer shall be liable to pay tax as determined after making such deductions from his total turnover and in such manner as may be prescribed; .'

(49) "Transporter" means any person who, for the purpose of or in connection with or incidental to or in the course of business, transports or causes to transport goods, or holds goods in custody for any person before or after their transportation and includes railway, shipping company, air cargo service or courier service;

(50) "Turnover of Sales" means the aggregate amount for which goods are sold or supplied or distributed by a dealer, either directly or through another, whether on his own account or on account of others, whether for cash or deferred payment or other valuable consideration;

Explanation 1:- "Turnover of Sales" for the purpose of this Act shall include any sum charged for any thing done by the dealer in respect of the goods sold or supplied at the time of or before delivery thereof but shall not include the sale value of agricultural or horticultural produce effected by a person who produces it by agriculture or horticulture from land owned or held by him as lessee, usufructuary mortgagee or in any other capacity recognized or permitted by law, but the expression agricultural or horticultural produce shall not include

timber or standing trees, manufactured tea or any other produce which is subjected to manufacture or processing after harvest;

1.Substituted by section 2 of Uttarakhand Act No. 11 of 2010.

Explanation 2: "Turnover of Sales" in relation to -

- (a) the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in execution of works contract, means the amount of valuable consideration paid or payable to a person for the execution of such works contract;
- (b) the delivery of goods on hire purchase or any system of payment by instalment, means the amount of valuable consideration paid or payable to a person for such delivery, and
- (c) the transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) means the valuable consideration received or receivable for such transfer;

Explanation 3: Subject to Such conditions and restrictions, if any, as may be prescribed in this behalf--

- (a) the amount for which goods are sold shall include the price of the packing material in which they are packed, and any sum charged for any thing done by the dealer in respect of the goods sold at the time of or before the delivery thereof, other than cost of freight or delivery or cost of installation or the amount realized as tax on sale or purchase of goods, when such cost or amount is separately charged,
 - (b) any cash or other discount on the price allowed in respect of any sale and any amount refunded in respect of articles returned by customers shall not be included in turnover, and
 - (c) where for accommodating a particular customer, a dealer obtains goods from another dealer and immediately disposes of the same without profit to the customer, the sale in respect of such goods shall be included in the turnover of the later dealer alone;
- (51) "Turnover of Purchases" with its cognate expression means the aggregate of the amounts of purchase price paid or payable by a dealer in respect of any purchase of goods made by or through him whether for cash or deferred payment, after deducting the amount, if any; refunded to the dealer by the seller in respect of any goods returned to such seller within such period as may be prescribed;
- (52) "Vehicle" means every wheeled conveyance used for carrying goods solely or in addition to passengers and includes a vessel, an auto vehicle, a bicycle, a hand driven or an animal driven cart, an animal carrying load, a rickshaw, or a person carrying goods;
- (53) "Value of Goods" means the value as ascertained from the purchase invoice (s)/bill(s) and includes insurance charges, excise duties, countervailing duties, sales tax, transport charges, freight charges and all other charges incidental to the transaction of the goods:

Provided that where the purchase invoice (s)/bill(s) are not produced or when the goods are acquired or obtained otherwise than by way of purchase, the value of goods shall be the value at

which the goods of like kind or quality are sold or are capable of being sold in open market;

(54) "Vessel" includes any ship, barge, boat, raft, timber, bamboos or floating materials propelled in any manner;

(55) "Works Contract" include any agreement for carrying out, for cash, deferred payment or other valuable consideration, building, constructing, manufacture, processing, fabrication, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair or commissioning of any movable or immovable property;

(56) "Year" means the financial year beginning from 1st April and ending with 31 "March;

(57) "Year of Commencement" means the assessment year in which the date of commencement of this Act, falls.

[(58) "Web site" means, world wide web of the department of commercial tax, Uttarakhand with domain "uk.nic.in" and with address <http://comtax.uk.gov.in> or any other website as may be notified by the Commissioner.]¹

CHAPTER--II

THE INCIDENCE, LEVY AND RATES OF TAX

- Incidence of 3- (1) Tax shall be levied and charged in accordance with the provisions of this Act tax on every sale made within the State by a dealer or a person;
- (2) Every person who is registered or is liable to be registered under the provisions of this Act shall be a taxable person and liable to pay tax in the manner provided in the Act.
- (3) Subject to provisions of sub-section (4) or sub-section (5) as may be applicable, every dealer or a person shall pay from the date he becomes so liable, a tax for each assessment year on his turnover, to be determined in the prescribed manner, of all sales inside the State, made on or after the date he becomes liable to pay tax at such rates as provided by or under Section 4 of the Act;
- (4) Where a dealer-carries on the business of --
- (a) sale of any taxable goods in the course of inter-State trade or commerce; or
 - (b) sale of any taxable goods in the course of export out of the territory of India; or
 - (c) consigns any taxable goods for delivery at a place outside the State; or
 - (d) sale of any taxable goods purchased or received from outside the State; or
 - (e) purchases of any taxable goods after furnishing any form of declaration or certificate prescribed either under Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 or the Central Sales Tax Act, 1956; or under this Act; or
 - (f) sales or purchases of taxable goods if such dealer is already registered under the Uttarakhand (the Uttar Pradesh trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 or the Central' Sales Tax Act, 1956; and desires to retain such registration after the commencement of

this Act or applies for grant of registration Voluntarily under the provisions of this Act; and

- (i) if such dealer has been carrying on the business in the immediately preceding assessment year and continues it on the date of commencement of this Act, he shall be liable to pay tax from the date of commencement of this Act; and

1.Substituted by section 2 (E) of Uttarakhand Act No. 09 of 2012.

		(ii) if such dealer commences business on or after the date of commencement of this Act, he shall be liable to pay tax from the date on which any of events from (a) to (f) above takes place for the first time in any assessment year; (5) Where any dealer carries on business of purchases and, or of sales of goods inside the State only and has neither furnished nor received any form of declaration or Certificate prescribed under this Act or the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 or the Central Sales Tax Act, 1956 or rules made or notifications issued thereunder in respect of any purchases or sales, and the business continues on the date of commencement of this Act, and (a) if such dealer has been carrying on business for whole or part of the immediately preceding assessment year, and continues it on the date of commencement of this Act and-- (i) the aggregate of his turnover as per the provisions of the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 in the preceding year exceeded the amount prescribed under sub-section (7) in case of whole year or the proportionate amount in case of part of the year, he shall be liable to pay tax from the date of commencement of this Act; or (ii) the aggregate of turnover as per the provisions of the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 for the period from the first day of the year of commencement upto the date of commencement of this Act, exceeds the amount prescribed under sub-section (7) proportionately, he shall be liable to pay tax from the date of commencement of this Act; or (iii) if such dealer is not liable to pay tax from the date of commencement of the Act under clause (a) (i) and clause (ii) above, he shall be liable to pay tax from the date the aggregate of his turnover for the first time exceeds the taxable quantum in any assessment year; or (iv) if such dealer is already registered under the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 or the Central Sales Tax Act, 1956 and desires to retain it
--	--	---

		commencement of this Act, and— (i) the aggregate of his turnover from commencement of business till the date of commencement of this Act exceeds the proportionate amount of taxable quantum, he shall be liable to pay tax from the date of commencement of this Act; (ii) if such dealer is not liable to pay tax from the date of commencement of this Act, under sub-clause (i) above, he shall be liable to pay tax from the date the aggregate of his turnover for the period starting from the date of commencement of business and ending on the last date of ~~the assessment year for the first time exceeds the proportionate~~
		(c) (i) if such dealer commences business on or after the date of commencement of this Act either in the year of commencement or in any subsequent assessment year, he shall be liable to pay tax in such first assessment year from the date when the aggregate of his turnover for the period starting from the date of commencement of his business and ending on the last date of that assessment year for the first time exceeds the proportionate amount of taxable quantum; and (ii) if such dealer is not liable to pay tax in the year of commencement of business as per sub-clause (i) above, he shall be liable to pay tax in the first assessment year in which the aggregate of his turnover exceeds taxable quantum and shall be liable from the date his turnover so exceeds for the first time; (6) Where by any order passed under this Act, it is found that any person registered as dealer ought not to have been so registered and the registration certificate is cancelled, then notwithstanding any thing contained in this Act, such person shall be liable to pay tax for the period commencing with the date of his registration and ending with the date of such order, as if he was a dealer; (7) Taxable Quantum-- (a) No dealer shall, except as otherwise provided under clause (e) of this sub-section, be liable to tax under sub-section (3), if, during the assessment year, the aggregate of his turnover of sales of all goods, whether such sale is made by the dealer directly or through his branch, depot or agent inside the State, or in the course of inter-State trade or commerce, or in the course of export out of the territory of India or by way of consignment outside the State, is less than the amount mentioned hereinafter -- (i) in the case of manufacturers or producers of any goods for sale - Rs 5 lacs (ii) in case of execution of works contract - Rs 5 lacs (iii) in case of transfer of right to use goods - Rs 5 lacs (iv) in case of dealers engaged in any other business - Rs 5 lacs Provided that the State Government may, by notification in the Gazette, fix a larger amount either in respect of all dealers in any goods or in respect of particular class of dealers; (b) Nothing in clause (a) shall apply in respect of-

		Uttarakhand, the turnover whereof is liable to tax under this Act, (ii) the sale by a dealer of-- (a) goods imported by him from outside Uttarakhand after furnishing to selling dealer a declaration under sub-section (4) of Section (8) of the Central Sales Tax Act, 1956, (b) goods purchased or imported by furnishing any declaration or certificate prescribed under any provision of this Act, (c) goods manufactured by him by using the goods referred to ill sub-clause (i) or sub-clause (ii);
		(c) Where the amount specified in, or notified under clause (a) is altered during an assessment year, the tax payable by a dealer under this Section shall be computed as follows:-- (i) on the turnover relating to the period prior to such alteration, as though the amount specified in or notified under clause (a) had not been altered, and (ii) on the remainder, as though the altered amount has been in force on all material dates; (d) Where tax is payable, and has been so paid, by a commission agent on any turnover on behalf of his principal, the principal shall not be liable to pay the tax in respect of the same turnover; (e) (i) Every dealer commencing business during the course of an assessment year shall be liable to pay tax in that year with effect from the date immediately following the day on which the aggregate of his turnover from the date of commencement of his business for the first time exceeds the proportionate amount of taxable quantum; (ii) Every dealer discontinuing business during the course of an assessment year shall be liable to pay tax up to that date if the aggregate of his turnover for the period from the first day of the commencement of the assessment year to the date of discontinuance of his business exceeds the amount of taxable quantum proportionately. Explanation:- The dissolution of a firm or association of persons or partition of a Joint Hindu Family or transfer by a dealer of his business shall be deemed to be discontinuance of business within the meaning of this sub-section. (8) For the purpose of calculating the gross turnover to determine the liability to pay tax under the Act-- (a) except as otherwise expressly provided, the turnover of all sales (whether taxable or not) and as the case may be, the turnover of all purchases on which tax is payable under the provisions of sub-section (10) of this section shall be included; (b) the turnover shall include all sales and such purchases made by the dealer in his account and also on behalf of principals whether disclosed or not; (9) Taxable Turnover - (a) The tax payable by a dealer liable to pay tax under sub-section (3) of section 3 shall be levied on his taxable turnover of sales;

		(ii) sales of goods which are shown to the satisfaction of the assessing authority to have taken place-- (A) in the course of inter -State trade or commerce, or (B) out side the State of Uttarakhand other than by way of sale, or (C) in the course of export of the goods out of the territory of India; Explanation:- Section 3, Section 4 and Section 5 of the Central Sales Tax Act, 1956 shall apply for determining whether or not a particular sale or purchase has taken place in the manner indicated in sub-clause (i).sub-clause (ii) or sub-
		(c) in case of turnover of sales in relation to works contract certain deductions as may be prescribed and subject to such conditions and restrictions as may be imposed; (d) such other sales as may be prescribed and subject to such conditions and restrictions as may be imposed; (10) Tax on Purchases in certain circumstances Every dealer who in the course of this business purchases any goods-- (a) from a registered dealer in the circumstances in which no tax under this Act is payable by that registered dealer on the sale price of such goods; or (b) from a person other than a registered dealer and tax on sale of such goods can not be levied on the seller either in view of any provision of this Act or because the selling dealer though liable to pay tax has not obtained registration; he shall be liable to pay tax on purchase price of such goods if-- (i) goods are not sold within the State of Uttarakhand, or in the course of inter- State trade or commerce or in the course of export out of the territory of India; or (ii) goods are consumed or used in the manufacture of goods exempt from tax under this Act; or (iii) goods are used or consumed in the manufacture of goods and such manufactured goods are disposed of otherwise than by way of sale in the State of Uttarakhand or in the course of inter -State trade or commerce or in the course of export out of the territory of India; or (iv) goods are used or consumed otherwise, and such tax shall be levied at the same rate at which it would have been levied under this Act on the sale of such goods within the State on the date of such purchases: Provided that if the goods- are purchased through a Commission
[Levy of Additional Tax	3-A	(1)Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act but subject to the provisions of sub-section (2), every dealer liable to pay tax under this Act shall be liable to pay in addition to the tax payable under any other provision of this Act, an additional tax on the taxable turnover of sale or purchase of goods or both at such rate not exceeding five percent, as may be specified by the State Government by notification in the gazette, Different rates may be specified in respect of different goods or different

		(2) No additional tax under sub-section (2) shall be levied and paid on – (a) the turnover of sale or purchase or both as the case may be, of goods specified in Schedule-I, II(A), II(C) and III; (b) turnover of sale or purchase or both as the case may be, of goods declared to be specified importance in the inter-State trade or commerce under section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956.
--	--	---

(c) such sale or purchase, or sale or purchase of such goods by such class of dealer, as may be specified in the notification issued by the State Government under section 4(6).

(3) The amount paid under sub-section (1) shall be eligible for input tax credit in accordance with the provisions of section 6.

(4) Any dealer who avails the facility of composition of tax under section 7 (2) shall also be eligible for availing the facility of composition with respect to additional tax.

(5) The additional tax leviable under this section shall cease to be levied after a period of five years from the date of publication of the notification issued by the State Government under sub-section (1).]

Rate of Tax 4. (1) The tax payable by a dealer under this Act shall be levied on his taxable turnover at such rates as may be prescribed in Schedules under sub-section (2), but not exceeding---

- (a) the maximum rate for the time being specified in section 15 of Central Sales Tax Act, 1956 in respect of declared goods, and
- (b) fifty percent in respect of goods other than the goods referred to in clause (a) above:

Provided that in case of transfer of the right to use any goods, the rate of tax shall not exceed twenty percent in respect of goods other than the goods referred to in clause (a) above.

(2) (a) No tax under this Act shall be payable on the sale or purchase of the goods specified in Schedule-I;

(b) Subject to the provisions of section 3, a dealer shall be liable to pay tax on his taxable turnover--

(i) At every point of sale at the rate hereafter provided:

- (a) In respect of goods specified in Schedule II (A) - 1 percent
- (b) In respect of goods specified in Schedule II (B) - 4 percent
- (c) In respect of goods specified in Schedule II (C) - at the rate specified therein
- (d) In respect of goods other than those included in any of the Schedules --12.5 percent;

(ii) At the point of sale by Manufacturer or sale by at the specified Importer in respect of Special Category Goods therein specified in Schedule III

(c) Sale of goods to or by the dealer or persons specified in Schedule IV shall be exempt from whole or any part of tax, as may be specified therein;

(d) A sale in the course of export of goods outside the territory of India as specified under sub-section (1) and sub-section(3) of section 5 of

the Central Sales Tax Act, 1956 shall be Zero -Rated which means that there shall be no tax on the sale turnover of such transaction and the exporter shall be entitled to refund of tax paid by him on purchase of goods which are so exported:

Provided that units established in Special Economic Zones (SEZ), shall be entitled to claim refund of tax paid on purchase from units established in Domestic Tariff Area.

1. Added by section 3 of Uttarakhand Act No. 11 of 2010.

(e) Any person or a dealer or an international organization listed in Schedule V shall be entitled to refund of tax paid by it on the purchase of taxable goods.

(f) Where the State Government is satisfied that it is expedient in public interest so to do, it may, by notification and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a rebate up to full amount of the tax payable on sale or purchase of any goods where tax on sale or purchase of such goods is leviable under any other State Act and if it is proved that the turnover of sales and/ or of purchases have been disclosed before the authority competent to levy tax under that Act;

[(g) In case of sale of used capital goods, purchased within one year prior to the date of the commencement of this Act, or, as the case may be, from the date of registration under this Act, and on the purchase of which no tax has been paid in the State under this Act or under the repealed Act at the time of purchase, the tax shall be payable at the rates as per the Schedules :

Provided that in case tax has been paid in the State under this Act or the repealed Act at the time of purchase and no Input Tax Credit in respect thereof has been claimed, no tax shall be payable on such sale.]¹

(3) (a) When goods are sold or purchased in containers or packed in any packing material, the rate of tax applicable to such containers or packing material, as the case may be, shall, whether the price of container or packing material is charged separately or not, be the same as those applicable to the goods contained or packed and turnover in respect of container and packing material shall be included in the turnover of such goods.

(b) Where the sale of goods contained in container or packed in packing material is exempt from tax, then the sale of such container or packing material shall also be exempted from tax;

[(c) the rate of tax on such parts, spares and accessories, which are not classified elsewhere in the Principal Act, shall be same as applicable to that commodity under said Act.]²

(4) The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare different rates in respect of different goods, or add or remove any schedule (s), or add to, amend or alter any Schedule of this Act,

(5) Every dealer shall pay a tax on the net turnover, determined in the prescribed manner, in respect of-

(a) transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) [at the rate of five percent]³; and

- (b) transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract at such rates as are provided under sub-section (2) above:

Provided that where any goods purchased are involved in execution of works contract and tax has been paid or is payable within the State in accordance with the provisions under Section 3 at the rate prescribed under sub-section (2) of Section 4, on any earlier sale or purchase of such goods, the purchase price of such goods shall be deducted from the total turnover under a works contract:

1. Added by section 4 (a) of Uttarakhand Act No. 05 of 2008.
2. Added by section 4 of Uttarakhand Act No. 11 of 2010.
3. Sub. by section 2 (1) of Uttarakhand Act n0. 11 of 2015.

Provided further that the State Government may, by notification in the Gazette, declare different rates for different goods or for different class of dealers so as not to exceed the limits specified under sub-section (1) above.

(6) Rebate on tax on certain purchases and sales: --

- (a) Subject to such conditions as it may impose, the Government may, if it deems necessary so to do in the public interest, by notification in the Official Gazette, exempt the sale or purchase of any goods, or any sales or purchases made to or by a class of dealers or persons specified in the said notification from payment of the whole or any part of any tax payable under the provisions of this Act, and any notification issued under this section may be issued so as to be retrospective to any date not earlier than the date of commencement of this Act and such exemption shall take effect from the date of the publication of the notification in the Gazette or such other earlier or later date as may be mentioned therein;
- (b) Where any dealer or person has purchased any goods under a declaration or certificate given by him under any notification issued under this Section, and-
- (i) any of the conditions subject to which such exemption was granted; or
- (ii) any of the restrictions or the conditions of the declaration or the certificate, are not complied with for any reasons whatsoever, then without prejudice to the other provisions of this Act, such dealer or person shall be liable to pay tax on the sale price of the goods at the rate set out against each of such goods in the Schedule under Section 4 notwithstanding that such dealer or person was not liable to pay tax under any other provisions of this Act and accordingly the dealer or the person who has 'become liable to pay tax under this sub-section shall file a return including the sale price of such goods therein, and also pay the tax, in the prescribed manner. The tax due from any such dealer or person shall be assessed and recovered as if the person or dealer is a dealer liable to be proceeded against under the provisions of this Act.
- (c) If the assessing authority has reason to believe that any person or dealer is liable to pay tax under sub-section (2), the assessing authority, shall, after giving him reasonable opportunity of being heard, assess the amount of tax so due.

(7) Special relief to certain manufacturers:

- (a) Notwithstanding anything contained in Section 3 and or this Section where any goods liable to tax under this Act are sold by a dealer to another dealer and such other dealer furnishes to the selling dealer in prescribed form and manner a certificate to the effect that he holds a Recognition Certificate issued under clause (b) in respect thereof, the selling dealer shall be liable in respect of those goods to tax [at the rate of 3%]¹ subject to the conditions and restrictions as may be notified by the State Government in the Gazette in that behalf :

Provided that where such goods are exempt from tax or subject to tax at a rate which is lower than [at the rate of 3%]² then the tax shall be nil or, as the case may be, shall be calculated at the lower rate.

1. Substituted by section 5 (i) of Uttarakhand Act No. 11 of 2010. 2. Subs. by section 2(2) of Uttarakhand Act no. 11 of 2015.

Explanation:- For the purpose of this sub-section the conditions and restrictions that may be specified for the grant of concession in respect of, or exemption from tax, may include the requirement that the notified goods referred to in clause(b) shall be manufactured in a manufacturing unit covered under Section 4-A of the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act,1948) Adaptation and Modification Order, 2002, which goes into production after such date, whether before or after the date of the notification under this sub-section , and within such period as may be specified.

- (b) [Where a dealer requires any goods, referred to in clause (a) for use by him for the manufacture of any taxable goods in the State]¹ or in the packing of such goods manufactured or processed by him, and such goods are intended to be sold by him in the State or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of India, he may apply to the Assessing Authority in such form and manner and within such period as may be prescribed, for the grant of a Recognition Certificate in respect thereof, and if the applicant satisfies such requirements including requirement of depositing late fee and conditions as may be prescribed, the Assessing Authority shall grant to him in respect of such goods a Recognition Certificate in such form and subject to such conditions, as may be prescribed:

Provided that every dealer who held a Recognition certificate under Section 4-B of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Trade Tax Act,1948) Adaptation and Modification Order, 2002 and the same has neither been cancelled by the Assessing Authority nor such dealer has discontinued business till the date of commencement of this Act, he shall, subject to the provisions of this sub- section, be deemed to be a Recognition certificate holder under this Act with effect from the date of commencement of this Act and if such a dealer is not desirous of continuing to be a Recognition certificate holder under this Act, he shall submit an application to the Assessing Authority to this effect within 30 days of the commencement of this Act.

Explanation:- For the purposes of this sub-section the "goods" required for use in the manufacture shall mean Capital Goods and raw materials, processing materials, consumable stores, spare parts, accessories, components, sub-assemblies, fuels or lubricants; and in the packing of such manufactured goods.

(c) (i) Where the assessing authority is satisfied that the dealer in whose favour a Recognition Certificate in respect of any goods was granted under clause(b)-

(aa) has discontinued the business or the manufacturing of goods in respect where of the Recognition Certificate was granted; or

(ab) has made a breach of any condition of the Recognition Certificate; or

(ac) has failed to, furnish the security, if any, required under Section 20; or

(ad) has failed to pay any tax, penalty or other dues payable under this Act within a period of three months from the date when such tax, penalty or other dues became payable; such authority may, either of its own motion or on the application of the dealer, cancel the Recognition Certificate with effect from such date as it may specify.

1-Substituted by section 4 (d) of Uttarakhand Act No. 05 of 2008.

Explanation :- The dissolution or reconstitution of a firm, association of persons or partition a joint Hindu family or transfer by a dealer of his business shall be deemed to be discontinuance of business within the meaning of this clause.

(ii) The assessing authority may amend a Recognition Certificate granted under clause (b) either of its own motion or on the application of the dealer where the dealer has changed the name or place of his business or has closed down any branch or opened a branch, or for any other sufficient reason:

Provided that no Recognition Certificate shall be cancelled or amended by the Assessing Authority of its own motion except after reasonable opportunity of being heard has been given to the dealer.

[(d) Where a dealer in whose favour a Recognition Certificate has been granted under clause(b) has purchased the goods after payment of tax at concessional rate or, as the case may be, without payment of tax under this sub-section and has used such goods for a purpose other than that for which the Recognition Certificate was granted or has otherwise disposed of the said goods, such dealer shall be liable to pay as penalty such amount as the Assessing Authority may fix which shall not be less than one and half times the difference between the amount of tax on the sale or purchase of such goods payable under this sub-section and the amount of tax payable under any other provisions of this Act, but not exceeding twice the amount of such difference.]

¹[(e) Where a dealer, in whose favour a Recognition Certificate has been granted under clause (b) has purchased any goods including raw material, processing material or packing material and consumables after payment of tax at concessional rate or, as the case may be, without payment of tax under this section, and

(i) the goods (as specified in schedule III) manufactured or processed by using or utilizing such goods; or

(ii) the goods (as specified in schedule III) so manufactured or processed, after being packed with such packing material;

are sold or disposed of otherwise than by way of sale in the State or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the Territory of India, such dealer shall be liable to pay, an amount equal to one and half times of the difference between the amount of tax calculated on the sale or purchase value of such goods at the general rate of tax provided in the schedules under this Act in respect of such goods and the amount of tax, at the concessional

rate of tax under this section, on the sale or purchase such goods.

Such amount shall be due for the period in which such transaction of such manufactured or processed goods is made and be payable within the time limit, as prescribed for depositing the tax due for such period as is applicable in the case of such dealer.

Explanation: For determining whether a sale or purchase in the course of inter-State trade or commerce, within the State, or in the course of export out of India, the provisions of Section 3,4 and 5 of the Central Sales Tax Act, 1956, shall respectively apply]¹

(f) For determining whether a sale or purchase in the course of inter-state trade or commerce, within the State, or in the course of export out of India, the provisions of Section 3, Section 4 and Section 5 of the Central Sales Tax Act, 1956, shall respectively apply;

1. Substituted by section 2 (4) of Uttarakhand Act No. 11 of 2015.
2. Substituted by section 2(3) of Uttarakhand Act no11 of 2015.

		(g) No penalty under this section shall be imposed unless the dealer has been given a reasonable opportunity of being heard. (h) No penalty under Section of shall be imposed in respect of the same facts on which a penalty has been imposed under this Section. (8) Specified Goods on which Tax shall be payable at M.R.P. (a) Where the State Government is satisfied that it is expedient in public interest so to do, it may, by notification and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, direct any class or category of dealers to pay, on sale of such goods as may be specified in the notification, in lieu of tax payable at the actual sale price, a tax at the rate specified in the respective Schedule on the Maximum Retail Price (M.R.P.). (b) A dealer paying tax at M.R.P. under clause (a) above, shall, in addition to mentioning in the Sale Invoice, the actual sale price, separately indicate in the sale invoice the M.R.P. on which tax has been charged and also print on the top "INVOICE FOR TAX ON M.R.P." (c) Any dealer purchasing goods on which tax has been paid on M.R.P., shall neither be entitled to Input Tax Credit on such purchases nor shall be liable to pay tax on sale on such goods. (d) Where the State Government is of the opinion that it is no longer in the public interest to continue any scheme under the above provisions, it may, by notification, at any time withdraw any such scheme, and thereafter the tax shall be payable under the relevant provisions of the Act. Explanation:- The expression M.R.P. (Maximum Retail Price) means the price printed on label or packet of the goods or the regulated price of the goods, if any. (9) Every notification made under this Section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly while it is in session, for a total period of not less than fourteen days, extending in its one session or more ~~than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed~~ except that any imposition, assessment, levy or collection of tax or penalty shall be subject to the said notification or annulment.
		(10) Notwithstanding anything contained in this Section, the State Government may grant moratorium for payment of the admitted tax in case of industrial units under the provisions of Section 76 of this Act.
[Levy of tax by weight volume, measurement or unit on certain goods]	4-A	Notwithstanding anything contained in Section 3 and Section 4, the State Government may, by notification, fix the amount of tax payable on the sale or purchase of certain goods or a class of goods in respect of a specified area or whole of the State, on the basis of weight, volume, measurement or unit, and subject to such terms and condition as may be notified.]¹

1-Added by section 3 of Uttarakhand Act No. 09 of 2012.

Net Tax Payable	5. (1) The net tax payable by a taxable person for a tax period shall be determined by the formula: Net tax payable = (A+B)-C Where "A" is Output Tax being the total of the tax payable as per sub-section (2) below: and "B" is Tax on Purchases for the said tax period under the provisions of sub-section (10) of Section 3: and "C" is Input Tax being the total of the tax paid as per sub-section (3) below and subject to the provisions of Section 6. (2) Output Tax- (a) Output tax in relation to a registered dealer means the tax charged or chargeable under this Act in respect of any sale or supply of taxable goods made by the dealer in the course of his business and includes tax paid by a commission agent in respect of sale of taxable goods made on behalf of such dealer; (b) Subject to the provisions of Section 6, a dealer shall be liable to pay the output tax under this Act leviable on the taxable turnover at the rate and subject to such conditions as may be prescribed from time to time. (3) Input Tax- Subject to the provisions of Sections, Input tax in relation to any registered dealer means the tax paid or payable under this Act by the dealer to another registered dealer on the purchase of any taxable goods other than Special Category Goods, in the course of business for resale or for use in manufacturing or processing of such taxable goods for sale or for use as container or packing materials for packing of such manufactured goods. (4) The net tax payable by a dealer liable to pay tax but not registered under this Act for a tax period shall be equal to the output tax and tax on purchases, if any, payable for the said period. (5) Every taxable person shall pay in full the tax payable by him for the tax period at the time that person is required to file his return pursuant to sub-section (1) of Section 23.
-----------------	---

Input Tax Credit 6. (1) Input Tax Credit shall be allowed only to a registered dealer, and for the purpose of calculating the net tax payable by a registered dealer for any tax period after being registered, an input tax credit as determined under the provisions of this Act shall be allowed to such registered dealer for the tax paid or payable in respect of all taxable sales other than sale of goods specified in Schedule in or any other sales as may be prescribed:

Provided that no input tax credit shall be allowed in respect of the taxable purchases on which the tax is paid or payable under sub-section(10) of Section 3 :

Provided further that notwithstanding anything contained in sub-section (1) or its proviso above, input tax credit in respect of purchases on which tax is paid or payable under sub-section (10) of Section3, shall be allowed in the following circumstances:--

or
respect of

[Provided further that, in no case the amount of input tax credit refund on any purchase of goods shall exceed the amount of tax, in the same goods actually paid under this act or any earlier law, into the Government treasury;]¹

(a)purchase from a person who sells agriculture or horticulture produce grown by him or grown on any land in which he has an interest

whether as a owner, usufructuary mortgagee, tenant or otherwise, or who sells poultry or dairy products from fowls or animals kept by him, and such persons are, in respect of such goods, not treated as a dealer under the provisions of sub- section (11) of Section 2 of this Act; or

(b) purchase of any goods as may be notified by the State Government for this purpose, subject to such conditions and restrictions as may be specified in said notification.

(2) The input tax credit to which the registered dealer is entitled shall be the amount of tax paid by the registered dealer to the seller, on his turnover of purchases made during the tax period, intended to be used for the purposes and subject to the conditions as specified in this Section and calculated in such manner as may be prescribed.

(3) Input tax credit shall be allowed for the goods purchased within the State of Uttarakhand, from a registered dealer holding a valid certificate of registration under Section 15 or Section 16, for the purpose of- ,

(a) sale in Uttaranchal; or

(b) sale in the course of inter-state trade and commerce; or

(c) sale in the course of export out of the territory of India; or

(d) use as raw material in manufacturing or processing of goods (other than those specified in Schedule I or Schedule III) and containers or other packing materials used for packing of such manufactured goods, for sale or resale within the State or in the course of inter - state trade or commerce;

(e) use as raw material in manufacturing or processing of any goods (other than those specified in Schedule III) and containers and other packing materials used for packing of such manufactured goods, for sale in the course of export of goods out of the territory of India:

[Provided that with reference to clause (d) above, in case such manufactured goods are dispatched outside the State other than by way of sale, a partial amount of input tax credit shall be allowed in respect of tax paid in excess of 3 percent on the raw materials used directly in the

manufacture of such goods :]²

Provided further that partial input tax credit shall be allowed in respect of tax paid in excess of four percent on petroleum products used as fuel (other than Petrol. Aviation Turbine Fuel, Natural Gas and Diesel) and other fuels used in production of taxable goods or captive power, but excluding fuel when used as fuel in motor vehicles.

1- Added by section 3 (1) of Uttarakhand Act no 11 of 2015.

2- Substituted by section 3(2) of Uttarakhand Act no 11 of 2015.

(4) (a) Where during a tax period a registered person purchasing goods (other than Capital goods) on which an input tax credit is admissible under the provisions of this Section, and the purchases are used partially for various purposes specified in sub-section (3), input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified therein, and such different purposes include-

- (i) sales consisting of sale of taxable goods and sale of goods exempted from tax, or
 - (ii) sales out side the State consisting of sale of goods and dispatches of goods in the form of consignment or stock transfer to other States, or
 - (iii) inputs being used in the course of business and inputs being used for any other purposes;
- (b) Amount of input tax credit in respect of purchases of a particular commodity during the tax period shall be the aggregate of all amounts of input tax credit computed in respect of each purpose the commodity purchased is utilized. The total amount of input tax credit shall be the aggregate of input tax credit for all commodities;
- (c) The method that is used by a person to determine the extent to which goods are sold or supplied, or used or consumed in the manufacturing of goods, or intended to be sold or supplied, or used or consumed in the manufacturing of the goods, for different purposes, should be in an intelligible form and fair and reasonable in the circumstances:

Provided that the State Government may, from time to time, frame rules consistent with the provisions of this Act for computation of input tax and when such rules are framed, no input tax shall be computed except in accordance with such rules.

- (5) For the purpose of calculating the net tax payable by a registered person for his first tax period after commencement of this Act or his becoming registered, as the case may be, an input tax credit as determined under this Section shall be allowed, subject to the following conditions, to the registered person for the tax paid or payable in respect of stock in hand of all taxable goods (excluding capital goods) purchased by the person prior to the commencement of this Act, or, as the case may be, the person becoming registered--

- (a) goods were purchased by a registered dealer for use in his business,
- (b) goods were purchased not more than one year prior to the date of commencement of this Act or, as the case may be, the date of registration, and goods are in hand on such date,

1.Substituted by section 5 (a) of Uttarakhand Act No. 05 of 2008. 2.Substituted by section 6 (i) of Uttarakhand Act No. 11 of 2010.

- (c) goods, if purchased before the commencement of this Act, have suffered tax under Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 and are also taxable under this Act, .
 - (d) input tax credit shall be the actual rate of tax paid on purchase of such goods or the rate as applicable under this Act, whichever is lower.
- (6) An input tax credit shall be claimed by a registered dealer in the following manner:--

- (a) In respect of goods held in the opening stock (excluding Capital Goods) on the date of commencement of this Act, or on the date the dealer applies for grant of registration, input tax credit shall be claimed in six equal monthly installments in returns for the tax periods covering period of six months starting [after expiry of six

months]¹ from the month in which the date of commencement of this Act or, as the case may be, the date of presentation of application for registration falls;

- [(b) In respect of purchase of Capital Goods up to the date of commencement of commercial production, a manufacturer shall be eligible to claim the input tax credit, in two equal yearly installments following the year in which the date of first sale of such taxable goods falls. In case of purchase of Capital Goods after the date of commencement of commercial production, the total of such input tax credit for a financial year shall be claimed in two equal yearly instalments commencing from the next financial year. The yearly instalments shall be claimed in the return for the period ending September or in the return of any of the subsequent tax periods in each of the two years:

Provided that the amount of input tax credit in case of goods sold in the course of export out of the territory of India shall be claimed by the dealer in one yearly instalment instead of two yearly instalments as above.]²

- (c) In other cases input tax credit shall be claimed in the return of the tax period in which purchase of goods to which such input tax credit relates, have been made.

- (7) (a) No input tax credit shall be allowed on purchase of Capital Goods when-

- (i) goods are not connected with the business of the dealer; or
- (ii) goods purchased from an un-registered dealer or a dealer whose Certificate of Registration has been cancelled; or

- (iii) goods purchased from outside the State; or

1.Substituted by section 5 (c) of Uttarakhand Act No. 05 of 2008. 2.Substituted by section 5 (d) ibid.

- (iv) goods are purchased or paid for prior to the date of commencement of this Act or the date of registration under this Act; or

- (v) goods are used in manufacturing or processing of goods exempt from tax or Special Category Goods specified in schedule III, or providing services or trading activities which are not liable to tax under this Act; or

- (vi) goods are used for lease under an agreement of transfer of right to use goods (whether for a specified period or not) for any purpose; or

- (vii) goods are used in connection with transfer of property in goods involved in the execution of works contract; or

- (viii) goods on which tax being payable under this Act or under the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 has not been paid on any earlier sale or purchase of such goods; or

- (ix) goods are used in generation of energy/power including captive power; or

- (x) goods have been already used, or acquired for use in any other factory or workshop in India;

- [(xi) goods purchased from a registered dealer who has given an option to pay Presumptive Tax at a percentage of turnover of sales under sub-section (1) of section 7 or a lump sum amount in lieu of tax on sale and/or purchase of such goods by way of composition under sub-section (2) of section 7.]¹

Explanation:- The Government may, by notification, declare any Capital Goods which shall not be deemed, for purpose of this Section, to be included in plant, machinery and equipment above.

- (b) No input tax credit shall be allowed on the capital or other expenditure on land, civil structure or construction, and motor car, accessories or spare parts.
- (c) In case of closure of business before the period specified above, no further input credit shall be allowed and input tax credit carried forward, if any, shall be forfeited;
- (8) No input tax credit shall be allowed on purchase of goods, other than the Capital Goods, when-

- (a) goods not connected with the business of the dealer; or
- (b) goods purchased from an un-registered dealer or a dealer whose Certificate of Registration has been cancelled; or

1. Substituted by section 5 (e) of Uttarakhand Act No. 05 of 2008.

- (c) goods purchased from outside the State; or
- (d) goods the sale of which is exempted under this Act or the goods used in manufacture, processing or packing of such goods; or
- (e) goods whether goods as such or constituents of finished or semi finished goods which remain unsold in stock at the time of closure of business due to discontinuance by the dealer or cancellation of his registration or his being declared non-taxable under the provisions of this Act; or
- (f) goods transferred outside the State, otherwise than by way of sale; or ;.
- (g) in respect of raw material used in manufacture or processing of goods where the finished products are dispatched outside the State other than by way of sales; or
- (h) goods purchased from a registered dealer who has given an option to pay Presumptive tax at a percentage of turnover of sales under sub-section (1) of Section 7 and a lump sum amount in lieu of tax on sale and, or purchase of such goods by way of composition under sub-section(2) of Section 7; or
- (i) goods that are stolen or lost or destroyed or disposed of in any manner other than in ordinary course of business or goods distributed by way of free sample or gift; or
- (j) goods leased under an agreement of transfer of right to use any goods (whether for a specified period or not) for any purpose; or
- (k) goods sold by way of transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract, or
- (l) goods on which tax being payable under this Act or under the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation

and Modification Order, 2002 has not been paid on any earlier sale or purchase of such goods; or

[(m) Special Category Goods specified in Schedule-III or the goods except molasses used in manufacture, processing or packing of such goods; or]¹

(n) goods are used in generation of energy/power including captive power :

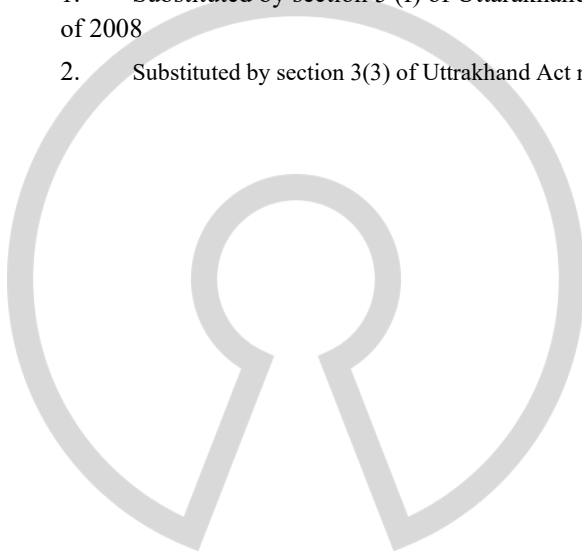
[Provided that in respect of transactions falling under (item g) a partial amount of input tax credit shall be allowed in respect of tax paid in excess of 3 percent on materials used directly in the manufacture of goods:]²

Provided further that if input tax credit on purchase of goods in the circumstances referred to in [item (g)]² above, has been claimed by a dealer, the same shall stand reversed.

(9) (a) Input tax credit shall not be claimed by a dealer where the Sale Invoice from the registered dealer selling the goods evidencing the input tax paid is-

(i) not available with the dealer in original or its duplicate copy as per the provisions under Section 60 ; or

1. Substituted by section 5 (f) of Uttarakhand Act No. 05 of 2008
2. Substituted by section 3(3) of Uttarakhand Act no 11 of 2015.



		(ii) the assessing authority has reason to believe that the original Sale invoice hall not been issued by the selling dealer from whom the goods are purported to have been purchased; (b) Where a taxable person does not have an original Sale invoice or a duplicate copy thereof, evidencing the input tax period, Assessing Authority may after recording the reasons in writing allow an input tax credit in the tax period in which the credit arises where the assessing Authority is satisfied- (i) that the taxable person took all the reasonable steps to obtain a Sale invoice; (ii) that the failure to obtain Sale invoice was not due to any fault of the taxable person; and (iii) the amount of input tax claimed by the taxable person is correct; (10) If the input tax credit of a registered dealer, for a tax period exceeds the tax liability for that period, the excess amount shall be adjusted against the tax liability, if any, under the Central Sales Tax Act, 1956, for the same tax period and the balance shall be credited against any outstanding tax, penalty or interest under this Act or under the Central Sales Tax Act, 19,56 and only the remaining amount shall be carried forward by the dealer to succeeding tax periods and the amount shall be deemed to be an input tax credit for that period: Provided that if any amount is refundable 'to a dealer on account of sale of goods in the course of export, he shall, after the end of every quarter of a year, be entitled, to the refund of excess amount as per the provisions of Section 37 of this Act. (11) Every dealer liable to file returns under Section 23 shall, after the end of the assessment year, file, within 90 days, a statement showing his admitted tax liability and the amount of input tax credit for the assessment year after calculating the adjustments, if any, made between different tax periods during the relevant assessment year and also the amount if any, adjusted towards outstanding tax, penalty and interest dues. (12) If any amount is claimed by the dealer to his credit in excess after adjustments as per sub- section (11) above, he may adjust such excess amount in subsequent year in returns of different tax periods. (13) Notwithstanding any thing contained in sub-section (10), sub-section (11) or sub-section (12), the assessing authority shall determine the amount of input tax credit paid by the dealer in excess of his tax liability at the time of final assessment for the relevant assessment year under Section 25 or Section 26, and if any amount is found refundable, the same shall be refunded or adjusted under the provisions of Section 36: Provided that if the assessment for a financial year is not completed within a
		(a) Adjustments as provided under this Section shall be made in relation to taxable sales by a person, when-

		(i) the rate of tax charged to that sale is different from the rate of tax as applicable under the provisions of this Act; or (ii) the sale amount is altered whether due to the offer of discount allowed as a normal trade practice or for any other reason; or (iii) the goods or part of the goods sold have been returned to the seller within 6 months from the date of sale; and the seller has, as a result of the occurrence of one or more of the events described in sub-clauses (i) to (iii) in clause (a) above- (A) issued a Sale invoice in relation to that sale and the amount shown therein as tax charged on that sale is incorrect in relation to the amount properly chargeable on that sale; or (B) filed a return for the tax period in which the sale occurred and had accounted for an incorrect amount of output tax on that sale in relation to the amount properly chargeable on that sale; (b) Where a seller has accounted for an incorrect amount of output tax as contemplated in clause (a), that seller shall make an adjustment in calculating the tax payable by that seller in the return for the tax period during which it has become apparent that the output tax is incorrect, and if- (i) the output tax properly chargeable in relation to that sale exceeds the output tax actually accounted for by the seller, the amount of that excess shall be deemed to be tax charged by that seller in relation to a taxable sale attributable to the tax period in which the adjustment is to be made, and shall not be attributable to any prior tax period; or (ii) the output tax actually accounted for exceeds the output tax properly chargeable in relation to that sale, that seller shall reduce the amount of output tax attributable to the said tax period in terms of Section 4 by the amount of that excess: (c) The credit allowed under sub-clause (i) of clause (b) above is treated as a credit for input tax; (d) No credit shall be allowed under (b) (i) clause above where (i) the excess tax has been borne by the purchaser of the goods, (ii) the sale has been made to 'a person who is not a registered person, (iii) unless the amount of the excess tax has been repaid by the taxable

		(15) Credit notes and Debit notes-

		(a) Where a Sale invoice has been issued and the amount shown as tax charged in the Sale invoice exceeds the tax payable under this Act in respect of that sale, the registered dealer making the sale shall provide the purchaser with a credit note to this effect. (b) Where the Sale invoice has been issued and the tax payable under this Act in respect of the sales exceeds the amount of tax charged in that Sale invoice the registered dealer making the sale shall provide the purchaser with a debit note to this effect. (c) In case of goods returned or rejected by the purchaser, a credit note to this effect shall be issued by the selling dealer to the purchaser and a debit note will be issued by the purchaser to the selling dealer. (16) Reverse tax credit: If goods purchased for use specified under sub-section (3) are subsequently used, fully or partly, for purposes other than those specified under the said sub-section, the input tax credit there on shall be calculated and be reduced from the tax credit for the tax period during which the said utilization otherwise has taken place: Provided that if part of purchased goods are utilized otherwise, the amount of reverse tax credit shall be proportionately calculated; (17) Net Input Tax Credit: The net input tax credit to which a registered dealer is entitled shall be determined by the formula: $\text{Net Input Tax Credit} = A+B-C$ Where A = the amount of input tax credit the dealer is entitled to under sub-section (2). B = tax credit as determined under sub-section (10) and sub-section (14) of this Section. C = reverse tax credit as determined under sub-section (16) of this Section. [(18) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, where goods purchased or resold or goods manufactured or processed by using or utilizing such purchased goods are sold at a price which is lower than; (i) the purchase price of such goods in case of resale; or
--	--	---

1.Added by section 3(4) of Uttrakhand Act no11 of 2015.

Composition Schemes	7.	[(1) Levy of Presumptive Tax for registered retailers:- All registered retailers, whose gross turnover of sales within the State, excluding the sale of goods specified in Schedule II (c) and Schedule III , and the goods specified in Schedule-I on which additional excise duty is leviable under Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 in
---------------------	----	--

	such turnover, for the assessment year preceding such assessment year has exceeded fifty lakh rupees, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, shall pay, in lieu of the tax under the provisions of this Act, a tax on the entire turnover of such sales excluding sale of goods specified above at the rate of 1 % on such turnover. Such dealer shall not be entitled to charge or collect any tax on such sales and shall not be entitled to any input tax credit on his purchases: Provided that this sub-section shall not apply to such registered retailer, who is an importer or manufacturer and imports goods within the territory of India or exports the goods outside the territory or transfers right of ownership of property (whether goods or in some other form) involved in execution of work contracts or in case of transfer of the right to use goods for any purpose (whether or not for a specified period : Provided further that if a registered retailer does not exercise option to pay tax as per the provisions of this sub-section, he shall be liable to pay tax as per the provisions of Section 3 of this Act. Explanation:- Where a dealer has exercised the option to pay tax under this sub-
--	---

1-Substituted by section 2 of Uttarakhand Act No. 10 of 2008.

(2) Payment of money in lump sum in lieu of tax:

- (a) Notwithstanding anything contained in this Act, but subject to the directions of the State Government, the assessing authority may agree to accept a composition money either in lump sum or at an agreed rate on his turnover in lieu of tax that may be payable by a dealer in respect of such goods or class of goods and for such period as may be agreed upon and such dealer shall not realize from any person any amount in lieu of composition money by giving it a different name, or colour, by way of tax on sale of goods and no input tax credit shall be allowed on his purchases:

Provided that this Section shall not apply to a registered dealer who imports goods inside or exports goods outside the territory of India;

- (b) Where a composition money for a period has been accepted in respect of a single commodity any change in the rate of tax which may come into force after the date of such agreement shall have the effect of making a proportionate change in the lump sum or the rate agreed upon in relation to that part of the assessment during which the changed rate remains in force;
- (c) Where the State Government is of the opinion that it is no longer in the public interest to continue any scheme of composition of tax liability, it may at any time during the period, withdraw such scheme and in that case if a lump sum amount of composition money has been fixed, a pari. of it in proportion to the part of the period during which the scheme remained in force shall be payable by the dealer.

Explanation:- For the purpose of this Section the dealer includes-

- (i) a dealer who makes sale of goods by way of transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in a works contract, or
- (ii) a dealer who makes sale of goods by way of transfer of right to use of any goods (whether or not for a fixed period) for any purpose.

- Liability of a Proprietary business by person on
8. (1) Where a dealer dies, his executor, administrator or other legal representative shall be deemed to be the dealer for the purposes of this Act and the provisions of this Act shall apply to him in respect of the business of the said deceased dealer.
- (2) If the business carried on by the dealer is continued after his death by his legal representative or any other person, such representative or person shall be liable to pay tax including any penalty and interest due from such dealer under this Act or any earlier law, in the like manner and to the same extent as the deceased dealer, whether such tax including penalty and interest has been assessed before his death, but has remained unpaid or is assessed after his death;
- (3) If the business carried on by the dealer is discontinued whether before or after his death his legal representative shall be liable to pay in the like manner and to the same extent as the deceased dealer would have been liable to pay if he had not died, the tax including any penalty and interest due from such dealer under this Act or under any earlier law.
- (4) Where a dealer liable to pay tax under this Act, is succeeded in the any other person in the manner described in sub-section (2) then such shall be liable to pay tax on the sales or purchases of goods made by him or after the date of such succession and shall (unless he already holds a certificate of registration) within 60 days thereof apply for registration : -----
-
- other the
- (5) In respect of any liability of the deceased, his executor, administrator or representative shall however be liable only to the extent of the assets of deceased in his hand;
- (6) Any proceedings under this Act, including the proceedings for recovery, may be continued from the stage at which it was pending at the time of the death of the dealer;
- (7) The provisions of sub-section (1) and sub-section (2) shall mutatis mutandis apply to a dealer being a partnership firm, which may stand dissolved in consequence of the death of any partner.
- Liability in 9. of a Firm
- (1) Notwithstanding any thing contained in the Indian Partnership Act, 1932 or any contract to the contrary, where any firm is liable to pay tax including penalty and interest under this Act, the firm and each of the partners of the firm shall be jointly and severally liable to pay tax including penalty and interest and accordingly any notice or order under this Act may be served on any person who was a partner during the relevant-time whether or not the firm has been dissolved and all the provisions of this Act shall apply accordingly;
- (2) Where any such partner retires from the firm he shall be liable to pay the tax, penalty and interest remaining unpaid at the time of his retirement and any such amount due up to the date of retirement though un-assessed at that date.
- (3) Where any such partner retires from the firm, he shall intimate the date of his retirement to the assessing authority in writing and shall be liable to pay tax including any penalty or interest remaining unpaid at the time of his retirement and any such amount due up to the date of his retirement though un-assessed on that date. However if no such intimation is given within 30 days from the date of retirement, the liability of the partner shall continue until the date on which such intimation is received by the assessing authority.

(4) Where a dealer is a firm or association of persons or a Joint Hindu Family, and such firm, association or Family has discontinued business, -

- (a) tax including penalty, if any, payable under this Act by such firm, association or family up to the date of such discontinuance may be assessed and determined as if no such discontinuance had taken place: and
- (b) every person who was at the time of such discontinuance, partner of such firm, or a member of such association or family shall, notwithstanding such discontinuance, be liable severally and jointly for the payment of the tax assessed or any penalty imposed and payable by such firm, association or family whether assessment is made or penalty is imposed prior to or after such discontinuance, and subject to as aforesaid, the provisions of this Act shall apply as if every such person or partner were himself a dealer:

Provided that where it is found that a change has occurred in constitution of the firm or association, the firm or association, as re-constituted, as well as partners or members of the firm or association, as it existed before re-constitution, shall jointly and severally be liable to pay tax including penalty, if any, due from such firm or association for any period before its re-constitution.

persons discontinuance of	Explanation:- The dissolution or re-constitution of a firm or association of or partition of a Joint Hindu Family shall be deemed to be business within the meaning of this Section.
Liability in 10. (1) In case of any guardian or trustee of any minor or other incapacitated person cases of Minors carrying on the business on behalf of or for the benefit of such minor or other and incapacitated person the tax shall be levied upon and recoverable from such Incapacitated guardian or trustee, as the case may be, in like manner and to the same extent Persons as it would be leviable upon and recoverable from any such person or other incapacitated person, if he were of full age and sound mind and as if he were conducting the business himself, and all provisions of this Act and the rules made thereunder shall apply accordingly.	
	(2) If the guardianship or the trust is terminated, the ward or, as the case may be, the beneficiary shall be liable to pay the tax including any penalty and interest due from such dealer up to the time of the termination of the guardianship or trust, whether such amount has been assessed before the termination of the guardianship or trust, but has remained unpaid, or is assessed thereafter.
Liability in 11. Court General, of Wards etc	In case of business owned by a dealer whose estate or any portion of whose case of estate is under the control of the Court of Wards, the Administrator the Official Trustee or any Receiver or Manager (including any person whatever his designation who in fact manages the business on behalf of a dealer) appointed by him or under any order of a court, the tax shall be levied upon and recoverable from such Court of Wards, Administrator General, Official Trustee, Receiver or Manager, in like manner and in the same terms as it would be leviable upon and recoverable from the dealer, as if he were conducting the business himself, and all the provisions of this Act and the rules made thereunder shall apply accordingly.
Liability in 12. (1) case or a Company	Liability of Directors of Private Company in Liquidation :- Notwithstanding anything contained in the Companies Act, 1956, when

any
any
before or

private company is wound up after the commencement of this Act, and tax assessed on the company under this Act for any period, whether in the course of or after its liquidation, can not be recovered, then, every person who was a director of the private company at any time during the period for which the tax is due shall be jointly and severally liable for payment of such tax unless he proves that the non-recovery can not be attributed to any gross neglect, misfeasance or breach of duties on his part in relation to the affairs of the company.

(2) Liability in case of Company in Liquidation

(a) Every person-

- (i) who is a liquidator of any company which is being wound up whether under the orders of a court or otherwise; or
- (ii) who has been appointed the receiver of any assets of a company (herein after referred to as the "Liquidator"), shall, within 30 days after he has become such liquidator, give notice of his appointment as such to the assessing authority; .

(b) The assessing authority shall, after making such enquiries or calling for such information as he may deem fit, notify the liquidator within three months from the date on which he receives notice of the appointment of the liquidator, the amount which in the opinion of the assessing authority would be sufficient to provide for any tax (including any penalty or interest) which is then, or is likely thereafter, to become payable by the company;

(c) The liquidator shall not part with any of the assets of the company or the properties in his hand until he has been notified by the assessing authority under clause (b) above and on being so notified, the liquidator shall set aside an amount equal to the amount notified by the assessing authority and, until he so sets aside such amount, he shall not part with any of the assets of the company or the properties in his hand:

Provided that nothing contained in this clause shall debar the liquidator from parting with such assets or properties in compliance with

any order of a court or for the purpose of the payment of tax and penalty, if any, payable by the company under this Act or for making any payment to secure creditors whose debts are entitled under law to priority of payments over debts due to Government on the date of liquidation or for meeting such cost and expenses of the winding up of the company as are in the opinion of the assessing authority reasonable;

(d) If the liquidator fails to give notice in accordance with clause (a) or fails to set aside the amounts required by clause (c) or parts with any assets of the company or the properties in his hand in contravention of the provision of that clause, he shall be personally liable for the payment of tax, penalty and interest, if any which the company would be liable to pay under this Act:

Provided that if the amount of tax, penalty and interest, if any, payable by the company is notified under clause (b) the

personal liability of the liquidator under this sub-section shall be to the extent of such amount;

- (e) Where there are more liquidators than one, the obligation and liabilities attached to the liquidator under this section shall attach to all liquidators jointly and severally;
- (f) the provisions of this Section shall have effect notwithstanding any thing to the contrary contained in any other law for the time being in force;
- (g) for the purpose of this Section, the expressions "company" and "private company" shall have the meanings respectively assigned to them under clauses (i) and (ii) of sub-section (1) of Section 3 of the Companies Act, 1956.

(3) Amalgamation of Companies:

a
from
companies
period

- (a) When two or more companies are to be amalgamated by the order of Court or of the Central Government and the order is to take effect a date earlier to the date of order and any two or more such have sold or purchased any goods to or from each other in the commencing on the date from which the order is to take effect and ending on the date of the order, then such transaction of sales and purchases will be included in the turnover of the sales or the purchases of the respective companies and will be assessed to tax accordingly; -----

(b) Notwithstanding any thing contained in the said order, for all the purposes of this Act, the said two or more companies will be treated as distinct companies and will be treated as such for all periods up to the date of the said order and the registration certificates of the said companies will be cancelled where necessary, with effect from the date of the said order;

(c) Words and expressions used in this Section, but not defined will have the respective meaning assigned to them in the Companies Act, 1956.

Certain Agents 13. (1) Where any person sells or purchases any taxable goods on behalf of his liable to tax for principal as a commission agent, then he and his principal shall both be jointly sales on behalf and severally liable to pay tax on the turnover of such sales or purchases: of Principal

Provided that the first liability to pay the tax shall be that of the commission agent and he may realize the same from the principal;

Provided further that if the principal shows to the satisfaction of the assessing authority that the tax has been paid by such commission agent on such goods, the principal shall not be liable to pay the tax again in respect of the same transaction.

- (2) Where a manager or commission agent of a non-resident dealer sells or purchases any goods on behalf of a non-resident dealer in the State, then the non-resident dealer and the manager or agent residing in the State, shall be jointly and severally liable to pay tax on the turnover of such sales or purchases:

Provided that the first liability to pay the tax shall be that of the manager or commission agent and he may realize the same from the non-resident dealer:

Provided further that if the non-resident dealer shows to the satisfaction of the assessing I authority that the tax payable in respect of such sale or purchase has been paid by the manager or commission agent residing in the State, then the non-resident dealer shall not be liable to pay the tax in respect of the same transaction.

Liability in 14. (1) Where a dealer, liable to pay tax under this Act, transfers his business in whole case of or in part, by sale, gift, lease, license, hire or in any other manner whatsoever Transfer of the transferor and the transferee shall jointly and severally be liable to pay tax Business (including any penalty and interest) due from the dealer unto the time of such transfer, whether such tax (including any penalty and interest) has been assessed before such transfer but has remained unpaid or is assessed thereafter.

(2) Where the transferee or lessee of a business referred to in sub-section (1) carries on such business either in his own name or in some other name, he shall be liable to pay tax on sale of goods effected by him with effect from the date of such transfer and shall, if he is an existing dealer, apply within the prescribed time for amendment of his certificate of registration.

(3) Where a tax including penalty and interest, if any is recovered from a transferee under sub- section (1) such transferee shall be entitled to recover the same from the person who was originally liable to pay the tax.

(4) Where a dealer liable to pay tax under this Act is succeeded ill the business by any person, then such person shall be liable to pay tax on the sales or purchases of goods made by him on or after the date.

CHAPTER -III		
REGISTRATION, AMENDMENT AND CANCELLATION		
Registration	15.	(1) Any dealer or a person, carrying on business and liable to pay tax under this Ordinance shall get himself registered within such time and in such manner as may be prescribed: Provided that a dealer liable to pay tax shall be allowed thirty days time from the date from which he is first liable to pay such tax, to get himself registered. (2) Every dealer- (a) who sells any goods imported by him from out side Uttarakhand; or (b) who sells goods manufactured by him by using goods imported from out side the State; or (c) who is liable to pay tax under any other provision of this Act; or (d) who is subjected to tax deduction at source under the provisions of section 25

		this Act), provided his actual or estimated turnover for the assessment year is not less than the taxable quantum as per sub- section (7) of section 3; or (f) who commences business during the course of an assessment year and whose average monthly estimated turnover for the remainder of such year, or whose actual turnover in any month during the aforesaid period is not less than one-twelfth of the amount specified in sub-section (7) of Section 3, shall be liable for registration: Provided that it shall not be necessary for a dealer who deals exclusively in goods exempted from tax under the provisions of this Act other than those exempted conditionally, to obtain registration under this Act. (3) Notwithstanding any thing contained in this Section, following dealers who otherwise may not be liable to pay tax, shall also be deemed liable for obtaining registration under this Act, from the date on which a dealer for the first time-- (a) receives any taxable goods from outside the State, or (b) imports goods inside or export goods outside the territory of India, or (c) consigns any taxable goods out side the State except by reason of a sale. (4) Notwithstanding any thing contained in this Section, the following class of dealers shall be liable for registration irrespective of their turnover at the commencement of their business in the State-- (a) every casual dealer, (b) every dealer registered under the Central Sales Tax Act,1956, within the State, (c) every dealer residing out side the State but carrying on business within
		(e) every commission agent, broker, delcredre agent, auctioneer or any other mercantile agent by whatever name called, who carries on the business of buying, selling supplying or distributing goods on behalf of his principal. (5) Every dealer required to be registered as per the provisions referred to above, shall make an application in this behalf to the assessing authority within such time and in such manner as may be prescribed : [Provided that an application for registration without furnishing the prescribed details shall not be accepted]₁ (6) Every dealer who under any provisions of the Uttarakhand(the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order,2002 had-- (a) held a registration certificate; or (b) held a provisional registration certificate, on the date immediately preceding the date of commencement of this Act and to whom sub- section (4) or sub-section (5) of Section 3 of this Act applies, and neither the registration certificate has been cancelled by the assessing officer nor such dealer has discontinued business till the date of commencement of this

		Act, and if such a dealer is not desirous of continuing to be a registered dealer under this Act, he shall submit an application to the Assessing Authority to this effect within 30 days of the commencement of this Act. (7) Every dealer who has been a registered dealer under the provisions of Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 immediately before the commencement of this Act and is not liable to registration under this Act in view of the turnover limits mentioned in sub-section (7) of Section 3, but if he desires to retain registration, he may be granted Voluntary Registration under this Act on his application submitted within such time and in such manner as may be prescribed and shall be deemed to be registered under this Act from the date of commencement of this Act. (8) Every dealer who had applied for grant of registration certificate under any provision of the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 before the date of commencement of this Act, and whose such application is pending for disposal before the assessing authority under that Act, if registration certificate is subsequently granted to him under that Act, and if he has not discontinued business till the date of commencement of this Act, he shall be deemed registered dealer with effect from the date of commencement of this Act. (9) Any dealer who had become liable for obtaining registration certificate under any provisions of Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 and is liable to pay tax under this Act on the date of commencement of this Act, if such dealer had not applied for issue of registration under Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act,
--	--	---

1-Added by section 2 of Uttarakhand Act No. 25 of 2010.

		(10) Any dealer, if otherwise is not liable to tax under this Act according to the provisions under sub-section (4) and sub-section (5) of Section 3, he shall not be deemed to be a registered dealer unless he presents application within such time and in such manner, as may be prescribed, for grant of voluntary
Voluntary Registration	16.	16. (1) Any dealer who-- (a) intends to manufacture any taxable goods for sale, or (b) intends to carry on business of sale or purchase of taxable goods, or (c) is carrying on business of sale or purchase of goods but otherwise is not liable to obtain registration, if he so desires, may present an application in the prescribed manner for grant of voluntary registration under this Act, and such registration certificate if granted, shall be valid with effect from the date on which the application is presented. (2) Any dealer who has been granted voluntary registration under this Section or under the provisions of sub-section (7) of Section 15, shall, for so long as his registration remains in force, be liable to pay tax under this Act. (3) The registration of a dealer on application made under this Section shall remain in force unless cancelled under the provisions of this Act.

		the assessing authority for cancellation of such registration and the assessing authority may, unless the dealer is liable to pay tax under this Act, cancel the registration from the date of such application or any other date as he may deem fit. (5) When the turn over of any dealer registered on application made under this Section has, for three successive years remained below the taxable quantum in each of the years, his liability to pay tax shall cease. (6) Provisions under Section 17, Section 18 and Section 19 shall mutatis mutandis apply in relation to registration certificate to be granted under this Section as
Procedure for Registration	17.	(1) Where a dealer has not paid the required fee for renewal of registration certificate under the provisions of the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 the registration certificate shall not be deemed valid on the date of commencement of this Act, but if such dealer deposits the amount of renewal fee along with rupees 100 as late fee within 30 days from the date of commencement of this Act, he shall be deemed to be a registered dealer from the date he deposits the renewal fees. (2) Every dealer who is required to be registered under section 15 or under section 16 shall submit an application for registration in such form, accompanied with such fee, within such time and in such manner as may be prescribed. (3) The assessing authority may, after such enquiry as it considers necessary and subject to the provisions of Section 20 and such other conditions as may be prescribed in this behalf allow the application and cause the dealer to be

		Provided that where any security for grant of registration has been demanded from the dealer, registration shall be granted after the dealer has furnished such security to the satisfaction of the assessing authority. (4) Registration shall, subject to the provisions of this Act and the Rules made thereunder take effect from the date on which the dealer becomes liable to registration in case he applies for registration within the period prescribed, and, in any other case, from the date on which he applies for registration. (5) Registration certificate granted to a dealer shall remain in force till the date of discontinuance of business, unless the registration certificate is cancelled by the assessing authority at any time before, under the provisions of Section 18 of this Act. (6) [Subject to the provisions of sub-section (5) of Section 15,] If application for registration is incorrect or incomplete or is not in order or the fee or penalty has not been paid or the security demanded has not been furnished or for any other sufficient reasons to be recorded in writing by the assessing authority, it may after giving a reasonable opportunity of being heard to the applicant reject the application by an order in writing. (7) (a) If a dealer to whom a certificate of registration has been granted- (i) has failed to file the returns under this Act within the time prescribed; or
--	--	---

		prescribed, the certificate of registration of such dealer may be suspended by the assessing authority after giving such dealer an opportunity of being heard; (b) Where any proceedings for cancellation of registration under Section 18 are pending for disposal before the assessing authority, the certificate of registration of such dealer may be suspended for the period the proceeding of cancellation are pending, after giving such dealer an opportunity of being heard: [Provided that under clause (a) above the certificate of registration of a dealer shall not be suspended if he has furnished return or returns and deposited the amount of tax due, interest and late fee, if any, payable within the time prescribed in the notice.]³ (8) Suspension of certificate of registration under clause (a) of sub-section (7) will be withdrawn and registration certificate shall be restored on an application made by the dealer on furnishing evidence of payment of all taxes [including penalty, interest or late fees, if any]⁴ and on furnishing of overdue return or returns with in 45 days from the date of suspension. (9) If the dealer whose certificate of registration has been suspended under clause
--	--	---

1. Added by section 3 (a) of Uttarakhand Act No. 25 of 2010.

2. Substituted by section 3 (b) *ibid*.

3. Added by section 3 (c) of Uttarakhand Act No. 25 of 2010.

4. Substituted by section 3 (d) *ibid*.

(10) Suspension of certificate of registration under clause (b) of sub-section (7) shall be withdrawn retrospectively with effect from the date of its suspension if cancellation of certificate of registration is not made.

(11) If any dealer to whom the provisions of Section 15 apply--

(a) transfers his business or any part thereof by sale, lease, leave, license, hire or in any other manner whatsoever, or otherwise disposes of this business or any part thereof; or

(b) acquires any business, whether by purchase or otherwise; or

(c) effects or comes to know of any other change in the ownership or constitution of his business; or

(d) discontinues his business or changes his place of business or ware house or opens a new place of business or ware house; or

(e) changes the name, style or nature of his business or effects any change in the class or description of goods in which he carries on his business, as specified in his certificate of registration; or

(f) enters into partnership or other association in regard to his business; or

(g) starts a new business or joins another business either singly or jointly with other person; or

(h) in case of a company incorporated under a statute or a company or a private company registered under the Companies Act effects any change in the constitution of Board of Directors; or

[(hh) If the transaction in connection of business is initiated through any other bank account or accounts other than the bank account or accounts declared in the registration application or effects the closing of the bank account; or]¹

- (i) effects any change in particulars furnished in application for grant of registration certificate under Section 15 or Section 16, shall within thirty days of the occurring of any of the events aforesaid, inform the assessing authority in the manner as may be prescribed.
- (12) Where a dealer's application for registration is rejected under the provisions of this Act, and the dealer, pending the decision on his application for registration, has realised tax from purchasers, he shall be liable to deposit the realised tax in the Government treasury as per the provisions of the Act, and the purchaser shall be entitled to input tax credit as if the dealer, for this purpose, was a registered dealer during the period commencing from the date of this submitting the application for registration to the date of the receipt of such order of rejection by the dealer.

1- Add. by section 2 of Uttarakhand Act no 02 of 2016.

Cancellation 18. (1) A certificate of registration granted under Section 15 or under Section 16 to
a of registration dealer, may be cancelled by the assessing authority, either on the application
of the dealer or on its own motion, where the assessing authority is satisfied
that--

- (a) any business in respect of which a certificate of registration has been granted to a dealer under this Act has been discontinued; or
- (b) in the case of transfer of business by a dealer where the transferee already holds a certificate of registration under this Act; or
- (c) an incorporated body is closed down or if it otherwise ceases to exist; or
- (d) the owner of a proprietorship business dies leaving no successor to carry on business; or
- (e) in case of a firm or association of persons if it is dissolved; or
- (f) a dealer has ceased to be liable to pay tax under this Act or has ceased to be subject to registration; or
- (g) a dealer has failed to pay any tax (including any penalty or interest) due from him under the provisions of this Act within three months of the due date; or
- (h) a dealer having issued any Sale invoice to any person regarding sales of goods, has deliberately failed to account for the said invoice in his books of account; or
- (i) a dealer holds or accepts or furnishes or causes to be furnished a declaration form, which he knows or has reason to believe to be false; or
- (j) a dealer who has been required to furnish security under the provisions of section 20 but has failed to furnish such security; or
- (k) a dealer to whom registration certificate was granted has misused it; or
- (l) a dealer to whom registration was granted has permitted some other person to carry on business in the name of the dealer; or
- (m) a dealer has transferred any prescribed form of declaration or a certificate under this Act obtained by him, to any other person or a dealer except for lawful purposes; or
- (n) a dealer has been registered by mistake; or

- (o) there is any other reason which in the opinion of the assessing authority warrants such action, the assessing authority may at any time, for reasons to be recorded in writing and after giving the dealer an opportunity of being heard, cancel the certificate of registration held by any dealer from such date as the assessing authority may specify in this behalf.
- (2) Notwithstanding any thing contained in sub-section (1) above, the assessing authority may with the permission of Commissioner or any officer authorised by him for the purpose, cancel the registration of a dealer who has not applied for cancellation of registration if the assessing authority is satisfied that the person is not entitled to registration or voluntary registration under section 15 or section 16.
- (3) The registration certificate shall not be cancelled on its own motion, and the dealer's application for cancellation of registration certificate shall not be rejected by the assessing authority without the dealer being given a reasonable opportunity of being heard.
- (4) The cancellation of registration will take effect from the date of order of cancellation by the assessing authority unless it is to take effect from a different date ordered by the assessing authority.
- (5) Every person whose registration is cancelled under this section shall pay in respect of every taxable goods held as stock or as capital goods on the date of cancellation an amount equal to--
- (a) the tax that would be payable in respect of those goods if the goods were sold at fair market price on that date; or
- (b) the total tax credit previously claimed in respect of those goods, whichever is higher.
- (6) If an order of cancellation passed under this section is set aside as a result of an appeal or other proceedings under this Act, the certificate of registration of the dealer shall, subject to the provisions of section 15 and section 16, be restored and he shall be liable to pay tax in the same manner as if this certificate of registration had never been cancelled:

Provided that if the dealer, pending disposal of his appeal or such other proceedings, has realized tax from purchasers, he shall be liable to deposit the realized tax in the Government treasury as per the provisions of this Act.

- (7) Every dealer who applies for cancellation of his registration shall surrender with his application the certificate of registration granted to him and every dealer whose registration is cancelled other- wise than on the basis of his application shall surrender the certificate of registration within 15 days of date of communication to him of the order of cancellation:

Provided that such dealer shall furnish the details of all forms of declaration and certificates under this Act or the Central Sales Tax Act, 1956 obtained and used by him if not already filed, and shall also surrender the remaining unused forms of declaration and certificates with his application for cancellation of Registration Certificate or, as the case may be, within fifteen days of the date of communication to him of the order of cancellation.

- (8) The obligations and liabilities under this Act (including the filing of returns and payment of tax required section 23 of any person in respect of any thing done or omitted to be done by that person while the person is a registered person are not affected by the cancellation of the registration certificate :

Provided that the cancellation of registration on an application of the dealer or otherwise shall not affect the liability of a dealer to pay the tax (including any penalty and interest) due for any period irrespective of such cancellation whether such tax (including any penalty and interest) is assessed before the date of cancellation but remains unpaid or is assessed thereafter.

 Amendment under of certificate deem of registration amendment of the certificate of registration shall take effect--

19. (1) The assessing authority may, after considering any information furnished this Act or otherwise received and after making such inquiry as he may fit, amend from time to time any certificate of registration, and such amendment of the certificate of registration shall take effect--
- (a) in case of change in the name, ownership or place of business or opening of a new place of business, from the date of the event necessitating the amendment whether or not information in that behalf is furnished within the time prescribed under sub- section (11) of section 17;
 - (b) in case of any addition or modification in the description of any goods in the certificate of registration, from the date of the event necessitating the amendment if information on that behalf is furnished within the time prescribed under sub-section (11) of section 17 and in any other case, from the date of receipt of request for such addition or modification by the assessing authority;
 - (c) in case of deletion of any goods or class of goods from the date of order of deletion:

Provided that where in consequence of a change in the ownership of a business, the liability of a dealer to pay tax ceases, the amendment of certificate of registration shall take effect from the date on which information in respect of such change is furnished under sub-section (11) of section 17 :

Provided further that the assessing authority shall, before amending on his own motion a certificate of registration, give the dealer affected by such amendment an opportunity of being heard.

- (2) Where a registered dealer--
- (a) effects a change in the name of his business; or
 - (b) is a firm and there is change in the constitution of the firm with put dissolution thereof; or
 - (c) is a trust and there is a change in the trustees thereof; or
 - (d) is a guardian of a ward and there is a change in the guardianship; or
 - (e) is a "Joint Hindu family" and the business of such family is Converted into a partnership business with all or any of the coparceners as partners thereof, then merely by reason of any of the circumstances aforesaid, it shall not be necessary for such dealer or such firm to apply for a fresh certificate of registration and on information being furnished in

the manner required under this section, the certificate of registration shall be amended.

- (3) Any amendment of a certificate of registration under this section shall be without prejudice to any liability for tax or penalty imposable for an offence under this Act.

Security in the
Interest of
Revenue

20. (1) The assessing authority may, where it appears necessary to him so to do--

- (a) for the proper realization of any tax, penalty or other sums due or payable under this Act; or

(b) for the proper custody or use of forms prescribed under this Act or the rules framed thereunder; or

(c) as a condition for the grant or as the case may be, the continuance in effect of registration certificate, by an order in writing and for reasons to be recorded therein, direct, before the grant of or, as the case may be, at any time while the certificate of registration is in force, that the dealer or the person concerned shall furnish, in the prescribed manner and within the specified time; such security or if the dealer or the person concerned has already furnished such security, such additional security of any nature, as may be specified for all or any of the aforesaid purposes.

- (2) The assessing authority may, by order in writing and for sufficient reasons to be recorded therein, demand from any person (other than a registered dealer) who imports into the State of Uttarakhand any consignment of goods, reasonable security for ensuring that there is no evasion of tax.

- (3) No dealer or the person concerned shall be required to furnish any security or additional security under this section by the assessing authority unless he has been given an opportunity of being heard.

- (4) The amount of such security or additional security that may be required to be furnished by any dealer or any person concerned, shall--

(a) in the case of dealer liable to pay tax under the provisions of section 3 who has applied for the grant of certificate of registration under section 15 or section 16, be such amount as the assessing authority may, having regard to the nature and size of the business of such dealer, determine for the payment of the tax for which the dealer may be or become liable under this Act;

(b) in any other case not to exceed the tax payable in accordance with the estimate of the assessing authority on the turnover of the dealer or the person concerned for the assessment year in which such security is required to be furnished.

- (5) Notwithstanding anything contained in this section, the Commissioner may, in respect of goods notified by the Government in this behalf, by a general order in writing, direct that the cash security of such amount as may be specified in such order shall be required to be furnished by a dealer or a person requiring any of the forms prescribed under this Act.

- (6) Where the surety bond has been executed by a registered dealer and the said registered dealer's certificate of registration is either cancelled or he has closed down his business, the dealer shall furnish a fresh surety bond as may be directed or in the manner as stated in sub-section (7).

(7) Where the security furnished by a dealer or a person concerned under this section is in the form of a surety bond and the surety dies or becomes insolvent, the dealer or the person concerned shall, within 30 days of the occurrence of any of the aforesaid events, inform the assessing authority and shall within 60 days of such occurrence furnish a fresh surety bond or furnish in the prescribed manner other security of the amount of the bond, to the satisfaction of the assessing authority.

security
person

(8) The assessing authority may, by order in writing and for sufficient reasons to be recorded therein, forfeit the whole or any part of the security which includes the additional security furnished by a dealer or a person concerned, for-

- (a) recovery of tax or any other sum due, or
- (b) recovery of any financial loss caused to the State Government due to negligence or default in not making proper use of or not keeping in safe custody the blank or unused forms as referred to in sub-section (1) above; or
- (c) recovery of loss of revenue caused by issuing of false invoices:

Provided that no order shall be passed under this sub-section without giving the dealer or person concerned an opportunity of being heard.

(9) The assessing authority may--

- (a) refuse to grant registration certificate, or
- (b) suspend any such certificate already issued, or
- (c) refuse to issue any of the forms as referred to in sub-section (1) to any dealer or person concerned, until the dealer or the person concerned has complied with the order regarding furnishing of the security or the additional security, as the case may be:

Provided that no order under this 'sub-section shall be passed without giving the dealer or the person concerned an opportunity of being heard.

(10) Where the security furnished by any dealer or person concerned is forfeited in whole or in part or is rendered in Sufficient he shall furnish a fresh or further security of the requisite amount or, as the case may be, shall make up the deficiency in such manner and within such period as may be specified in the order.

(11) The assessing authority may, on application by a dealer who has furnished security as required, refund in the prescribed manner, any amount of security or part thereof if such security is not required for the purpose for which it was furnished.

[(12) No security under this section shall be required to be furnished by a dealer exclusively dealing in goods exempted from tax under section 4 and not making use of any of the forms prescribed under this Act or under the Central Sale Tax Act, 1956.]¹

(13) An appeal under section 51 may within such time and in such manner as may be prescribed, be filed against any order passed under this section.

(14) Any dealer or person concerned aggrieved by an order of appellate authority may, within such time and in such manner as may be prescribed, file an appeal under section 53.

(15) The provisions of this section shall mutatis mutandis, apply in relation to security required to be furnished under the order of any authority under this Act or the Court.

Quoting of
Registration

21. (1) Every registered dealer shall get his registration number and the date from which it is effective, printed on every sale invoice, challan or any such Number documents relating to sales or purchases.

(2) Every registered dealer shall present his registration certificate if so desired by any authority under this Act in connection with any proceedings under this Act.

(3) Every registered dealer shall show his registration certificate if so required by the purchaser of any goods.

(4) Every registered dealer while purchasing any goods shall give his name, address and his registration number to the selling dealer who shall mention the same on sale invoice challan or any such documents relating to such sale or purchase.

(5) Every registered dealer shall get his name, registration number and the date from which it is effective, painted on the signboard on all his business places, in such manner that the same are easily readable from the road.

Realization of
by Dealer

22. (1) Where any tax on sale of goods is payable on any turnover by a dealer Tax (including a commission agent or any of the persons mentioned in clause (c) of sub-section (11) of section 2 registered under this Act, such a dealer may recover an amount, equivalent to the amount of tax on sale of goods payable, from the person to whom the goods are sold by him, whether on his own behalf or on behalf of his principal:

Provided that no dealer shall realise from any person whom the goods are sold, any amount by way of tax or any amount in lieu of the tax by giving it a different name or colour, which is not payable by him or is in excess of the amount payable by him under the provisions of this Act:

Provided further that no dealer who agrees to pay a Presumptive Tax under the provisions of sub-section (1) of section 7 or from whom the Assessing Authority agrees under sub-section (2) of section 7 to accept a composition money in lieu of the amount of the tax payable by him, shall realise from any person any amount by way of tax on sale of goods or an amount in lieu thereof by giving it a different name or colour.

1. Substituted by section 6 of Uttarakhand Act No. 05 of 2008.

(2) No person who is not a dealer registered under this Act, shall in respect of any sale and purchase of goods made by or through him realize from any person any amount by way of tax on sale or purchase of goods under this Act or any amount in lieu of the tax on sale or purchase of goods by giving it a different name or colour.

(3) No dealer registered under this Act, shall, in respect of any sale or purchase of goods made by or through him realize from any person to whom goods are sold, any amount by way of tax on such sale or any

amount in lieu of tax by giving it a different name or colour, which is not payable by him or which is in excess of the amount payable by him under the provisions of the Act.

- (4) Where a registered dealer realises tax on sale of goods from the purchaser, the Sale invoice shall separately show the price of the goods sold and the amount realised as tax.
- (5) If a dealer who is liable to pay tax on sale of any goods, does not charge amount of tax: separately from the purchaser of such goods or after charging the amount of tax:, does not show such amount separately on Sale invoice, the selling dealer shall be liable to pay tax: on total price of goods.
- (6) A person may refuse to pay any amount in the name of tax on any purchase of goods if the seller of such goods does not comply with the provisions of sub-section (4) above.
- (7) If any dealer purchases any goods from a registered dealer who does not comply with the provision of sub-section (4) above, such dealer shall not be entitled to the input tax credit in respect of such purchase.
- (8) Where any amount in excess of the amount of tax due under this Act, has been wrongly realised by a dealer who is required to file return under section 23 of this Act, he shall deposit in the prescribed manner the excess amount along with the return relating to his turnover for the respective period, together with the relevant details.
- (9) Where any amount in excess of the amount of tax due under this Act, has been wrongly realised by a person who is not a dealer registered under this Act, he shall deposit in the prescribed manner the excess amount before the expiry of the next succeeding month, along with the relevant details.

CHAPTER IV

RETURNS, ASSESSMENT, PAYMENT AND RECOVERY OF TAX

Periodical
or Returns and
Payment of
Tax

dealer

23. (1) Every dealer who is liable to pay tax under this Act shall submit such return returns of his turnover at such intervals, within such period, in such form and verified in such manner as may be prescribed.

(2) Notwithstanding any thing contained in sub-section (1) every registered and every dealer who is liable to get himself registered under Section 15, shall submit a return or returns relating to his turnover for such period and in such manner as may be prescribed.

[(3) Every dealer or a person liable to pay tax shall also submit along with the return a list of purchases from registered dealers of goods in respect of which input tax credit is being claimed, in the prescribed manner containing such particulars as may be prescribed.]¹

1.Substituted by section 7 of Uttarakhand Act No. 05 of 2008.

(4) Every person making any payment to any contractor or sub-contractor in connection with the transfer of property in goods in pursuance of a works contract or transfer of right to use any goods for any purpose, and responsible for deduction of tax at source, shall submit a return of such payment with their complete name, address and the amount paid and deduction made during the tax period, within such time and in such manner as may be prescribed.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section(1) or sub-section (2) or sub-section (4) above, the Commissioner may, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, exempt any such dealer or class of dealers from furnishing such returns or permit any such dealer or class of dealers-

(a) to furnish them for such different periods; or

(b) to furnish a consolidated return relating to all or any of the places of business of the dealer in the State of Uttarakhand for the said period or for such different periods and to such authority as he may direct.

[(6) Every dealer required to file return under this Section shall pay the amount of tax payable according to the return and also late fee, if any, or the differential tax payable according to the revised return furnished, along with any such amount which has been wrongly realized in excess of an amount of tax due under this Act and also the amount of tax, if any, deducted at source as per the provisions under Section 35, in such manner as may be prescribed, and shall furnish along with the return or revised return, as the case may be, a receipt showing full payment of such amount.]¹

(7) The assessing authority may in its discretion, for reasons to be recorded in writing, extend the date for submission of the return by any person or class of persons :

[Provided that every dealer required by sub-section (1) of section 23 to furnish a return shall be liable to pay such late fee not exceeding rupees 2000/- for each month or part thereof, of delay in furnishing return, as may be prescribed, and pay before furnishing such return the full amount of tax, interest and late fee, if any, payable according to such return in the manner as may be prescribed.]²

(8) Where as a consequence of the date for the submission of return being extended under sub- section (7), the deposit of tax under sub-section (1) or sub-section (2) is deferred, there shall be payable an interest at the rate of fifteen percent per annum on such deposit from the date immediately following the last date prescribed for the submission of the return till the date of deposit of such amount.

(9) If any dealer discovers any omission or other error in any return submitted by him, he may, at any time before the time prescribed for submitting the next return, submit a revised return. If the revised return shows a greater amount of tax to be due than was shown in the original return, the dealer shall also deposit separately the difference of tax due and the interest payable and if the revised return shows lesser amount of tax to be due than was shown in the original return the dealer may adjust the excess amount toward the tax due for the subsequent periods.

1-Substituted by section 4 (a) of Uttarakhand Act No. 25 of 2010.

2.Added by section 4 (b) ibid.

(10) If goods sold or purchased by a dealer are returned within six months of the date of sale or purchase, and assessment for the year to which such sale or purchases relates is as yet to be made, he may within thirty days of the expiry of the month in which such goods are returned, submit for that purpose only a revised return

for the period during which such sale or purchase was made.

- (11) A registered dealer who ceases to carry on business shall file a final tax return within sixty days from the date of cessation. He shall be required to comply with other provisions as applicable regarding filing of return under this Section.
- (12) If the assessing authority has reason to believe that the turnover of sales or the turnover of purchases of any dealer is likely to exceed or has exceeded the taxable limit as specified in sub-section (7) of Section 3, it may, by notice served in the prescribed manner, require such dealer to furnish return as if he were a dealer liable to pay tax but tax shall be payable by him only if it is due under any provisions of this Act.
- (13) Every dealer liable to pay tax under this Act, including a dealer who has carried on business during part of any assessment year shall submit to assessing authority in addition to the returns for the tax periods filed, an annual return of turnover of purchases and sales in prescribed form, in the prescribed manner and within the prescribed time along with such other details and documents as may be prescribed.

(14) For the purpose of this Act, any return signed by a person who is not authorized under the rules, shall be treated as if no return has been filed.

Provisional 24.

any tax Assessment

- (1) The assessing authority may scrutinize any return or returns in relation to period furnished by any dealer to verify the correctness of calculation, application of correct rate of tax and interest, and input tax credit claimed therein and full payment of tax and interest payable by the dealer during such period.
- (2) If any mistake is detected as a result of such scrutiny made as per the provisions of sub-section (1) above, the assessing authority shall, without prejudice to any thing contained in Section 58, serve a notice in the prescribed manner on the dealer to make payment of the extra amount of tax, if any, along with the interest as per the provisions of this Act.
- (3) Where in case of a registered dealer or any dealer liable to pay tax or a dealer to whom notice has been issued by the assessing authority under sub-section (12) of Section 23, and in respect of any tax period during an assessment year-
 - (a) the return is not submitted within the time prescribed or extended by the assessing authority; or
 - (b) the return is submitted but not in the prescribed manner; or
 - (c) the return submitted is, in the opinion of the assessing authority, incorrect or incomplete or contains wrong particulars; or
 - (d) the return is submitted without payment of tax in the manner prescribed; or
 - (e) the return required under sub-section (11) of Section 23 is not filed within the prescribed time, the assessing authority shall after making such inquiries as it considers necessary, determine the turnover of sales or of purchases or both, as the case may be, provisionally and assess the tax payable thereon.

(4) If in respect of anyone or more tax period, as the case may

be--

- (a) the tax payable as shown in the return appears to the assessing authority to be incorrect; or

- (b) the tax paid along with the return is less than the amount due under this Act or shown payable in the return; or
- (c) the input tax credit claimed in the return is not supported by the required information, as per sub-section (3) of Section 23, the assessing authority shall provisionally assess the tax payable on the turnover of sales or purchases or both as the case may be, shown in the return at the rates prescribed under the Act.

- (5) The provisional assessment under this Section shall be made on the basis of past returns, or past records or on the basis of information received by the assessing authority, and the assessing authority shall direct the dealer to pay the amount of tax assessed in such manner and by such date as may be prescribed.
- (6) Nothing contained in this Section shall prevent the assessing authority from making final assessment for the whole year under Section 25 or Section 26 and any tax paid against the provisional assessment shall be adjusted against tax, interest and penalty payable on final assessment under Sections referred to above.
- (7) No provisional assessment against a dealer shall be made without giving the dealer a reasonable opportunity of being heard.

25. (1) There shall be an assessment of taxable turnover, amount of tax payable on such turnover, and amount of input tax credit admissible for each assessment year or where the dealer has carried on his business for a part of an assessment year, for such part of assessment year which the dealer has carried on business.

- (2) Every dealer shall, for the assessment year, submit to the assessing authority in addition to periodical returns, an annual return of his turnover and the amount of tax due from him, complete in all material particulars, in the prescribed form and manner, including electronic methods, within the prescribed time, containing such information, particulars and annexure as may be prescribed, accompanied by supporting documents, including.

- (a) particulars of turnover of purchase, sale and other transactions and value of opening and closing stocks;
- (b) computation of his own final assessment of amount of tax due from him on the basis of such return including claim for input tax credit;
- (c) such declarations, certificates, and such other evidences on which the dealer relies in support of his claim of exemption, concession or rebate of tax declared in "the computation of his own final assessment of amount of tax due from him;
- (d) proof of payment of the additional tax, interest, composition money or fee due as per computation of his own assessment;
- (e) proof of tax or part thereof, if any, claimed to have been deducted at source (TDS).

1-Substituted by section 5 of Uttarakhand Act No. 25 of 2010.

- (f) proof of payment of late fee as may be prescribed in case such return is not filed within the prescribed time;
- (g) a true copy of the audit report as required under Section 62 of the Act and
- (h) such other particulars, information, documents and statements as may be prescribed.

An annual return shall not be treated as such if it is not complete in all material particulars, is not filed in the prescribed form and manner, does not contain such information, particulars and annexures as may be prescribed or does not comply with the requirements of this sub-section. The date, on which the annual return as contemplated above is submitted, shall be treated as the date of its submission;

Provided that every dealer required to furnish annual return shall be liable to pay such late fee not exceeding rupees 2000/- for each month or part thereof, of delay in furnishing annual return, as may be prescribed, and pay before furnishing such return the full amount of tax, interest and late fee, if any, payable according to such return in the manner, as may be prescribed.

(3) Deemed Assessment:

Subject to the provisions of sub-section (4) and sub-section (9) of this Section, every dealer, excluding works contractors who have not opted for composition under the provisions of sub-section (2) of Section 7, shall be deemed to have been assessed to tax, based on annual return filed by him as provided in sub-section (2) of Section 25, provided that it is filed within the prescribed time or if filed late, but not beyond 30th June of the succeeding assessment year, along with the proof of the payment of late fee, if any.

- (4) Notwithstanding anything contained in this section, from among the dealers who are deemed to have been assessed under sub section (3), a dealer or dealers may be selected for assessment under sub-section (6) and sub-section (7). Selection of such dealer/s shall be made after scrutiny. Selection of dealer/s for scrutiny and thereafter selection for assessment, for an assessment year, shall be made in the manner as may be prescribed by the Commissioner.

(5) For the purposes of this Act and the rules made there under-

- (a) the annual return, referred to in sub-section (2) of Section 25 or in sub-section (13) of Section 23, filed by the dealer, shall be deemed to be the assessment order and the facts disclosed and the figures mentioned in such return shall be deemed to be part of such assessment order; and
- (b) the last date, prescribed for submission of annual return or the actual date, on which such return is filed along with the prescribed late fee, if any, whichever is later, shall be deemed to be the date of such assessment order.

- (6) Notwithstanding anything contained in this section, to assess a dealer who has not been deemed assessed under sub-section (3) or who has been selected for assessment under sub-section(4), the assessing authority shall serve on such dealer, a notice requiring him to appear on a date and at a place specified therein, to attend and submit periodical returns and annual return of his turnover, if not filed earlier, along with the proof of payment of late fee, if any, and to produce or cause to be produced the books of accounts and all evidences on which the dealer relies in support of his returns including sale and purchase invoices, or to produce such evidences as may be specified in the notice.

Explanation:-- Opportunity given under this sub-section for submission of periodical returns and annual return shall not prevent the Assessing Authority from imposing penalties, interest or late fee, if any, under any other provisions of the Act, for not filing such returns within the time prescribed.

- (7) If the dealer complies with the notice issued under sub-section (6) and the assessing authority after examining periodical returns, the annual return, books of accounts and documents and after considering all the evidences produced in the course of proceedings or the evidences collected or received by the assessing authority and after making such enquiry, as he may deem fit,
- (a) is satisfied that turnover of sales and purchases disclosed and amount of tax shown as payable by the dealer in the annual return is correct, assess the dealer to tax in accordance with the provisions of the Act, by an order in writing.
 - (b) if the assessing authority is of the opinion that the turnover or the liability of the tax disclosed by the dealer and the amount of tax paid by the dealer does not appear to be correct shall give him reasonable opportunity of being heard by giving him a show cause notice stating the reason, for non acceptance of the turnover of sales or purchase or liability of tax as disclosed by the dealer, and after considering the reply submitted by the dealer;
 - (i) if he is satisfied that the turnover disclosed by the dealer in the annual return is correct, shall assess the dealer to tax by an order in writing according to the provisions of the Act.
 - (ii) if he is not satisfied with the reply submitted by the dealer, shall determine the turnover to the best of his judgment and the tax payable thereon according to the provisions of the Act, by an order in writing :

Provided that where the opportunity under sub-section (6) for submission of periodical returns and annual return along with the proof of deposit of late fee and production of books, accounts and documents and evidences on which the dealer relies in support of his returns including sale invoices, or for production of such evidences as may be specified in the notice has been afforded to the dealer but for any

reason he has not availed such opportunity and thereby the assessing authority could not examine the correctness and propriety of particulars shown in such returns, it shall not be necessary to issue show cause notice to such dealer before making an assessment order to the best of his judgment :

Provided further that, no assessment order under this sub-section shall be passed after the time limit as prescribed in Section 32 of the Act.

(8) Any provisional assessment order in respect of any tax period under Section 24 shall not prevent the assessing authority to make final assessment and the provisional assessment order shall stand merged in the final assessment order passed under this Section.

(9) 1 {Tax Audit and Tax Audit Assessment :

(a) Notwithstanding anything contained in this Act tax audit of records, Stock

and related documents of a dealer, selected for this purpose may be conducted for the purpose of ensuring the compliance by the dealer for the requirements of the Act or for examining the correctness of periodical and final returns and admissibility of various claims including input tax credits;

.....
1- Subs. by section 3 of Uttarakhand Act no 02 of 2016.

Provided further that no dealer may be selected for tax audit for an assessment year after the expiration of five years from the end of such assessment year.

- (b) Tax audit may be conducted by an officer, posted in the tax audit wing or by any other officer authorized for this purpose by the commissioner;
- (c) The selection of dealer or dealers for the purpose of tax audit shall be in the manner as may be prescribed by the Commissioner;
- (d) Tax audit may be taken up in the office, business premises or warehouse of the dealer. However, the officer conducting audit may, if he deems fit, require the dealer either to attend and produce or cause to be produced the books of accounts and other documents in his office or any other place which may be specified in the notice,

If in compliance of the notice served in this sub-section, the dealer does not attend the office of the officer in charge of tax audit or any other place which may be specified in the notice; or if attends does not produce or cause to be produced the books of accounts and other documents, the officer in charge of tax audit may impose a penalty of upto Rs. 5000/- for each non compliance of the notice. No such penalty shall be imposed without giving the dealer a reasonable opportunity of being heard. The provisions relating to recovery of dues shall mutatis mutandis apply for recovery of imposed penalty;

{(e) The officer conducting the tax audit shall have powers under section 42 of

the Act and may also make or cause to be made extracts or copies from the books of accounts and other documents, inventory of stock, seek such

information or statement, which may be useful and relevant to any proceeding

under this Act. The dealer shall provide full co-operation and assistance to the

audit party during the course of audit;

If the dealer prevents or obstructs the officer from making extracts or copies from the books of accounts and other documents, inventory of stock or

from seeking such information or statements required for the purpose of tax audit or does not cooperate and assist the audit party during the course of audit,

the officer in charge of the tax audit may impose a penalty upto Rs. 10,000/ for

each non compliance. No such penalty shall be imposed unless a reasonable

opportunity of being heard has been given to the dealer. The provisions relating

to recovery of dues shall mutatis mutandis apply for recovery of imposed penalty;}¹

¹ {(f) The tax audit authority shall after considering all the evidence collected

by him or produced in course of the proceeding may :-

(1) Confirm the self assessment or assessment order which has already been

passed; or

(2) Set aside the self assessment or assessment or reassessment order and reassess the turnover and tax of the dealer; or

(3) Assess the amount of tax due from the dealer if no assessment has been made so far;

Provided that no such assessment or reassessment shall be made unless a reasonable opportunity of being heard has been given to the dealer;

1- Subs. by section 3 of Uttarakhand Act no 02 of 2016.

Provided further that not more than three adjournments shall be granted to a dealer for hearing of the case under this Section;

Provided further that period of limitation for making Assessment or Reassessment under this section shall be applicable as per section 32 of this Act.

{(g)} The tax audit officers shall have all the powers of an Assessing Authority.}²

(10) In cases of the following dealers or class of dealers in respect of different transactions more than one assessment may be made for the same assessment year and will be treated as part of one assessment year-

- (a) dealer who has obtained more than one authorization for transit of goods through the State; in respect of each authorization for transit of goods to the State;
- (b) casual dealer who has no fixed place of business, by different assessing authorities in whose jurisdiction he has carried on business;
- (c) unregistered dealer who imports taxable goods on each occasion, he imports the goods;
- (d) unregistered dealer who either executes works contracts or effects transfer of right to use any goods, for any purpose in jurisdiction of more than one assessing authorities and has no fixed place of business, by each assessing authority in respect of business carried out in his jurisdiction :

Provided that more than one assessment shall not be made in respect of the same turnover of sales or the same turnover of purchase.

(11) Where during the course of an assessment year the rate of tax on the turnover of any goods or class of goods is varied or an exemption in respect thereof is granted or cancelled the assessment, so far as it relates to the portion of such turnover for the period after the date of variation, exemption or cancellation shall be made on the basis of the rate so varied or the exemption so granted or cancelled.

(12) Any assessment made under this section shall be without prejudice to any penalty imposed under the Act.]¹

¹-Substituted by section 5 of Uttarakhand Act No. 25 of 2010.

2- Subs. by section 3 of Uttarakhand Act no 02 of 2016.

¹[Deemed 25-A ²(1)Notwithstanding anything contained in this Act, it is hereby provided that Assessments in Commissioner may, by notification declare that the registered dealers, as listed Certain cases in such notification, are deemed to have been self assessed, under the Uttarakhand VAT Act, 2005 or under sub-section (2) of section 9 of the Central Sales Tax Act, 1956 read with the Uttarakhand VAT Act for the assessment year as mentioned in such notification, on the basis of:-

- (a) the tax liability admitted in all the periodical returns, in the cases where all the periodical returns are filed before or on the date of issuance of this notification or within 90 days from the date of issuance of this notification but annual return is not filed ; and
- (b) the tax liability admitted in the annual return, in the case where any or all of the periodical returns are not filed but annual return is filed before or on the date of issuance of this notification or within 90 days from the date of issuance of this notification, and

(c) the tax admitted in the annual return, in the case where all of the periodical returns and annual return are filed before or on the date of issuance of this notification or within 90 days from the date of issuance of this notification:

Provided that-

(i) assessment of such dealer is pending and is not related to the assessment years other than 2013-14 or 2014-15 or 2015-16; and

(ii) where any exemption, concession or rebate of tax under the provisions of the Central Sales Tax Act, 1956 or Uttarakhand Vat Act, 2005 is claimed, the annual return and the required declarations, certificate or other evidence in support of such claim are submitted as per provisions of the related Act and Rules made there under before or on the date of issuance of this notification or within 90 days from the date of issuance of this notification; and

(iii) any appeal under section 51 or section 53 or any writ against any order or notice of the assessing officer under any section of the Act, related to such assessment year is not filed;

Provided further that-

(i) such dealer has not made any transaction of transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract; and

(ii) such dealer has not exclusively dealt in the trading or manufacturing of “iron and steel” or “edible oil” or “Cement” or “Mentha and Mentha products” or “Pan Masala” or “Marble Stone” or “Ceramic Tiles” or more than one of these commodities; or

(iii) such dealer has not exclusively dealt in the trading of “bricks” or “Sand or “Bajri” or “RBM” or “Boulders” or “Crushed Stone” or “Stone Ballast” or “Grit” or “Gitti” “Kankar” or “Stone dust” or more than one of these commodities’ or

1-Added by section 2 of Uttarakhand Act No. 12 of 2014.

2-Subs sub-section (1) by section 2 of UK Act no 9 of 2017

(iv) such dealer has not dealt in the manufacturing of bricks; or

(v) such dealer has not claimed a Refund of more than Rs. 10,000, or

(vi) no adverse investigation or proceeding has been carried out against such dealer; or

(vii) in respect of year 2012-13 there should be,-

(a) no dispute on rate of tax; or

(b) no reversal of ITC, or

(c) no additional demand other than admitted tax, or more than Rs. 10,000/- has been created as a result of order passed by its best discretion after hearing against such dealer;]

(2) Deemed assessment under sub-section (1) cannot be made a ground for any legal dispute, in any other assessment of the same dealer or in any assessment of any other dealer, regarding the rate of tax on a particular commodity, certain transaction being a transaction of sale of goods or service, certain transaction being an inter-state sale or

intra-state sale or certain transaction being inter-state sale, consignment/ stock transfer etc.

- (3) No proceedings for imposing or raising penalty or late fees for not filling or late filing of return or not depositing the admitted tax within prescribed time shall be initiated in the cases notified under sub-section (1) and if already initiated shall be dropped. However, the tax admitted or interest due, if not deposited shall be realised as per provisions of the Act.

[(4) After the issue of the notification as provided in sub-section (1) if, on the basis of scrutiny or any information received, the assessing officer is satisfied that the tax liability in any case related to any assessment year exceeds the admitted tax liability by Rs. 10,000 or more, the case for such an assessment year may be opened, with the permission of the Commissioner or the officer not below the rank of Joint Commissioner authorised for this purpose by the Commissioner, for reassessment after examining the books of accounts and the related documents and notwithstanding anything contained in this Act, the limit of opening such

case for reassessment shall not be more than 5 year after the close of such assessment year and the limit for finalizing such reassessment shall not be more than one year from the date on which the case is opened.]¹

- (5) No appeal under the Act shall lie against any decision under sub-section (4) for opening any case for reassessment.

- (6) "Annual gross turnover", for the purpose of clause (ii) of sub-section (1), shall be the sum of:

1-Subs sub-section (4). by section 2 of UK Act no 9 of 2017.

The State Transactions as under:

- (a) taxable sales of goods within the State;
- (b) taxable purchase under sub-section (10) of section 3 of the Act;
- (c) non taxable sales of goods listed in Sch-I of clause (a) of sub-section (2) of section 4 of the Act;
- (d) non taxable sales of goods (as per other provisions of the Act) ; and

The Inter-state Transactions as under:

- (a) taxable inter- state sale of goods;
 - (b) nontaxable inter-state sale of goods listed in Sch-I of clause (a) of sub-section (2) of section 4 of the Act,
 - (c) non taxable inter-state sale (as per other provisions of the Central Sales Tax Act, 1956);
 - (d) turnover of export out of the Country;
 - (e) value of goods stock transferred/consigned to outside the State.
- (7) To carry out the objective and purpose of this section Commissioner may, if required, issue necessary instructions or clarifications so that, due to minor omissions or errors on the part or any dealer, the benefit of the provisions of this section could not be denied.]¹

26. The Assessing Authority, upon information which has come to his possession, Assessment of is satisfied that any person who is liable to pay tax under this Act in respect of unregistered any period has failed to get himself registered, he shall, before expiry of

three person liable to
the tax
person
further

years following the end of the relevant financial year, proceed to assess person to the best of his judgment as to the amount of tax due from such in respect of such period and all subsequent periods and shall direct him to pay, by way of penalty, a sum equal to the amount of tax found due as a result of such assessment :

Provided that no such assessment shall be made without giving the dealer a reasonable opportunity of being heard.

Explanation-- For the purposes of this section, a dealer shall be deemed to have failed to apply for registration, if he makes an incomplete application for registration or having made an application for registration, fails to comply with any direction given to him by the assessing authority within the time specified by it.

1-Added by section 2 of Uttarakhand Act No. 12 of 2014.

Special
Provisions
relating to
Casual Dealer
the

27. Notwithstanding anything to the contrary contained in section 15 or section 25: -

(1)a casual dealer shall, at least seven days before commencing business in State, submit to the Assessing Authority an application for registration and such particulars of his business in such for in and manner as may be prescribed.

(2)such casual dealer shall deposit within seven days but before commencement of business, the Assessing Authority, which shall not exceed the estimated liability to pay tax for one month or such lesser period for which the casual dealer is conducting business, may fix security in cash as.

(3)the Assessing Authority shall, after such enquiry as he considers necessary and after the dealer has furnished the demanded security, allow the application and cause the dealer to be registered and issue a Certificate of Registration in the prescribed form.

(4)the Assessing Authority shall, after the dealer is registered, issue him forms as he may deem fit, for bringing goods for sale in the State. The dealer shall render complete account of forms received and used and surrender the unused forms in such manner as may be prescribed.

(5)such casual dealer shall submit such returns of his turnover at such intervals, within such period and in such form and manner as may be prescribed.

(6)such casual dealer when ceases to carry on business shall file a final tax return within seven days of the conclusion of his business, but before leaving the place, in the form and manner as may be prescribed.

(7)the Assessing Authority shall, after examining the returns, books, accounts and after such enquiries as he considers necessary, assess him to tax as soon as possible after the receipt of final tax return from the casual dealer:

Provided that where the period of business of such casual dealer spreads over more than one financial year, the assessment order shall be made separately for the periods falling in separate financial years.

(8)the Assessing Authority after adjusting any tax due from such casual dealer, refund the balance amount of security to him.

(9) such casual dealer shall be liable to tax if his turnover for this period exceeds the proportionate amount of taxable quantum as per clause (a) of sub-section (7) of section 3 and provisions of clause (b) thereof shall also be applicable.

(10) where the period of business of such casual dealer during a financial year exceeds 60 days and he ceases to be a casual dealer, he shall apply for registration as a regular dealer under section 15 and shall be assessed to tax as a regular dealer for the whole year as per the provisions of section 25 or section 26 :

Provided that the taxable quantum as per sub-section (9) above shall be calculated for total of the broken periods:

Provided further that the turnover and the tax assessed under this section for various periods in a financial year shall be merged in the final assessment and any tax paid as a casual dealer shall be adjusted against the tax payable on final assessment under sections referred to above.

 Assessment in case of special for during that period, it which such amount such amount was period, to tax payable amount is 28. (1) Assessment in case of Price Variation-- Where a dealer receives in any year any amount due to price variation which would have been in his turnover circumstances any previous tax period if it had been received by him shall be deemed to be turnover during the tax period in which was received and he shall, during the tax period in which received, include such amount in the return separately for the tax the assessing authority and the assessing authority shall assess the on such amount as his turnover for the tax period in which such received:

Provided that the tax shall be charged at the rate at which it would have been charged had such turnover been assessed for the assessment year to which such turnover belongs.

(2) Protective Assessment- Where the assessing authority has reason to believe that any person, with a view to evade the payment of tax or in order to claim any input tax credit which he otherwise is not eligible for, or was carrying on business in the name of, or in association with any other person either directly or indirectly, whether as an agent, employee, manager, partner or power of attorney holder, guarantor, relative or sister concern or in any other capacity, such person and the person in whose name the registration certificate, if any, is taken, shall jointly and severally be liable for payment of the tax , interest or penalty or other amount due under this Act which shall be assessed, levied and recovered from all or any such person as if such person or persons are dealer under the Act. However before taking action under this section the person concerned shall be given a reasonable opportunity of being heard.

1 {Assessment the Turnover not Assessed 29. (1) Where for any year or part thereof, the Assessing Authority has reason to of believe that the whole or any part of turnover or tax of the dealer in respect of any tax period has-}
 or (a) escaped assessment; or Assessed at (b) been under assessed; or lesser rate during the (c) been assessed at a rate lower than the rate at which it is assessable; or year (d) been wrongly allowed any exemption or deduction there from; or

{{dd) During Assessment rebate or concession has been allowed on the basis of submitted declaration form or certificate but such submitted declaration form or certificate is found to be false or wrong, afterwards; or} 1

(e) been wrongly allowed any tax credit therein, the assessing authority shall, after recording the reasons in writing, serve a notice on the dealer and , after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard and making such enquiries as he considers necessary, he shall assess or reassess the turnover of the dealer and tax according to law and the provisions of this Act shall as far as may be, apply accordingly:

Provided that the tax shall be charged at the rate at which it would have been charged had the turnover not escaped assessment or full assessment, as the case may be.

Explanation (1)-- Nothing in this sub-section shall be deemed to prevent the assessing authority from making an assessment to the best of its judgment.

1- subs. by section 4 of Uttarakhand Act no 02 of 2016.

Explanation (2)- For the purposes of this section and of section 30, "Assessing Authority" means the officer who passed the earlier assessment order, if any, and includes the officer having jurisdiction for the time being to assess the dealer.

Explanation (3)—Notwithstanding the issuance of notice under this sub-section, where an order of assessment or reassessment is in existence from before the issuance of such notice it shall continue to be effective as such, until varied by an order of assessment or reassessment made under this section in pursuance of such notice.

(2) Except as otherwise provided in section 28 or under this section, no order of assessment or reassessment shall be made under sub-section (1) after the expiry of three years from the end of the year in respect of which or part of which the tax is assessable.

(3) Assessment or reassessment in respect of turnover escaped from assessment may be passed at any time within three years and nine months ending on 31 SI December after the expiry of assessment year for which assessment is to be made, provided that notice under this section has been served within a period of three years and six months ending on 30th September after the expiry of the assessment year for which assessment is to be made.

{{(4) If the Commissioner on his own or on the basis of reasons recorded by the Assessing Authority is satisfied that it is just and expedient so to do, he may authorize the Assessing Authority in that behalf, and then such assessment or reassessment not made after the expiration of six years after the end of such assessment year or after the expiration of four year from the date of the order sought to be reassessed, whichever is later notwithstanding that such assessment or reassessment may involve a change of opinion.
} 1

Rectification of Mistakes 30. (1) Any officer or authority, or the Tribunal or the High Court may, on its own :n;t0tion or on the application of the dealer or any other interested person, rectify

any mistake in any order passed by him or it under this Act apparent on the face of the record, within three years from the date of the order sought to be rectified:

Provided that where an application under this sub-section has been made within such period of three years, it may be disposed of even beyond such period:

Provided further that no such rectification as has the effect of enhancing the assessment, penalty, fee or other dues shall be made unless a reasonable opportunity of being heard has been given to the dealer or other person likely to be affected by such enhancement.

- (2) Where such rectification has the effect of enhancing the assessment, the assessing authority concerned shall serve on the dealer a revised notice of demand in the prescribed form and there-from all the provisions of the Act and the Rules framed thereunder shall apply as if such notice had been served in the first instance.

1- Subs. by section 4 of Uttarakhand Act no 02 of 2016.

1 {Power to set 31. (1) In any case in which an order of assessment or reassessment or order of penalty aside an Order is passed ex-parte, the dealer may apply to the Assessing Authority within of Assessment thirty days of the service of the order to set aside such order and reopen the case; and if such officer is satisfied that the applicant did not receive notice or was prevented by sufficient cause from appearing on the date fixed, he may set aside the order and reopen the case for hearing;

order shall be entertained unless the dealer has submitted all periodical returns and Annual Return completely and correctly and it is accompanied by satisfactory proof of the payment of the amount of tax admitted by the dealer to be due;

Provided further that in such case, the application for setting aside an ex-parte order, shall be entertained only once.

Provided further that if an ex-parte order is served on or after 2nd March, 2016 and an application under this section is submitted before the expiry of 30 days from the date of service of order or before 30 days of the issuance of this notification, whichever is later, the application to set aside such ex-parte order shall be entertained provided that the application submitted fulfills all the conditions laid down under this sub-section.

- (2) Where an assessment order under section 24 is passed ex-parte the dealer may apply to the Assessing Authority within thirty days of the service of the order, to set aside such order and if such authority is satisfied that the dealer has filed the return and deposited the tax due according to the return within thirty days from the last day prescribed for filing such return, it may modify or set aside such order and also the demand notice, if any, issued thereunder;

Provided that in such case, the application for setting aside an ex-parte order, shall be entertained only once;

Provided further that if an ex-parte order is served on or after 2nd March 2016 and an application under this section is submitted before the expiry of 30 days from the date of service of order or before 30 days of the issuance of this notification, whichever is later, the application to set aside such ex-parte order shall be entertained provided that the application submitted fulfills all the conditions laid down under this sub-section.

- (3) If a dealer is granted an eligibility certificate under section 4-A of the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 for the period for which an order of assessment or

reassessment or an order in appeal has been passed prior to the grant of eligibility certificate, such order may be set aside either on its own or on the application of the dealer, by Assessing or Appellate Authority having jurisdiction within one year of receipt by him of the copy of the order granting such eligibility certificate and a fresh order may be passed according to law; Provided that where the application under this section has been made by the dealer within the period aforesaid, it may be disposed of even beyond such period.}

1- Ins.by section 2 of Uttarakhand Act no 19 o 2016.

Period of 32. (1) No order of assessment under section 24 for any tax period of an
assessment Limitation for year shall be made after the dealer has submitted annual return for such
making assessment year and where annual' return has not been submitted by the Assessment
or dealer, assessment shall not be made after the expiry of the period prescribed
Reassessment or time allowed, if extended, for submission of annual return for such period.

- (2) Except as otherwise provided in section 28 no order of assessment or reassessment under any provisions of this Act for any assessment year shall be made after expiration of 3 years from the end of such assessment year.
- (3) Assessment or reassessment order under the provisions of section 29 may be made with in the time prescribed therein.
- (4) If an order of assessment is set aside and the case is remanded for re-assessment by any authority under the provisions of this Act or by a competent Court, the order of reassessment may be made within one year from the date of receipt by the assessing authority of the copy of the order remanding the case.
- (5) If an order of assessment is quashed on the ground of want of jurisdiction of the assessing authority or due to improper service of any notice or due to service of improper notice or any other like ground, by any competent authority or Court, fresh order of assessment may be made by the assessing authority having jurisdiction within one year form the date of receipt by the assessing authority whose order is so quashed, of the copy of the order of such authority or Court :

Provided that where any assessment or reassessment order made earlier has been quashed for want of proper service of notice or for want of jurisdiction or for want of service of proper notice, fresh order of assessment or reassessment may be made by the assessing authority after serving notice properly and after affording reasonable opportunity of being heard to dealer within the time prescribed.

- {(6) If an order of assessment or reassessment for any assessment year is set aside under section 31, a fresh order of assessment or reassessment for that year may be made within three month from the date on which such earlier order was set aside.}1

1- Insr. by section 3 of Uttarakhand Act no 19 of 2016.

- (7) Where the proceedings for assessment or reassessment for any assessment year remain stayed under the orders of any Court or

authority, the period commencing from the date of stay order and ending with the date of receipt by the assessing authority concerned of the order vacating the stay, shall be excluded in computing the period of limitation provided in this section:

Provided that if in so computing, the period of limitation comes to less than one year, such assessment or reassessment may be made within one year from the date of receipt by the assessing authority of the order vacating the stay.

- (8) The period during which any appeal or other proceedings in respect of any other assessment or reassessment or any other matter of assesses remain pending before the High Court or the Supreme Court, involving a question of law having direct bearing on the assessment or reassessment in question, shall be excluded in computing the period of limitation provided in this section.
 - (9) Where in the assessment or reassessment of a dealer for any assessment year, any assessing authority --
 - (a) has included any turnover and any superior authority or Court has, in exercise of the powers lawfully vested in it, held such turnover to relate to the assessment--
 - (i) of such dealer for any other assessment year, or
 - (ii) of such dealer under the Central Sales Tax Act, 1956, or
 - (iii) of any other dealer, whether under this Act, or under the Central Sales Tax Act, 1956; or
 - (b) has not included any turnover on the ground that it relates to assessment under the Central Sales Tax Act, 1956, and any superior authority or Court has, in exercise of the powers lawfully vested in it, held such turnover to relate to the assessment of the dealer under this Act, whether for such assessment year, or any other assessment year, then nothing contained in this section limiting the time shall apply to assessment or reassessment whether under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956, of such dealer or such other dealer relating to such assessment year or such other assessment year, as the case may be.
 - (10) Where the eligibility certificate granted under section 4-A of Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification order, 2002 has been amended or cancelled by the Commissioner Under sub-section (13) of section 76 of this Act, the order of assessment or reassessment for the relevant to may be made within one year from the date of receipt by the Assessing Authority of the copy of the order amending or canceling the aforesaid certificate.
-
- (11) Where any order passed by the assessing authority in respect of a dealer for any period is found to be erroneous or prejudicial to the interest of revenue consequent to, or in the light of any judgment or order of any Court or Tribunal which has become final, then notwithstanding any thing contained in this Act, the assessing authority may, with the permission of the Commissioner or any officer authorised by him for this purpose, proceed to reassess the tax payable by the dealer in accordance with the judgment or order, at any time within a period of three years from the date of the judgment or order.

(12) Notwithstanding anything contained in this section, where the State Government is of the opinion that due to any extra-ordinary circumstances prevalent at the time in the State or any part of it, it will be difficult to complete assessment or reassessment in any case or class of cases within the time prescribed under this section, it may, by notification in the Gazette extend the time limit prescribed under this section for making assessment or reassessment in such a case or class of cases.

(13) Where any dealer claims refund of any amount deposited by him as tax or any amount recovered from him as tax or any amount deducted from him as tax under provisions of sub-section (1) of section 35 and where no assessment has been made within the time prescribed under this section, notwithstanding anything contained in this section, the Assessing Authority may, with the prior permission of the Commissioner in writing, make an assessment of the turnover and tax even beyond the time prescribed under this section for such assessment year towards tax liability in respect of the turnover against which such amount has been deposited or deducted or recovered.

Rounding off amount of Turnover and Tax etc 33. (1) The amount of turnover, determined in prescribed manner shall, if such is not in the multiple of ten, be rounded off to the nearest multiple of ten rupees, that is to say, a part of ten rupees which is less than five rupees shall be ignored and any other part shall be counted as ten rupees. The amount so rounded off shall be deemed to be the turnover of the assesses for the purpose of assessment of tax under this Act.

(2) The amount of tax, fee, interest, penalty or any other sum payable or the amount of refund due under the provisions of this Act shall, where such amount contains part of a rupee be rounded off to the nearest rupee, that is to say a part of rupee which is less than 50 paise shall be ignored and any other part shall be counted as one rupee.

Payment and manner Recovery of tax 34. (1) Amount of tax admittedly payable shall be deposited in the prescribed along with the return of the respective tax period. Amount assessed as tax shall be deposited in the manner specified in and within 30 days of the service of order of assessment and notice of demand. Amount imposed by way of penalty shall be deposited in the prescribed manner and [within 60 days]¹ of service of the order imposing such amount by way of penalty. Any other amount [including late fee, if any]² except the amount of tax admittedly payable or assessed and penalty imposed, that may be determined as payable under any provisions of this Act, shall be paid in the prescribed manner and within the prescribed time:

Provided that where no such time has been prescribed, the period to deposit the due amount shall be deemed to be [within 60 days]³ of the service of the order by which such amount has been determined.

[(2) A registered dealer furnishing return under section 23 shall pay into the Government treasury, in such manner and at such interval as may be prescribed, the amount of tax due from him for the period covered under the return along with the amount of penalty or interest or late fee, if any, or all the three payable by him under section 23 or late fee, if any, payable by him under section 25 and shall furnish a receipt from the Treasury or proof of e-payment showing the payment of such amount.]⁴

(3) A registered dealer furnishing a revised return in accordance with sub-section (9) or sub-section (10) of section 23 which shows that a greater amount of tax is due than was paid or payable in accordance with the original return, shall furnish along with the return a receipt showing the payment of the differential amount in the manner provided in sub-section (2).

(4) The tax admittedly payable shall be deposited within the time prescribed failing which simple interest at the rate of fifteen percent per annum shall become due and be payable on the unpaid amount with effect from the date immediately following the last date prescribed till the date of payment of such amount.

Explanation (1)-- For the purpose of this sub-section, the tax admittedly payable means the tax which is payable under this Act on the turnover of sales, or as the case may be, the turnover of purchases or of both, as disclosed in the accounts maintained by the dealer or admitted by him in any return or proceeding under this Act, whichever is greater.

Explanation (2)-- "Month" shall mean thirty days and the interest payable in respect of period of less than one month shall be computed proportionately.

(5) The amount of tax assessed under this Act in excess of amount of tax already deposited along with the interest payable according to the provisions of this Act shall be deposited in the manner specified in and within 30 days of service of order of assessment and notice of demand.

(6) If the tax other than the tax admittedly payable to which sub-section (2) applies assessed, reassessed or enhanced by any authority or Court remains unpaid for three months after expiration of the period specified in the order of assessment and demand notice, a simple interest at the rate of nine percent per annum on unpaid amount calculated from the date of such expiration shall become due and be payable:

1-Substituted by section 9 of Uttarakhand Act No. 05 of 2008.

2-Substituted by section 6 (1)(a) of Uttarakhand Act No. 25 of 2010.

3- Substituted by section 9 of Uttarakhand Act No. 05 of 2008.

4- Substituted by section 6 (1)(b) of Uttarakhand Act No. 25 of 2010.

Provided that the amount of interest under this sub-section shall be recalculated if the amount of tax varied on appeal or revision or by any order of a competent Court.

(7) The amount of interest payable Under sub-section (2), (3), (4) and (5) shall without prejudice to any other liability or penalty that the dealer may incur under this Act or under any other law for the time being in force, be added to the amount of the tax and shall also be deemed for all purposes to be part of the tax.

(8) Where an order of assessment or reassessment referred to in sub-section (4) of section 32 or an order of assessment or reassessment referred to in sub-section (6) of section 32 has been made and tax payable is enhanced the dealer shall be liable to pay interest on such enhanced tax as if it was enhanced in the order of assessment made for the first time and for this purpose the date of service of the order of assessment and demand notice shall be deemed to be amended

accordingly.

(9) Where realization of any tax remained stayed by order of any Court or authority and such order of stay is subsequently vacated, the interest referred to in sub-section (6) shall be payable also for any period during which such order remained in operation.

(10) [Any tax or other dues including late fee, if any]¹ payable to the State Government under this Act, any amount of money which a person is required to pay to the assessing authority under sub-section (14) for which he is personally liable to the assessing authority under sub-section (17) shall, notwithstanding any thing contained in any other law for the time being in force and subject to any special or general order of the State Government, be recoverable as arrears of Land Revenue, or in the prescribed manner by the assessing authority or any other officer authorised by the State Government in that behalf and such authority or officer shall, for the purposes of such recovery--

- (a) have all the powers which a Civil Court has under the Code of Civil Procedure, 1908 for the purpose of recovery of an amount due under a decree;
- (b) have the power to require the assessing authority or such authorised officer having jurisdiction in any other area to make such recovery if the defaulter is or has property within the area of such other assessing authority or officer and there upon such other assessing authority or officer shall proceed to make recovery in the prescribed manner.

(11) Notwithstanding any thing contained in sub-section (4) and (5) and notwithstanding any judgment, decree or order of any Court, Tribunal or other authority, where any notice of assessment and demand in respect of any tax or other dues under this Act, is served upon the dealer by an assessing authority and an appeal, revision or other proceeding is filed in respect of such tax or dues then--

- (a) where as a result of such appeal, revision or other proceeding the amount of such tax or other dues is enhanced, the assessing authority shall serve upon the dealer a fresh notice in respect of the amount by which such tax or other dues are enhanced, and any proceeding in relation to the amount specified in the notice already served upon him before the disposal of such appeal, revision or other proceeding may be continued from the stage at which it stood immediately before such disposal ;

1. Substituted by section 6 (1)(c) of Uttarakhand Act No. 25 of 2010.

- (b) where as a result of such appeal, revision or other proceeding the amount of such tax or other dues is reduced--

- (i) it shall not be necessary to serve upon the dealer a fresh notice but only the reduced amount shall be realised,
- (ii) if any recovery proceedings are pending before any officer or authority other than the assessing authority, the assessing authority shall intimate such reduction to such officer or authority,
- (iii) any proceeding initiated on the basis of notice or notices served upon the dealer before the disposal of such appeal, revision or other proceeding, including any recovery proceeding may be continued in relation to amount so reduced from the stage at which it stood immediately before such disposal;
- (c) no fresh notice shall be necessary in any case where amount of the tax or other dues is not enhanced (with reference to the amount assessed by the assessing authority) as a result of such appeal, revision or other proceedings.

- (12) In respect of any sum recoverable under this Act as arrears of Land Revenue, the assessing authority may, after 90 days of the service of the order of assessment and notice of demand, forward to the Collector a certificate for recovery under his signature specifying the sum due. Such certificate shall be conclusive evidence of the existence of the liability of this amount on the person who is liable and the Collector on receipt of the certificate shall proceed to recover from such person the amount specified therein as if it were an arrear of land Revenue:

Provided that no such certificate for recovery shall be issued before giving a notice to the person/dealer to this effect:

Provided further that without prejudice to the powers conferred by this section the Collector shall, for the purpose of recovering the amount specified in the certificate shall have also all the powers which--

- (a) a Collector has under the Revenue Recovery Act, 1890; and
- (b) a Civil Court has under the Code of Civil Procedure, 1908 for the purpose of recovery of an amount due under a decree.

Explanation-- The expression Collector includes an Additional Collector or any other officer authorized to exercise the powers of Collector under the law relating to land revenue for the time being in force in the State.

- (13) (i) Every person responsible for making tax deduction at source in accordance with the provisions of this Section, if he is not registered dealer, shall submit an application in the prescribed form to the Assessing Authority for allotment of Tax Deduction Account Number. The application shall be disposed of by the Assessing Authority in such time and manner as may be prescribed;
- (ii) if the application is in order and particulars given therein are correct, the Assessing Authority shall allot him a Tax Deduction Account Number;
- (iii) Tax Deduction Account Number shall be mentioned in all the documents pertaining to deposit of tax and in all correspondence and returns filed. No person other than a registered dealer can make tax deduction at source unless he has applied for a Tax Deduction Account Number;

(iv) If any person referred to in clause (i) above fails to apply for Tax Deduction Account Number, he shall be liable for penalty as per the provisions of this Act.”

- (14) Notwithstanding anything contained in any law or contract to the contrary, the assessing authority may, at any time or from time to time, by notice in writing the copy of which shall be forwarded to the dealer at his last address known to the assessing authority, require--

- (a) any person from whom any amount is due or may become due to the dealer, or
- (b) any person who holds or may subsequently hold money for or on account of the dealer, to pay to the assessing authority--
- (i) forthwith upon the money becoming due or being held, or

- (ii) at or within the time specified in the notice not being before the money becomes due or is held, so much of the money as is sufficient to pay the amount due from the dealer in respect of arrears of tax or other dues under this Act, or the whole of the money when it is equal to or less than that amount.

Explanation-For the purpose of this sub-section, the amount due to a dealer or money held for or on account of a dealer by any person shall be computed after taking into account such claim if any, as may have fallen due for payment by such dealer to such person and as may be legally subsisting.

- (15) The assessing authority may at any time or from time to time amend or revoke such notice.
- (16) Any person making any payment in compliance with notice under sub-section (14) shall be deemed to have made the payment under the authority of the dealer and the receipt of the assessing officer shall constitute a good and sufficient discharge of the liability of such person to the dealer to the extent the amount referred to in the receipt.
- (17) Any person discharging any liability to the dealer after the receipt of notice referred to in sub-section (14) shall be personally liable to the assessing authority to the extent of the liability discharged or to the extent of the amount mentioned in such notice, whichever is less.
- {(17A) If any amount is to be paid by a person to the Assessing Authority, under sub-section (14) of Section 34 of this Act, but the person fails to pay the amount, such person shall be liable to pay such amount not exceeding the amount due, as penalty, as directed by the Assessing Authority in writing, after giving him the opportunity of being heard.}¹
- (18) Where a person, to whom a notice under sub-section (14) is sent, proves to the satisfaction of the assessing authority that sum demanded or any part of thereof is not due by him to the dealer, or that he does not hold any money for or on account of the dealer, then nothing contained in this section shall be deemed to require such person to pay the sum demanded or any part thereof, as the case may be, to the assessing authority.
- (19) Notwithstanding any thing to the contrary contained in any law for the time being in force, any tax payable under the provisions of this Act together with interest or penalty, shall be due for payment immediately when it becomes payable or assessed in the manner provided in this Act or the rules made thereunder and any such amount payable by a dealer on account of tax, penalty or interest or any amount which a person is required to pay under this Act shall be a first charge on the property of the dealer or such person.

----- 1- Add. by section 7 of Uttarakhand Act no 02 of 216.

- (20) Notwithstanding anything contained in this Act, no tax, fee, interest or penalty under this Act shall be recovered and no refund shall be allowed if the amount involved for any assessment year is less than 10 rupees.
- (21) The Assessing Authority shall have the powers to-
- (a) withhold issuing of any Form or Certificate under the Act to a person, or a dealer or a casual dealer,
 - (b) order seizure of goods being transported by a person, or a dealer or a casual dealer, from whom any tax, penalty, interest or any other amount under the provision of the Act is due.

{Tax to be first Charge by a property 34A. Notwithstanding anything to the contrary, contained in any law or contract, any amount of tax, penalty or other amount, if any, payable dealer or other person under this Act shall be first charge on the of the dealer or such person. }³

Recovery of Tax by way of 35. (1) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 22, every Tax

Deduction at Source account contract, by the part on person responsible for making payment to any dealer (hereinafter in this section referred to as the contractor) for discharge of any liability on of valuable consideration payable for the transfer of property in goods (whether as goods or in any other form) in pursuance of a works not being a building contract of such class or value as may be notified State Government in public interest in this behalf, shall, at the time of making such payment to the contractor, either in cash or in any other manner, deduct [an amount equal to six percent]¹ of such sum towards or, as the case may be, full satisfaction of the tax payable under this Act account of such works contract:

Provided that the assessing authority may, if satisfied that it is expedient in the public interest so to do and for reasons to be recorded in writing, order that in any case or class of cases no such deduction shall be made or, as the case may be, such deduction shall be made at a lesser rate:

Provided further that where any deduction has been made by a contractor from the payment made to his sub-contractor in accordance with sub-section (3), the amount of such payment shall be deducted from the amount on which deduction is to be made under this sub-section.

(2) Where under an agreement of transfer of right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) the lessee to whom the right to use any goods is transferred, is--

- (a) a registered dealer; or
- (b) the Central Government or any State Government; or
- (c) any local authority, any corporation or undertaking constituted by or under a Central Act or a State Act; or
- (d) any Co-operative society or any other society, club, firm or other association of persons or a company, whether incorporated or not, the person responsible for making such payment to the less or (who is transferring the right to use any goods) for discharge of liabilities under such agreement, shall at the time of making such payment to the less or, either in cash or by credit or any other manner, deduct an amount [at the rate of five percent]² of such sum towards part or, as the case may be, full satisfaction of the tax payable under this Act on account of such transfer of right to use any goods:

- 1. Substituted by section 4 of Uttarakhand Act No. 09 of 2012.
- 2. Substituted by section 4(1) of Uttarakhand Act No. 11 of 2015.
- 3. Add. by section 8 of Uttarakhand Act no 02 of 2016.

Provided that the assessing authority may, if satisfied that it is expedient in the public interest so to do and for reasons to be recorded in writing, order that in any case or class of cases no such deduction shall be made or, as the case may be, such deduction shall be made at a lesser rate:

Provided further that where any deduction has been made by a contractor from the payment made to his sub-contractor in accordance with

sub-section (3), the amount of such payment shall be deducted from the amount on which deduction is to be made under this sub-section.

- (3) Any contractor responsible for making any payment for discharge of any liability to any sub- contractor in pursuance of a contract with the sub-contractor for the transfer of property in goods (whether as goods or in any other form) involved in the execution of a works contract or for transfer of right to use any goods for any purpose, whether wholly or in part, of the work under-taken by the contractor, shall, at the time of such payment or discharge, in cash or by cheque or draft or by any other mode, deduct an amount equal to four percent of such payment or discharge, purporting to be a part of full amount of tax payable under this Act on such transfer from the bills or invoices raised by the sub-contractor as payable by the contractor:

Provided that no deduction under this sub-section shall be made on the amount on which deduction has already been made under sub-section(1) or sub-section(2), (4) The amount deducted under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) shall be deposited into the Government Treasury by the person making such deduction before the expiry of the month following that in which deduction is made.

- (5) The person making such deductions under sub-section(1) or sub-sections) or sub-section (3) shall, at the time of payment or discharge furnish to the person from whose bills or invoices such deduction is made, a certificate in such form and manner and within such period as may be prescribed.
- (6) The person responsible for making the payment to the contractor or sub-contractor shall submit such return of such payments at such intervals, within such period, and in such manner as may be prescribed, but the assessing authority may, in its discretion, for reasons to be recorded extend the date for the submission of the return by such person.
- (7) Any deduction made in accordance with the provisions of this section and credited in the Government Treasury shall be treated as payment of tax on behalf of the person from whose bills or invoices the deduction has been made, and credit shall be given to him for the amount so deducted on the production of the certificate referred to in sub-section (5), in the assessment made for the relevant assessment year.

-
- (8) [If any such person as is referred to in sub-section (1) or in sub-section (2) or in sub-section (3), -

(a) fails to make the deduction of the amount deductible under this section the Assessing Authority may, after giving such person an opportunity of being heard, by order in writing, direct that such person shall pay, by way of penalty, a sum which shall not be less than one hundred fifteen percent and not more than one hundred twenty five percent of such amount deductible under this section; or

(b) after deduction fails to deposit the amount so deducted in to the Govt. Treasury as required in sub-section (4), the Assessing Authority may, after giving such person an opportunity of being heard, by order in writing direct that such person shall-

- (i) pay, by way of penalty, a sum equal to two percent of such amount, if the delay in depositing such amount is not more than a month; and

- (ii) pay, by way of penalty , a sum which shall not be less than fifteen percent and not more than twenty five percent of such ofa mount, if the delay in depositing such amount is more than a month.]¹
- (9) Without prejudice to the provisions of sub-section (8), if any such person fails to make the deduction or, after deducting, fails to deposit the amount so deducted, he shall be liable to pay simple interest at the rate of fifteen percent per annum on the amount deductible under this section but not so deducted and, if deducted, not so deposited from the date on which such amount was deductible to the date on which such amount is actually deposited.
- (10) [Without prejudice to the provisions of sub-section (8), where the amount has not been deposited after deduction, the Assessing Authority, after giving an opportunity of being heard, may pass an order directing such person to deposit such amount together with the interest referred to in sub-section (9) and such amount together with such interest shall be a charged upon all the assets of the person concerned.]²
- (11) Payment by way of deduction in accordance with sub-section (1) or sub-section (2) or sub- section (3) shall be without prejudice to any other mode of recovery of tax due under this Act from the contractor or the sub-contractor, as the case may be.

1-Substituted by section 4(2) of Uttarakhand Act No. 11 of 2015.

2-Substituted by section 4(3) of Uttarakhand Act No. 11 of 2015.

Explanation:- For the purpose of this section, "assessing authority" means the officer having jurisdiction over the place where the place of business or residence of the person is located.

- (12) Nothing contained in this section shall prevent the assessing authority from making an assessment of tax payable by the dealer in accordance with other provisions of the Act and notwithstanding any thing contained in this section the dealer shall be liable to pay tax according to other relevant provisions of the Act.
- [(13) (i) Every person responsible for making tax deduction at source in accordance with the provisions of this Section, if he is not registered dealer, shall submit an application in the prescribed form to the Assessing Authority for allotment of Tax Deduction Account Number. The application shall be disposed of by the Assessing Authority in such time and manner as may be prescribed;
- (ii) if the application is in order and particulars given therein are correct, the Assessing Authority shall allot him a Tax Deduction Account Number;
- (iii) Tax Deduction Account Number shall be mentioned in all the documents pertaining to deposit of tax and in all correspondence and returns filed. No person other than a registered dealer can make tax deduction at source unless he has applied for a Tax Deduction Account Number;

- (iv) If any person referred to in clause (i) above fails to apply for Tax Deduction Account Number, he shall be liable for penalty as per the provisions of this Act.]¹

CHAPTER - V

REFUND AND ADJUSTMENT

Refund

36. (1) Subject to other provisions of this Act and the rules made thereunder, the assessing authority shall, refund to a person the amount of tax, penalty and interest, if any, paid by such person in excess of the amount due from him:

Provided that the amount found to be refundable shall first be adjusted towards the tax or any other amount outstanding apt the dealer under the Act or under the Central Sales Tax Act, 1956, or the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 and only the balance, if any, shall be refunded.

- (2) Where any refund is due to any dealer according to the return furnished by him for any tax period, such refund may provisionally be adjusted as per the provisions under sub-section (10), sub-section (11) or sub-section (12) of Section 6.

- [(3) If any amount is found to be refundable in accordance with sub-section (1) or sub-section (2), the refund shall be made in the prescribed manner including electronic methods within one month from the date of order of refund or the date of receipt, of the order of refund by the assessing authority, if such order is passed by any other competent authority or Court. If the refund is not made within sixty days of the date of such order or, as the case may be, the date of receipt of such order of refund, by the assessing authority, the dealer shall be entitled to simple interest on such amount at the rate of nine percent per annum from the date of expiry of such period to the date of refund :

1. Added by section 7 of Uttarakhand Act No. 25 of 2010.

Provided that if any amount is found to be refundable in the cases deemed to have been self assessed in accordance with sub-section (3) of Section 25, the refund shall be made within one month of the expiry of one year from the last date prescribed for filing the annual return relating to the particular assessment year or the actual date, when the annual return is filed, whichever is later.]²

- (4) Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court or authority no refund shall be allowed of any tax or fee due under this Act on the turnover of sales or purchases or both, as the case may be, admitted by the dealer in the returns filed by him or at any stage in any proceedings under this Act.
- (5) Notwithstanding any thing contained contrary in this Section any dealer to whom refund of any, amount is allowed, may, before the date such refund is made, apply to the assessing authority for withholding the amount of refund for adjustment towards his future liabilities either under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956. If the dealer has presented his application for withholding amount of refund, the assessing authority shall withhold amount of refund. In such a case the dealer shall not be entitled for interest.

Explanation (1): The expression "Refund" includes any adjustment under the proviso to sub- section (1).

[Explanation (2): If the refund is made electronically the date of refund shall be deemed to be the date on which the refund is made, otherwise the date of refund shall be deemed to be the date on which intimation regarding preparation of the refund voucher is sent to the dealer in the manner prescribed.]³

Provisional and the Refund in case returns show any amount to be refundable to the dealer on account of sale in of Exporters the course of export, then the dealer may after the end of every quarter, apply in the manner prescribed, to the assessing authority for grant of provisional refund, if any, pending assessment.

(2) The said dealer shall furnish a Bank Guarantee or other security or documentary evidence of export of goods to the satisfaction of the assessing authority for an amount equal to the amount of the provisional refund. On receipt of such guarantee or other security or documentary evidence of export, the assessing authority shall, subject to the provisions of this Section and the rules, grant the dealer within thirty days a provisional refund that may be found as refundable. The dealer shall keep the bank guarantee or security furnished by him valid up to the date of recovery of excess amount, if any, after final assessment:

Provided that if the amount found refundable is not refunded to the dealer within the period prescribed, the dealer shall be entitled to simple interest on such amount at the rate of nine percent per annum.]¹

(3) The assessment under this Act of such dealer in respect of the year containing the period covered by the said return will be taken up as early as practicable and the provisional refund against tax due, if any, as a result of the assessment shall be adjusted.

1.Substituted by section 11 of Uttarakhand Act No. 05 of 2008. 2.Substituted by section 8(a) of Uttarakhand Act No. 25 of 2010. 3.Subs. by section 8(b) ibid.

(4) If, on assessment, the provisional refund granted under sub-section(2) is found to be in excess, then the excess amount of refund shall be recovered from the dealer along with interest as if it were tax admittedly due from the dealer under this Act.

(5) Interest will be charged at the rate of fifteen percent per annum from the date of grant of provisional refund, till the date of payment of such amount.

Refund of Tax in case of sales to Embassies, International Organizations or to units established in Special Econo- 38. (1) Any person or a dealer or embassies, international organizations listed in Schedule V of this Act, shall be entitled to claim refund of tax paid by him on the purchase of goods and notwithstanding anything contained in Section 36, the amount due for refund shall be refunded within 45 days of the presentation of the claim for refund.

(2) Any unit established in Special Economic Zone shall be entitled to claim refund of tax paid by it on the purchases from any unit established in mic Zone Domestic Tariff Area and such dealer shall be eligible for refund of such amount as in case of exporters and the provisions of Section 37 shall mutatis mutandis apply in such case.

Power to Withhold Refund in 39. (1) Where an order giving rise to a refund is the subject matter of an appeal or further proceeding or where any other proceeding under this Act is pending, and the assessing authority is of the opinion that grant of such refund is likely

certain cases

to adversely affect the revenue and that it may not be possible to recover the amount later, the assessing authority may, with the permission of the Commissioner or any officer authorized by him, withhold the refund till such time as he may determine.

- (2) Where a refund is withheld under sub-section (1) and as a result of the appeal or further proceeding or any other proceeding, dealer becomes entitled to any refund, the dealer shall be entitled to interest as provided under sub-section (1) of Section 41 on the refundable amount:

Provided that if any refund has been withheld under this section and if any amount out of the refundable amount is adjusted towards any tax liability of the dealer, the dealer shall not be entitled for any amount of interest for the relevant period on the amount so adjusted.

Disbursement
to do of Amount
Wrongly
Realized by

40. (1) Where any amount is realized from any person by any dealer, purporting so by way of realization of tax on the sale or purchase of any goods, in contravention of the provisions of Section 22, such dealer shall deposit the entire amount so realized in such manner and within such period as prescribed therein.

Dealer as Tax

- (2) Any amount deposited by any dealer under sub-section (1) shall to the extent it is not due as tax, be held by the State Government in trust for the person from whom it was realized by the dealer, or for his legal representatives, and the deposit shall discharge such dealer of the liability in respect thereof to the extent of the deposit.

- (3) Where any amount is deposited by any dealer under sub-section (1) such amount or any part thereof shall, on a claim being made in that behalf be refunded in the manner prescribed, to the person from whom such dealer had actually realized such amount or part thereof, or to his legal representative and

Provided that no such claim shall be entertained after the expiry of three years from the date of order of assessment or one year from the date of the final order in appeal or revision, if any in respect thereof, whichever is later.

- (4) Where any amount has been deposited by any dealer in accordance with the provisions under sub-section (1), the dealer shall not be entitled to allow refund of such amount to the purchaser of goods.

Explanation:- The expression "final order on appeal or revision" includes an order passed by the Supreme Court under Article 32, Article 132, Article 133, Article 136 or Article 137 or by the High Court under Article 226 or Article 227 of the Constitution.

Interest
this

41. [(1) Any dealer or a person entitled to refund in pursuance of any order under Act (including assessment under Section 24, Section 25, or Section 26) or in pursuance of any order by any court, shall subject to rules, be entitled to receive, in addition to the refund, a simple interest at the rate of nine percent per annum if the refund voucher/ electronic intimation of refund is not sent to him as per the provisions of section 36.]

- (2) The interest shall be calculated on the amount of refund due after deducting there from any tax, interest, penalty or any other dues under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956.

- (3) If as a result of any order passed under this Act the amount of such refund is enhanced or reduced such interest shall be enhanced or reduced accordingly.
- (4) When a dealer is in default or is deemed to be in default in making the payment of any amount of tax assessed under Section 24, Section 25 or Section 26 in excess of tax admitted by the dealer, and the amount remains unpaid for three months after expiration of the period specified in the order of assessment and notice of demand, he shall be liable to pay simple interest on such amount at the rate of nine percent per annum from the date of such default for so long as he continues to make default in the payment of the said tax beyond the time prescribed.
- (5) Where as a result of any final order the amount of tax (including any penalty) due is wholly reduced, the amount of interest if any, paid shall be refunded, or if such amount is modified, the interest due shall be calculated and refunded accordingly.
- (6) Where any amount of tax payable is enhanced by any such order, interest shall be payable on the amount by which the tax is enhanced after the expiry of a period of thirty days from the date of the receipt of the notice of demand issued by the assessing authority if the amount remains unpaid for three months after the expiration of the period specified in the notice of demand.
- (7) Where the realization of any amount remains stayed by the order of any Court or authority and such order is subsequently vacated, interest shall be payable also for any period during which such order remained in operation.
- (8) The interest leviable under this Act due to the non-payment or late payment of tax shall not exceed the amount of tax on which such interest is charged.
- (9) The interest payable under this Act shall be deemed to be tax due under this Act.

1. Added by section 9 of Uttarakhand Act No. 25 of 2010.

CHAPTER-- VI

INSPECTION OF ACCOUNTS, SEARCH AND SEIZURE AND ESTABLISHMENT OF CHECK-POST

Power to order 42- (1) Any officer empowered by the State Government in this behalf may, for the
Production of purposes of this Act, require any dealer or any other person who carries on Accounts
and business of buying, selling or supplying goods for self or on behalf of other Power
of Entry dealer, to produce before him any book, document or account relating to his and Inspection
business or relating to the business of other dealers, and may inspect, examine
and copy the same and make such enquiries from the dealer or such person,
relating to his business or business of other dealers, as he considers necessary:

Provided that books, documents and accounts of a period more than five years prior to the assessment year shall not be so required, unless in any special case for reasons to be recorded such officer considers necessary.

- (2) All books, documents and accounts maintained by any dealer or a person in the ordinary course of business, the goods in his possession, and his place of business or vehicle shall be open to search and inspection at all

reasonable time by such officers, as may be authorized by the State Government in this behalf. For the purpose of this Section, the officer authorized thereunder may enter and search any place of business or vehicle or any other building or place where he has reason to believe that the dealer keeps or is for the time being keeping, any books, registers, documents, accounts or goods relating to his business and the officer may require any proprietor, employee or any other person who may at that time and place be attending in any manner to, or helping in, the business--

- (a) to afford him the necessary facility to inspect such books of accounts and other documents as he may require and which may be available at such place;
 - (b) to afford the necessary facility to check or verify the cash, stock or other valuable article or things which may be found therein; and
 - (c) to furnish such information as he may require as to any matter which may be useful for, or relevant to any proceedings under this Act :
- (3) Notwithstanding any thing contained in this Section, no business premises or residential accommodation shall be entered into, inspected or searched by such officer unless specially authorized by the Commissioner or such other officer not below the rank of a Joint Commissioner, as may be authorized in this behalf by the Commissioner.
- Explanation:- For the purpose of this sub-section, a place where the person is engaged in business will also include any other place in which the person engaged in business or the said employee or other person attending or helping in business states that any of the books of accounts or other documents or any part of the cash, stock or other valuable article or things relating to the business are or is kept.
- (4) The officer authorized under sub-section (1) or sub-section (2) may make or cause to be made extracts or copies from books of accounts and other documents inspected by him, make an inventory of any cash, stock or other valuable article or thing checked or verified by him, and record the statement of any person which may be useful for, or relevant to, any proceeding under this Act.

purpose
register, or

period of
extracts
the
receipt in

signature
dealer
him
been

- (5) If any officer authorized under sub-section (1) or sub-section (2) has reasonable grounds for believing that any dealer is trying to evade liability for tax or other dues under this Act and that any thing necessary for the of an investigation into his liability may be found in any account, document he may seize such account, register or document as may be necessary. The officer seizing the account, register or document shall forthwith grant a receipt for the same and shall be bound to return them to the dealer or the person from whose custody .they were seized, within a ninety days from the-date of such seizure, after having such copies or taken therefrom as may be considered necessary ; Provided the dealer or aforesaid person authenticates such copies and extracts, and gives a writing for the account, register or document returned to him. The officer may, before returning the account, register or document, affix his and his official seal at one or more places thereon, and in such case the or the aforesaid person will be required to mention in the receipt given by the number of places where the signature and. seal of such officer have affixed on each account, register or document.

Explanation:- In calculating the period specified in this sub-section the period during which proceeding under this Act remain stayed under the order of any Court or authority shall be excluded.

- (6) Notwithstanding any thing contained in sub-section (5) the officer seizing any account, register or other document under that sub-section may for the reasons to be recorded by him in writing and with the prior approval of the Commissioner, retain such account, register, or document for such period not extending beyond thirty days from the date of completion of all the proceedings under this Act in respect of the assessment years for which they are relevant as he deems necessary.
- (7) An officer authorized to act under sub-section (1) or sub-section (2)--
 - (a) shall have the power to seal the place of the business, vehicle or any box, almirah or receptacle found on such place of business or vehicle in which he has reason to believe that any account, register or other documents or goods are kept or contained, if the owner or the person in occupation or incharge of such office, shop, godown, vehicle or box, almirah or other receptacle leaves the place or is not available or fails or refuses to open it when called upon do so;
 - (b) where the owner or other person in occupation or incharge of the office, shop, godown, or vehicle or of the box, almirah or other receptacle found in the office, shop, godown, vessel or vehicle is present but leaves the place or after an opportunity having been given to him to do so, fails to open, as the case may be, such office, shop, godown, vehicle or box, almirah or other receptacle, may break open the same and prepare a list of the goods and documents found therein.
- (8) No person shall tamper with any seal put under sub-section (7).
- (9) Any officer empowered under sub-section (1) or sub-section (2) may require any person-
 - (a) who transports or holds in-custody, for delivery to or on behalf of any dealer, any goods, to give any information likely to be in his possession in respect of such goods or to permit inspection thereof;
- (b) who maintains or has in his possession any account, book or document relating to the business of a dealer, to produce such account, book, or document for inspection.
- (10) Where in the course of any search at the business place of a dealer any book of accounts, other documents, money or goods are found on the possession or control of any person, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that such books of account, other documents, money or goods belong to such dealer.
- (11) The officer who has made inspection or search or seizure of any books, accounts or documents or investigation or an officer who has made investigations under this Section; on the basis of fact found, shall prepare a report in respect of such inspection or search or seizure or investigation and where the officer preparing the report is an officer different from the assessing authority, such officer shall forward a copy of such report to the assessing authority of the dealer.
- (12) The assessing authority may require any dealer or a class of dealers to furnish the names, addresses and such other particulars as he may find

necessary relating to the persons and dealers who have purchased any goods from or sold any goods to such dealer or class of dealers during any given period.

- (13) The assessing authority may call for details and particulars from State or Central Government departments and financial institutions including banking companies, which, he is of the opinion, will be relevant and useful for the purposes of this Act.
- (14) Notwithstanding the powers of the assessing authority to inspect books of account and enter and search any place of business of any dealer (both registered or unregistered) under this Section, the Commissioner, with a view to identify dealers who are liable to pay tax under this Act, may from time to time cause a survey of unregistered dealers to be taken.
- (15) The provisions of Section 100 and Section 165 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, as far as may be, apply in relation to any entry, search or inspection under this Section as they apply in relation to any inspection or search under the said Code.

1[Documents to 42-A The owner or a person duly authorized by such owner or the driver or be carried and person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may information to be given be, who intends the movement of goods, exceeding such quantity or regarding measure or of such value as may be notified by the state Government in goods in that behalf shall, before movement of goods prepare such documents movement containing such information in this regard as may be prescribed and submit such information to such authority in such form and manner within such time as may be prescribed and during the movement of goods shall carry with him such document and invoice/ challan (as applicable), and document of title to goods/ GR/ Bilty or like other such documents.

Control on 42-B (1) Every clearing, forwarding or booking agent or broker or any other clearing, person transporting goods, who in the course of his business handles forwarding or booking agent documents of title to goods or transports goods or takes delivery of and any person goods for or on behalf of a dealer or a person and having his place of transporting business in the State shall, furnish information about his place of goods business in the State and also about vehicles or carriers owned or hired by him for transportation of goods to such authority in such form and manner and within such time as may be prescribed.

1. Added by section 5 of Uttarakhand Act No. 09 of 2012.

- (2) Every such agent or person referred to in sub-section (1) shall maintain true and complete record of the goods transported, delivered, or received for transport, containing such information as may be prescribed and the copy of documents of title relating thereto and shall furnish true and complete particulars and information relating to the transaction of goods of any dealer or person to the officer who is authorized for this purpose by the commissioner in such form and manner within such time as may be prescribed and shall produce the said record and the documents before such officer as and when required.
- (3) Any agent or person referred to in sub-section (1) who contravenes the provisions of the said sub-section (1) or sub-section (2), the

authority referred to in sub section(1) or (2) may, after giving such agent or person an opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty an amount not exceeding one thousand rupees for the first contravention and if the contravention is continuing one with a penalty not exceeding two hundred rupees for everyday during which the offence continues.

- (4) Any agent or person referred to in sub-section (1) does anything directly or indirectly, which results in evasion of tax or would have resulted in evasion of tax if such evasion was not detected and prevented in time, the prescribed authority may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty an amount not exceeding forty percent of the value of such goods involved in the transactions of a dealer or a person or three times the tax, leviable on such goods, which appears to have been evaded or so sought to be evaded, whichever is higher. In such case, the agent or person referred to in sub-section (1), notwithstanding anything contained in this Act, shall be deemed to be a dealer and he shall also be liable to pay the tax so evaded or so sought to be evaded. The penalty and tax so imposed shall be without prejudice to his liability under any other provision of this Act or under any other law for the time being in force.

Explanation: --

- (i) "Clearing, forwarding, booking agent or broker" shall include a person who renders his services for clearing, forwarding or booking of or taking delivery of consignment of goods at railway premises, air cargo complex, containers depot, booking agency, goods transport company office or any place of loading or unloading of goods or contrives, makes and concludes, bargains and contracts for or on behalf of any dealer for a fee, reward, commission, remuneration or other valuable consideration or otherwise; and
- (ii) "Person transporting goods" shall, besides the owner, include manager, agent, driver, employee of the owner, a person in-charge of a place of loading or unloading of goods or in charge of a goods carrier carrying such goods for dispatch to other places or gives delivery of any consignment of such goods to the consignee.
- (5) Notwithstanding anything contained in Section 51, any person aggrieved by order of penalty passed under sub-section (3) or sub-section (4) of this section may, within 60 days from the date of service of the copy of the order, appeal to such authority as may be prescribed. Provided that such appeal shall lie only if the proof of deposit of 50% of the amount of penalty, imposed under sub-section (3) or 25% of the amount of penalty imposed under sub-section (4) of this section is submitted.]]

1. Added by section 5 of Uttarakhand Act No. 09 of 2012.

Power to Seize
42 Goods

43. (1) An officer authorized under sub-section (1) or sub-section (2) of Section shall have the power to seize any goods-

(a) which are found in the dealer's place of business or vehicle or any other building or place; or

(b) which, such officer has reason to believe to belong to the dealer and which are found in any place of business or vehicle or building or place, but are not accounted for by the dealer in his accounts or registers or other documents maintained in the course of his business:

Provided that a list of all the goods seized under this sub-section shall be prepared by such officer and be signed by him, and a copy thereof shall be given to the dealer.

(2) Where any officer empowered by the State Government in this behalf has reason to believe that the goods found in any vehicle, building or place are not traced to any bona fide dealer or it is doubtful if such goods are properly accounted for by any dealer in his accounts, register or other documents, maintained in the course of his business, he shall have power to seize such goods and the remaining provisions of this Section shall mutatis mutandis apply in relation to such seizure.

(3) An officer seizing the goods under sub-section (1) shall take all the measures necessary for their safe custody and forward the list, referred to in the proviso to sub-section (1), along with other documents relating to the seizure to the assessing officer concerned.

(4) The said assessing authority shall serve on dealer or, as the case may be, the person in charge of goods, at the time of seizure (hereinafter in this Section referred to as the person in charge) a notice in writing requiring him to show cause, why a penalty should not be imposed.

(5) If such officer, after taking into consideration the explanation, if any, of the dealer, or as the case may be, the person in-charge and giving him an opportunity of being heard, is satisfied that the said goods were willfully omitted from being shown in the accounts, registers and other documents referred to in sub-section (1), it shall pass an order imposing a penalty not exceeding forty percent of the value of such goods as he deems fit.

(6) A copy of the order imposing penalty under sub-section (5) shall be served on the dealer or, as the case may be, the person in-charge.

(7) The officer seizing the goods shall serve on the dealer or, as the case may be, the person in-charge an order in writing mentioning the fact of such seizure and indicating the amount, not exceeding such amount as would be sufficient to cover the penalty likely to be imposed, on the deposit where of in cash, the goods so seized shall be released in favour of the dealer or, as the case may be, the person in-charge.

(8) Notwithstanding any thing contained in sub-section (7), the Commissioner or such officer, not below the rank of Deputy Commissioner, as may be authorized in this behalf by the Commissioner, may, for sufficient reasons to be recorded in writing, direct that goods be released without any deposit or on depositing such lesser amount, or furnishing security in such form other than cash, as he may deem fit.

amount
manner
the
sold in
the
any

- (9) The penalty or such part thereof as remains after adjustment of any deposited under sub-section (7) shall be deposited in the prescribed within thirty days of the date of service of the copy of the order imposing penalty. In default, the assessing authority shall cause the goods to be such manner as may be prescribed and apply sale proceed thereof toward penalty and, subject to the provisions of Section 36, refund the balance, if to the dealer or, as the case may be, to the person-in-charge.
- (10) Where the officer seizing the goods, before forwarding the list and other documents referred in sub-section (2) or the assessing authority at any time thereafter; is of the opinion that the goods are subject to speedy and natural decay or where the tax assessed or penalty imposed, as the case may be, is not deposited in accordance with the provisions of this Act, the officer seizing the goods or the assessing authority, as the case may be may, without prejudice to any other action that may be taken in accordance with other provisions of this Act, cause the goods to be sold by public auction in the prescribed manner. The sale proceeds of such goods shall be adjusted towards the expenses and tax assessed or penalty imposed. The balance, if any, shall be refunded to the dealer or, as the case may be, the person in-charge in accordance with the provisions of sub-section (9).
- (11) If the amount deposited under sub-section (7) is more than the amount of penalty imposed under sub-section (5), the excess amount so deposited shall be refunded to the dealer or, as the case may be, the person in-charge, by the officer with whom it was so deposited in accordance with the provisions of Section 36.

[Movement of 43-A (1) Notwithstanding any thing contained in section 43 the owner or a goods within person duly authorized by such owner or the driver or person-in-charge the State or of a vehicle or of goods in movement, as the case may be (hereinafter from State to outside the referred to as the transporter), who intends the movement of goods State exceeding such quantity or measure or of such value as may be notified by the State Government in that behalf, from any place in the State to any place outside state or from any place in the state to any other place in the State or from any place in the state to any other place in the State passing through any other State, before movement of goods, shall prepare information in this regard in the prescribed Form (hereinafter called the "Lorry Challan") containing individual serialized number, the name and complete address of the consignor and consignee, quantity and description of goods, details of invoice/challan (as applicable), and document of title to goods/GR/Bilty or like other such documents in respect of such goods and other information in a manner as may be prescribed

Provided that the Government, by a Notification, may provide for the submission of "Lorry Challan" to the prescribed authority before the movement of goods, in such form and in such manner, including online manner, as may be prescribed in the Notification.

- (2) (a) The transporter shall carry with him, the copy of such "Lorry Challan" duly signed by him and copy of other such documents and shall stop the vehicle, when so required by an officer authorized under sub-section (1) or sub-section (2) of section 42, at any place and take it along with the goods and

documents to the nearest office of Commercial Tax department or to any other place as directed by such officer and keep it stationary for so long as may be considered necessary by such officer and allow him to search the vehicle and inspect the goods and the documents :

1. Added by section 6 of Uttarakhand Act No. 09 of 2012.

Provided that where the goods are transported from one place to another falling within the same local area of the state the commissioner may relax the condition of carrying "Lorry-Challan" or documents of title to goods with certain conditions and restrictions as it may deem fit. Here the "local area" means the local area as defined in section 2 of Uttarakhand Entry Tax Act, 2008.

- (b) The transporter shall preserve the copy of such "Lorry Challan" for such period as may be prescribed and produce them whenever so required, failing which he shall be liable to pay by way of penalty a sum of Rupees five hundred for each "Lorry Challan".
- (3) Where the goods are for personal use or consumption and such goods are transported by any person in his personal vehicle, such person need not prepare or carry "Lorry Challan"
- (4) The officer, referred to in preceding sub section, if after making search or inspection, is satisfied that;
 - (i) the transporter is transporting or attempting or abetting to transport any goods, to which this section applies, without preparing or submitting "Lorry-Challan" in the prescribed form and manner; or without carrying copy of such Lorry-Challan; or
 - (ii) the transporter is transporting or attempting or abetting to transport any goods, to which this section applies, without carrying invoice/
challan (as applicable), and document of title to goods/ GR/ Bilty or like other such documents in respect of such goods.
 - (iii) the weight/quantity or number of packages of goods being transported are uncovered by the Lorry-Challan; it may,
 - (a) direct the person referred to in above sub section not to part with the goods in any manner including re-transporting or re-booking till an enquiry is made, which shall not take more than seven days;
 - (b) order detention of such vehicle along with the goods.
- (5) (a) If, at any stage, such officer is satisfied, after giving the transporter an opportunity of being heard, that the goods referred to in previous sub section were transported without submitting Lorry Challan in the prescribed Form and manner or without carrying Lorry Challan or other prescribed documents and that, such goods are;

- (i) the goods other than the goods specified in schedule (1) referred to in clause (a) of sub-section (2) of Section 4; and
- (ii) such goods were not meant for personal use or consumption;

It shall be deemed that such goods were so transported in an attempt to facilitate or assist to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under the Act, and, in such case, the officer may seize such vehicle by an order in writing and notwithstanding anything contained

(5)(b) if, at any stage, such officer is satisfied, after giving the transporter an opportunity of being heard, that the goods referred to in previous sub section were transported alongwith the copy of the Lorry Challan in the prescribed Form and manner, but any of the goods found in the vehicle were not covered by the "Lorry-Challan" and that, such goods are referred (i) the goods other than the goods specified in schedule (1) to in clause (a) of sub-section (2) of Section 4 ; and (ii) such goods were not meant for personal use or consumption; it shall be deemed that such goods were so transported in an attempt to facilitate or assist to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, and, in such case, the officer may seize such vehicle by an order in writing and notwithstanding anything contained in section-43, the transporter shall be liable to pay by way of penalty an amount which quantified at the rate of rupees five hundred for a quintal or part of a quintal of such goods :

Provided that, Government may by a notification issue general instruction not to demand penalty under sub-section 5(b) from the transporter in the circumstances where in pursuance of Section 43(5) or Section 43(7) the penalty or an amount sufficient

to cover such penalty likely to be imposed has been deposited by such transporter referred to in sub-section 5(b), regarding the same goods :

Provided further that the State Government may by Notification increase the amount of penalty provided under this sub-section.

Explanation-- for seizure and other actions regarding the goods referred to in this section, the provisions of section 43 shall *mutatis- mutandis* apply.

- (6) The officer seizing the vehicle shall serve on the Transporter, an order in writing mentioning the facts of such seizure and indicating the amount, not exceeding such amount as would be sufficient to cover the penalty likely to be imposed, on the deposit whereof in cash, the vehicle so seized shall be released in favour of the person from whose possession or control the vehicle is seized.
- (7) Notwithstanding anything contained in sub-section (6), the Commissioner or such officer, not below the rank of Deputy

Commissioner, as may be authorised in this behalf by the Commissioner, may, for sufficient reasons to be recorded in writing, direct that vehicle be released without any deposit or on depositing such lesser amount, or furnishing security in form of irrevocable bank guarantee, as he may deem fit.

- (8) Notwithstanding anything contained in section (51) or (53), no appeal against the order of penalty passed under sub section (5) or order for security passed under sub-section (7) shall lie, unless the proof of deposit of entire amount of penalty or security as the case may be, is submitted.]¹

1. Added by section 6 of Uttarakhand Act No. 09 of 2012.

Power to
is Acquire Goods
case of
Under

44. (1) Where the assessing authority or an officer empowered under Section 42, satisfied that any dealer bringing, importing or otherwise receiving into the in State from any place outside the State any goods has, with a view to evade

payment of tax, shown the estimated sale value of such goods in the Valuation declaration form for import accompanying such goods less than fair price of such goods or has not shown the estimated sale value in such form and the presumed sale value of such goods is less than the fair price of such goods, such officer may acquire such goods on payment of 110 percent of such estimated sale value or presumed sale value, as the case may be, to the dealer.

- (2) The power under in sub-section (1) shall not be exercised unless the dealer is afforded an opportunity of being heard.

- (3) [***]¹

- (4) The goods acquired under sub-section (1) shall be disposed of in such manner as may be specified by the Commissioner.

Explanation:-- For the purpose of this Section--

- (a) "fair price" shall mean the value determined in such manner as may be specified by the Commissioner;

- (b) "presumed sale value" shall be equal to 110 percent of the purchase price shown in the declaration form.

Power to seek
officer Information, to
to summon
Witness etc

45. (1) Any officer under this Act, not being an officer below the rank of an appointed and posted by the Commissioner, may for any purpose related the administration or enforcement of the provisions of this Act by notice,

require any dealer or other person to furnish any information or any document including electronic records which may be in his knowledge or possession.

When- ever so required, the dealer or such person shall furnish correct, complete and true information.

- (2) All such officers under this Act shall have the same power as are vested in a Court under the Civil Procedure Code 1908, when trying a suit in respect of following matters, namely :--

- (a) Enforcing the attendance of any person and examining him on oath or affirmation;

- (b) Compelling the production of documents; and

- (c) Issuing commission for examination of witness; and any proceeding before any of the officers aforesaid shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of Section 193 and Section 228 of

the Code of Criminal Procedure and for the purpose of Section 196 of the Indian Penal Code.

(3) Summons for the production of documents or the attendance of any person shall be issued in the prescribed form.

Power to seek Assistance from Police etc 46. An officer exercising power under Section 42, Section 43 or Section 48 may take the assistance of police or other officer or officers of the State.

1. Omitted by section 12 of Uttarakhand Act No. 05 of 2008.

47. [***]¹

²[Import of Goods into the State against Declaration 48. (1) With a view to prevent or check avoidance or evasion of tax or any attempt of avoidance or evasion of tax, it is hereby provided that any State

person or dealer (hereinafter in this section referred to as importer), who intends to bring, import or otherwise receive, into the State from any place outside the State, any goods other than the goods specified in schedule (I) referred to in clause (a) of subsection (2) of section 4 exceeding such quantity or measure or of such value as may be notified by the State Government in that behalf, for sale, use, consumption or other disposal shall obtain a prescribed form of declaration/ e-declaration or certificate/ e- certificate, in prescribed manner and containing such information's as may be prescribed :

Provided that the importer who intends to bring, import or otherwise receive such goods otherwise than in connection with business, he may, at his option, in the like manner obtain the prescribed form of certificate :

Provided further that Commissioner may by a notification make it mandatory/ optional for a class of dealers or all dealers to apply and obtain such online declaration in prescribed manner and use them in accordance with the Act and the rules made thereunder. Such declaration, in this chapter, shall be referred to as 'e-declaration'.

(2) Where such goods are to be consigned by road: --

(a) The importer shall obtain the prescribed 'declaration/ e-declaration in prescribed manner, and shall cause the following documents to be carried with the goods in movements—

(i) such declaration, duly filled and signed, in duplicate, the required details of which are entered in the online submitted trip sheet as provided in section 48A;

Provided that where e-declaration is used, the required details of such declaration should be duly filled online, and entered in the online submitted trip sheet as provided in section 48A. The copy of such e-declaration need not to be carried with the goods.

(ii) copy of the trip sheet prepared and submitted in the manner as provided in section 48A containing the required information

including the required details of such declaration//e-declaration.

(iii) Invoice, Challan or like other documents related to such goods.

(iv) G.R./Billty or other like document of title of goods in movement and also cause to produce these documents before the officer authorised under subsection (1) or subsection (2) of section 42 at any place, if so required by such officer.

(b) The importer shall preserve the copies of declaration and other documents delivered to him or his agent under clause (a) for such period as may be prescribed and produce them before the assessing authority in a manner and within a time as may be prescribed by the Commissioner.

1-Omitted by section 7 of Uttarakhand Act No. 09 of 2012. 2-Substituted by section 2 of Uttarakhand Act no 21 of 2015.

(c) If, at any stage, the officer authorized under sub section (1) and sub subsection (2) of section 42 is satisfied, after giving the owner of the goods an opportunity of being heard, that the goods referred to in previous sub section were transported without online submitting "Trip-sheet" in the prescribed form and manner or without carrying copy of such "Trip Sheet", and that, such goods are;-

(i) the goods other than the goods specified in schedule (1) referred to in clause (a) of subsection (2) of section 4; and

(ii) such goods were not meant for personal use or consumption; it shall be deemed that such goods were so transported by the owner of the goods in an attempt to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act.

- (3) Where such goods are brought into the State as personal luggage, the person bringing them shall carry with him the declaration in the prescribed



form duly filled in and signed by the importer and the importer shall submit the same for endorsement by the officer authorised by the Commissioner in this behalf in a manner and within a time as may be prescribed by the Commissioner;

Provided that where e-declaration is used, the required details of such declaration should be duly filled online, and entered in the online submitted form, as prescribed by the Commissioner on the official website of the department, the copy of such e-declaration need not to be carried with the goods and dealer shall be deemed to have complied with the requirement of endorsement of e-declaration form, made above.}

- (4) Where any person intends to bring, import or otherwise receive in the State from any place outside the State, any goods referred to in sub-section (1) otherwise than in connection with business and obtains the prescribed form of certificate, the provision of sub-section (2) and sub-section (3) shall, *mutatis mutandis* apply as if the word “certificate” is substituted for the word “declaration” used therein.
- (5) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be, carrying any goods referred to in the preceding sub-sections shall stop the vehicle when so required by an officer authorised under sub-section (1) or sub-section (2) of section 42, at any place, and take it along with the goods and documents to the nearest office of Commercial Tax department or to any other place as directed by such officer and keep it stationary for so long as may be considered necessary by such officer and allow him to search the vehicle and inspect the goods and all documents referred to in the preceding sub-sections and shall, if so required, give his name address and the names and addresses of the owner or hirer of the vehicle and of the consigner and consignee of the goods.
- (6) Where the officer making the search or inspection under this Section finds any person or dealer importing or attempting or abetting to Import any goods to which this section applies without being covered by proper and genuine documents referred to in the preceding sub-sections, it may;

-
- (a) direct the person referred to in above sub section not to part the goods in any manner including re-transporting or re-booking till an enquiry is made, which shall not take more than seven days;
 - (b) order detention of such goods and if, for reasons to be recorded, is satisfied, after giving the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be, an opportunity of being heard, that such goods were being so Imported in an

attempt to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, he may order seizure of such goods.

Provided that a list of all the goods seized under this sub-section shall be prepared by such officer and be signed by him, and a copy thereof shall be given to the person from whom goods have been seized.

- (7) The officers seizing the goods under sub section (6) shall take all the measures necessary for their safe custody and forward the list, referred to in the proviso of sub section(6) along with other document relating to the seizure, to the assessing officer concerned.
- (8) If such assessing officer, after taking into consideration the explanation, if any of the owner or a person duly authorized by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement as the case may be and after giving an opportunity of being heard is satisfied that the goods were imported or abetted to import in contravention of the provisions of this section in an attempt to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, it shall pass an order imposing penalty not exceeding forty percent of the value of such goods involved or three times the tax leviable on such goods under any of provisions of this Act, whichever is higher. The order of such penalty shall be properly served.
- (9) The officer seizing the goods shall serve on the person referred to in the above sub section, an order in writing mentioning the fact of such seizure and indicating the amount, not exceeding such amount as would be sufficient to cover the penalty likely to be imposed, on the deposit whereof in cash, the goods so seized shall be released.
- (10) Notwithstanding anything contained in sub-section (9), the Commissioner or such officer, not below the rank of Deputy Commissioner, as may be authorised in this behalf by the Commissioner, may, for sufficient reasons to be recorded in writing, direct that the goods be released without any deposit or on depositing such lesser amount, or furnishing security in such form other than cash, as he may deem fit.

(11) The penalty or such part thereof as remains after adjustment of any amount deposited under sub-section (9) shall be deposited in the prescribed manner within thirty days of the date of service of the copy of the order imposing the penalty. In default, the Assessing Authority shall cause the goods to be sold in such manner as may be prescribed and apply sale proceed thereof toward the penalty and, subject to the provisions of Section 36, refund the balance, if any.

- (12) Where the officer seizing the goods, before forwarding the list and other documents referred in sub-section (7) to the Assessing Authority at any time thereafter, is of the opinion that the goods are subject to speedy and natural decay or where the tax assessed or

penalty imposed, as the case may be, is not deposited in accordance with the provisions of this Act, the officer seizing the goods or the Assessing Authority, as the case may be, may, without prejudice to any other action that may be taken in accordance with other provisions of this Act, cause the goods to be sold by public auction in the prescribed manner. The sale proceeds of such goods shall be adjusted towards the expenses and tax assessed or penalty imposed. The balance, if any, shall be refunded.

- (13) If the amount deposited under sub-section (9) is more than the amount of penalty imposed under sub-section (8), the excess amount so deposited shall be refunded in accordance with the provisions of Section 36

Explanation-1. For the purpose this chapter the person-in-charge of the vehicle shall include the owner of the vehicle and the hirer of the vehicle as the case may be.

Explanation -2. For the purpose of this chapter “goods in movement” means.

- (a) the goods which are in the possession or control of a transporting agency or person or other such bailee;
- (b) the goods which are being carried in a vehicle belonging to the owner of such goods; and
- (c) the goods which are being carried by a person.]¹

²[Transport of 48-A (1) Notwithstanding any thing contained in section 48 with a view to goods into the ensure that there is no evasion of tax payable under this Act the owner State against “Trip Sheet” or a person duly authorized by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be, (hereinafter referred to as the transporter) who intends to transport into the State from any place outside the State, any goods exceeding such quantity or measure or of such value as may be notified by the State Government in that behalf, before entering into the state shall prepare and submit online information in a prescribed form (hereinafter called “Trip-Sheet”) in such manner and within such time as may be prescribed :

Provided that in certain circumstances, online submission of “Trip-Sheet” may be relaxed by the Commissioner for a specified period.

1.Subs. by section 8 of Uttarakhand Act No. 09 of 2012.

2.Added by section 8 ibid.

- (2) Where such goods are transported into the State by road;
- (a) the transporter shall carry with him, the copy of such “Trip-Sheet” duly filled and signed by him and other documents as may be prescribed and shall stop the vehicle, when so required by an officer authorised under sub-section (1) or sub-section (2) of section 42, at any place and take it along with the goods and documents to the nearest office of Commercial Tax department or to any other

place as directed by such officer and keep it stationary for so long as may be considered necessary by such officer and allow him to search the vehicle and inspect the goods, the “Trip-Sheet” and the other documents.

- (b) The transporter shall preserve the copy of such “Trip-Sheet” for such period as may be prescribed and produce it whenever so required, failing which he shall be liable to pay by way of penalty a sum of Rupees five hundred for each “Trip-Sheet”.

Explanation:-- In the circumstances where online submission of “Trip-Sheet” is relaxed, the provision of preparation of “Trip-Sheet” before entering into the State and provision of carrying it during transportation shall remain effective.

(3) Where such goods are brought into the State as personal luggage, the person bringing them need not submit “Trip-Sheet”.

(4) The officer referred to in clause (a) of sub-section (2), if after making search or inspection is satisfied that;

(i) the transporter is transporting or attempting or abetting to transport any goods to which this Section applies without submitting “Trip-Sheet” in the prescribed form and manner; or without carrying the copy of such “Trip-Sheet”; or

(ii) the weight/quantity or number of packages of goods being transported are uncovered by the “Trip-Sheet” it may,

(a) direct the person referred to in above sub section not to part with the goods in any manner including re-transporting or re-booking till a verification is done or an enquiry is made, which shall not take more than seven days;

(b) order detention of such vehicle along with the goods.

(5) (a) if, at any stage, such officer is satisfied, after giving the transporter an opportunity of being heard, that the goods referred to in previous sub section were transported without online submitting “Trip-Sheet” in the prescribed form and manner or without carrying copy of such “Trip-Sheet”, and that, such goods are;

(i) the goods other than the goods specified in schedule (1) referred to in clause (a) of sub-section (2) of Section-4; and

(ii) such goods were not meant for personal use or consumption; it shall be deemed that such goods were so transported by the transporter in an attempt to facilitate or assist to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, and, in such case, the officer may seize such vehicle by an order in writing and notwithstanding anything contained in section 48 the transporter shall be liable to pay by way of penalty an amount which shall be quantified at the rate of rupees five hundred for a quintal or part of a quintal of such goods.

 (5) (b) if, at any stage, such officer is satisfied, after giving the transporter an

opportunity of being heard, that the goods referred to in previous sub section were transported alongwith the copy of the Online submitted "Trip-Sheet", but any of the goods found in the vehicle were not covered by the "Trip-Sheet" and that, such goods are

- (i) the goods other than the goods specified in schedule (1) referred to in clause (a) of sub-section (2) of Section 4; and
- (ii) such goods were not meant for personal use or consumption, it shall be deemed that such goods were so transported in an attempt to facilitate or assist to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, and, in such case, the officer may seize such vehicle by an order in writing and notwithstanding anything contained in section-48 the transporter shall be liable to pay by way of penalty an amount which shall be quantified at the rate of rupees five hundred for a quintal or part of a quintal of such goods :

Provided that, Government may by a notification issue general instruction not to demand penalty under sub-section 5(b) from the transporter in the circumstances where in pursuance of Section 48(8) or Section 48(9) the penalty or an amount sufficient to cover such penalty likely to be imposed has been deposited by such transporter referred to in sub-section 5(b), regarding the same goods :

Provided further that the State Government may by Notification increase the amount of penalty provided under this sub-section.

Explanation--- for the seizure and other action, regarding the goods referred to in this section, the provisions of section (48) shall *mutatis-mutandis* apply

- (6) The officer seizing the vehicle shall serve on the Transporter, an order in writing mentioning the facts of such seizure and indicating the amount, not exceeding such amount as would be sufficient to cover the penalty likely to be imposed, on the deposit whereof in cash, the vehicle so seized shall be released in favour of the person from whose possession or control the vehicle is seized.

- (7) Notwithstanding anything contained in sub-section (6), the Commissioner may, if he is satisfied, allow the transporter to furnish any deposit or on depositing such lesser amount, or furnishing security in form of irrevocable bank guarantee, as he may deem fit.

- (8) Notwithstanding anything contained in section (51) or (53), no appeal against the order of penalty passed under sub-section (5) or order for security passed under subsection (7) shall lie, unless the

proof of deposit of entire amount of penalty or security, as the case may be, is submitted.]¹

1.Added by section 8 of Uttarakhand Act No. 09 of 2012.

[Import of 49. (1) Where any goods other than the goods specified in schedule -I
referred Goods into the to in clause (a) of sub-section (2) of section 4 exceeding
such quantity, State by Rail,
River, Air, or measure or value as may be notified with reference to sub-section
(1) of
Post Section 48, are consigned by rail, river, air or post from any place
outside the State, the importer shall not—



(a) obtain or cause to be obtained delivery thereof, unless he furnishes or causes to be furnished to such officer as may be authorised in this behalf by the Commissioner a declaration in the prescribed



form in duplicate duly filled in and signed by him for endorsement by such officer; and

- (b) after taking delivery, carry the goods away or cause the goods to be carried away from the railway station, steamer or boat station, air port or post office as the case may be, unless a copy of declaration duly endorsed by such officer is carried with the goods.

Provided that if a registered dealer, before obtaining the delivery or causing to obtain delivery of the goods has online submitted the information, regarding the goods in a form prescribed by the Commissioner on the official website of the department and the to e-generated hard copy of such information is being carried during the movement of goods the dealer shall be deemed to have complied with the requirement, of endorsement of declaration form, made above;

³[Provided further that where e-declaration is used, the required details of such declaration should be duly filled online, and entered in the online submitted form, as prescribed by the Commissioner on the official website of the department, the copy of such e-declaration need not to be carried with the goods.]

- (10),
respect
- (2) The provisions of sub-section (5), (6) and sub-section (7), (8), (9), (11), (12) and (13) of Section 48 shall *mutatis mutandis* apply in of goods consigned by rail, river or post as they apply to import of goods by road under that Section.]¹

²[Transit of
Goods by Road
sub-through the
State against
person

50. (1) Where a vehicle coming from any place outside the State and bound for any other place outside the State, carrying goods referred to in section (1) of section 48 passes through the State, the owner or a

“Transit-Pass” duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be before entering into the state shall prepare and submit online declaration containing all the information regarding the goods, the vehicle, the document of the title to the goods/ GR/ bilty and the movement of goods and other information as required in the Form (hereinafter called “Transit-Pass”) as may be prescribed by the Commissioner, complete in all respect in such manner and within such time as may be prescribed by the Commissioner. The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement,

as the case may be while carrying such goods shall carry with him two copies of such “Transit Pass” duly signed by him, the document of the title to the goods/GR/bilty and invoice/bill or challan/ like document and after his exit from the State shall submit online declaration containing

1. Subs. by section 9 of Uttarakhand Act No. 09 of 2012.

2.Subs. by section 10 ibid.

3.Add provided. by section 3 of Uttarakhand Act no 21 of 2015.

the description of the proof of crossing the state or reaching the other state and other information in a form, manner and within such time as may be prescribed by the Commissioner, and shall also submit, the satisfactory proof of crossing the State or reaching the destination State to such officer as may be authorised for this purpose by the Commissioner whenever so required by such officer failing which it shall be presumed that the goods carried thereby have been sold within the State :

Provided that where the goods carried by such vehicle are, after their entry into the State, transported outside the State by any other vehicle or conveyance, the onus of proving that the goods have actually moved outside the State shall be on the person-in-charge of the vehicle for which transit pass was prepared and submitted :

Provided further that in certain circumstances, online submission of “Transit-Pass” and of information regarding exit from the state may be relaxed by the Commissioner for a specified period :

Provided further that with a view to ensure that there is no evasion of tax the vehicle, referred to in this section shall enter into and exit from the State only from such places as notified by the Commissioner.

Explanation:-- In the circumstances where online submission of Transit Pass is relaxed, the provision of preparation of Transit Pass before entering into the State and the provision of carrying it during transportation shall remain effective. In such case before exit from the State the vehicle alongwith the goods shall be stopped at a place notified by the Commissioner and the copy of Transit Pass be submitted to the officer so authorised for this purpose by the Commissioner at a place notified by the commissioner, failing which it shall be presumed that the goods carried thereby have been sold within the State.

- (2) In such a case as referred to in the above sub section the owner or a person duly authorized by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be shall jointly and severally be liable to pay tax on such presumed sale of goods and also for payment of amount of penalty that may be imposed under the provisions of this Act.
- (3) Every person for whom a presumption under sub-section (1) exists that the goods have been sold within the State, such person/s, shall be assessed to tax on the goods covered by each Transit-Pass separately by

the officer authorised for this purpose by the commissioner.

[Provided such assessment may be done in the cases arising before or after the date of commencement of this provision.]¹

Provided further that no order of assessment or penalty under this section shall be passed until a reasonable opportunity of being heard is given.

1-Substituted by section 5 of Uttarakhand Act No. 11 of 2015.

Erection of 50-A With a view to prevent or check evasion of tax payable under this Act barrier for or to ensure the compliance of the provisions of this chapter, certain period Commissioner may, in certain circumstances, by an administrative order setup check posts or erect barriers at such place or places which it deems fit by issuing an administrative order and the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement as the case may be, before crossing such check-post or barrier shall stop the vehicle and produce before the officer authorised by the commissioner for this purpose, the documents which are required to be carried with the goods in accordance with the provisions of this chapter, and allow the officer to search the vehicle and inspect the goods and the documents :

Provided that, notwithstanding anything contained in section 50, where the check post or barrier has been setup under this section at a place near the place of exit of the vehicle from the State, the two copies of the "Transit Pass" shall be produced before the check post officer, out of which one copy shall be returned by the officer as a proof of exit of the vehicle from the State, failing which it shall be presumed that the goods carried by such vehicle have been sold within the State.

Provided further that the Commissioner shall not setup any check post or erect barriers for more than three month at a time.

Provided further that the commissioner shall get such an administrative order issued for setting up of such check post or erecting barriers, ratified by the Government.]¹

1-Added by section 10 of Uttarakhand Act No. 09 of 2012.

CHAPTER-VII

APPEAL AND REVISION

First Appeal 51. (1) Any dealer or other person aggrieved by an order made by the Assessing authority or by an officer in charge of tax audit or any order passed under sub section (3) or sub-section(4) of section 42(B) other than,

- (i) an order mentioned in section 56, or
- (ii) an order passed under sub-section (8) of section 43, or
- (iii) an order passed under sub-section (7) of section 43(A), or
- (iv) an order passed under or sub-section (10) of Section 48; or
- (v) an order of seizure passed under sub- section (5) of section 48(A); or

- (vi) an order passed under sub-section (6) or sub-section (7) of section 48(A) may; within sixty days from the date of the service of the copy of the order, appeal to such authority as may be prescribed, and shall also serve a copy of the Memorandum of Appeal on the assessing authority.]¹
- (2) (a) Notwithstanding any thing contained in sub-section (1), where the disputed amount of tax, fee or penalty in an appeal does not exceed One thousand rupees, the appellant may, at his option, request the Appellate Authority in writing for summary disposal of his appeal, whereupon the Appellate Authority may decide the appeal accordingly.
- (b) The manner and procedure of summary disposal of appeal shall be such as may be prescribed.
- (c) No appeal or revision shall lie against an order passed in appeal which has been disposed of summarily.
- (3) Where an appeal under this Section has been filed by any dealer or any person against an order referred to in sub-section (1) and where due to filing of such appeal the Commissioner can not revise such order passed by the assessing authority on the point of legality or propriety of such order under section 52, the Commissioner may move an application to the appellate authority to examine the legality and propriety of such order on such point or points as may be mentioned in the application. A copy of such application shall be served on the dealer or such other person, as the case may be:
- Provided that--
- (a) no application under this sub-section shall be entertained after the expiration of four years from the date of the order in question,
1. Substituted by section 11 ibid.
- (b) no application for examination of legality and propriety under this sub-section shall be entertained after the disposal of appeal filed by the dealer or other person, as the case may be,
- (c) where the Commissioner has filed an application under this Section and the dealer or other person withdraws the appeal filed by him or any other application for disposal of appeal summarily under sub-section (2), it shall be deemed for the purpose of Section 52, as if no appeal has been filed, and in such a case the period commencing from the date of filing application by the Commissioner and the date of the appellate authority's order on the application of the dealer, shall be excluded in computing the period of limitation provided in Section 52, and '
- (d) if after computing, the period of limitation comes to less than six months, the revision under Section 52 may be made within six months from the date of receipt by the Commissioner of the relevant order of the appellate authority.

Explanation-- For the purpose of this sub-section, the Commissioner shall include an officer authorized to file an appeal on behalf of the Commissioner before the Tribunal under Section 53 of this Act.

- (4) No appeal against an assessment order under this Act shall be entertained unless the appellant has furnished satisfactory proof of the payment of

the amount of tax or fee due under this Act on the turnover of sales or purchases or oath, as the case may be admitted by the appellant in the returns filed by him or at any stage in any proceeding under this Act, whichever is greater.

{(4A) Notwithstanding anything contained in this Section,

(i) no appeal against an ex-parte order shall be entertained unless the appellant has furnished satisfactory proof of the payment of sum equal to five percent of the amount of disputed tax or penalty or Rupees One Lakh whichever is less;

(ii) no appeal against any other order, besides ex-parte assessment order or penalty shall be entertained unless the appellant has furnished satisfactory proof of the payment of sum equal to twenty percent of the amount of disputed tax, penalty or any other amount or Rupees Five Lakh whichever is less;

(iii) no appeal, against any declaration form or certificate of turnover of concession or rebate, which is being rejected by the Assessing Authority or which are not being produced before the Assessing Authority, shall be entertained unless the appellant has furnished satisfactory proof of the payment of a sum equal to ten percent of the amount at general rate of tax payable under this Act, on the amount of the turnover of such declaration form or certificate, rejected or not produced.

Explanation: The above mentioned amount shall be in addition to the condition of the stay given under Sub-Section (6).¹

(5) The appeal shall be in the prescribed form and shall be verified in the prescribed manner.

1- Add by section 9(1) of Uttarakhand Act no 02 of 2016.

(6) The appellate authority--

(a) shall in a case where the appellant makes a request under sub-section(2); and

(b) may, in any other case on the application of the appellant and after giving the Commissioner a reasonable opportunity of being heard, stay the realization of the amount of the tax, fee or penalty payable by the appellant till the disposal of the appeal.

(7) No application under clause (b) of sub-section (6) shall be entertained unless it is filed along with the memorandum of appeal under sub-section (1) and no stay order shall remain in force for more than forty five; days unless the appellant deposited the balance amount within thirty days of receipt of stay order or the time allowed in the order of the assessing authority under appeal which ever is later and before the expiry of the said period, furnished security to the satisfaction of the assessing authority for payment of the amount, the realization whereof has been stayed:

Provided that where the amount stayed is less than rupees twenty five thousand, the dealer shall not be required to furnish the security in respect of such amount :

Provided further that where an order under appeal does not involve any dispute about tax, fee or penalty, the appellate authority may stay the operation of such order till the disposal of appeal subject to such conditions as he may deem fit.

Explanation- Rejection of similar application for stay by any authority for want of jurisdiction shall not by itself preclude the Appellate Authority from entertaining such application.

(8) The appellate authority may, after calling for and examining the relevant records and after giving the appellant and the Commissioner a reasonable opportunity of being heard or, as the case may be, after following the procedure under sub-section (2), :--

- (a) confirm or annul such order; or
- (b) vary such order by reducing or enhancing the amount of assessment or penalty, as the case may be, whether such reduction or enhancement arises from a point raised in the grounds of appeal or otherwise; or
- (c) set aside the order and direct the assessing authority to pass a fresh order after such inquiry as may be specified; or
- (d) direct the assessing authority to make such inquiry and to submit its report within such time as may be specified in the direction or within such extended time as it may allow from time to time, and on the expiration of such time the Appellate Authority may, whether the report has been submitted or not, decide the appeal in accordance with the provisions of the preceding sub-clauses:

Provided that nothing in this sub-section shall preclude the Appellate Authority from dismissing the appeal at any stage with such observation as it deems fit where the appellant applies for withdrawal of the same and no request for enhancement of the assessment or penalty has been made by the Commissioner:

shall be

Provided further that before making an enhancement the appellant given an opportunity of being heard on the proposal of enhancement:

Provided also that the appeal shall be disposed off within such time as may be prescribed;

{Provided further that on an appeal, against an order passed after the direction under Clause (c), no further direction to pass a fresh order be made under Clause (c).} ¹

(9) An order passed under this Section shall, subject to the provisions of this Act, be final.

(10) If the amount of the tax assessed, fee levied or penalty imposed is reduced by the appellate authority under sub-section (6) he shall order the excess amount of tax, fee or penalty, if realized, to be refunded.

(11) Section 5 of the Limitation Act, 1963, shall apply to appeals or other applications under this Section.

(12) The appellate authority shall be under the superintendence and control of the Commissioner:

Provided that in the exercise of such superintendence and control of the Commissioner, no order, instructions and directions shall be given

by the Commissioner so as to interfere with the discretion of the appellate authority in the exercise of its appellate functions.

- (13) Appeal filed by the dealer and the application filed by the Commissioner arising out of the same cause of action in respect of an assessment year shall be heard and decided together:

Provided that where anyone of such appeal or application has been heard and decided earlier, and if the Appellate Authority hearing the remaining appeal or application considers that such decision may be legal impediment in giving relief in such remaining appeal and application, he may recall such earlier decision and proceed to decide the appeal and the application together, after giving a fresh hearing.

Revision by
Commissioner

52. (1) The Commissioner or such other officer not below the rank of Joint Commissioner as may be authorized in this behalf by the State Government by notification may call for and examine the record relating to any order (other than an order mentioned in section 56 passed by any officer subordinate to him, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such order and may pass such order with respect there to as he thinks fit.

(2) No order under sub-section (1) affecting the interest of a party adversely shall be passed unless he has been given a reasonable opportunity of being heard.

(3) No order under sub-section (1), shall, subject to the provisions of sub-section (3) of Section 51, be passed--

- (a) to revise an order, which is or has been the subject matter of an appeal under section 51, or an order passed by the Appellate Authority under that Section;
- (b) before the expiration of sixty days from the date of the order in question;
- (c) after the expiration of four years from the date of the order in question.

--

1- Added by section 9(2) of Utrakhand Act no 02 of 2016.

Explanation-- Where the appeal against any order is withdrawn or is dismissed for non-payment of fee specified in section 74, or for non-compliance of sub-section (1) of section 51, the order shall not be deemed to have been a subject matter of an appeal under section 51.

- (4) No dealer or any other person shall be entitled to file an application under this Section.

[Appeal to the
Appellate
Tribunal

53. (1) Any person aggrieved by an order passed under section 51 (other than an order referred to under sub-section (2) of that section), under section

52, or under section 76, or a decision under section 57; or a direction under sub-section (8) of section 43; or an order passed under sub-section (7) of section 43-A; or an order passed under sub-section (10) of section 48; or an order passed under sub-section (7) of section 48(A) may; within ninety days from the date of service of the copy of such order, decision or direction on him, prefer an appeal to the Tribunal:

Explanation:-- For the purpose of this sub-section, the expression "any person" in relation to any order passed by an authority other than the Commissioner includes the Commissioner and, in relation

to any order passed by the Commissioner includes the State Government.]]

- (2) (a) Notwithstanding any thing contained in sub-section (1), where the disputed amount of tax, fee or penalty does not exceed two thousand rupees and no question of law is involved, the appellant may, at his option, request to the Tribunal in writing for summary disposal of his appeal, whereupon the Tribunal may decide the appeal accordingly;

1.Subs. by section 12 of Uttarakhand Act No. 09 of 2012.

(b) The manner and procedure of summary disposal of appeal shall be such as may be prescribed;

(c) No reason shall lie against an order passed in appeal which has been disposed of summarily.

(3) Section 5 of the Limitation Act, 1963 shall apply to appeal or other applications under this Section.

(4) The Tribunal may at any stage, after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard, dismiss the appeal.

(5) The Tribunal may, if it has not already dismissed the appeal under sub-section (4), after calling for and examining the relevant records and after giving the party a reasonable opportunity of being heard or, as the case may be, after following the procedure prescribed under sub-section (2):--

- (a) Confirm, cancel or vary such order, or
- (b) Set aside the order and direct the assessing or appellate or revising authority or the Commissioner as the case may be, to pass a fresh order after such further enquiry, if any, as may be specified.
- (6) If any amount of tax, fee or penalty is reduced by the Tribunal under sub-section (5), he shall order that any money as may have been realized in excess of the due amount, be refunded according to the provisions of this Act.

Explanation-- The power to vary an order referred to in clause (a) includes the power to vary the order by reducing or enhancing the amount of assessment or penalty. However before increasing the tax or other amount the dealer shall be given an opportunity of being heard on the proposal of increasing the liability.

(7) Where an appeal under this Section has been filed, the Tribunal may, on the application of the appellant moved along with the memorandum of such appeal after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, stay the operation of the order appealed against or the recovery of disputed amount of any tax, fee or penalty payable, or refund of the amount due, or proceedings for reassessment under the order appealed against till the disposal of the appeal.

(8) No application for stay of recovery of any disputed amount of tax, fee or penalty shall be entertained unless the applicant has furnished satisfactory proof of the payment of not less than one third of such disputed amount in addition to the amount required to be deposited under sub-section (4) of Section 51:

Provided that where the amount in dispute in appeal is less than rupees twenty five thousand the dealer shall not be required to deposit the one third of such disputed amount:

{ * * * }₁

 1- Deleted by section 10 of Uttarakhand Act no 02 of 2016.

(9) Where the Tribunal passes an order under this Section for the stay of recovery of any tax, fee or penalty or for the stay of the operation of any order appealed against and such order of the Tribunal results in the stay of

recovery of any tax, fee or penalty, such stay order of the Tribunal shall not remain in force for more than forty five days unless the appellant has deposited the balance amount within thirty days of the receipt of the stay order and has furnished security to the satisfaction of the assessing authority concerned for the payment of the amount, the realization whereof has been stayed:

Provided that where the amount stayed is less than rupees twenty five thousand, the dealer shall not be required to furnish the security in respect of such amount;

(10) (a) An appeal against an order of the Appellate Authority under Section 51 shall be heard and disposed of--

(i) by a bench of two members, when such order is passed by an Additional Commissioner (Appeals), or the amount of tax, fee or penalty in dispute exceeds two lakh rupees,

(ii) by a single member bench, in other case;

(b) [An appeal against an order or direction passed under the following provisions of the Act, shall be heard and disposed of by a bench of two members;

(i) an order passed under section 52;

(ii) a direction given under sub-section (8) of section 43;

(iii) a direction given under sub-section (7) of section 43-A;

(iv) a direction given under sub-section (10) of section 48;

(v) a direction given under sub-section (7) of section 48-A.]₁

(c) An appeal against an order under sub-section (13) or sub-section (16) of Section 76 or a decision given under Section 57 shall be filed before the President and shall be heard and disposed of by a bench of three members;

(d) The President may, if he so thinks fit--

(i) direct an appeal to be heard and decided by a larger bench,

(ii) transfer an appeal from one member to another member.;

(e) In a case before a bench consisting of two or more members, any order other than an order finally disposing of the case may be passed by anyone of the members constituting the bench.

(11) Any member who has previously dealt with any case coming up before the Tribunal in any other capacity or is personally interested in any case coming up before the Tribunal shall be disqualified to hear that case.

(12) All appeals arising out of the same cause of action in respect of an assessment year shall be heard and decided together:

1. Subs. by section 6 of Uttarakhand Act No. 11 of 2015.

Provided that where anyone or more of such appeals have been heard and decided earlier, and if the bench hearing the remaining appeals considers that such decision may be legal impediment in giving relief in such remaining appeals, it may, if the earlier decision was given--

- (a) by a smaller bench or a bench of equal strength, recall such earlier decision and proceed to decide all the appeals together;
- (b) by a larger bench, refer such remaining appeals to such larger bench having jurisdiction and thereafter such larger bench may recall such earlier decision and proceed to decide all the appeals together.

(13) The decision of a case heard by a bench shall be in accordance with the opinion of the majority. Where the members are equally divided the President of the Tribunal may--

- (a) if he was not a member of such bench, give his own opinion or refer the case for the opinion of another member, whereupon the case shall be decided in accordance with such opinion; or

(b) form a larger bench.

(14) Where any case is heard by a Bench consisting of two members and the members are divided in their opinion on any point and the other member or the members of the Tribunal are disqualified under sub-section(10) to hear the case or there are for the time being only two members including the President, the, Government may appoint a person qualified to be appointed as a member of Tribunal, as an additional member to the Tribunal and the point shall be decided in accordance with the opinion of majority of the members of the Tribunal who have heard the case (including those' who first heard it).

(15) The Tribunal shall serve the appellant with notice, in writing, of the appeal decision setting forth the reasons for the decision.

Constitution
such of Appellate
by or Tribunal

54. (1) The Government shall appoint a Tribunal consisting of a President and members as it think fit to perform the functions assigned to the Tribunal under this Act.

(2) The President and the members shall be appointed from amongst--

- (a) the persons belonging to Uttarakhand Higher Judicial service who hold or have held a' post not below the rank of Additional District judge; and
- (b) the persons belonging to the Uttarakhand Trade Tax Service who hold or have held a post not below the rank of Additional Commissioner.

(3) The State Government may prescribe such other qualifications or conditions for the appointment of the President and other members of the Tribunal as it may deem fit.

(4) The appointments to the Tribunal shall be made by the State Government--

- (a) in case of persons who have been or are members of the Uttarakhand Higher Judicial Service, in consultation with the High Court; and
- (b) in case of persons belonging to the Uttarakhand Trade Tax Service, by selection on the' principle of merit from amongst persons who

hold or have held the post not below the rank of Additional Commissioner of Trade Tax.

- (5) The provisions of Rule 56 of the U.P. Fundamental Rules as applicable in Uttarakhand, shall apply to every member of the Tribunal including the President as they apply to any other Government servant.
- (6) The head quarter of the President of the Tribunal shall be at Dehradun, and he shall exercise the concurrent jurisdiction over all the Benches in Uttarakhand.
- (7) The head quarters and jurisdiction of other single member benches, referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (10) of Section 53, shall be such as the Government may, from time to time, in consultation with the President of the Tribunal, notify.
- (8) The President may, from time to time, constitute benches of two or more members, and specify the jurisdiction and place of sitting of such benches as he may consider necessary.
- (9) The members of the Tribunal shall be under the administrative control and supervision of the President.
- (10) The Tribunal shall, with the previous sanction of the Government make regulations consistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder for regulating its procedure and the disposal of its business.

Revision by
of High Court

55. (1) Any person aggrieved by an order under sub-section (4) or sub-section (5) Section 53, other than an order under sub-section (2) of that Section summarily disposing of the appeal or by an order passed under Section 30, by the Tribunal may, within ninety days from the date of service of such order, apply to the High Court for revision of such order.
- (2) A revision to the High Court may be made on question of law or an erroneous decision or failure to decide a question of law by the Tribunal.
- (3) The application for revision under sub-section(1) shall precisely state the question of law involved in the case and it shall be competent for the High Court to formulate the question of law or to allow any other question of law to be raised.
- (4) The Commissioner shall also be made a party to the proceedings before the High Court where appeal is filed by the dealer or other person.
- (5) Where an application under this section is pending, the High Court may, on an application in this behalf stay recovery of any disputed amount of tax, fee or penalty payable, or refund of any amount due under the order sought to be revised:

Provided that no order for stay of recovery of such disputed amount shall remain in force for more than thirty days unless the applicant furnishes adequate security to the satisfaction of the assessing authority concerned.

- (6) The High Court shall after hearing the parties to revision decide the question of law involved therein, and where as a result of such decision the amount of tax, fee or penalty is required to be determined afresh, the High Court may send a copy of the decision to the Tribunal for fresh determination of the amount, and the Tribunal shall thereupon pass such orders as are necessary to dispose of the case in conformity with the said decision.

shall

- (7) All applications for revision of orders passed under Section 53 in appeals arising out of the same cause of action in respect of an assessment year be heard and decided together:

Provided that where anyone or more of such applications have been heard and decided earlier, if the High Court while hearing the remaining applications, considers that the earlier decision may be a legal impediment in giving relief in such remaining applications, it may recall such earlier decision

and may thereafter proceed to hear and decide all the applications together.

- (8) The provisions of section 5 of the Limitation Act, 1963, shall mutatis mutandis apply to every application, for revision under this Section.

Explanation: For the purpose of this Section, the expression "any person" includes the Commissioner and the State Government.

[Orders against which No Appeal or section 29

Revision shall lie (2),

(4) of

56. No appeal and no application for revision shall lie against-

(a) an order or notice under section 24, section 25, section 26 and

initiating an enquiry for assessment or reassessment;

(b) an order or action under section 42 or sub-section (1), sub-section sub-section(4), sub-section (7) of Section 43;

(c) an order or direction passed under sub-section 2(a) or sub-section Section 43-A; or

(d) an order of seizure passed or a notice for penalty issued under sub-section (5) of Section 43-A; or

(e) an order passed under sub-section (6) of Section 43-A

(f) an order under sub-section (4) of Section 25 or clause (c) of sub-section (9) of Section 25.

(g) an order or direction passed under sub-section (5), sub-section (6) and sub-section (9) of section 48; or

(h) an order or direction passed under sub-section 2(a) or sub-section (4) of Section 48-A; or

(i) a notice for penalty under sub-section (5) of section 48A; or

(j) an order of seizure of vehicle passed under sub-section(6) of section 48A.]¹

¹.Substituted by section 13 of Uttarakhand Act No. 09 of 2012.

Determination of court of Disputed Questions

57. (1) If any question arises, otherwise than in a proceeding pending before a court or before an assessing authority under section 25, section 26 or section whether, for the purpose of this Act--

(a) any person or association of persons, society, club, firm, company, corporation, undertaking or Government Department is a dealer; or

(b) any particular thing done to any goods amounts to or results in the manufacture of goods within the meaning of that term; or

(c) any transaction is a sale or purchase and, if so, the sale or, as the case may be, the purchase price therefore; or

(d) any particular dealer is required to obtain registration; or

(e) any tax is payable in respect of any particular sale or purchase and, if so, the rate thereof, the person or the dealer concerned may, after depositing the fee specified in Section 74 submit an application to the Commissioner

along with such documents as may be prescribed.

(2) The Commissioner shall, after giving the applicant an opportunity of being heard, decide as he deems fit the question so arising:

Provided that before giving such decision, the Commissioner may, in his discretion, ask an officer subordinate to him to make such enquiries as he considers necessary for the decision of the question.

(3) No decision of the Commissioner under this Section shall affect the validity or operation of any order passed earlier by any assessing officer, appellate authority, revising authority or the Tribunal.

(4) No question which arises from an order already passed, in the case of applicant, by any authority under this Act or the Tribunal, shall be entertained to be determined under this Section.

(5) Except as provided in sub-section (3), a decision given by the Commissioner under this Section shall, subject to the provisions of Section 53 and Section 55 be final and binding on the applicant, the assessing authority and the appellate authority.

(6) A copy of the decision given under this Section shall be sent to the applicant and the assessing authority concerned.

CHAPTER--VIII

OFFENCES AND PENALTIES

Offences and
person Penalties

58. 1[(1) If the assessing authority is satisfied that any dealer or other has committed the offence mentioned in any clause of column (1) of the following chart it may, after such enquiry as deemed necessary, direct that such dealer or person shall pay, by way of penalty, in addition to the tax, if any, payable by him the amount mentioned in the related column (2), namely-

Column-1

Offences

Column-2

Penalties

- (i) being liable for registration under this Act carries on or continues to carry on business as a dealer beyond thirty days from the date on which he
- (i) a sum of rupees two hundred for each month or part thereof for the default during the first three months and rupees five hundred for every month or part thereof after the first three months during

becomes liable to obtain which the default continues;
registration, without obtaining
registration under and in
accordance with the provisions
of Section 15 or Section 16 or
with out furnishing the security
demanded under Section 20;

- (ii) not being a registered dealer (ii) a sum not exceeding five thousand
falsely represents that he is or rupees,
was a registered dealer at the

time when he sells or buys
goods;

- (iii) knowingly uses a false registration number including the registration number of another person, with a view to evade or avoid or shift the liability to pay the tax; (iii) a sum not exceeding ten thousand rupees,

- (iv) has, without reasonable cause failed to furnish the return of his turnover or to furnish it within the time allowed and in the manner prescribed;

[(iv) a sum not less than ten percent, but not exceeding twenty five percent of the tax due if the tax due is up to ten thousand rupees and fifty percent if the tax due is above ten thousand rupees;

Provided where the time for extension has been obtained and late fee deposited the said penalty shall not be imposed;

Provided further in cases where the tax liability is nil and the extension of time with late fee has not been obtained, a sum not exceeding rupees two thousand for each month or part thereof shall be imposed as penalty,]¹

1.Added by section 13 (a) of Uttarakhand Act No. 25 of 2010. 2.Substituted by section 14 of Uttarakhand Act No. 05 of 2008.

(v) has submitted a false return of his turnover under this Act,

(vi) has concealed particulars of his turnover or has deliberately furnished inaccurate particulars of such turnover;

(v)a sum not exceeding ten thousand rupees, or the amount of tax involved, whichever is higher,

(vi)a sum not less than fifty percent but not exceeding two hundred percent of the amount of tax which would thereby have been avoided,

(vii) has, without any reasonable cause failed- [(vii)(a)

(a) to deposit the tax due under the Act, before furnishing the return or along with the return;

(b) to pay within the time allowed the tax due under the provision of the Act;

(c) to deposit with the return, the

(i) a sum equal to five percent of such tax if the delay in depositing such tax is not more than a month; and

(ii) a sum which shall not be less than ten percent and not more than twenty percent of such tax if the delay in depositing such tax is more than a month and the amount of such tax is up to twenty thousand; and

(iii) a sum which shall not be less than twenty percent and not more than thirty percent of such tax if the delay in depositing such tax is more than a month and the amount of such tax is more than twenty

amount realized as tax in excess thousand.

of the amount due under the Act or any amount in lieu of such tax by giving it any name or colour;

- (b) (i) a sum equal to five percent of such tax if the delay in depositing such tax is not more than a month; and
- (ii) a sum which shall not be less than ten percent and not more than twenty percent of such tax if the delay in depositing such tax is more than a month and the amount of such tax is up to twenty thousand ; and
- (iii) a sum which shall not be less than twenty percent and not more than thirty percent of such tax if the delay in depositing such tax is more than a month and the amount of such tax is more than twenty thousand.
- (c) a sum not less than the amount of tax realized or realized in excess but not more than twice the said amount.]

(viii) fails to pay the amount in respect to (viii) a sum not less than ten percent, but not

which moratorium has been granted under the provisions of Section 76, within the time specified therein;

(ix) demands or charges on the sale or purchase of any goods tax not due under the provisions of this Act;

(x) realizes any amount as tax on sale or purchase of goods or any amount in lieu of such tax by giving it a different name or colour in contravention of the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) of section 22;

exceeding twenty five percent of the amount due if the amount due is up to ten thousand rupees and fifty percent if the amount due is above ten thousand rupees,

(ix) a sum not exceeding ten thousand, rupees,

(x) a sum not less than the amount of tax realized or realized in excess but not exceeding three times of the said amount,

1.Substituted by section 7 of Uttarakhand Act No. 11 of 2015.

(xi) wrongly claims an amount as input tax credit or claims an input tax credit on the basis of false Sale Invoice;	(xi) a sum of rupees five thousand or three times of the amount claimed whichever is higher,
(xii) produces a false proof of deposit of any amount of tax or fee or penalty or any sum due under this Act;	(xii) a sum of rupees five thousand or three times of the amount claimed whichever is higher,
(xiii) does not maintain books, accounts, documents in the prescribed manner; or	(xiii) a sum not exceeding five thousand rupees,
(xiv) has maintained or produced false accounts, registers or documents;	(xiv) a sum not less than fifty percent but not exceeding two hundred percent of the amount of tax which would thereby have been avoided,
(xv) refuses or neglects to furnish any information which may be in his knowledge or possession and which he has been required to furnish for the purpose of this Act, or furnish information which is false in any material particulars.	(xv) {a sum not exceeding rupees ten thousand for each default,}3

(xvi) fails to furnish the audit report in contravention of the provision of section 62;	(xvi) a sum not exceeding five thousand rupees,
(xvii) refuses to permit or refuses or neglects to produce for inspection or examination any book, document or account or display materials in a computer or in a computer floppy or refuses to allow copies or print out to be taken in accordance with the provisions of section 42;	(xvii) a sum not exceeding ten thousand rupees,
(xviii) closes or leaves the place of his business with a view to prevent inspection under this Act or the rules made there under;	(xviii) a sum not exceeding five thousand rupees,
(xix) [***] ¹	(xix) [***] ¹
² [(xx) Fails or refuses to stop or keep stationary his vehicle for checking at a check post or barrier u/s 50-A or at any other place when so required to do so by an officer empowered u/s 42,43,43-A, 48	(xx) a sum not exceeding ten thousand rupees,

1. Omitted by section 14 (a) of Uttarakhand Act No. 09 of 2012.

2. Subs. by section 14 (b) ibid.

3. subs. by section 11 of Uttarakhand Act no 03 of 2016.

(xxi) Fails to prepare, submit or carry the "Transit Pass" as per provision of section-50 or to deliver the same as provided in section 50A;

(xxii) being a transporter or forwarding agent who receives any goods from the driver or person-in-charge of a vehicle coming from out side the State for carrying them out side the State but fails to prove that goods have been carried outside the State;

[(xxiii) the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement , as the case may be, after preparing or submitting "Transit Pass" for transit of goods through the State, fails to produce copies of the "Transit Pass" along with goods before the officer in-charge of the check-post setup u/s 50-A or before the officer empowered u/s 42 or 43 or fails to prove that the goods have been carried outside the State as per provisions of Section 50;

(xxiv) tampers with seal put under sub-section (7) of section 42; or

(xxv) fails to issue a Sale Invoice

(xxi) A sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of the tax livable on such goods under any of the provisions of this Act, whichever is higher;]¹

(xxii) a sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of tax leviable on such goods under any of provisions of this Act, whichever is higher;

(xxiii) A sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of the tax livable on such goods under any of the provisions of this Act, whichever is higher;]

(xxiv) a sum not exceeding twenty five thousand rupees,

(xxv) a sum of rupees one

in accordance with the hundred or double the amount

provisions of Section 60, or has issued a Sale Invoice with

of tax involved, whichever is higher for the first default, or

incomplete or incorrect two hundred rupees or four particulars or having issued such invoice he has failed to account for it correctly in his

times of the tax involved whichever is higher, for the second and each subsequent

books of accounts; default,

(xxvi) issues a false Sale Invoice, voucher or other documents

(xxvi) a sum not exceeding ten thousand rupees,

which he knows or has reasons to believe, to be false;

1. Substituted by section 14 (b) of Uttarakhand Act No. 09 of 2012.

(xxvii) fails to issue a challan or transfer invoice or transport memo in respect of dispatch or delivery of goods in accordance with the provisions of this Act;

(xxviii) issues or receives a false Sale Invoice without sale or purchase of goods shown in such false Sale Invoice;

(xxix) issues or furnishes a false or a wrong form of declaration or certificate by reason of which a tax on sale or purchase ceases to be leviable under This Act or the rules made there under;

(xxx) makes use of or furnishes a prescribed form of declaration or certificate which has not been obtained by hi m or his principal or agent in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(xxxi) transfers a prescribed form of declaration or certificate to any other person except for

(xxvii) a sum of rupees one hundred or double the amount of tax involved, whichever is higher for the first default, or two hundred rupees or four times of the tax involved whichever is higher, for the second and each subsequent default,

(xxviii) a sum not exceeding five thousand rupees,

(xxix) a sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of tax leviable on such goods under any of provisions of this Act, whichever is higher,

(xxx) a sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of tax leviable on such goods under any of provisions of this Act, whichever is higher,

(xxxi) a sum equal to three times of the amount of tax treating the turnover of the goods liable

lawful purposes under the to tax or forty percent of value provisions of this Act or the rules made there under;

(xxxii) receives or possesses or uses or furnishes with an intention to cause loss to the revenue, any prescribed form of declaration or certificate which has not been obtained by him or of the goods mentioned on it whichever is higher, and if the form of declaration or certificate is blank, a sum not exceeding ten thousand rupees,
 (xxxii) a sum equal to three times of the amount of tax treating the turnover of the goods liable to tax or forty percent of value of the goods mentioned on it whichever is higher, and if the his principal or agent in form of declaration or certificate is blank, a sum not exceeding ten thousand rupees,
 thereunder;

(xxxiii) obstructs or prevents any officer from performing any of his functions or discharging his duties under this Act or abuses or threatens any officer;

(xxxiv) provokes or invites other person or persons with a view to prevent any officer from performing his functions or discharging his duties under the Act or participates in an unlawful assembly with a view to prevent an officer from performing his functions or discharging his duties under this Act, or abuses or threatens any officer;

(xxxv) makes false verifications or declaration on an application for registration or in connection with any other proceeding under this Act;

(xxxiii) a sum not exceeding ten thousand rupees,

(xxxiv) a sum not exceeding ten thousand rupees,

(xxxv) a sum not exceeding ten thousand rupees,

(xxxvi) otherwise acts in (xxxvi) a sum not exceeding five
 contravention of the provisions
 of this Act or the rules made
 there under;

thousand rupees,

[(xxxvii) being liable for (xxxvii) a sum of rupees five
 obtaining Tax Deduction hundred for each month or
 part

Account Number under sub-
 section (13) of Section 35, fails
 to apply for Tax Deduction
 thereof for the default during the first three months and rupees one thousand for every
 Account Number. month or part thereof after
 the first three months

during which the
default continues.]²

Explanation- For the purpose of this section, the Assessing Authority includes an officer not below the rank of Commercial Tax Officer, posted at the check-post or also an officer authorized to exercise powers under Section 42 or Section 43 or both, as the case may be.]¹

(2) A copy of the order passed under sub-section (1) shall be served on a dealer or the person concerned and the amount imposed by way of penalty shall be deposited by such dealer or person in the prescribed manner within thirty days of such service failing which it may be recovered as if it were an arrear of land revenue.

(3) No order shall be made under sub-section (1), unless the dealer or the other person concerned has been heard or has been given a reasonable opportunity of being heard.

(4) The provisions of this Section shall mutatis mutandis be applicable to the executor, administrator and the legal representative of the deceased person.

1. Subs. by section 14 of Uttarakhand Act No. 05 of 2008. 2. Added by section 13 (b) of Uttarakhand Act No. 25 of 2010.

CHAPTER-IX

ACCOUNTS TO BE MAINTAINED BY DEALERS

Maintenance of 59. (1) Every dealer or a person registered or liable to be registered under this Act, or Accounts liable to pay tax under this Act, including a dealer covered under sub-section (1) and (2) of section 7 of this Act, shall keep and maintain a true and correct account showing the value of goods purchased, manufactured or sold or supplied by him and such other records as may be prescribed under this Act or the Rules made or Notifications issued thereunder:

Provided that this sub-section shall not apply to such dealers as are not liable to taxation under this Act.

- (2) A manufacturer liable to pay tax under this Act shall in addition to the accounts referred to in sub-section (1), maintain stock books in respect of raw materials as well as products obtained.
- (3) The Commissioner may, subject to such conditions or restrictions as may be prescribed in this behalf, direct any dealer or any class of dealers generally to keep such accounts and records, including records of purchases, sales or delivery of goods in such form and in such manner as may be specified.
- (4) Every registered dealer or a dealer referred to in sub-section (1) or sub-section (2) shall keep at his place of business all accounts, registers and documents maintained in the course of business.
- (5) Where a dealer as referred to in sub-section (1) or sub-section (2) has established branch offices of his business in the State other than the principal place of business, the relevant accounts, registers and documents in respect of each such branch shall be kept by him at such branch.

(6) A dealer who maintains or keeps books or accounts in a computer shall prepare floppies of such books or accounts or documents and shall maintain them as part of accounts. He shall also maintain day-to-day print out of all such books, accounts and documents.

(7) Any dealer who claims input tax credit under section 6 shall maintain a register in respect of computation of input tax credit tax period wise.

(8) Where a dealer purchases or receives or disposes of manufactured goods in more than one of the following ways :

- (a) makes sale of taxable goods inside the State; or
- (b) dispatches taxable goods to other dealers for sale inside the State; or
 - (c) makes sale of taxable goods in the course of inter -state trade or commerce; or
 - (d) makes sale of goods in the course of export out side the territory of India; or
- (e) dispatches taxable goods out side the State otherwise than by way of sale,

shall keep separate account of sales or dispatches and also purchases and receipts of goods for such purposes separately as far as possible.

(9) Every dealer liable to pay tax shall prepare an inventory of goods purchased from in side the State or imported from out side the State along with their purchase value as given below :---

- (a) goods held in the opening stock on the date on which the dealer becomes liable to pay tax;
- (b) goods held in the closing stock on the last date of each financial year;
- (c) goods held in opening stock on the first date of the assessment year in which the dealer applies for cancellation of registration under sub-section (1) of Section 18;
- (d) goods held in stock at the time of discontinuance of business:

Provided that if the dealer manufactures any goods and holds any manufactured or semi- manufactured goods in stock, he shall also prepare inventory of goods and record estimated purchase value of goods used in manufactured or semi-manufactured goods as constituent and estimated purchase value of goods used in the manufacture of such goods as fuel or consumable stores or lubricants or packing material.

[(10) Where a registered dealer or a dealer liable to pay tax, consigns any taxable goods [***]² whether as a result of sale or otherwise:

- (a) Such dealer shall issue a sale invoice or a challan [containing an individual serialized number and date of issue]³ in case of consignment of goods otherwise than way of sale which shall contain the name, address and registration certificate no. (which effective date) of the consignor and consignee and the description, quantity, volume of goods and amount of tax charged in case of sale and also estimated value of goods in case of consignment and value of goods in case of sale.
- (b) Such dealer shall issue a sale invoice or as the case may be the challan in original to the purchaser or the consignee person and the first copy of the invoice in case of sale and the

original copy of the challan in case of consignment shall accompany the goods during the journey of goods and the second copy of the invoice in case of sale and the duplicate of the challan in case of consignment shall be preserved by the dealer as part of his accounts.

- (c) Person transporting the goods for delivery to consignment shall record the registration number of the vehicles on the sale invoice or the challan and shall deliver such document to the consignee along with the goods.
- (d) The consignee dealer of goods shall not transfer any such document to any other person and preserve the same for the period prescribed under Section 61.]¹

(11) Where a dealer receives any certificate or any form of declaration prescribed under this Act or Rules made or notifications issued thereunder:

- (a) he shall use them in the prescribed manner and keep an account of such used or unused certificates or forms of declarations in the prescribed manner;
- (b) he shall not transfer to any person and no person shall receive from any person any certificate or any form of declaration except for lawful purposes;
- (c) any dealer who receives any prescribed form including duplicate copy thereof and other connected documents, shall preserve them for a period prescribed under Section 61.

1-Substituted by section 15 of Uttarakhand Act No. 05 of 2008.

2- Omitted by section 15(a) of Uttarakhand Act No. 09 of 2012.

3- Ins. by section 15 (b) *ibid*.

Sale Invoice

60. (1) Every registered dealer making a sale to any person or a dealer, whether registered or not, shall provide that purchaser for every sale with a Sale Invoice containing such particulars as specified in sub-section (2), and retain a copy thereof. The amount of tax charged on sales of goods shall be shown separately:

Provided that if an invoice has been issued under the provisions of Central Excise Tariff Act, 1985, it shall be deemed to be a Sale invoice if it contains the particulars specified in sub- section (2).

(2) The Sale Invoice issued under sub-section (1) shall contain the following particulars on the original as well as copies thereof--

- (a) the name, address and registration certificate number [i.e. Taxpayer's Identification Number (TIN)]² of the selling registered dealer and the date from which the registration is effective;
- (b) the name, address and registration certificate number [i.e. Taxpayer's Identification Number (TIN)]² with effective date, of the purchasing dealer;
- (c) an individual serialised number and the date on which the Sale invoice is issued;
- (d) description, quantity, volume and value of goods sold and amount of tax charged thereon indicated separately;
- (e) signature of the selling dealer or his manager, agent or [employee]¹ duly authorized by him.

- (3) Every registered dealer shall, in respect of every sale of goods on which tax is charged, issue to the purchaser a Sale Invoice and in case of sale of goods exempt from tax, exceeding such amount in value as may be prescribed, in anyone transaction to any person, he shall issue to the purchaser a Sale invoice:

Provided that in a case in which a purchaser demands a sale invoice in respect of such sale, the dealer shall issue to the purchaser a sale invoice, irrespective of the amount of sale.

- (4) Every Sale Invoice shall, before being issued, be authenticated by the dealer or his authorized signatory.
- (5) The Sale Invoice shall be issued in triplicate. The original shall be issued to the purchaser and the first copy shall be issued to the dealer or any other person, as the case may be, taking delivery of the goods and the second copy shall be retained by the selling dealer.
- (6) Not more than one Sale Invoice shall be issued for each sale.

(7) An original Sale Invoice shall not be provided to a person in any circumstances other than those specified in this Section, but a copy marked as Duplicate may be provided in the prescribed manner, if the person receiving the original invoice so requests for the reason that the original has been lost.

- (8) The particulars of Sale Invoice shall be recorded in the form and in the manner as may be prescribed.

1.Substituted by section 16 of Uttarakhand Act No. 05 of 2008.

2.Subs. by section 14 of Uttarakhand Act No. 25 of 2010.

Period for
him in which
Accounts to be
retained

61. (1) {Every dealer shall preserve all accounts required to be maintained by the course of his business, including Sale invoices, debit credit memos and vouchers relating to productions, stocks, purchases, deliveries and sales, for a period of six years after the close of the assessment year to which they relate or till the assessment or reassessment or any other proceedings under the Act for such assessment year is completed, whichever is later.}

- (2) Every dealer who maintains the records electronically shall retain them in electronically read-able format for the period specified in sub-section (1).

Audit of
Accounts

62. [(1) Where in any particular year gross turnover of a dealer exceeds {five crore rupees}⁶ or such other amount as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify, then such dealer shall get his accounts, in respect of that year, audited by an accountant [***]² and obtain a report of such audit duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

- [(2) A true copy of such report shall be furnished by such dealer to the assessing authority along with the annual return as prescribed in section 25.]³

- (3) Where in any particular year gross turnover of a dealer {exceeds one crore rupees but does not exceed five crore rupees}⁶ then such dealer shall furnish a true copy of the audit report of his accounts duly signed and verified by a chartered Accountant, or a Cost Accountant or an Auditor. This report shall be submitted to the assessing authority [along with the annual return as prescribed in Section 25.]²

Explanation- For the purpose of this Section, “Accountant” means a Chartered Accountant as defined in the Chartered Accountant Act, 1949, a Cost Accountant as defined in the Cost and Works Accounts Act, 1959, and includes a person who by virtue of the provisions of sub-section (2) of Section 226 of the Companies Act, 1956, is entitled to be appointed to act as an auditor of Companies registered under the said Act.]¹

CHAPTER-X

MISCELLANEOUS

Liability on Issuing False etc. 63. Notwithstanding any thing to the contrary contained elsewhere in this Act, and without prejudice to Section 58 a person who issues a false or wrong Certificate certificate or declaration prescribed under any provision of this Act or the Rules framed thereunder, to another person by reason of which a tax leviable under this Act on the transaction of purchase or sale made to or by such other person ceases to be leviable or becomes leviable at a concessional rate, shall

be liable to pay on such transaction an amount which would have been payable as tax on such transaction had such certificate or declaration not been issued:

Provided that before taking any action under this Section, the person concerned shall be given an opportunity of being heard,

1. Substituted by section 17 of Uttarakhand Act No. 05 of 2008.
2. Omitted. by section 15 (a) of Uttarakhand Act No. 25 of 2010.
3. Subs. by section 15 (b) *ibid*.
4. Subs. by section 15 (c) *ibid*.
5. subs. by section 4 of Uttarkhand Act no 19 of 2016.
6. Subs. by section 5 of Uttrakhand Act no 19 of 2016.

Explanation-- where a person issuing a certificate or declaration discloses therein his intention to use goods purchased by him for such purpose as will make the tax not leviable or leviable at a concessional rate but uses the same for a purpose other than such purpose, the certificate or declaration shall, for the purpose of this Section, be deemed to be wrong.

Objection to Jurisdiction 64. (1) No objection as to the territorial or pecuniary jurisdiction of any assessing authority shall be allowed by any appellate or revising authority or the Tribunal unless such objection was taken up before the assessing authority at the earliest possible opportunity and unless, in the opinion of the appellate or revising authority or the Tribunal, as the case may be, a failure of justice has in fact been occasioned thereby.

(2) Where any assessment is set aside or quashed merely on the ground of want of territorial or pecuniary jurisdiction of the assessing authority or on any other ground of a like nature not affecting the substance, any tax already paid by the assesses, to the extent of the liability admitted by him, shall not be refundable to him, in consequence of the assessment being so set aside or quashed.

Certain Presumptions in Affixing Tax Liability 65. (1) Where any goods relating to business are--
(a) traced to a dealer and are found in a building or place but the dealer has not accounted for such goods in his books of account; or

- (b) traced to a dealer and are found in a vehicle, whether belonging to the dealer or not, such goods are not accompanied with the documents prescribed under any provision of this Act; or
 - (c) found in the custody of any person who claims to carry on any profession other than business but fails to prove that such goods belong to some other person or dealer, it shall be presumed that such goods have been imported or purchased within the State by such dealer or person with a view to evade payment of tax on sale of such goods or if the goods found are for use in manufacture, the tax on the sale of goods to be manufactured by using such goods.
- (2) Where at a check-post or any other place inside the State it is found that any taxable goods for the purpose of business, are being imported without a form of declaration prescribed under section 48, unless otherwise proved after furnishing proper and sufficient evidence, it shall be presumed that--
- (a) such goods are being imported with a view to evade payment of tax under this Act; and
 - (b) such goods are being imported with a view to evade payment of tax on sales of such goods under this Act:

Provided that if goods are meant for use in manufacture of any goods, it shall be presumed that goods are being imported with a view to evade payment of tax on sale of goods to be manufactured by using such goods.

- (3) Where any books or accounts or documents are found in any place or building or vehicle, unless the person-in-charge of such place or building or vehicle, after furnishing proper and sufficient evidence, proves that the same belong to some other person or dealer, such books, accounts or documents shall be deemed to belong to such person, and such person shall be deemed to be a dealer in respect of such transactions relating to business of purchase and sale of goods, as may be found in such books, accounts or documents.
- (4) Where any transactions of sale and/ or purchase of any goods relating to a dealer are found recorded in any books or accounts or documents of any other dealer and if such transactions are not found recorded in the books or accounts or documents maintained by the former dealer in the ordinary course of business, it shall be presumed that the transaction related to such former dealer and that such goods have been imported or purchased within the State with a view to evade payment of tax on sale of such goods or if the goods recorded in such books, accounts or documents are for use in manufacture, the tax on sale of goods to be manufactured by using such goods.
- (5) Where in respect of purchase or sale of any goods within the State, the challan or transport invoice referred to in sub-section (10) of Section 59 is required to be issued or obtained or to accompany the goods during transit and if such provisions have not been complied with or the goods in whole or part are not covered by such documents, it shall be presumed that such goods have been sold, or as the case may be, purchased with a view to evade payment of tax on purchase or sale of such goods or, if the goods are for use in the manufacture, the tax on the sale of goods to be manufactured by using such goods.

- (6) Where a dealer obtains any Sale Invoice from a registered dealer without making purchase of goods shown in such Sale Invoice, it shall be presumed that the dealer obtaining such documents has purchased goods shown in such document from other person with a view to evade payment of tax on purchase of such goods in the circumstances in which tax can not be levied on the person selling such goods and tax shall be payable under the provisions of this Act on such purchases by the dealer purchasing the goods.
- (7) Where the Assessing Authority is satisfied that a "scheme" has been entered into or carried out such that a person, in connection with the scheme, has obtained the tax benefit resulting in--
- a reduction in the liability of any person to pay tax ; or
 - an increase in the entitlement of a person to an input tax credit or refund; or
 - any other avoidance or postponement of liability for the payment of tax, it shall be presumed that such person or persons who carried out or entered into the scheme did so for the sale and dominant purpose to enable such person to obtain the tax benefit, and the assessing authority may determine the liability of such person who has obtained the benefit as if the scheme had not been entered into or carried out.

Explanation- The "scheme" includes any agreement, arrangement, promise, or undertaking whether express or implied and whether or not enforceable, or intended to be enforceable by legal proceedings, and any plan, proposal, course of action, or course of conduct.

Burden of
knowledge Proof

66. (1) In any assessment proceeding, when any fact is specially within the knowledge of the assessee, the burden of proving that fact shall lie upon him, and in particular, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the exceptions, exemptions or relief under any provisions of this Act, or that he is eligible for input tax credit under section 6, shall lie upon him and the assessing authority shall presume the absence of such circumstances.

- (2) Where any dealer claims that he is not liable to pay tax in respect of any transaction of sales or purchases, the burden of proving the existence of facts and circumstances on the basis of which he claims such exemptions from liability shall lie upon him.

Additional
Evidence in

67. The assessee shall not be entitled to produce additional evidence, whether oral or documentary, before the appellate authority or the Tribunal except Appeal where the evidence sought to be adduced in evidence, which the assessing authority had wrong by refused to admit or which after exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him before the assessing authority, and in every such case, upon the additional evidence being taken on record, reasonable opportunity for challenge or rebuttal shall be given to the assessing authority.

Indemnity

68. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any servant of the Government for any thing which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.

Bar to certain
Proceedings

69. No assessment made and no order passed under this Act or the rules made thereunder by any authority shall be called in question in any Court, and save as is provided in this Act, no appeal or application for revision shall lie against any such assessment or order.

Certain
accounts Information to
made be Confidential
made in the

70. (1) All particulars contained in any statement made, return furnished or or documents produced under the provisions of the Act or the thereunder, or in any evidence given or affidavit or deposition made in the course of any proceedings under the Act or the rules made thereunder, or in any record of any proceedings relating to the recovery of a demand prepared for the purpose of the Act or the rules made thereunder shall be treated as confidential.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to the disclosure of any such, particulars--

- (a) for the purpose of any investigation of, or prosecution for any offence under this Act or under the Indian Penal Code, 1860, or under any other enactment for the time being in force; or
 - (b) to any person acting in the execution of the Act or the rules made thereunder where it is necessary to disclose the same to him for the purposes of the Act or the rules made thereunder; or
 - (c) occasioned by lawful employment under the Act or the rules made thereunder of any process for recovery of any demand; or
 - (d) to a Civil Court in any suit to which the Government is a party which relate to any matters arising out of any proceedings under this Act or the rules made thereunder; or
 - (e) occasioned by a lawful exercise by a public servant of his powers under the Indian Stamp Act, 1899, to impound an insufficiently stamped document; or
 - (f) to an officer of Central Government or the Government of any State for the purpose of enabling that Government to levy or realise any tax imposed by it; or
 - (g) to an officer of the Central or the State Government for the purpose of making an enquiry against any Government servant; or
 - (h) or purpose of audit of public accounts; or
 - (i) for any other lawful purpose under this Act or the rules made thereunder.
- (3) Nothing in this Section will apply to publication of any information relating to a class of dealer or class of transactions, if in the opinion of the Commissioner it is desirable in the public interest, to publish such information.
- (4) Notwithstanding any thing contained in this Section, if the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest to publish or disclose the names of any dealers or other persons and any of the particulars relating to any proceeding under this Act in respect of such dealers and persons, it may publish or disclose or cause to be published or disclosed such names and particulars in 'such manner as it thinks fit.
- (5) No publication or disclosure under this section shall be made in relation to any tax levied or penalty imposed or interest levied or any conviction for any offence connected with any proceeding under this Act, until the time for presenting an appeal to the appropriate appellate authority has expired without an appeal having been presented or the appeal, if presented, has been disposed of.

Explanation:- In the case. of a firm, company or other association of persons, the names of the partners of the firm, the directors, managing agents, secretaries, treasurers or managers of the company or the members of the association, as the case may be, may also be published or disclosed, if, in the opinion of the Government, the circumstances of the case justify it.

Powers to
Act.
make rules
powers,

71. (1) The State Government may make Rules to carry out the purposes of this
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing such Rules may provide for--
- (a) all matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed;
 - (b) the registration of persons engaged in the sale or purchase of goods and the imposing of conditions in respect of the same for the purpose of enforcing the provisions of this Act and fees for registration;
 - (c) the determination of turnover for the purpose of assessment of tax under this Act;
 - (d) compelling the submission of returns and the production of documents and enforcing the attendance of persons and examining them on oath or affirmation;
 - (e) the appointment, duties and powers of officers appointed for the purposes of enforcing the provisions of this Act;
 - (f) generally regulating the procedure to be followed and the forms to be adopted in proceedings under this Act;
 - (g) refunds of amounts deposited under sub-section (1) of Section 40, the procedure for such refunds and the period within which they may be made;
 - (h) the manner of putting seals under sub-section (7) of Section 42 and the manner in which and by whom the same shall be removed and for custody of sealed property and other goods and documents referred to in that sub-section;
 - (i) the custody of goods seized under Section 43; and
 - (j) the matters which are to be or may be prescribed.
- (3) The powers to makes Rules conferred by this Section shall be subject to the condition of the Rules being made effective after previous publication for a period of not less than four weeks:
- Provided that if the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary for it to take immediate action, it may make any Rule without such previous publication.
- (4) All Rules made under this Section shall be published in the Gazette and upon such publication shall have effect immediately as if enacted in this Act.
- (5) Every Rule made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly while it is in session, for a total period of fourteen days, extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of its publication in the Gazette subject to such modifications or annulments as the State Legislative Assembly may during said period make.
- However any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done or omitted to be done under that rule.

Power to issue public Notifications provisions of with Retros- months from pective effect 72. Where the State Government is satisfied that it is necessary so to do in interest, it may issue a notification where ever required under the this Act, so as to make it effective from a date not earlier than six the date of issuance of such notification:

Provided that no notification having the effect of increasing the liability to tax of a dealer shall be issued with retrospective effect under this Section.

Transfer to liable Defraud Revenue void 73. Where, during the pendency of any proceeding under this Act, any person to pay any tax or other dues creates a charge on or transfers, any movable or immovable property belonging to him in favour of any other person with the intention of defrauding any such tax or other dues, such charge or transfer be void as against any claim in respect of any tax or other dues payable by person as a result of the completion of the said proceedings :

Provided that nothing in this Section shall impair the rights of a transferee in good faith and consideration.

Fees in certain memorandum Cases fallows- 74. (1) Subject to the provisions of sub-section (3), the fee payable on a of appeal or other applications under this Act filed or moved shall be as

- | | |
|---|---|
| (a) On a memorandum of appeal tax, under section 51 to a and rupees | Two percent of the amount of fee or penalty in dispute, subject minimum of one hundred rupees a maximum of one thousand |
| (b) On a memorandum of appeal under section 53 dispute, subject to a minimum of a maximum | Seven and a half percent of the amount of tax, fee or penalty in five hundred rupees and of two thousand rupees. |

- | | |
|-------------------------------------|----|
| (c) On an application under section | 57 |
| (d) On any other application | |

One hundred rupees

- | | |
|--|-----------------|
| (i) when addressed to the Commissioner or the revising authority or the Tribunal | Twenty rupees |
| [(ii) when addressed to any other officer or Authority | (a) Ten rupees. |

- (b) no fee, where such application is submitted online.]]

1-substituted by section 3 Uttarakhand Act no. 12 of 2014.

- (2) The fee referred to in this section and any provisions of this Act shall be payable in the manner prescribed, and proof of deposit shall be attached to the memorandum, or application as the case maybe:

Provided that where the amount of fee payable does not exceed fifty rupees, the same may be paid in Court fee stamp.

- (3) No fee shall be payable in respect of --
- an application or a memorandum of appeal presented by the Commissioner or any other officer or authority appointed under this Act or the rules made thereunder;
 - an application in which only information is sought and in which no specific relief is prayed for;
 - an application under Section 57, seeking a decision only as to rate of tax applicable or the point at which the tax is payable.

Power to Grant Installment 75. [(1) Subject to such conditions and restrictions as may be deemed fit the State Government may remit the arrears of tax, penalty, interest or other dues against any dealer or person.

(2) Subject to such conditions and restrictions, as may be deemed fit-

- (a) the State Government may permit any dealer or other person, against whom any amount of tax penalty or other dues is outstanding to pay the amount in such number of monthly installments, as it may consider proper in the circumstances of the case; and
 - (b) the Commissioner may likewise permit any dealer or other person, against whom any amount of tax, penalty or other dues aggregating not more than two lakh rupees is outstanding, to deposit the same in such number of monthly installments, not exceeding twenty, as he may consider proper in the circumstances of the case.
- (3) Where such dealer or other person fails to furnish, within thirty days of the receipt of the order referred to in sub-section (2), adequate security to the satisfaction of the assessing authority concerned for payment of outstanding amount, or fails to comply with the conditions and restriction imposed in such order, the amount due shall be recoverable at once.]¹

Moratorium for Government Payment of production of any Tax generally 76. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where the State is of the opinion that it is necessary so to do for increasing goods or for promoting the development of any industry in the State or in any district or part of a district in particular, it may on application or otherwise in any particular case or generally, by notification declare that to the dealers running new units whose date of starting production falls on a date prior to the date of commencement of this Act and dealers owning manufacturing units which have undertaken expansion, diversification or modernization or backward integration prior to the date of commencement of this Act and if such dealers hold an eligibility certificate issued under the provisions of section 4-A of the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax

Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002, rules made or notifications issued thereunder, moratorium for payment of admitted tax in lieu of exemption from tax on sale of goods whether wholly or partly or at recuparate will be allowed subject to the conditions given in this Section and such other conditions as may be prescribed or as the State Government may, by notification in the Gazette, specify.

1. Substituted by section 18 of Uttarakhand Act No. 05 of 2008.

- (2) Dealers who have been granted facility of moratorium for payment of admitted tax before the commencement of this Act, such facility shall continue and shall be deemed to have been granted under this Act, and to that extent the provisions of Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 shall be deemed to be part of this Act. The facility granted under this Section shall be subject to such conditions as given in this Section and such other conditions as may be prescribed or as the State Government may, by notification in the Gazette, specify.

- (3) Any application pending at the time of commencement of this Act, before the Commissioner of Trade Tax, for issue of orders for moratorium for payment of admitted tax under the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 shall be deemed to be pending under the provisions of this Act before the Commissioner and the same shall be disposed of according to the provisions of that Act as it was in force on the date on which the application was presented before the Commissioner.
- (4) Notwithstanding any thing contained contrary to the provisions of this Act and in particular to the provisions of section 4-A or sub-section (2-A) of section 8 of the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002, rules made or notifications issued thereunder--
- (a) application for grant of eligibility certificate presented on a date prior to the date of commencement of this Act before the competent authority under that Act shall be deemed pending before the prescribed authority under this Act,
- (b) dealers owning new units whose date of starting production falls before the date of commencement of this Act and dealers owning such units as have under taken expansion or diversification or modernization or backward integration before the date of commencement of this Act, may apply for grant of eligibility certificate under the provisions of section 4-A of the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 within the time prescribed under that Act before the prescribed authority under this Act.
- (5) Applications for grant of eligibility certificate under sub-section (4) shall be disposed of by the prescribed authority according to the provisions of the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002, the rules made and notifications issued thereunder, as applicable on the date of commencement of this Act, and the dealer, if found eligible, shall be granted eligibility certificate, and such dealer shall be entitled to moratorium for payment of admitted tax to the extent and for the period provided in sub-section(6).
- (6) Subject to other provisions of this Section, the dealers holding eligibility certificate either granted under the provisions of the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 before the date of the commencement of this Act or who may be granted eligibility certificate under sub-section (5), shall be eligible to tax concessions or, as the case may be, for the facility of moratorium for payment of tax in lieu of exemption from tax, as per provisions of section 4-A of the repealed Act and the Rules made or relevant Notifications issued thereunder, subject to the following conditions and restrictions, namely:--
- (a) The dealers who had opted for moratorium for payment of tax in lieu of exemption from tax, shall be eligible for the facility of moratorium to the extent of aggregate amount of hundred percent of the amount of exemption from tax mentioned in the eligibility certificate and fifty percent of the amount of fixed capital investment mentioned in the eligibility certificate less aggregate of such amount

in respect of which facility of moratorium for payment of tax has been availed during the period before the commencement of this Ordinance, for the period remaining on that date out of the maximum period mentioned in the order of moratorium.

(b) The dealers who were enjoying exemption from tax for any period before the commencement of the Act, may, either--

- (i) continue to do so for the period remaining on that date out of the maximum period mentioned in eligibility certificate, and to the extent of remaining balance amount (amount of exemption from tax mentioned in the eligibility certificate less the aggregate of amount of exemption from tax as has been availed before the date of commencement of this Ordinance); or
- (ii) opt, in the prescribed manner, for benefit of moratorium for payment of tax in lieu of exemption from tax and such units shall be eligible for facility of moratorium to the extent of aggregate amount of hundred percent of the amount of exemption from tax mentioned in the eligibility certificate and fifty percent of the amount of fixed capital investment mentioned in the eligibility certificate less the aggregate of amount of exemption from of tax as has been availed before the date of commencement of the Ordinance, for the period remaining on that date out of the maximum period mentioned in the eligibility certificate :

Provided that if the dealer does not choose either of the two options, within 30 days of the commencement of this Act, it shall be presumed that the dealer desires to continue as per provision (i) above.

[(c) any taxable dealer purchasing goods from such dealer holding eligibility certificate and who is exempted from tax, whether wholly or partially, shall be entitled to Input Tax Credit of the amount of tax charged in the sale invoice of the selling dealer, and for this purpose the selling dealer shall append the following certificate in the sale invoice regarding-

Certificate

"Certified that the dealer is entitled to exemption from tax @ as per Eligibility Certificate No. Dated.....according to which the exemption amount in

this invoice comes to Rs.....]1

1. Substituted by section 19 of Uttarakhand Act No. 05 of 2008.

- (7) Under moratorium for payment of admitted tax under this Section, the amount of tax for each assessment year, which a dealer would have been liable to pay as admitted tax payable on sale of goods if exemption had not been granted, less any amount of admitted tax payable according to the conditions of eligibility certificate for the assessment year, shall be deferred for a period of seven years. Such period of seven years shall be computed from 1st May of the assessment year subsequent to assessment year to which such amount of tax relates. The amount of tax for each assessment year for which moratorium is granted shall be paid

by the dealer in lump sum within one month of the expiry of the period of moratorium:

Provided that the total amount payable shall be paid in lump sum within three months of its becoming payable when the moratorium ceases as per the provisions under sub-section (14) of this Section.

- (8) Moratorium shall be allowed only to those manufacturers who hold eligibility certificate and who obtain certificate of moratorium from the prescribed authority.
- (9) Moratorium shall be admissible in respect of tax on sale of goods mentioned in the eligibility certificate and shall not be available in respect of tax payable on purchases of goods, if any, and in respect of sales of goods for which eligibility certificate is not applicable.
- (10) Moratorium shall not be admissible in respect of amount of tax assessed in excess of tax admittedly payable and shall be limited to the amount of tax and for the period mentioned in sub- section (6).
- (11) Moratorium shall be available to only such manufacturers who create first charge on their property in favour of the State Government sufficient to cover the amount of tax for which moratorium has been granted.
- (12) Moratorium shall be subject to such conditions as the State Government may, by notification in the gazette prescribe.
- (13) The Commissioner may by order in writing, before or after the expiration of the period of exemption or reduction, amend or cancel the certificate of eligibility in the following circumstances-
 - (a) where there is any legal or factual error in issuing such eligibility certificate; or
 - (b) where the unit is not entitled to such facility or is entitled to such facility for a lesser period or from a different date; or
 - (c) where the dealer has misused the certificate of eligibility in any manner; or
 - (d) where the dealer has acted in contravention of any conditions of eligibility certificate; or
 - (e) where the dealer has not paid any amount of tax or penalty due from him either under this Ordinance or under the Central Sale Tax Act, 1956; or
 - (f) where the dealer is involved in the evasion of tax under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956; or
 - (g) where the dealer has discontinued business, and in any such case the facility of moratorium shall be withdrawn with effect from the date specified in the order and such date may be prior to the date of such order, so however, that in cases of misuse or breach, the cancellation of eligibility certificate shall have effect not before the date of such misuse or breach :

Provided that no order under this section shall be passed without giving the dealer a reasonable opportunity of being heard.

- (14) The moratorium shall cease and the total amount shall become payable--
 - (a) on the date on which the dealer discontinues business; or

(b) on the date on which the dealer violates any of the conditions subject to which eligibility certificate has been granted; or

(c) on the date on which the order of cancellation of certificate of eligibility under sub-section (13) is served on the dealer, and the amount shall be paid in lump sum within three months of its becoming payable.

(15) When any dealer fails to pay the amount due under the provisions of sub-section (7) or sub-section (14) of this section within the time specified therein, he shall, notwithstanding his liability under section 58 be liable to pay interest at the rate of fifteen percent per annum for the period of default;

Provided that no penalty under this sub-section shall be levied without giving the dealer an opportunity of being heard.

(16) If there is discontinuation of business, within the meaning of clause (e) of sub-section (7) of section 3, of the manufacturer who was eligible for exemption from or reduction in rate of tax under this section, and if he is succeeded by another manufacture by means of sale, license, contract, lease, managing agency or in any other manner, such successor manufacturer may, subject to the provisions of sub-section (13), apply to the officer competent to grant eligibility certificate, within sixty days of such succession, for the grant of facility under this section for the unexpired portion of the period for which the facility was or could be granted to the former manufacture:

Provided that the aforesaid officer may, in its discretion and for adequate and sufficient reasons to be recorded in writing, entertain an application moved within six months of the date of the expiration of the period specified in this sub-section;

Provided further that such manufacture and successor manufacturer for the purpose of liability of tax shall be treated as the transferor and transferee under sub-section (4) of section 9;

Provided also that in computing the unexpired portion of the period, the period during which the production of successor manufacturer remains closed on account of an order passed by any Court or Board for Industrial and Financial Reconstruction or Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction shall be excluded.

(17) The State Government may, by notification in the Gazette, withdraw this facility of moratorium for payment of tax under this section, where it is of the opinion that it is no longer in public interest:

Provided that this facility shall not be Withdrawn retrospectively.

Explanation- The expression "new unit" and "unit which has undertaken expansion, diversification, modernization or backward integration" and "eligibility certificate" shall have the same meanings as are assigned to them under section 4-A of the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948)

Adaptation and Modification Order, 2002.

Facility for subject Sick Industrial Government Units payable by	77. (1) Notwithstanding anything contained in section 34 and section 75, but to such conditions as may be deemed fit to be imposed, the State may allow the deferment of payment of any existing or future dues an industrial unit under the provisions of this Act or allow payment of such
---	--

dues in such number of instalments as may be specified, if such industrial unit is declared a sick unit in accordance with the guidelines specified in this behalf by an authorized body constituted by the Central Government or the State Government in connection with rehabilitation of sick industrial units and is approved for rehabilitation by an approved agency, appointed by the Central Government or the State Government.

- (2) Notwithstanding anything contained in section 31, the State Government may set aside an order of assessment or penalty passed ex-party against a sick unit and direct fresh disposal of the case in accordance with law.

Power to
administration of collect
or by Statistics

- 78 (1) If the Commissioner considers that for the purpose of better this Act it is necessary so to do, it may, by issuing a circular and publication in the News Paper or by notification in the Gazette, direct that statistics be collected relating to any matter dealt with, by or under this Act.

- (2) Upon such direction being made, the Commissioner or any person authorised by it in this behalf, call upon all dealers or class of dealers or a particular dealer to furnish such information or returns or statements as may be stated therein relating to any matter in respect of which statistics are to be collected.

- (3) Dealer or dealers shall be liable to furnish such information within the time allowed.

Power to
the remove
difficulties

79. (1) Where any difficulty arises in giving effect to the provision of this Act, State Government may, by notification in the Gazette, make such orders not inconsistent with this Act, as may appear' to be necessary or expedient for removing the difficulty.

- (2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of three years from the date of commencement of this Act.

- (3) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly while it is in session, for a total period of not less than fourteen days, extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of its publication in the Gazette subject to such modifications or annulments as the State Legislative Assembly may during said period make. However, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done thereunder except that any imposition, assessment, levy or collection of tax or penalty shall be subject to the said notification or annulment.

CHAPTER--XI TRANSITIONAL PROVISIONS, REPEAL AND SAVINGS

Transitional
Provisions

80. In particular and without prejudice to the generality of the provisions of Repeal and Saving under section 81 of this Act, the transitional provisions under this section shall include--

- (1) Any person appointed as the Commissioner, Additional Commissioner, Additional Commissioner Grade-I, Additional Commissioner Grade-IT, Joint Commissioner, Deputy Commissioner, Assistant Commissioner, Trade Tax Officer Grade-II, or any person appointed to assist the Commissioner, under the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 (referred to as the Repealed Act) or as the case may be, under the Uttarakhand Value

Added Tax Ordinance, 2005 (referred to as the Repealed Ordinance) and continuing in office immediately before the date of commencement of this Act shall, on and from such date, be deemed have been appointed under this Act and shall continue in office as such till such person holds such office in the Commercial Tax Department and such officer shall exercise the powers vested in perform the duties cast under this Act, rules made or notifications issued thereunder;

- (2) Any person appointed as President or Member of Appeal Tribunal under the Repealed Act or, its the case may be, the Repealed Ordinance, and continuing in office immediately before commencement of this Act shall, on and from such date, be deemed to have been appointed under his Act and shall continue in office as such till such person holds such office in Appeal Tribunal and such officer shall exercise the powers vested in him and perform the duties cast under this Act, rules made or Notifications issued thereunder;
- (3) All rules, regulations, notifications or orders made or directions issued by the State Government or any orders or directions issued by the Commissioner under any provisions of the repealed Act or as the case may be, the Repealed Ordinance, or rules made thereunder, and continuing to be in force on the day immediately before the date of commencement of this Act shall continue to be in force on or after such date in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act and the rule made thereunder until they are repealed or amended;
- (4) Any order by the Commissioner delegating any power under the Repealed Act or as the case may be, the Repealed Ordinance, or the rules made thereunder, to any person appointed, by any designation; to assist him before the date of commencement of this Act shall, on and from such date, continue to be in force after the commencement of this Act;
- (5) With effect from the date of commencement of this Act liability of payment of tax on sale or purchase of any goods made on or after such date under the provisions of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, shall cease;
- (6) Any tax assessed or penalty imposed under the repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, in respect of sales or purchases made thereunder before the date of commencement of this Act, shall be payable or recoverable in accordance with the provisions of this Act. The amount of interest payable for the period before the date of commencement of this Act shall be paid and recovered according to the provisions of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, and for the period starting on or after such date shall be paid and be recovered in accordance with the provisions of this Act;
- (7) Where period of any return relates partly to the period before the date of commencement of this Act, separate returns for period before such date and the period commencing from such date shall be submitted separately;
- (8) Any dealer, whose accounts, registers or documents have been seized under the repealed Act, or, as the case may be, the Repealed Ordinance, shall continue to be retained in accordance with the provisions of this Act on or after the date of commencement of this Act;

- (9) All forms of declarations or certificates under the Repealed Act or as the case may be, the Repealed Ordinance, or the rules made thereunder and continuing to be in force on the day immediately before the date of commencement of this Act, as' are in conformity with any provisions of this Act, shall, with effect from such date, continue to be in force and may be used by the dealer or other person of the purpose for which they were being used before such date until the State Government directs, by notification, the discontinuance of the use of such forms or certificates;
- (10) Any form of declaration or certificate prescribed under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, or the Rules made or notifications issued thereunder, as are not in conformity with any provisions of this Act and remaining unused with any dealer or any person, shall be returned, if not already done under the provisions of the Repealed Ordinance, to the assessing authority from whom the same were received within a period of sixty days from the date of commencement of this Act;
- (11) Any application for the form of declaration or certificate for the transport of goods into the State, pending on the day immediately before the date of commencement of this Act, shall be deemed to have been made under this Act and shall be disposed of in accordance with the provisions of this Act;
- (12) The following proceedings under the provisions of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, pending on the date of commencement of this Act or those which may arise as a result of any proceeding under the provisions of Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance shall be disposed of in accordance with the provisions under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, within the time prescribed in this Act--
- (a) any application for grant of registration or grant of recognition certificate or for grant of eligibility certificate,
 - (b) any case of assessment or reassessment,
 - (c) any case of appeal, revision, reference or review,
 - (d) any case in which any officer or authority has been directed by any Court or authority to make fresh order,
 - (e) any case pending before Commissioner under sub-section (3) of Section 4- A of the repealed Act or, as the case may be, the relevant provisions of the Repealed Ordinance,
 - (f) any case of rectification of mistakes on records in any order,
 - (g) any case of penalty or prosecution against offences,
 - (h) any case of seizure,
 - (i) any application to set aside any assessment order passed ex -parte,
 - (j) any other case,
 - (k) any other application.
- (13) Subject to the provisions of sub-section (14) and sub-section (15) of this section, any exemption from payment of tax or any concession in payment of tax or concession or reduction in rate of tax or any rebate or reimbursement in

respect of any sale or purchase of any goods granted under any provisions of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance or Rules made or notifications issued thereunder, shall not be admissible in respect of purchase or sale of any goods on or after the date of commencement of this Act unless the State Government has already allowed such facility to continue under the relevant provisions of the Repealed Ordinance, and in such case the facility shall continue until repealed or amended by the State Government;

- (14) Where any industrial unit has been granted moratorium for payment of tax under sub-section (2-A) of section 8 of the Repealed Act or, as the case may be, under the relevant provisions of the Repealed Ordinance, before the date of commencement of this Act or who may be granted moratorium subsequently under the provisions of section 76 of this Act and who would have been so eligible on such date under that Act if this Act would not have come into force, the Commissioner may, subject to the provisions of this Act, allow moratorium for payment of tax payable by him under this Act, for the remaining unexpired period as per provisions of section 76 of this Act and subject to such conditions and restrictions as the State Government may specify;
- (15) Any exemption from or any concession in payment of tax or concession or reduction of tax in respect of any sale or purchase of any goods granted to any industrial unit under provisions of section 4-A of the repealed Act or, such facility allowed under the relevant provisions of Repealed Ordinance, shall continue for the remaining unexpired period as per provisions of section 76 of this Act and subject to such conditions and restrictions as the State Government may specify;
- (16) Where any recovery proceedings in respect of realization of any amount due from a dealer or any other person under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, have been initiated before the date of commencement of this Act, they shall, on commencement of this Act, continue from the stage at which the same were pending;
- (17) In respect of defaults made or offences committed before the date of commencement of this Act by a dealer or any other person, proceedings for penalty or prosecution shall be made in accordance with the provisions under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, and in respect of defaults made or offences committed on or after the date of commencement of this Act, proceedings for penalty or prosecution shall be made in accordance with the provisions of this Act. Where default is of continuing nature and continues on or after such date proceedings for penalty or prosecuting shall be made in accordance with the provisions of this Act;
- (18) If any amount of tax or penalty or fee deposited by or recovered from the dealer or any other person under the provisions of the Repealed Act or, as the case may be, Repealed Ordinance is found in excess of the amount of tax or penalty or fee payable, it shall first be adjusted towards any amount outstanding against such dealer or person either under the Repealed Act or under the Repealed Ordinance or under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956, and remaining amount if any, shall be refunded to such dealer or person in accordance with the provisions of this Act, Interest, if payable, shall be paid in accordance with the provisions of this Act;
- (19) Any dealer who was a registered dealer under the repealed Act but has

not remained liable to obtain registration under the provisions of this Act and if he does not desire to remain registered voluntarily, he shall if not already done under the provisions of Repealed Ordinance, surrender registration certificate granted to him under the Repealed Act within a period of one month from the date of commencement of this Act along with all forms of declarations or certificates, if any, remaining unused with him;

(20) Where a part of the period under any scheme of payment of lump sum in lieu of tax under the provisions of section 7-D of the Repealed Act or, as the case may be, the relevant provisions of Repealed Ordinance, expires on or after the date of commencement of this Act, it shall be deemed to be valid under this Act upto the end of the financial year in which the date of commencement of this Act falls, unless the State Government makes an order otherwise;

(21) Any security or additional security furnished under the provisions of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, shall be deemed valid for the purposes under this Act as well as for the purposes of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance:

Provided that nothing contained in this sub-section shall preclude the assessing authority from demanding any security or additional security from the dealer registered under this Act;

(22) Every dealer who has been registered under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance and continues to be liable to registration under the provisions of this Act and the same is valid on the date of commencement of this Act, shall be deemed to be a registered dealer under this Act;

(23) Every dealer who has been a registered dealer under the Repealed Act and is not liable to registration in view of the turnover limits under this Act, and has not already applied for and/or granted voluntary registration, but he desires to retain registration and makes an application for this purpose, he may be granted voluntary registration under this Act and shall be deemed to be a registered dealer under this Act;

(24) Every dealer who has been granted Recognition Certificate under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, and the same is valid on the date of commencement of this Act, shall be deemed to be a Recognised dealer under this Act;

(25) In case of any stock in hand on the date of commencement of this Act which has suffered tax at the stage of its purchases, input tax credit shall be allowed in respect of such goods subject to such restrictions and conditions as are prescribed under the provisions of this Act.

Repeal and
Savings

81- (1) The Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 and the Uttarakhand Value Added Tax Ordinance, 2005 are hereby repealed:

Provided that such repeal shall not affect the previous operation of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred thereunder and subject thereto, any thing done or any action taken including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate, license or permit in exercise of any power conferred by or under the said Act or, as the case may be, the relevant provision of the said Ordinance, shall be valid and always be deemed to

have been valid during the period that was in force notwithstanding the repeal of the Act.

(2) The Repeal shall not:--

- (a) revive anything not in force or existing at the time the repeal takes effect,
 - (b) affect the previous operation of Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance or any thing done or suffered hereunder,
 - (c) affect any right, privilege, obligation, or liability acquired, accrued or incurred under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance,
 - (d) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred or inflicted in respect of any offence or violation committed under the provisions of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance,
 - (e) affect any investigation, enquiry, assessment proceeding, any other legal proceeding or remedy instituted, continued or enforced under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, and any such penalty, forfeiture or punishment as aforesaid or any proceeding or remedy instituted, continued, or enforced under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, shall be deemed to be instituted, continued or enforced under the corresponding provisions of this Act.
- (3) All rules made and notifications issued under the provisions of Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, and/or the Rules made thereunder and in force on the date of the commencement of this Act, shall remain in force unless such rules and notifications are superseded in express terms or by necessary implication by the provisions of this Act or the rules made and notifications issued thereunder.
- (4) Any reference to any Section of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, in any rule, notification, regulation or circular shall be deemed to refer to the relevant corresponding section of this Act, until necessary amendments are made in such rule, notification, regulation or circular.
- (5) The limitations provided in this Act shall apply prospectively, and all events occurred and all issues arisen prior to the commencement of this Act, shall be governed by the limitations provided or the provisions contained in the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance.
- (6) Notwithstanding the repeal of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance--
- (a) any action or proceedings relating to the period prior to the commencement of this Act already initiated under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, shall validly be continued under the provisions of this Act;
 - (b) any tax, fee, penalty, interest or other amount payable by any person under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, for any period before the commencement of this Act, shall be paid and collected in the manner prescribed under the provisions of this Act as if this Act was in force during that period.
- (7) All arrears of tax, interest, penalty, fee or other amount due at the commencement of this Act, whether assessed or levied before such commencement or assessed or levied after such commencement, may be

recovered as if such tax, penalty, interest, fee or other amount were assessed or levied under the provisions of this Act and all methods of recovery including levy of interest, penalty or prosecution provided under this Act, shall apply to such arrears as if such amount were assessed, levied and demanded under this Act.

- (8) Notwithstanding anything contained in sub-section (I) •. any application, appeal, revision or other proceeding made or preferred to any authority under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, and pending at the commencement of this Act, shall, after such commencement, be transferred to and disposed of by the officer or authority who would have had jurisdiction to entertain such application, appeal, revision or other proceedings under this Act as if it had been in force on the date on which such application, appeal, revision or other proceeding was made or preferred.



SCHEDULE--I

[See clause (a) of sub-section (2) of section 4 of Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005]

No tax under this Act shall be payable on the sale or purchase of the goods specified in this Schedule:

Sl.No.	Description of Goods
1	Agricultural implements manually operated or animal driven or tractor driven and cart driven by animal
2-	Aids and implements used by handicapped persons
3-	All types of footwears priced for Rs. 300/- or less
4-	Aquatic feed, poultry feed, cattle feed and cattle fodder including green fodder, chunni, bhusi, chhilka, chokar, javi, gower, husk of pulses, deoiled rice polish, deoiled rice bran, deoiled rice husk, deoiled paddy husk or outer covering of paddy and aquatic, poultry and cattle feed supplement, concentrate and additives, wheat bran and deoiled cake but excluding oil cake, rice polish, rice bran, rice husk
5-	Bamboo, bamboo matting and basket made of bamboo
6-	Bangles of all kinds except those made of precious metals, and Kumkum, bindi, alta and sindur
7-	Beehive and honey
8-	Betelleaves
9-	Biomass briquettes
10-	Books, periodicals and journals including maps, charts and globes
11-	Bread of all types other than pizza bread and buns and rusks
12-	Broom sticks muddhas made of sarkanda, phool, bahari jharoo
13-	Chalk sticks
14-	Charkha, Ambar Charkha, handlooms
15-	Chiwra, laya (murnura), lava (kheel), poha, sattu and parched, fried and roasted gram
16-	Certified organic cereals and pulses
17-	Coarse grains excluding paddy, rice and wheat, but including kutu, ramdana, singhara (whether fresh, dried or boiled), kutu flour and singhara flour
18-	Condoms and contraceptives
19-	Cotton and silk yam in hanks
20-	Drip irrigation system and Sprinkler irrigation system and parts thereof
21-	Earthen pot and all other goods of clay manufactured by potterer
22-	Electrical energy
23-	Fishnet and fishnet fabrics, and fish seeds, prawn/shrimp seeds
24-	Fresh fruits and vegetables including garlic and ginger, fresh fruit juice and fruit shakes like mango shake
25-	Fresh milk, pasteurised milk, butter milk, separated milk, curd and lussi
26-	Fesh plants, saplings and fresh flowers
27-	Food grains and other goods excluding Kerosene oil sold through Public Distribution System
28-	Gur including gur-shakkar, jaggery powder, gur-lauta, gur-raskat and palmyra-gur and edible variety of raab gur
29-	Handloom fabrics of all kinds, whether plain, printed, dyed or embroidered, including dhotis, sarees, bed-sheets, bed-covers, chaddars, table cloth, pillow covers, handkerchieves, scarfs, napkins, dusters, lois, lihafs, jholas, hemmed and fringed towels, orhanis and duggas made out of handloom cloth or woolen blankets and rugs manufactured on handloom and Gandhi topi

30-	Herb, bark, dry plant, dry root, commonly known as jari buti, dry flower and aromatic plant and grasses including herbs of organic solvent oil
31-	(i) Human blood, blood plasma, red cells and platelets; (ii) Equipments and consumables used in blood banks for blood collection, apheresis procedure and blood processing including component formation
32-	Incense sticks commonly known as aggarbatti dhoop kathi or dhoop batti and Havan Samagri including sambrani and lobhana
33-	Indigenous hand made musical instruments
34-	Kerosene lamp/lantern, petromax, glass chimney
35-	Khadi garments/goods and made-ups as may be notified by the Government
36-	Kripan used by Sikhs and Gorkhali Khukhri
37-	Leaf plates and cups pressed or stitched
38-	Meat, fish, prawn and other aquatic products when not cured or frozen or processed or tinned and eggs, poultry and livestock
39-	National flag
40-	Newar, baan and baan rassi
41-	Non judicial stamp paper sold by Government Treasuries; postal items like envelope, post card etc. sold by Government; rupee note when sold to the Reserve Bank of India; and cheques, loose or in book form
42-	Organic manure, Bio-fertilizers, Bio-micronutrients and plant growth promoters and regularors, neroiciouses, rodenticide, insecticides, weedicides and pesticides
43-	Paper, kachri, sewaiya, mangawri, bari and soyabeen bari (excluding soyabeen bari sold in airtight packets)
44-	Potash and phosphatic components of the following chemical fertilizers-- (1) D.A.P. (18:46:0) (2) M.O.P. (3) S.S.P. (4) N.P.K. (12:32:6/20:0/15:5:15/23:23:0/14:35:4/20:20:10/15:15:7.5/10:10:10/ 12:6:0/16:09:0)
45-	Prasamdham sold by religious institutions
46-	Rakhi
47-	Raw wool
48-	Religious pictures not for use as calendar or publicity material and idols made of clay
49-	Renewable Energy devices and spare parts
50-	Sacred thread, commonly known as yagyopavit and Rudrakash, Rudrakash mala and Tulsi kanthi-mala
51-	Salt (branded or otherwise)
52-	Seeds of all kinds other than oil seeds
53-	Semen including frozen semen of animals
54-	Silk worm laying cocoon and raw silk
55-	Slate (excluding writing boards), slate pencils and takhti
56-	Sugar on which additional excise duty is leviable under Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957
57-	Textile on which additional excise duty is leviable under Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957, but excluding bed-sheets, pillow cover and other made-ups, and imported varieties of textiles
58-	Tobacco on which additional excise duty is leviable under Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957, including Biri, Cigarette and Cigar but excluding Gutka and imported varieties of Tobakhhu
59-	Unprocessed green tea leaves

60-	Water other than-d) aerated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, de-mineralized water, and (ii) water sold in sealed container
-----	---



SCHEDULE II-(A)

**[See sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (2) of section 4 of
Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005]**

Tax shall be payable on the goods specified in this Schedule at every point of sale at the rate of One percent:

S1. No.	Description of Goods
1-	Gold, silver, platinum and other precious metals
2-	Articles of gold, silver, platinum and other precious metals including jewellery made from gold, silver, platinum and other precious metals
3-	Precious and semi-precious stones



SCHEDULE II-(B)**[See sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (2) of section 4 of Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005]**

Tax shall be payable on the goods specified in this Schedule at every point of sale at the rate of Four percent:

S1. No.	Description of Goods
1-	Acids
2-	Agricultural implements not operated manually or not driven by animal or not driven by tractor
3-	All equipments for communications such as, Private Branch Exchange (P .B.x.) and Electronic Private Automatic Branch Exchange (B.P .AB.x.), teleprinters, wireless equipments and parts thereof
4-	All intangible goods like copyright, patent, replicense etc.
5-	All metal castings
6-	All processed and preserved vegetables, vegetable mushrooms and fruits including fruit jams, jellies, fruit squash, paste, fruit drinks and fruit juices and achar (whether in sealed containers or otherwise)
7-	All types of yarn including polyester fibre yarn and staple fibre yarn, other than cotton and silk yarn in hank, and sewing thread
8-	All utensils (including pressure cookers/pans), buckets and containers made Aluminum, iron and steel, plastic and other materials except precious metals and enamelled utensils
9-	Articles of packing including (a) boxes, cases, cartons, jerry cans, bag made of paper, paper board, corrugated sheets, plastic (b) moulded tray made from recycled paper, (c) tat, bags made of jute and hemp goods (d) laminated jute bags
10-	Aluminum, Aluminum alloy, their products (excluding extrusions)
11-	Aluminum Conductor Steel Reinforced (AC.S.R.)
12-	Arecanut powder and betel nut
13-	Atta, Maida, suji, besan, dalia.
14-	Bagasse
15-	Basic chromium sulphate, sodium bi-chromate
16-	Bearings
17-	Bed sheet, pillow cover and other made-ups
18-	Beltings of all varieties and descriptions
19-	Bicycles, tricycles, cycle rickshaws and parts, tyres, tubes thereof
20-	Bitumen
21-	Bone meal
22-	Candles
23-	Castor oil
24-	Caustic soda, caustic potash, soda ash
25-	Centrifugal and monoblock submersible pump sets and parts thereof
26-	Charcoal
27-	Chemical fertilizers, Micronutrients and plant growth promoters and regulators, herbicides, rodenticide, insecticides, weedicides and pesticides
28-	Clay including fire clay, fine china clay and ball clay
29-	Coconut fiber
30-	Coconut in shell and separated kernel of coconut, and tender green coconut
31-	Coffee beans and seeds, cocoa pod, green tea leaf and chicory
32-	Coir and coir products excluding coir mattress

33-	Combs
34-	Computer stationery
35-	Cooked food
36-	Cottage cheese and paneer
37-	Cotton and cotton waste
38-	Crucibles
39-	Cups, glasses and plates of paper and plastics
40-	Declared Goods as specified in Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 except coarse gain
41-	Drugs, medicines and pharmaceutical preparations (Allopathic, Ayurvedic, Homeopathic and Unani) including vaccines, syringes and dressings, medicated ointments produced under drug license and light liquid paraffin of IP grade
42-	Dyes, Acid dyes, Basic dyes
43-	Edible oils
44-	Embroidery or zari articles, that is to say- (i) imi; (ii) zari; (iii) kasb; (iv) saima; (v) dabka; (vi) chumki; (vii) gota; (viii) sitara; (ix) naqsi; (x) kora; (xi) glass bead; (xii) glzal; (xiii) embroidery machines; (xiv) embroidery needles
45-	Exercise book, graph book and laboratory note book
46-	Feeding bottles, nipples
47-	Ferrous and non ferrous metals and alloys; non metals such as aluminium, copper, zinc and extrusion of those
48-	Fibres of all types and fibre waste
49-	Firewood
50-	Glucose-D
51-	Hand pumps, parts and fittings
52-	Ring (Asafoetida)
53-	Hose pipes and fittings thereof
54-	Hosiery goods
55-	Husk and bran of cereals
56-	Husk including groundnut husk
57-	Ice
58-	imitation jewellery
59-	Industrial cables (high voltage cables, XLPE Cables, jelly field cables, optical fiberables)
60-	Insulators

61-	IT products as specified below-- (i) Word processing machines, electronics typewriters (ii) Micro phones, multimedia speakers, head phones etc. (iii) Telephone answering machines (iv) Prepared unrecorded media for sound recording (v) Prepared recorded media for sound recording (vi) IT software or any media (vii) Transmission apparatus other than apparatus for radio or TV broadcasting (viii) Radio communication receivers, Radio Pagers (ix) Aerials, Antennas and parts (x) LCD panels, LED panels and parts (xi) Electrical capacitors, fixed, variable and parts (xii) Electronic calculators (xiii) Electrical resistors (xiv) Printed circuits (xv) Switches, connectors, Relays for up to 5 amps (xvi) Data/Graphic Display tubes, other than picture tubes, and parts (xvii) Diodes, transistors and similar semi-conductor devices (xviii) Electronic integrated. circuits and Micro-assemblies (xix) Signal Generators and parts (xx) Optical fiber cables (xxi) Optical fiber and optical fiber bundles, cables (xxii) Liquid Crystal devices, flat panel display devices and parts (xxiii) Computer systems and peripherals, Electronic diaries (xxiv) Cathode ray oscilloscopes, Spectrum analysers, Signal analysers (xxv) Parts and accessories of HSN 84.69,84.70 & 84.71 (xxvi) D C Micromotors, stepper motors of 37.5 watts. (xxvii) Parts of HSN 85.01 (xxviii) Uninterrupted power supply (xxix) Permanent magnets and articles (xxx) Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy
	(xxxi) Cell phones (xxxii) DVD and CD
62-	Katha
63-	Khandsari
64-	Khoya/khoa
65-	Knitting wool
66-	lignite
67-	Lime, lime stone, clinker-and dolomite and other-white-washing-materials
68-	Liner alkyl benzene, L.A. B. sulphonic Acid, Alpha Olefin sulphonate
69-	Liquid product of cellulose, commonly known as L.P.C., and liquid product of earthen waste
70-	Loose biscuits
71-	Maize starch, maize gluten, maize germ and oil
72-	Medical equipment/devices and implants
73-	Mixed PVC stabilizer

74-	Non-mechanized boats used by fisherman for fishing
75-	Nuts, bolts, screws and nails fasteners
76-	Oil cake
77-	Oil seeds
78-	Ores and minerals excluding minor minerals
79-	Paper including news prints and paper board
80-	Paraffin wax
81-	Pipes of all varieties including G.I. Pipes, Cl. Pipes, ductile pipe and PVC pipes and fittings thereof
82-	Pizza bread
83-	Plastic granules, plastic powder and master batches
84-	Porridge
85-	Printed material including diary, calendar etc.
86-	Printing ink excluding toner and cartridges
87-	Processed meat, poultry, fish, prawn and other aquatic products
88-	Pulp of bamboo, wood and paper
89-	Railway wagons, engines, coaches and parts thereof
90-	Readymade garments
91-	Refractory monolithic
92-	Rice, wheat, pulses and paddy
93-	Rice bran, rice polish and rice husk excluding deoiled rice bran, decoiled rice polish and deoiled rice husk
94-	River sand and grit excluding (a) boulders and (b) grit and sand manufactured by stone crushers
95-	Resin
96-	Rubber, raw rubber, latex, dry ribbed
97-	Sawai grass and rope
98-	Safety matches
99-	Sewing machines, its parts and accessories
100-	Ship and other water vessels
101-	Silk fabrics excluding handloom silk unless covered by Additional Excise Duty
102-	Skimmed milk powder and UHT milk
103-	Solvent oils other than organic solvent oil
104-	Spectacles, parts and components thereof, contact lens and lens cleaner
105-	Spices of all varieties and forms including cumin seed, aniseed, turmeric and dry chilies and dry fruits
106-	Sports goods excluding apparels and footwear
107-	Stainless steel sheets not falling under declared goods
108-	Starch
109-	Sweetmeat, rewari, gajak and sugar products namely kulia, batasha, khilona, ilaichidana etc. and riaffikeen when unpacked
110-	Tamarind seed and powder
111-	Tea
112-	Toddy, neera and arak
113-	Tools

114-	Toys excluding electronic toys
115-	Tractors, threshers, harvesters, power tillers, trolley and attachment and parts thereof
116-	Transmission towers
117-	Umbrella except garden umbrella
118-	Used motor vehicle
119-	Vanaspati (hydrogenated vegetable oil)
120-	Vegetable oil including gingili oil and bran oil
121-	Wet dates and nariyal
122-	Wooden crates
123-	Wooden loi, pattu, gabba, shawl and blanket
124-	Writing ink
125-	Writing instruments, geometry boxes, colour boxes, crayons, pencil sharpeners and scientific, mathematical, survey, mechanical drawing and biology instruments and apparatus
126-	Zip fastener, zip roll and components thereof

SCHEDULE--II (C)

**[See sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (2) of section 4 of
Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005]**

Tax shall be payable on goods specified in this Schedule at every point of sale at the rate specified against each in column 3 :

Sl.No.	Description of goods	Rate of tax Percentage
1-	Lottery tickets	32.5%
2-	Molasses	20%

SCHEDULE--III

[See sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (2) of section 4 of Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005]

Tax shall be payable on Special Category Goods specified in this Schedule at the point of sale specified in column 3 at the rate specified against each in column 4 :

M stands for Sale by the Manufacturer in Uttarakhand.

I stands for Sale by the Importer in Uttarakhand.

Sl.No.	Description of goods	Point of Tax	Rate of tax Percentage
1-	(a) Spirits and spirituous liquors of all kinds including Methyl Alcohol, Alcohol as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939 but excluding country liquors (b) Country liquors	M or I	32.5% Exempt
2-	Motor Spirit as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939	M or I	25%
3-	Diesel as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939	M or I	21%
4-	Aviation Turbine Fuel	M or I	20%
5-	Natural gas	M or I	20%
6-	Kerosene Oil	M or I	12.5%
7-	Bio-fuels mixed with petrol or mixed with diesel where contents of Bio-fuel is not less than 5%	M or I	12.5%

SCHEDULE--IV

[See clause (C) of sub- section (2) of section 4 of Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005] Sale of any goods to or by the dealers/persons specified in column 2 of this Schedule shall be exempt from whole or any part of the tax as specified in column 3, subject to the conditions, if any, specified in column 4 thereof:

Sl.No	Description of Dealers/ Persons	Exemption		Conditions, if any
1	2	3(a)	3(b)	4

	Sales to or purchases and sales by Canteens Stores Department/ Military Canteen of all goods, other than those specified below:--	Sale to or purchase and sale by	Exempt	On condition that it is certified by an officer not below the rank of Commanding Officer that the goods are meant for being sold to members of the Armed Forces of India/ \other defence establishments / Ex-servicemen
	(1) Arms including rifles, revolvers, pistols, parts and accessories thereof and ammunition for the same, but excluding Khukhri, Bhala, Chhura and Talwar and ammunition for 12 bore shotguns. (2) All electrical goods, instruments, apparatus, appliances and all such articles the use of which cannot be had except with the application of electrical energy, including electrical earthenware and porcelain electrical equipments, plants and their accessories required for generation, distribution and transmission of electrical energy, electric motors and parts thereof, and all other accessories and component parts, whether sold as a whole or in parts, but excluding fans, lighting bulbs, fluorescent tubes (including their starters, chokes, fixture, fittings and accessories), torches, torch bulbs, torch cells, dry cell batteries, iron, toaster, kettle, mixi-cum-grinder and oven. (3) Bhang, Ganja, Opium and Charas. (4) Binoculars, telescopes and opera glasses and components, parts and accessories thereof. (5) Carpets of all kinds including namdas but excluding cotton carpets and pile durries.			
	(7) Cinematographic equipment including			

	cameras, projectors, and sound recording and reproducing equipment, lenses, films and film strips, and cinema arc carbons, cinema slides, raw films and components, parts and accessories required for use therewith (8) Metal safes, cash boxes and almirahs, other than almirahs costing not more than Rs. 1,200/-, all kinds of metal furniture, whether sold in assembled or unassembled form, parts of metal furniture, furniture made from fibre glass, reinforced plastics or made primarily from any kind of plastics, upholstered furniture and furniture in the manufacture of which laminated sheets are used. (9) Sheets, cushions, pillows, mat tresses and other articles made from foam rubber, plastic foam or other synthetic foam or fibre foam or rubberised coir. (10) Motor trucks, motor buses, motor cycle combinations, motor cars, jeeps and other motor vehicles, including motor cycles, motor scooters and motorettes (mopeds). (11) Office machines and apparatuses including tabulating, calculating, duplicating cash registering, cheque writing, accounting, statistical, indexing, card-punching franking and addressing machines and typewriters, computers (including Central Processing Unit and peripheral devices), teleprinters and auxiliary machines, components, parts, and accessories of such office machines and apparatuses. (12) Photographic enlargers, lenses, papers, plates and cloth, and components, parts and accessories thereof. (13) Refrigeration and air-conditioning plants and all kinds of refrigerating appliances and equipment, including refrigerators, deep-freezers, mechanic-			
	(14) Tyres and tubes and parts and accessories of motor vehicles, other than tyres and tubes of motor cycles			

	motor scooters and motorettes (mopeds). (15) (a) Wireless transmission and reception equipments, instruments and apparatuses, including transistor radios, other radios and components, parts and accessories thereof such as transistors and electrical valves, but excluding transistor radios, other radios and accumulators, costing less than Rs. 1,200/-- (b) Sound transmitting equipment, instruments and apparatuses including telephones, intercom devices and loudspeakers all amplifying equipments used with audio, video and electronic equipments but excluding sound amplifying and transmitting apparatuses carried on the person and specifically meant for use in hearing aids, and components, parts and accessories of such equipments, instruments and apparatuses; (c) Sound recording equipments instruments and apparatuses such as Dictaphones, cassette machines, and components, parts and accessories thereof excluding tape recorders and recording cassette and reel tapes. (d) Other audio, video and electronic equipments, instruments and appliances including television receiving sets, television cameras and transmitting equipments, record players and changers whether without speakers or with built-in speakers, gramophones, gramophone records, radio gramophones and combinations			
--	---	--	--	--

SCHEDULE-- V

[See clause (e) of sub-section (2) of section 4 of Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005]

Any Person or International Organizations specified in column 2 of this Schedule shall be entitled to refund of tax paid by it on the purchase of taxable goods, subject to the conditions, if any, specified in column 3 thereof:

Sr.No.	Description of Person/Organization	Condition, if any
1	2	3
1-	Ambassadors, High Commissioners and Diplomats of Foreign States in India	
2-	United Nations Organization and its specialized Agencies in Uttarakhand	
3-	United Nations International Children's Emergency Fund	

4-	American Community Emergency Fund for Child Famine Relief	
5-	CARE (Co-operative for American Relief Everywhere)	
6-	OXAM	
7-	(a) The Government of Bhutan, or (b) His Majesty the King of Bhutan, or a Member of Bhutan (c) Indian Military Training Team Bhutan or Dantak Project, Bhutan or (d) Representative of Indian in Bhutan or the Border Roads Organization, or (e) Any dealer or private individual resident in Bhutan for their use or re-sale in Bhutan	On the conditions that the dealer furnishes to the assessing authority a certificate, duly signed and certified under the official seal by the authorities mentioned below, to the effect that the goods are for export to and use in Bhutan and have actually entered into the Territories of Bhutan— (i) in the case of sales made to the Government of Bhutan or His Majesty the King of Bhutan or to a Member of Bhutan Royal Family, by Commissioner, Deputy Commissioner or Sub-Divisional Officer of the Government of Bhutan or by the Director, State Trading Corporation of Bhutan, or by the Chief Engineer, Public Works Department, Government of Bhutan, or by the Finance Minister, Government of Bhutan; (ii) in the case of sales made to Dantak Project, by the Chief Engineer Dantak or any officer specifically nominated by him for this purpose; (iii) in case of sales made to Indian Military Training Team, the Commandant, IMTRA T or any officer specifically nominated by him for this purpose; and (iv) In respect of any other sales, the Finance Minister, Government of Bhutan or by the Sub Divisional Officer, Government of Bhutan, Phuntsholing, or by an officer of the office of the Representative of India in Bhutan nominated

THE UTTARAKHAND VALUE ADDED TAX ACT, 2005

Sections

Details

CHAPTER I

PRELIMINARY

Section 1	Short title, Extent and Commencement
Section 2	Definitions

CHAPTER II

THE INCIDENCE, LEVY AND RATES OF TAX

Section 3	Incidence of tax
Section 4	Rate of Tax
Section 5	Net Tax Payable
Section 6	Input Tax Credit
Section 7	Composition Schemes
Section 8	Liability of a Proprietary Concern

Section 9	Liability in case of a Firm etc.
Section 10	Liability in cases of Minors and Incapacitated Persons
Section 11	Liability in case of Court of Wards etc.
Section 12	Liability in case of a Company
Section 13	Certain Agents liable to tax for sales on behalf of Principal
Section 14	Liability in case of Transfer of Business

CHAPTER III

REGISTRATION, AMENDMENT AND

CANCELLATION

Section 15	Registration
Section 16	Voluntary Registration
Section 17	Procedure for Registration
Section 18	Cancellation of Registration
Section 19	Amendment of certificate of Registration
Section 20	Security in the Interest of Revenue
Section 21	Quoting of Registration Number
Section 22	Realization of Tax by Dealer

CHAPTER IV

RETURNS, ASSESSMENT, PAYMENT AND

RECOVERY OF TAX

Section 23	Periodical Returns and Payment of Tax
Section 24	Provisional Assessment
Section 25	Assessment of Registered Dealer for the Assessment Year
Section 26	Assessment of Unregistered person liable to tax
Section 27	Special Provisions relating to Casual Dealers
Section 28	Assessment in case of special circumstances
Section 29	Assessment of Escaped Turnover
Section 30	Rectification of Mistakes
Section 31	Power to set aside an Order of Assessment
Section 32	Period of limitation for making Assessment or Reassessment
Section 33	Rounding off of Turnover and Tax etc.
Section 24	Payment and Recovery of Tax
Section 35	Recovery of Tax by way of Tax Deduction at Source

CHAPTER-V

REFUND AND ADJUSTMENT

Section 36	Refund
Section 37	Provisional Refund in case of Exporters
Section 38	Refund of Tax in case of sales to Embassies, International Organizations or to Units established in Special Economic Zone
Section 39	Power to Withhold Refund in certain cases
Section 40	Disbursement of Amount Wrongly Realized by Dealer as Tax
Section 41	Interest

CHAPTER VI

INSPECTION OF ACCOUNTS, SEARCH AND

SEIZURE AND ESTABLISHMENT OF CHECK POST

Section 42	Power to order Production of Accounts and Power of Entry and Inspection
Section 43	Power to Seize Goods
Section 44	Power to Acquire Goods in case of Under Valuation
Section 45	Power to seek Information, to summon Witness etc.
Section 46	Power to seek Assistance from Police etc.
Section 47	Establishment of Check -Posts and Barriers
Section 48	Import of Goods into the State against Declaration
Section 49	Import of Goods into the State by Rail, River, Air, or Post
Section 50	Transit of Goods by Road through the State and issue of Authorisation for Transit of Goods

CHAPTER VII

APPEAL AND REVISION

Section 51	First Appeal
Section 52	Revision by Commissioner
Section 53	Appeal to the Appellate Tribunal
Section 54	Constitution of Appellate Tribunal
Section 55	Revision by High Court
Section 56	Orders against which No Appeal. or Revision shall lie
Section 57	Determination of Disputed Questions

CHAPTER-VIII

OFFENCES AND PENALTIES

Section 58	Offences and Penalties
------------	------------------------

CHAPTER IX

ACCOUNTS TO BE MAINTAINED BY DEALERS

Section 59	Maintenance of Accounts
Section 60	Sale Invoice
Section 61	Period for which Accounts to be retained
Section 62	Audit of Accounts

CHAPTER X

MISCELLANEOUS

Section 63	Liability on Issuing False Certificate etc.
Section 64	Objection to Jurisdiction
Section 65	Certain Presumptions in Affixing Tax liability
Section 66	Burden of Proof
Section 67	Additional Evidence in Appeal
Section 68	Indemnity
Section 69	Bar to Certain Proceedings
Section 70	Certain Information's to be Confidential
Section 71	Powers to make Rules
Section 72	Power to issue Notifications with retrospective effect
Section 73	Transfer to Defraud Revenue void
Section 74	Fees in certain Cases
Section 75	Power to Grant Installment
Section 76	Moratorium for Payment of Tax
Section 77	Facility for Sick Industrial Units
Section 78	Power to collect Statistics
Section 79	Power to remove difficulties

CHAPTER XI

TRANSITIONAL PROVISIONS, REPEAL AND SAVINGS

Section 80	Transitional Provisions
Section 81	Repeal and Savings

SCHEDULES

Schedule I	Goods exempt from Tax
Schedule IIA	Goods taxable at every point of sale @ one percent
Schedule IIB	Goods taxable at every point of sale @ four percent
Schedule IIC	Goods taxable at every point of sale at the rate specified in the Schedule
Schedule III	Special Category Goods taxable at the point of sale by the Manufacturer or Importer at the rate specified in the Schedule
Schedule IV	Sale of goods to or by dealers/persons exempt from whole or any part of Tax

Schedule V

Any person or International Organization shall be entitled to
refund of tax paid on purchases

